देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयताम्।। ऋ० १/८९/२

ISSN : 2395-7115

Impact Factor
3.811

September 2021
Vol. 14, Issue-3

Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

रोहताश
प्रधान सम्पादक

डॉ. नरेश सिहाग, एडवोकेट
सम्पादक

Publisher :
Gugan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)
202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

स्व. चौ. गुगनराम सिहाग व उनकी छोटी बहन स्व. श्रीमती गीना देवी के शुभाशीर्वाद से प्रकाशित

JOURNAL OF HUMANITIES, COMMERECE, SCIENCE, MANAGEMENT & LAW

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Vol. 14, ISSUE- 3 (SEPTEMBER- 2021) ISSN : 2395-7115

प्रेरणा :

चौ. एम. सिहाग

अतिथि सम्पादक :

रोहताश

पत्रकारिता विभाग, गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार।

सम्पादक :

डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट

एम.ए. (समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, हिन्दी शिक्षा शास्त्र, पत्रकारिता),
एम.फिल (समाजशास्त्र, हिन्दी) एम. लिब., एल–एल.बी. (ऑनर्स),
डिप्लोमा पंचायती राज (रजत पदक विजेता), पी.एच.डी. (हिन्दी)

विभागाध्यक्ष हिन्दी एवं शोध निर्देशक

टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर–335001 (राज.)

प्रकाशक :

गुगनराम एजुकेशनल एण्ड सोशल वैलफेयर सोसायटी (रजि.)

202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड, भिवानी–127021 (हरियाणा)

Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL REFEREED/REVIEWED AND INDEXED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL
ISSN 2395-7115

प्रशासनिक सम्पर्क :
डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट
202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड,
भिवानी-127021 (हरियाणा)
Email : nksihag202@gmail.com
मो. 09466532152

सम्पादकीय सम्पर्क :
डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट
6 एच 30, जवाहर नगर,
श्रीगंगानगर-335001 (राजस्थान)
Email : nksihag202@gmail.com
मो. 09466532152

Published by :
Gugan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)
202, Old Housing Board,
Bhiwani-127021 (Haryana) INDIA
Email : grsbohal@gmail.com
Facebook.com/bohalshodhmanjusha
Website : www.bohalsm.blogspot.com
WhatsApp : 9466532152

All Right Reserved by Publisher & Editor

Price

Individual/Institutional : 1100/-

Disclaimer :
1. Printing, Editing, Selling and distribution of this Journal is absolutely honorary and non-commercial.
2. All the Cheque/Bank Draft/IPO should be sent in the name of Gugan Ram Educational & Social Welfare Society payable at Bhiwani.
3. Articles in this journal do not reflect the Views or Policies of the Editor's or the Publisher's. Respective authors are responsible for the originally of their views/opinions expressed in their articles.
4. All dispute will be Subject to Bhiwani, Hry. Jurisdication only.

Printed by : Manbhawan Printers, Old Bus Stand Road, Naya Bazar, Bhiwani (Hry.)

बोहल शोध मंजूषा परिवार*

मानद संरक्षक

प्रो. राधेमोहन राय
पूर्व उप प्राचार्य,
राजकीय स्नातकोत्तर महा.,
अलवर, राजस्थान।

डॉ. राजेन्द्र गोदारा
परीक्षा नियंत्रक,
टांटिया विश्वविद्यालय,
श्रीगंगानगर, राजस्थान।

डॉ. विनोद तनेजा
पूर्व अध्यक्ष, हिन्दी विभाग
गुरूनानक वि.वि. अमृतसर
पंजाब।

सम्पादक मण्डल

सह सम्पादिका :
डॉ. रेखा सोनी
उप प्राचार्या, शिक्षा विभाग
टाटिया वि.वि. श्रीगंगानगर।

सह सम्पादिका :
डॉ. सुशीला आर्या
हिन्दी विभाग, चौ. बंसीलाल
विश्वविद्यालय, भिवानी।

प्रबंध सम्पादक :
समुद्र सिंह
भिवानी, हरियाणा।

विधि विशेषज्ञ

डॉ. रामफल दलाल, एडवोकेट
जिला न्यायालय
भिवानी, हरियाणा।

अजीत सिहाग, एडवोकेट
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट,
चंडीगढ़।

चरणवीर सिंह, एडवोकेट
जिला न्यायालय
पटियाला, पंजाब।

विषय विशेषज्ञ/परामर्शदात्री/शोधपत्र निरीक्षण समिति

माई मनीषा महंत
किन्नर अधिकार ट्रस्ट
भूना, जिला कैथल, हरियाणा

डॉ. विश्वबंधु शर्मा
पूर्व अध्यक्ष, हिन्दी विभाग
बाबा मस्तनाथ वि.वि. रोहतक

डॉ. संजय एल. मादार
विभागाध्यक्ष, पी.जी. केन्द्र
द.भा.हिन्दी प्रचार सभा हैदराबाद।

डॉ. गीता दहिया, प्राचार्या,
नैशनल टीटी कॉलेज फॉर गर्ल्स
अलवर, राजस्थान

डॉ. विनोद कुमार
हिन्दी विभाग, लवली प्रोफेशनल
यूनिवर्सिटी, पंजाब

डॉ. कुसुम कुंज मालाकार
हिन्दी विभाग,कॉटन विश्वविद्यालय
गुवाहाटी, असम

डॉ. कैलाशचन्द्र शर्मा 'शंकी'
पूर्व जि.शि.अधिकारी, च. दादरी

श्री सहदेव समर्पित
सम्पादक, शान्तिधर्मी, जीन्द

डॉ. अंजली उपाध्याय
उत्तर प्रदेश

डॉ. लता एस. पाटिल
राजीव गांधी बीएड कालेज
धारवाड़, कर्नाटक

प्रो. अमनप्रीत कौर
गुरू तेग बहादुर खालसा कॉलेज
फॉर वूमैन, दसूहा, पंजाब

डॉ. राजपाल
राजकीय पी.जी. महाविद्यालय
हिसार, हरियाणा

प्रो. कमलेश चौधरी
राजकीय रणबीर महाविद्यालय
संगरूर, पंजाब

डॉ. परमजीत कौर
बरेली कॉलेज बरेली,
उत्तर प्रदेश।

डॉ. बी. संतोषी कुमारी
पी.जी.विभाग, दक्षिण भारत हिन्दी
प्रचार सभा, मद्रास

डॉ. पार्वती गोंसाई
सरदार पटेल वि.वि.,
गुजरात।

डॉ. कृष्ण कुमार मिश्र
बिहार।

डॉ. शबाना हबीब
त्रिवन्तपुरम, केरल

डॉ. मानसिंह दहिया
हरियाणा

डॉ. मो. रियाज खान
बीएमएस. महिला. महा., बेंगलुरु

डॉ. इस्पाक अली
प्राचार्य, लाल बहादुर शास्त्री
शिक्षा महाविद्यालय, बेंगलूरू

डॉ. किरण गिल
दीनदयाल टी.टी. महाविद्यालय
बारी, जिला सीकर, राज.

डॉ. राजकुमारी शर्मा
नेपाल

श्री राकेश ग्रेवाल
सन जॉस,
कैलिफोर्निया, यू.एस.ए.

श्री राकेश शंकर भारती
यूक्रेन।

डॉ. विनोद कुमार शर्मा
टांटिया विश्वविद्यालय,
श्रीगंगानगर, राजस्थान।

डॉ. शिवकरण निमल
राजस्थान

डॉ. नीलम आर्या
उत्तर प्रदेश

प्रो. रोहतास
डी.एन. कॉलेज, हिसार।

प्रो. रेखा रानी
गवर्नमेंट कॉलेज
संगरूर, पंजाब

डॉ. सविता घुड़केवार
पीजी विभाग, दक्षिण भारत
हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास

डॉ. श्रीविद्या एन.टी.
श्री शंकराचार्य संस्कृत वि.वि.
केरल।

डॉ. पंडित बन्ने
भारत महाविद्यालय,
सोलापुर (महाराष्ट्र)

डॉ. उमा सैनी
आई.ए.एस.ई. विश्वविद्यालय
सरदारशहर, राजस्थान

डॉ. सुरजीत सिंह कस्वां
टांटिया विश्वविद्यालय,
श्रीगंगानगर, राजस्थान।

डॉ. राधाकृष्णन गणेशन
वाराणसी

डॉ. रवि सुण्डयाल
जम्मू कश्मीर

प्रो. सत्यबीर कालोहिया
पूर्व प्राचार्य

डॉ. के.के. मल्होत्रा
पूर्व विभागाध्यक्ष
गवर्नमेंट कॉलेज, गुरदासपुर

***सम्पूर्ण बोहल शोध मञ्जूषा परिवार/सम्पादक मण्डल अवैतनिक है।**

शोध–पत्र प्रकाशन के लिए निर्देश मंजूषा

गुगनराम सोसायटी (पंजीकृत) द्वारा शोधार्थियों व अध्येताओं के शोध/अनुसंधान की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतू बोहल शोध मंजूषा ISSN 2395-7115 नामक बहुभाषिक अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। कला, संस्कृति, विज्ञान, वाणिज्य, मानविकी, प्रबंध, प्रौद्योगिकी, विधि, भूगोल, शिक्षा, पत्रकारिता पर केन्द्रीत इस शोध पत्रिका को विषय विशेषज्ञों तथा मनीषी विद्वानों की सक्रिय सहभागिता प्राप्त है। पत्रिका का वार्षिक शुल्क 1100 रु. है।

आप अपना शोध पत्र कम्प्यूटर से मुद्रित फोन्ट साईज 14, कृतिदेव–10, कृतिदेव–21 में व अंग्रेजी के Arial, Times New Roman में पेज मेकर या माइक्रोसोफ्ट वर्ल्ड में हमारी Email ID : grsbohal@gmail.com पर भेजें। शोध पत्र प्रेषित करने से पूर्व दिये गये सन्दर्भ, मात्रा आदि की पूर्णतया जाँच कर लें।

नोट :– उर्दू, पंजाबी आदि भाषा के शोध पत्र पेपर साईज 7x9.5 पर टाईप कराकर JPG या PDF फाईल हमारी ईमेल आई.डी. पर भेज सकते हैं।

हमारी पत्रिका में शोध पत्र लेखक के फोटो सहित प्रकाशित किये जाते हैं। इसलिए आप अपने शोध पत्र के साथ पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ, सम्पर्क सूत्र; टेलीफोन, मोबाईल नं., ई–मेल तथा पिनकोड सहित पत्र व्यवहार का पूरा पता (हिन्दी व अंग्रेजी) कम्प्यूटर द्वारा टाईप करवाकर भेजें।

☐ शोध पत्र 2000–2500 शब्दों (4–6 पेज) से अधिक नहीं होनी चाहिए, यदि शब्द सीमा अधिक होती है तो सम्पादक को अधिकार होगा यथा स्थान संक्षिप्तीकरण कर दें। अस्वीकृत शोध पत्र की वापसी संभव नहीं है।

☐ पत्रिका में प्रकाशित श्रेष्ठ शोध पत्र को हमारी सोसायटी/पत्रिका की ओर से बहुउपयोगी श्रीमती गिना देवी शोधश्री सम्मान प्रदान किया जायेगा।

☐ शोध पत्र में व्यक्त विचार लेखकों के स्वयं के विचार हैं। उनसे सम्पादक, प्रकाशक की सहमति आवश्यक नहीं है। शोध पत्र में प्रयुक्त किए गए तथ्यों के प्रति संबंधित लेखक उत्तरदायी होगा। पत्रिका में शोध आलेख प्रकाशन के लिए भेजने से पहले सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करना लेखक का दायित्व है। प्रत्येक विवाद का न्यायक्षेत्र भिवानी (हरियाणा) होगा।

☐ सम्पादकीय पद अव्यावसायिक और अवैतनिक हैं। पत्रिका में केवल शोध पत्र ही प्रकाशनार्थ भेजें। शोध पत्र का प्रकाशन योजना एवं व्यवस्था के अनुसार यथा समय व प्रकाशित समस्त शोध पत्रों का सर्वाधिकार समिति/सम्पादक के पास सुरक्षित होगा।

नोट :

सहयोग/सदस्यता राशि 1100/– रू. का ड्राफ्ट/चैक/आई.पी.ओ. 'गुगनराम एजुकेशनल एण्ड सोशल वैलफेयर सोसायटी' के नाम भेजें तथा ऑनलाईन बैंक में सहयोग जमा राशि की रसीद की फोटोप्रति अपने आलेख के साथ हमें मेल कर सूचित करने का कष्ट करें ताकि समय पर रसीद भेजी जा सके। ऑनलाईन सहयोग राशि के साथ 50/– रू. अतिरिक्त अवश्य जमा करवायें। प्रकाशन सहयोग शुल्क वापिस देय नहीं।

बैंक का नाम	:	**पंजाब नैशनल बैंक, हालु बाजार, भिवानी (हरियाणा)**
खाता धारक का नाम	:	**गुगनराम एजुकेशनल एण्ड सोशल वैलफेयर सोसायटी**
बैंक खाता संख्या	:	**1182000109078119**
IFSC Code	:	PUNB0118200
MICR CODE	:	127024003

क्र.	विषय	लेखक	पृष्ठ
1.	सम्पादकीय	रोहतास निम्मी	9–9
2.	Cyber Law : Approach to Prevent Cyber Crime	Rohtash, Pro. Dr. Manoj Dayal	10-22
3.	Cooperative Approach for Combating Cyber Crime in Modern World	Priyanka Deb Sett, Tanmoy Deb	23-29
4.	CYBER CRIME AGAINST WOMEN	Dr. Rahul Tiwari	30-33
5.	CYBER CRIMES AGAINST WOMEN	Ramshankar Varma	34-39
6.	Classification of Cyber Crime	Pawan kumar Srivastava	40-45
7.	Cyber Crime and Women	Sumit Kumar	46-50
8.	भारत में साइबर अपराध का इतिहास	हरिओम सिंह	51–53
9.	साइबर अपराधों के बारे में जाकरूकता	राजू गजभिये	54—59
10.	साइबर अपराध : एक वैश्विक अवलोकन	मुकेश चौहान	60–64
11.	साइबर क्राईम के प्रति जन–जागरूकता में प्रिंट मीडिया की भूमिका (हरियाणा के हिंदी दैनिक समाचार पत्रों के संदर्भ में एक आलोचनात्मक अध्ययन)	शिव कुमार, प्रो. (डॉ.) हरीश कुमार	65–76
12-	जानकी जीवनम् में माता के अधिकार	डॉ० रजनी धाकरे	77-88
12.	Cyber Crime and Law in India	Dr. Shakeel Ahmad, Mr.Rahul	81-85
13.	Effect Of Yoga On The Stress Level Of Kho Kho Players : An Empirical Study	Dr. B.S. Chouhan, Mr. Rakesh kumar	86-91
14.	जानकी जीवन में नारी का मातृ रूप	डॉ0 रजनी धाकरे	92–97
15.	इक्कीसवीं सदी के उपन्यासों में नारी चित्रण	डॉ0 वनीता कुमारी	98–101
16.	व्यापारिक बैंक का अभ्युदय प्रगति एक सिंहावलोकन	डॉ. मुकेश बाबू चंदेल	102–103
17.	समकालीन हिन्दी नाटकों में दलित समाज की राजनीतिक चेतना	राम सरोज	104–106
18.	आदि काव्य रामायण में धर्म एवं दार्शनिक चिन्तन	डॉ. सुगन्धा जैन	107–112
19.	The Role of National Education Policy, 2020 in Developing the Nation	Vikram Singh Bhadoriya	113-117
20.	कोविड–19 का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव	विनय कुमार, डॉ. सुगंधा जैन	118–123

21.	**Future Prospects of Teacher Educator in India**	**Dr. Santosh Arora, Md. Matin Arif**	**124-125**
22.	भारतीय शिक्षा व्यवस्था के विकास में आंग्ल भारतीय समुदाय का योगदान (हनेरी लुईस विवियन डिरोजियो के विशेष संदर्भ में)	सरिता	126–129
23.	हिन्दी कविता में राष्ट्रीय चेतना के स्वर	कृष्णा अवतार	130–138
24.	किन्नर जीवन के संघर्ष को बयां करते समकालीन उपन्यास	डॉ. रिंकी सिंह	139–144
25.	नन्हे–नन्हे कदमों से चलकर चन्द्रकला की पूर्ण परिपक्वता को प्राप्त हमारी हिंदी	डॉ. आजेन्द्र प्रताप सिंह	145–154
26.	अवधी साहित्य : प्रभास्वर परम्परा	डॉ. ऋचा सुकुमार	155–159
27.	पर्यावरण समस्या एवं समाधान के प्रति जागरूकता	डॉ. अमिता जैन	160–163
28.	**PHILOSOPHY OF GURU TEG BAHADUR JI AND ITS RELEVANCE IN MODERN ERA**	**Harpreet Kaur**	**164-169**
29.	वैदिक वाङ्मय में गुरू–शिष्य सम्बन्ध	प्रतिभा	170–175
30.	छायावादी काव्य और रवीन्द्रनाथ टैगोर काव्य में सामान्य जन सामान्य वस्तु के प्रति प्रेम	**Dr. Jhunubala khuntia**	**176-181**
31.	समायोजन उदाहरण व उद्धरण	प्रो. बी.एल.जैन	182–185
32.	પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોની શૈક્ષણિક સમસ્યાઓનો અભ્યાસ	ડા.વિષ્ણુકુમાર એન. પ્રજાપત	**186-189**
33.	ઋગ્વેદમાં આલેખિત મહિલાઓનું સામજિક સ્થાન	પ્રો. પરેશ જાની	**190-193**
34.	આદિવાસીઓમાં આરોગ્યની સમસ્યા	ડો. જીતેન્દ્રકુમાર પી. ડામોર	**194-197**
35.	सिक्किम की जनजाति का जीवन और उनके त्यौहार	डॉ. रूपा भावसार	198–199
36.	મહિલા સશક્તિકરણ એક અભ્યાસ	ડો. જીતેન્દ્રકુમાર પી. ડામોર	**200-203**
37.	'हुल पहाड़िया' उपन्यास में चित्रित आदिवासी जीवन संघर्ष	छत्रसिंग काल्या तडवी	204–207
38.	रूढ़ियों परंपराओं के भंवरजाल में फंसी दलित नारी	**Dr. SAJITHA. J**	**208-210**
39-	**A Review On Achievement And Motivation of Students Enrolled In Teacher Training Course**	**Dr. Shakila Azim, Manoj Kumar**	**211-214**
40.	साहित्य और समाज का सम्बन्ध	डॉ. सुनीता राठौर	215–218
41.	'सेवासदन' उपन्यास में वर्णित सामाजिक समस्या	डॉ. कंचन पुरी, ग्रीशा	219–221
42.	बाढग्रस्त क्षेत्र के श्रमिकों के आर्थिक स्थिति का एक अध्ययन (वाराणसी शहर के रमना ग्राम के संन्दर्भ में)	**Dr. Chandrashekhar Singh**	**222-227**
43-	जमदग्नि ऋषि के वाद्य एवम् ताल	डॉ० हरी सिंह ठाकुर	228–231
44.	फिलोस्फर : एक समीक्षा	शर्मिला देवी	232–236

सम्पादकीय–

कंप्यूटर और इंटरनेट के आने से हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। एक समय था जब हमें पैसे निकलवाने के लिए या किसी को भेजने के लिए बैंक में घंटों इंतजार करना पड़ता था लेकिन आज हम ऑनलाइन पेमेंट के जरिए कुछ सेकंडो में ही दूसरों को पैसे भेज सकते हैं। आज चाहे सरकारी छुट्टी हो या फिर रात के 12.00 बजे हो घर बैठे कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए आसानी से बहुत से सरकारी काम कर सकते हैं। इंटरनेट के आने से हमें बहुत ही सुख सुविधाएं मिली है, लेकिन इसके साथ साथ साइबर अपराध का खतरा भी बहुत बढ़ गया है। साइबर अपराध एक आपराधिक कार्य है जो इंटरनेट के जरिये कंप्यूटर के उपकरण या किसी अन्य स्मार्ट उपकरणों द्वार अंजाम दिया जाता हैं। हैकर या अपराधीयों के पास इस अपराध को करने के विभिन्न उद्देश्य होते हैं। वे किसी व्यक्ति, किसी संगठन या सरकार को भी नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा कर सकते हैं।

साइबर अपराध के कई उदाहरणों में पहचान की चोरी, धोखाधड़ी, साइबर स्टॉकिंग, सिस्टम को खराब करने के लिए वायरस जैसे मैलवेयर बनाना या भेजना या फिर पैसे कमाने के लिए डेटा चोरी करना, आदि शामिल हैं। ऐसी गतिविधियों में शामिल लोग उन्हें पैसे कमाने का एक आसान तरीका मानते हैं। यहाँ तक कि बहुत से पढ़े–लिखे और ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं। अपने दिमाग को सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करने के बजाय वे साइबर अपराधिक गतिविधियों में खुद को नियुक्त करते हैं। दिन–प्रतिदिन यह हमारे समाज और राष्ट्र के लिए एक बड़ा खतरा बनते जा रहा है।

अगर हम थोड़ा सावधानी से कार्य करें तो साइबर अपराध के शिकार होने से बच सकते हैं। इसका शिकार होने का सबसे बड़ा कारण है जानकारी का अभाव होना। आज के समय में सामान्य व्यक्ति के लिए ऑनलाइन यह पता कर पाना मुश्किल है कि कौन सी जानकारी सही है और कौन सी गलत। हमें इस और थोड़ा जागरूक होने की आवश्यकता है ताकि हम अपने आपको और दूसरे लोगों को इसका शिकार होने से बचा सके। आदरणीय नरेश सिहाग जी काम है तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इस विषय पर काम करने का मौका दिया। बोहल शोध मन्जूषा के जरिए डॉ. नरेश सिहाग जी निरंतर समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। गुगनराम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी (रजि०), बोहल शोध मन्जूषा के प्रति में आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे इस अंक का प्रधान संपादक बनने के काबिल समझा।

मेरे मित्र श्री नरेंद्र सोनी (असिस्टेंट प्रोफेसर डीएन कॉलेज हिसार) ने मुझे शोध क्षेत्र में आगे बढ़ने के काफी अवसर प्रदान किए इनका मैं आभारी रहूंगा। हमेशा से मुझे मार्गदर्शन देने वाले मेरे मित्र शिव कुमार (असिस्टेंट प्रोफेसर, CBLU, Bhiwani) का यहां तक पहुंचने में काफी योगदान रहा है इनका मैं शुक्रगुजार हूं। मेरे प्रेरणा स्त्रोत प्रोफेसर डॉ. मनोज दयाल से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। इनके अलावा देश के अलग–अलग राज्यों से अपने शोध आलेख भेज के मेरा हौसला बढ़ाने के लिए सभी दोस्तों का आभारी हूं और आशा करता हूं कि आगे भी मेरा ऐसे ही हौसला बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद!

रोहताश, Research Scholar

CMT, GJU S-T Hisar, &Assitant Professor, D.N. College Hisar

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
September 2021 Page No. : 10-22

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Cyber Law : Approach to Prevent Cyber Crime

-Rohtash, Research Scholar,
-Pro. Dr. Manoj Dayal
Department of Communication Management and Technology, Guru Jambheshwar University of Science and Technology, Hisar (Haryana) Pin Code -125001

Abstract :-

As we all know, this is the era in which the majority of activities are done via the internet, beginning with internet administration and ending with online commerce. Because the web is regarded as a global platform, anybody may access its resources from any location. Few people have used internet technology for illegal purposes such as unlawful access to other people's networks, frauds, and so on. Cyber-crime refers to criminal actions or offenses/crimes committed over the internet. The phrase "Cyber Law" was coined in order to deter or punish cyber offenders. Cyber law may be defined as the component of the legal system that deals with the Internet, cyberspace, and legal concerns. It covers a wide range of subjects, including free expression, Internet access and use, and online security or privacy. It is frequently referred to as "web law."

Key words :- Internet, Cyber Crime, Cyber Law, Access, Online Security

Introduction :-

"There are cyber threats out there, this is a dangerous world, and we have to be safe, we have to be secure no matter the cost" -Edward Snowden.

In the twenty-first century, information innovation has reached every human being on the planet. This innovation's approach has transformed the way we engage with one another throughout time. Innovation has permeated every aspect of human existence, and as a result of advancements in innovation, we have transitioned from a paper-based to a paperless world. Nowadays, computers are widely used to store private information of political, social, monetary, and individual nature that is beneficial to the general public, and as a result of the combination of PCs, the internet, and organizing, we are setting new standards of exactness, effectiveness, and speed in every field, which aids in the creation of efficiency, inventiveness, and progress. (Swami R Naryana,2020)

The intersection of computer networks, telecommunications, and digital technologies has given birth to a shared place known as Cyberspace or Virtual World. The internet has enabled a large number of human activities to take place in cyberspace. It's the most popular hangout area for internet users, and it's utilized for communication, commercial, publicity, banking, administration, research, and entertainment. There isn't a single aspect of human life that hasn't been impacted by technological progress. Computer usage is spreading like a virus in a short period of time, with lakhs of people

connecting to the internet every day.

The rapid global expansion of networking and IT has benefitted the human race in a number of ways, but it is also a location where individuals may take part in illegal actions. "In an interview, 27 April 2004, the Director of the Computer Crime Research Centre (CCRC) stated that cyber-crime is any illegal activity conducted through electronic transactions that concerns the security of computer systems and the data handled by them.

Essentially, cybercrime is a wrongdoing that is done in a virtual climate and depicted as an area that numerically, emblematically, or using any and all means addresses data about people, stuff, realities, occasions, marvels or cycles and offers data on nearby and global organizations. (Singh indirjeet,march 2020).

Cyber-wrongdoings are considered as "the outcome of high developments and improvements in the field of Information Technology, and correspondingly, innovation must play a key part in preventing and invalidating the repercussions of this wrongdoing." The Cyber-world has grown into an equal kind of character, daily routine, and living of our experiences up to the point where the creative mind of a day without a mobile phone and a telephone without the internet gives the feeling of being deadened, especially for the younger clientele.

It indicates that human life and invention are now identical. Our day begins with receiving or sending 'wonderful morning texts,' and ends with receiving or sending the notification. Virtuality has infiltrated human life to such an extent that it might be difficult to distinguish between reality and augmented reality. For example, the majority of our friends are also our virtual companions. Currently, our real relationships begin with virtual relationships, such as web-based dating websites, online marital websites, and long-distance informal communication destinations, among others. We are unable to evaluate the internet's value while also being unable to dismiss the internet's hazards and pitfalls. (Balakrishnan, 20 Jan 2019).

It is widely acknowledged that the invention of the personal computer and the growth of the internet have impacted people all over the world. It transformed us into computerized residents with advanced citizenship, providing us with data access, web access, and the ability to communicate data across geographic borders and limitations. The rationale for this is obvious, as the web, for example, disregards the border. We all know that self-improvement comes at a cost and has consequences, and the same is true when it comes to digital wrongdoings. The 'descendants of the internet' are digital offences, which are the consequence of a digital criminal's men’s rea and which owe their origins to a time before digital enactments. (Singh narinder, 2020)

The 'crowd has no face, or horde has different countenances,' it is claimed. Similarly, "wrongdoing" lacks a face or any other aspect of its structure. It has the potential to affect a single person or the broader population at large. Furthermore, wrongdoings come in a variety of forms (types). ‘The massive ascent and over-reliance on the internet, often known as digital servitude, has accelerated the spread of new types and speeds of digital crimes. Surprisingly, the Indian Cyber enactments do not even define cybercrime. The IT Act of 2000 only addresses certain kinds of cyber-crime but is also not comprehensive. The IT Amendment Act of 2008 was likewise found to be

unsatisfactory in explaining cybercrime. Cybercrime is a composition or mixture of computers and the internet, but when combined with criminal intent, it becomes a lethal combination that affects the entire world.

If we investigate the term "digital law," after examination, we can conclude that "digital law" is a term that is recognizable in all of the legal issues, including PC and Internet, which is the convergence of various fields, for example security issues, matters of jurisdiction, questions relating.

This paper aims to define the concept of digital wrongdoing, distinguish the purposes of digital wrongdoing, and how it might be eradicated. We'll look at those involved and the reasons for their association, and we'll look at how to best recognize a criminal mail while taking everything into account.

In recent years, dishonest PC users have continued to use the computer to do wrongdoings; this has fascinated people and inspired a mixed feeling of admiration and horror. This miracle has witnessed a complicated and astonishing rise in recent years, necessitating quick action in enacting regulations to protect the internet and its users. The level of sophistication has risen to the point where the framework may now be used to submit murder and other forms of devastation. According to the Indian Express, January 2002, "the original recorded digital homicide submitted in the United States seven years prior has to do with a hidden world wear in emergency clinic to undergo a minor medical procedure. His opponent hooligan recruited a PC master who adjusted his remedies through hacking the emergency clinic's PC framework. He was managed the adjusted solution by an honest man."

Finally, cybercrime is getting the attention it deserves. Because the Internet (cybercrime) looks to be a blessing to developing countries, it is unlikely to be easily restricted. Because offline criminals have gone high-tech and are making "huge money" from business, the majority of emerging countries' crime rates have declined. In truth, cybercrime and its perpetrators are likely to grow and improve in order to keep one step ahead of the law (Joseph Aghatise, june 2006).

.India aspires to turn the general public into a digital society by executing the "Computerized India" vision, in which the government, corporate sector, and people rely entirely on the Internet to perform sensitive transactions and store important data in the cloud.

Need for cyber law :-

In the present innovatively advanced world, the globe, just as wrongdoings, is getting dynamically carefully complex. The Internet was set up as a device for examination and data transmission, and it was at first unregulated. It turned out to be progressively value-based after some time with e-business, web based business, e-administration, and e-obtainment. Cyber laws address all legal concerns relating to digital crime. As the quantity of web client’s increments, so does the interest for digital laws and their execution.

Digital law influences almost everybody in the present progressively digitalized society. Practically all stock exchanges are done through a vault. Practically all associations depend altogether on PC organizations and save their basic information electronically. Indeed, even in "non-digital lawbreaker" situations like separation, murder, hijacking, tax avoidance, coordinated wrongdoing,

psychological militant tasks, fake cash, etc, PCs/cell phones contain basic proof. Government archives, for example, personal assessment forms and business law structures, are being rounded out electronically, and customers are progressively using Visas to buy.

Most of people convey utilizing email, phones, and SMS informing. Instances of cybercrime incorporate web based financial extortion, online stock exchanging misrepresentation, source code burglary, charge card extortion, tax avoidance, infection attacks, digital harm, phishing assaults, email capturing, forswearing of administration, etc. Hacking, erotic entertainment, and different types of cybercrime are developing more successive. Computerized marks and e-contracts are rapidly dislodging conventional techniques. Business methods of executing.

CYBER LAW IN INDIA :-

The international cyber community is developing fast and is dominating information and internet technologies. The world has been given new possibilities as well as new problems as a result of information technology. Information technology has now permeated nearly every aspect of human personal, professional, and social life, including entertainment, business, research, science, sports, innovation, intellectual property rights, and education.

'Every coin has two sides, but one is always in the dark,' as the saying goes. Both sides are distinct and complementary to one another, yet they stay inside the same framework. 'Cyber laws in India are enshrined in the Information Technology Act, 2000 ("IT Act"), which went into effect on October 17, 2000. The Act's primary goal is to offer legal recognition to electronic commerce and to make it easier to file electronic records with the government. Additionally, "digital law and digital offense are both pieces of digital enactment, and keeping in mind that they are entirely against, they are both organized inside a similar system." The web has its own arrangement of masters and disadvantages. It is very much noticed that "innovation is a twofold edged weapon that might be used to save daily routines while at the same time endangering the existence of others."

As a result of the objective of the United Nations General Assembly of 30 January 1997, the first digital enactment in India, for instance, is the IT Act, 2000. This objective was based on UNICITRAL's modular legislation on electronic trade reception and implementation (History of cyber law of India).

To establish uniformity at the global level, the resolution emphasizes the formulation of cyber law at the local level in accordance with the resolution's objectives and concerns. The Electronics Department (DoE) prepared a draught bill for cyber legislation to achieve this aim in 1998. On December 16, the draught law was created for discussion before the India parliament in 1999, after the creation of a new Ministry of Information Technology, after a lapse of about one and half years. However, it did not pass, and several liberal amendments were recommended to be integrated, with respect to internet commerce, adhering to the thoughts of the Commerce Ministry and the commitment of the WTO.

The services of law and friends then develop a joint draught for Parliament's consideration. After considering the draught law and the Member Parliament's demands, the parliament sends it to the parliamentary standing board of trustees, which is made up of 42 people. The group recommended

a few points to keep in mind for the draught law. Nonetheless, the parliament included suggestions and ideas backed by India's Ministry of Information Technology.

Among the primary recommendations, the one that sparked the most discussion was the one about the cyber café owner's mandatory obligation to maintain a register for record keeping purposes alone, which contained some superfluous data about online browsing. Essentially, it was an endeavor to prevent cybercrime and collect information about cyber criminals. However, this was also seen as an invasion of internet users' privacy. In the end, the Ministry of Information and Technology declined this idea while the draught law was being finalized. In 2000, the newly amended text of the IT law 2000 was finally adopted by the Union Cabinet. The measure was presented to both houses of Parliament for discussion and vote, and on May 17, 2000, both houses passed and approved the Information Technology Bill. On June 9, 2000, the President of India granted his approval. Following that, it was referred to as the Information Technology Act, 2000, Act No. 21 of 2000. It went into effect on October 17, 2000.

Over time, practical experience and the necessity to limit emerging trends of cybercrimes and over-reliance on the Internet have introduced some changes, the most important of which are the 2008 and 2011 amendments. A broad population free of wrongdoing is a rebuttable issue that is, by all accounts, a myth. Additionally, a digital society creative mind free of wrongdoing is a fable, particularly in the absence of digital enactments and inventive growth. The emergence of new technologies has also accelerated the creation of digital infractions and new ways of committing digital wrongdoings.

The most modern anti-cyber-crime detection measures, such as the erasure of digital footprints, the hiding of Ids, and ways to thwart cyber investigations and cyber forensics, are more advanced and expert than cyber criminals. The pervasiveness of cyber criminals has created significant problems for cyber security and privacy protection, which might be divided into two categories: general and legal challenges. (Cybercrime and the Coincidence of Four Critical Elements).

Importance of Law :-

The insufficiency of current cyber legal procedures around the world has created a significant problem for the cyber eco-system. The rapid advancement of anti-cybercrime preventive technology is detrimental to the cyber ecological equilibrium. Despite the fact that the world uses and relies on cyberspace for progress, particularly in scientific and technological advances, the majority of nations, including India, have not signed cyber law accords, and some have no cyber laws at all. The problem is made worse by the inadequacy of present criminal measures, notably extradition procedures. The vast majority of cybercrime is non-deterrent and has minor ramifications.

The basic idea of the law continues to be the first line of defence. Priority should be given to preventive activity over punitive action. Sadly, in India, there is no law defining the phrase "cyber victim." Furthermore, it is deceptive that there is no special procedure in the prosecution of cyber-crimes, as well as special rules of proof for quick and fair trial to avoid legal obstacles such as cross-border research, collections of evidence, interrogation of the accused and witnesses and questions about extradition.

Review of Literature :-

Paranjape. V (2010) stated in his book "Lawful Dimensions of Cyber Crimes and Preventive Laws with Special Reference to India" that the issue of digital wrongdoing has reached monster proportions and has emerged as a global concern. He has advocated a global partnership to combat digital misconduct. He has extensively discussed various public and international shows, gatherings, culminations, and so on associating with digital wrongdoings.

Srivastva.A, Agrawal.S (2014) found that in "cyber space and cyber-crime" Cyber-crime cannot be removed from the realm of cyberspace; nevertheless, it may be avoided. No law has so far entirely abolished any crime but has managed to avoid it. In like manner, no laws can nullify cybercrime totally, however it could be stopped by people, innovation and law joint endeavors. The time has come to know about specific commissions and exclusions to keep away from such a wrongdoing when dealing with the Internet. This crime was made possible by technology, and it would be impossible to identify and manage cybercrime without it. While India's legal system is currently underdeveloped, it has the potential to be a significant deterrent to such actions.

M. Dasgupta (2009) has concisely described the meaning, nature, scope, features, and aspects of cyber-crimes in his book "Cyber Crime in India: A Comparative Study" Critically examined the methods used by some of the most serious cyber-crimes, such as cyber hacking, cyber terrorism, cyber pornography, and cyber fraud, and outlined national and international measures to prevent and control such crimes.

Singh elaborates on the nature and relevance of intellectual property rights such as trademarks, copyright, patents, and so on in his book "Cyber Laws." in terms of cyberspace.

Kamath.N (2009) discusses the developing subject of "Law relating to Computers, Internet and Ecommerce: A Guide to Cyber Laws and the Information Technology Act, 2000". He studied the admissibility and authenticity of electronic records, the burden of proof in cybercrime, and other topics such as the creation and impact of such evidences, video-conferencing, forensic computing, and the best evidence rule, among others.

Rodney D. Ryder has comprehensively handled the arrangements of the Information Technology Act, 2000 in his work "guide for Cyber Laws (Information Technology Act, 2000, E-trade, Data Protection, and the Internet)." He has raised several ambiguous aspects of the Act and has also recommended therapeutic modifications to give it more teeth and nail.

In their book "Lawful Dimensions of Cyber Space," S.K. Verma and Mittal.R (2004) clarify the fundamental concepts of the digital world, such as significance, kinds, highlights, and important elements of PCs. Numerous PC poisons such as infection, worms, Trojans, and so on; history and development of the web; advantages and downsides of the web; many PC poisons such as infection, worms, Trojans, and so on.

In his book "An Introduction to Cyber Crime and Cyber Law," R.K. Chaubey emphasises the importance of the "right to privacy" in the digital era, noting that new technologies have increased the possibilities of incursion into persons' private and placed new instruments in the hands of eavesdroppers. Rodney D. Ryder has extensively dealt with the provisions of the Information Technology Act, 2000

in his work "Manual for Cyber Laws (Information Technology Act, 2000, E-trade, Data Protection, and the Internet)." He has raised several ambiguous aspects of the Act and has also suggested medical modifications to give the Act more teeth and nail.

V.D. Dudeja emphasizes the back-and-forth between free speech and expression and the internet in his book "Cyber Crime and the Law." After analyzing the legitimate constraints on freedom of expression, he finds that, in the interests of privacy and security, some limitations on computer and internet use can also be imposed.

In his paper "Preparing on Cyber Law, Cyber Crime, and Examination by Police: Need of Awareness and Requirements," Agarwal, S.C. stated that law enforcement authorities all over the globe are severely handicapped in dealing with the current flood of digital wrongdoings. He has gone so far as to suggest that you "either need to take a cop and turn him into a PC master, or take a PC subject matter expert and turn him into a cop."

Vakul Sharma examined the topic of jurisdiction in cyberspace in his book "Information Technology; Law and Practice." He has made allusions to international law in discussing the relevance of international law in determining jurisdiction for cyber offences.

Behra, Abhimanyu in his article "Digital Crime and Law in India", has examined different sorts of digital wrongdoings and recommended procedures to check them.

In his paper "Interaction of Internet Domain Names and Trademark Law," Ahmad Farooq brings up that web space names have made exceptional legitimate troubles for which there is no reasonable answer. Regardless of the way that courts have allowed equivalent security to brand names and space names, area names are by the by in danger attributable to the exceptionally specialized nature of PCs and the web.

In his book "Data Technology; Law and Practice," Vakul Sharma inspected the issue of ward in the internet. He referenced a few standards while examining the job of worldwide law in deciding purview over cybercrime, including the regional rule, the ethnicity rule, the defensive guideline, the latent character rule, the impacts rule, and the comprehensiveness rule.

In his book "Digital Crimes, Electronic Evidence, and Investigation: Lawful Issues," Vivek Sood prescribes several techniques for controlling digital wrongdoings. He argued that because digital wrongdoings are built on innovation, the most suitable reaction to these wrongdoings is security innovation. Fire-walls, anti-infection programming, and hostile to interruption frameworks are a few of the effectively used security innovations.

"Jurisdiction in Cyberspace," by A.S. Dalal, examines the jurisdictional question in cross-border cybercrime and argues for an efficient international system to combat the rapidly evolving cyber threat.

In her article "Responsibility of Online Intermediaries: Emerging Trends," Fatima Talat contends that, despite the fact that go-betweens are accidental members in web exchanges and have no earlier legitimate relationship with different gatherings, they are as yet committed to take careful steps to forestall cybercrime.

In his paper "Cyber Crimes: Need of an Effective Law," Muddaraju, N. and Ramesh highlighted

the need for particular cyber laws to address cybercrimes successfully.

In its article 'Infringements and punishments under the Information Technology Act, 2000' Rohas conducted a critical examination of several cyber-crimes.

In his essay "Cybercrime: a worldwide concern," Vishwanath's article Paranjape emphasized on the global dimension of cybercrime and stressed the necessity for international action to control it.

Ramesh highlighted the problem of ethically significant quality in the internet by stating that the vulgar and explicit content in the Internet tends to weaken honest youthful personalities in his article "Erotic entertainments and obscenity on the Web: Need of strict law."

The idea, history, development, and techniques of digital psychological warfare were compactly analyzed in Collin, Bary C.

Richards, James R. in his book "Transnational Criminal Organizations, Cyber Crime and Money Laundering", has discussed the cross-border nature of cyber-crimes. He has stated that the cyber criminals treat the entire world as one home and carry on their nefarious activities which have transnational ramifications.

In his book "Computer-related Crime Enquiry," Stephenson, Peter, has noticed that standard techniques of investigating conventional crimes are less useful in investigating high-tech e-way crimes. He has thus listed many modalities, methods and strategies for investigating computer- and internet-related crimes.

Research Objectives :-

The primary goal and objective of this paper is to address the issues of prevention, investigation, and prosecution of cybercrime and cyber criminals, as well as to analyze the operations of Indian Cyber Law Enforcement Authorities at the first and second levels in terms of creating awareness and technical know-how about cyber-crimes for detection, prevention.

The standard objective of our paper is to spread the information on the violations or offenses that occur through the web or the internet, alongside the laws that are forced against those wrongdoings and lawbreakers. We are also attempting to zero in on the security in the internet.

In addition to study on the different patterns for cyber-crimes, there are also recent trends, problems and challenges, for example sim swapping, clod computing, phishing, credit card fraud, bank robbery, download, industrial espionage and child pornography. All of these crimes are computer-related and aided crimes.

Research Problems :-

In addition, it has been possible to start an all-inclusive place called the internet by the disparity of PC frames and communications that have arisen as a result of progress. The Internet has become a setting for a world of web-based human exercises. In all actuality, the web has become the present most regular event. The Internet is being used for correspondence, exchange, exposure, banking, learning, exploration and diversion. Since cybercrime isn't just an issue in India, yet an overall one, the world should consequently venture forward to mitigate this danger. Lately, stories have become visible of copyright burglary, hacking and breaking, viral attacks, plain tricks, and so on.

The numerous forms of cybercrimes, their presence, breadth, features and significant

components are not exposed in any single document. Cyber -crimes such as cyber hacking, cyber fraud, cyber pornography, cyber terrorism, cyber stalking, cyber ragging, and so on, as well as cyber-crime procedural legislation, are fascinating to research.

The jurisdictional problems are very complicated in enforcing cyber law. In one jurisdiction, it was never so simple to commit a crime while concealing behind another's jurisdiction. Although the problem of internet jurisdiction cannot be resolved spontaneously, the requirement for an hour remains an overall effort in this regard. These concerns are analyzed in detail in the present research and the creation of a standardized international legislation for cross-border cyber-crime.

This investigation will also look at the government's efforts to prevent such abuses in India and overseas, as well as their successes and failures. A thorough examination of the various aspects of the IT Act, 2000 will also be undertaken.

Methodology :-

This study employs a descriptive approach that aims to collect almost comparable data on cybercrime and computer misbehavior all around the world. The research was concluded with the goal of expanding and refining the concepts of cybercrime and network security. Through taking the various problems related to the cyber-crime and how to overcome these problem. This research is totally based on the qualitative method.

Conclusion :-

According to this study, cybercrime is rapidly gaining ground in both developed and developing countries. Young individuals with technical abilities and competence in computer-related crimes are the most common perpetrators of cybercrime. According to the findings, many cybercrime instances are unreported owing to a fear of shame. The survey also discovered a disconnect between country legislation, institutions, and agencies charged with combating cybercrime. Conventional laws and regulations are now ineffective of reducing cybercrime incidents, according to this study.

As a result, it is critical that they be updated to reflect new technical developments. To successfully tackle cybercrime, cybercrime policy and legislation must be harmonized throughout the world. As previously said, cybercrime is seen differently in different nations. It is important that all governments worldwide establish a uniform categorization of cyber-crimes.

The IT Statute is a comprehensive act aimed at monitoring a section of exercises on the Internet. The Act's main strategy is to approve and endorse electronic and online trades. The transaction costs and quantities of exchange will become complicated. Ideally, the Cyber Crime and computer are regulated and culpable parties are penalized severely. It is really important to guard these wrongdoings. At the same time, PCs and the Web would also be taught to officers who hold great strength under the Information Innovation Act. This would allow them to carry out their tasks effectively and skillfully. But cops alone can't have a substantial influence to control PC misconduct. Caution should be exercised regarding these digital laws. In passing this message on to the populace, private and non-governmental organizations should play a role. Furthermore, the legal officer must also take a proactive role in the digital mediation process.

Reference :-

1. Alam, A. A., Kumar, R., & Abbas, H. (2010). Indian government and politics. New Delhi: Pearson India.Google Scholar
2. A.S Dalal, "Jurisdiction in Cyberspace", M.D.U. Law Journal 37-56 (2010).
3. Balakrishnan, A. (n.d.). Cyberstalking: Challenges in regulating cyberstalking at the cyberspace. Legal Service India. Retrieved 20 Jan 2019, from http://legalserviceindia.com/legal/article-214-cyber-stalking-challenges-in-regulating-cyberstalking-at-the-cyber-space.html
4. Bangera, K. (2018). Mastermind of a bitcoin [BTC] Ponzi scheme worth over $300 billion arrested in India. Retrieved 6 Apr 2018, from https://ambcrypto.com/mastermind-of-a-bitcoin-btc-ponzi-scheme-worth-over-300-billion-arrested-in-india/
5. Center for Advanced Research in Digital Forensics & Cyber Security. (n.d.). Cyber crime prevention against women and children (CCPWC). ardcindia.org. Retrieved 14 Mar 2019, from https://www.ardcindia.org/ccpwc.
6. Cyber Crime- Criminology- Oxford Biographies Available at http://www.oxfordbibliographies.com
7. Chakrabarty, B., & Pandey, R. K. (2008). Indian government and politics. New Delhi: Sage.CrossRefGoogle Scholar
8. Commonwealth Human Rights Initiative. (n.d.). Police organization in India. Commonwealth Human Rights Initiative. Retrieved 3 Jan 2019, from https://www.humanrightsinitiative.org/old/publications/police/police_organisations.pdf
9. Copyright Office. (1957). The Copyright Act, 1957 (14 of 1957). Copyright.gov.in. Retrieved 10 Dec 2018, from http://copyright.gov.in/Documents/CopyrightRules1957.pdf
10. CRY. (2016). Media release: Crime against children in India. Retrieved 10 Aug 2018, from https://timesofindia.indiatimes.com/india/every-15-minutes-a-child-is-subjected-to-sexual-offence-in-india-cry-report/articleshow/63818155.cms
11. D.Halder and K. Jaishankar , Cyber crime and the Victimization of Women: Laws, Rights and Regulations (Hershey PA, USA: IGI Global. ISBN: 978-1-60960-830-9, 2011)
12. Deo, S. S. (2013). Cyberstalking and online harassment: A new challenge for law enforcement. Bharati Law Review, 2(1), 86–93.Google Scholar
13. Dey, S. (2015, July 18). Crimes against children jumped over 50% in one year. Times of India. Retrieved 10 Jan 2018, from https://timesofindia.indiatimes.com/india/Crimes-against-children-jumped-over-50-in-one-year/articleshow/48120671.cms
14. Dharmaraj, S. (2019, January 9). India's initiative for cyber crimes against women and children. Opengov. Retrieved 15 Jan 2019, from https://www.opengovasia.com/indias-initiative-for-cyber-crimes-against-women-and-children.
15. Discovered India. (n.d.). Government of India. Retrieved 2 Nov 2018, from http://www.discoveredindia.com/india-at-a-glance/government.htm
16. Dubbudu, R. (2016, September 2). Most number of cyber crimes reported in Maharashtra & Uttar Pradesh. Factly. Retrieved 10 Jan 2019, from https://factly.in/cyber-crimes-in-india-which-state-tops-the-chart.
17. Forensic & Integrity Services. (2017). Responding to cybercrime incidents in India. Retrieved July 23 2019, https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-responding-to-cybercrime-incidents-in-India-new/$FILE/ey-responding-to-cybercrime-incidents-in-india.pdf
18. Government of India. (n.d.). A handbook of copyright law. Copyright.gov.in. Retrieved 15 Mar 2019, from http://copyright.gov.in/documents/handbook.html
19. Introduction to Cyber Crimes, Available at: http://riverdelfin.blogspot.com

20. Halder, D., & Jaishankar, H. (2017). Cyber crimes against women. New Delhi: Sage.Google Scholar
21. Helms, K. (2019, April 19). RBI excludes cryptocurrency from Indian regulatory sandbox. Bitcoin.com. Retrieved 29 May 2019, from https://news.bitcoin.com/rbi-cryptocurrency-indian-regulatory-sandbox/
22. Huillet, M. (2018, November 8). Innovation behind bars: The arrest of India's first bitcoin "ATM" operators. cointelegraph. Retrieved 16 Mar 2019, from https://cointelegraph.com/news/innovation-behind-bars-the-arrest-of-indias-first-bitcoin-atm-operators
23. Indian Institute of Banking & Finance (IIBF). (2017). Cyber laws in India. iibf.org.in. Retrieved 17 Mar 2019, from http://iibf.org.in/documents/Cyber-Laws-chapter-in-Legal-Aspects-Book.pdf
24. Jani, S. (2018). The growth of cryptocurrency in India: Its challenges and potential impacts on legislation. ResearchGate. Retrieved 16 Mar 2019, from https://www.researchgate.net/publication. 324770908_The_Growth_of_Cryptocurrency_in_India_Its_Challenges_Potential_Impacts_on_Legislation
25. Joseph Aghatise (2006) History of Cyber Law in India, http://www.indiancybersecurity.com
26. Kapadia, D. (2018, November 21). Cyber crimes against women and laws in India. LiveLaw.in. Retrieved 10 Jan 2019, from https://www.livelaw.in/cyber-crimes-against-women-and-laws-in-india.
27. Karan Girotra v. States & Another. (2012, May 8). In the high court of Delhi at New Delhi, Bail Application. 977/2011. Retrieved 10 Jan 2018, from https://indiankanoon.org/doc/107460954.
28. Kashetri, N. (2016). Cybercrime and cybersecurity in India: Causes, consequences and implications for the future. Crime, Law and Social Change, 66, 313–338.CrossRefGoogle Scholar
29. Kaur, R., & Aggarwal, R. (2011). Cyber-squatting: Legal implications and judicial approaches: An Indian perspective. Computer Law and Security Review, 27, 653–658.CrossRefGoogle Scholar
30. Kethineni, S., & Cao, Y. (2019). The rise in popularity of cryptocurrency and associated criminal activity. International Criminal Justice Review. https://doi.org/10.1177/1057567719827051
31. Khatri, Y. (2019). Indian government again discussing ban on cryptocurrencies: Report. Coindesk.com. Retrieved 28 May 2019, from https://www.coindesk.com/indian-government-again-discussing-ban-on-cryptocurrencies-report
32. Kumar, N. A., & Pandey, P. (2011). Cyber crime-law & enforcement in India. International Transactions in Applied Sciences, 3(1), 111–122.Google Scholar
33. Kumar, V. A., Pandey, K. K., & Punia, D. K. (2014). Cyber security threats in the power sector: Need for a domain specific regulatory framework in India. Energy Policy, 65, 126–133.CrossRefGoogle Scholar
34. Liang, L., & Sundaram, R. (2011). India. In J. Karaganis (Ed.), Media piracy in emerging economies (pp. 339–398). New York, NY: Social Science Research Council.Google Scholar
35. Madanapalle, A. (2017, December 17). NCRB report shows trends in cybercrime in cities, states and union territories and it contains some surprising insights. firstpost.com. Retrieved 16 Mar 2019, from https:// www.firstpost.com/tech/news-analysis/ncrb-report-shows-trends-in-cybercrime-in-cities-states-and-union-territories-and-contains-some-surprising-insights-4242851.html
36. Mali, A. P. (2015, January). Trolls, trolling & law. CSI Communications. Retrieved 31 Jan 2018, from https:/ /www.academia.edu/10237949/Troll_Trolling_and_Law_in_India_By_Prashant_Mali
37. Mallapur, C. (2016, June 2). As net use spreads, cyber crimes up 19 times over10 years. Global Investigative Journalism Network, IndiaSpend. Retrieved 10 Jan 2019, from http://archive.indiaspend.com/cover-story/as-net-use-spreads-cyber-crimes-up-19-times-over-10-years-49007
38. Ministry of Communications & Information Technology. (2016, June 6). Advisory on functioning of matrimonial websites in accordance with the Information Technology Act, 2000 and Rules made thereunder. Deity.gov.in. Retrieved 15 Jan 2019, from https://www.dsci.in/sites/default/files/documents/resource_centre/ Redefining%20Identity%20Management%20in%20the%20Digital%20World.pdf

39. Ministry of Electronics & Information Technology. (2009). The Information Technology (Amendment) Act, 2008. New Delhi: Ministry of Law, Justice. Retrieved 15 Jan 2019, from http://meity.gov.in/writereaddata/files/it_amendment_act2008%20%281%29_0.pdf
40. Ministry of Home Affairs. (n.d.). Cybercrime reporting portal. Retrieved 10 Jan 2019, from https://cybercrime.gov.in/cybercitizen/home.htm
41. Ministry of Law & Justice. (2012). The Copyright (Amendment) Act, 2012. The Gazette of India. World Intellectual Property Organization. Retrieved 16 Mar 2019, from https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/in/in066en.pdf
42. Ministry of Law and Justice. (2009). The Information Technology (Amendment) Act, 2008. eprocurement,gov. Retrieved 1 Jan 2019, from http://eprocurement.gov.in/news/act2008.pdf
43. Ministry of Law, Justice and Company Affairs. (2000). The Information Technology Act, 2000. dot.gov.in. Retrieved 2 Jan 2019, from http://dot.gov.in/sites/default/files/itbill2000_0.pdf
44. My Legal Work Private Limited. (2018). Data theft, cyber crime and data protection laws in India. MyLegalWork. Retrieved 15 Jan 2019, from https://mylegalwork.com/guides/data-theft
45. Nair, P. (2017, September 2). The game of death: "Blue whale challenge" in India. Mainstream Weekly, 55(37). Retrieved 15 Jan 2019, from https://www.researchgate.net/publication/319479309_The_Game_of_Death_'Blue_Whale_Challenge'_in_India
46. Nappinai, N. (2010). Cyber crime law in India: Has law kept pace with emerging trends? An empirical study. Journal of International Commercial Law and Technology, 5(1), 22–27.Google Scholar
47. N Muddaraju and Ramesh, (2009). "Cyber Crimes: Need an Effective Law", Criminal Law Journal 227-3133 Rohas Nagpal , "Offences and penalties under the Information Technology Act, 2000", Information Technology Law Journal 15-32 (2002).
48. Pandey, A. (2013). Inside views: Development in Indian IP Law: The Copyright (Amendment) Act 2012. Intellectual Property Watch. Retrieved 15 Mar 2019, from http://www.ip-watch.org/2013/01/22/development-in-indian-ip-law-the-copyright-amendment-act-2012/
49. Pandey, A. (2017, August 17). Cyber security initiatives by the government of India. ipleaders. Retrieved 15 Mar 2019, from https://blog.ipleaders.in/cyber-security-initiatives/
50. Radhakrishnan, P. G. (2014, May 21). Executive magistrates: their functions and powers under the Code of Criminal Procedure, 1973, and other laws: a brief outline. Slideshare. Retrieved 10 Dec 2018, from https://www.slideshare.net/appuanandu/powers-and-duties-of-executive-magistrates
51. Rathod, S. K. (2012, May 18). Fair use: comparing US and Indian copyright law. Jurist. Retrieved 15 Mar 2019, from https://www.jurist.org/commentary/2012/05/sandeep-kanak-rathod-copyright/
52. S. S. Rana & Co. Advocates. (2010–2017). Indian courts and jurisdiction. ssrana.in. Retrieved 2 Nov 2018, from https://www.ssrana.in/Intellectual%20Property/IP-Enforcement-And-Litigation/IP-Indian-Courts-Jurisdiction-in-India.aspx
53. S.S. Rana & Co. Advocates. (2018, September 19). India: Cyberinsurance in India. Mondaq Business Briefing. Retrieved 15 Jan 2019, from http://www.mondaq.com/india/x/737342/Insurance/Cyber+Insurance+In+India
54. Scaria, A. (2013). Online piracy of Indian movies: Is the film industry firing at the wrong target. Michigan State International Law Review, 21(3), 648–663.Google Scholar
55. Shah, G. (1999). History and organization of Indian police. New Delhi: Anmol.Google Scholar
56. Srivastava.A, Agarwal. S(2004) Cyber Space- Cyber crime- Academike, available at: https://www.lawctopus.com.
57. Singh & Associates. (2012, November 29). India: Cyber squatting laws in India. mondaq. Retrieved 15 Jan 2019, from http://www.mondaq.com/india/x/208840/Trademark/CYBER+SQUATTI+NG+LAWS+IN+INDIA

58. Society of Indian Law Firms [SILF]. (2011). Indian judicial system. Retrieved 30 Nov 2018, from http://www.silf.org.in/16/indian-judicial-system.htm
59. Spangler, T. (2017, August 14). Police make arrests in "Game of Thrones" piracy case in India. variety.com. Retrieved 16 Mar 2019, from https://variety.com/2017/digital/news/game-of-thrones-leak-piracy-india-arrests-1202526854.
60. Statista. (2019). Number of internet users in India from 2015 to 2022 (in millions). Retrieved 15 Jan 2019, from https://www.statista.com/statistics/255146/number-of-internet-users-in-india/
61. Talat Fatima, (2007). "Liability of Online Intermediaries: Emerging Trends", Journal of Indian Law Institute155- 78.

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
September 2021 Page No. : 23-29

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Cooperative Approach for Combating Cyber Crime in Modern World

-Priyanka Deb Sett,
-Tanmoy Deb

Shri Lal Bahadur Shastri Rastriya Sanskrit Vidyapeeth

Abstract :-

Cybercrime [1, 2] is a very complicated and fast growing field. The rise of connectivity, growing numbers of internet users are rapidly pushing the boundary of the cyber security. Despite of technological advancement, the cyber criminals have been adapting new technologies while it comes to spread cybercrime. In this paper we have discussed what is modern age cybercrime, how it works, how people are getting affected by cybercrime and how international level co-operation has been taken place by different countries to prevent, measure and secure the future of internet.

Keywords :-

Cybercrime, hacking, cyber fraud, international cooperation, globalization, Prevention of cyber crime.

INTRODUCTION :-

Today's world is more interconnected than ever before. Though, it has made our life more easier but despite of advantages, increased connectivity has brought a more increased risk of theft, fraud, and abuse. As people are becoming more reliant on different modern technologies, smart phones, Wi-Fi, continuous connectivity, the vulnerability of cyberattacks such as corporate security breaches, spear phishing, and social media fraud are increasing as very rapid rate also. There need is already established for implementing complementary cybersecurity. There is a very strong need to law enforcement capabilities are critical to safeguarding and securing cyberspace. But taking any action to safeguard from cyber-crime is quite complicated due to the connectivity is not limited to a boundary but global. So the approach to implement a ubiquitious cyber law to combat cyber crime is needed. To implement that lot of countries are working together,putting effort together to develop a collective, cooperative framework. In this paper the cooperative approach to implement has been dis

A. What is cyber crime?

Cybercrime is basically defined as the unlawful acts and activities where the computer and internet are used as a tool or a target or both. The term is a general term that covers crime in activities like credit card frauds, bank robbery, illegal downloading, child pornography, kidnapping children via chat room, scams, cyber terrorism, spam and so on. In recent days, the malwares affecting millions of devices are the latest incidents in the cybercrime.

B. First ever cyber crime :-

The first ever recorded cyber crime took place in the year 1820. This can be true with the fact that, computer did exist since 3500 BC in India, China and Japan. The modern computer began with the analytical engine of Charles Babbage.

II. DIFFERENT KINDS OF CYBER CRIMES :-

E-Mail spoofing	Hacking email/password; sending unwanted message to others for ruining a person's image
Financial	Using fake websites to market products so as to get the credit Numbers.
E-Murder	Manipulating medical records
Marketing Frauds	Selling narcotics or weapons Online
Intellectual Property Frauds	Software piracy, copyright Infringement, trademark violations, theft of computer code
Transfer fraud	Hackers intercept them and divert the funds during transfer.
Hate/commercial	Building a website to promote hate or racial hate.
Altering websites	Deleting web pages, uploading new pages; controlling messages conveyed by the website
Malware Attacks	Prevents or limits users from accessing their system, either by locking the system's screen or by locking the users' files unless a ransom is paid.
Online Gambling	Doing real time betting online to attract users to be attacked
Social Media Frauds	Using social media websites to spread rumors, hack someones account to promote illegal things.
Pornography	Showing child abuse, forceful sexual acts on internet.

III. HOW CYBER CRIMINALS OPERATE?

It is being reported by a leading market research company Juniper Research that cybercrime will cost global business nearly $2 Trillion by 2019. And, the operating mode of cybercrimes will be completely different than today in coming time. But there are some common techniques which has been observed during analysis of cybercrimes. Lets look at them one by one :

A. Anonomous Identity :-

The Internet makes it easier for users to do things more anonymously and operate from any location on the globe. This is being reported that many computers which has been used in cyberattacks have actually been hacked by cybercriminals and are being remote controlled by someone from far away. Crime laws are different in every country too, which can make things really complicated when a criminal launches an attack in another country.

B. Group attack technique :-

Most cybercrimes are committed by individuals or small groups. However, large organized crime groups are also exist and they also take advantage of the Internet. These "professional" criminals always approach through a new ways to commit old crimes, they treat the cybercrime like a business and forming global criminal communities.

Criminal communities do meetup over internet, they share strategies and they use different set of tools and can combine forces to launch coordinated attacks. They even have many underground marketplace where cyber criminals can buy and sell stolen information and identities.

IV. COMMON CYBER ATTACKS TECHNIQUES :-

Let us look into few types of attacks cyber criminals which is used to commit crimes. You may recognize a few of them :

A. Botnet – This is basically a network of software programs which acts autonomously like robots, or bots. Their main role is to automatically spread malware over internet.

B. Fast Flux – This moves data quickly throughout the computers in a botnet to make it difficult to trace the source location of malware or phishing websites

C. Zombie Computer – In this technique a separate computer that has been hacked into and is used to launch malicious attacks over the internet.

D. Social Engineering – In this technique peopl uses lies and manipulation to trick people into revealing their personal information. Phishing is a form of social engineering.

E. Denial-of-Service attacks – Most often people floods a network or server with traffic in order to make it unavailable to its users

F. Skimmers – This is very modern technique where a dedicated device has been used to steal credit card information when the card is swiped through them. This mostly happens in different stores or restaurants when the card is out of the owner's view, and frequently the credit card information is then sold online through a criminal community.

V. RECENT CYBER ATTACKS CASE STUDIES :-

During the survey of recent cyber attack scenarios in India, specially in New Delhi and NCR, we had discussion with Delhi Crime branch. According to their input, the most numbers of cyber

crimes which is being reported in the following areas :

- Fraud transaction done by the credit and debit card.
- Telephonic harassment for money in the name of credit card.
- Fraud call seeking for ATM information and credentials.
- Fraud job posting from different online job sites like naukri.com, quikr.com.
- Abusive chat requests over different social media channels like Twitter, Facebook, and other chatting apps like WhatsAPP.

We can look into more detail to look into some incidents reported to police department which has been uploaded to Haryana Police Branch website[.

A. CASE – A :

Victim complains that more than 4.5 lacs have been stolen from his/her account online via some online transactions in 2 days using net banking. The money has been spent in different e-commerce sites to buy different shopping.

B. CASE -B :

Victim complaints that his debit/credit card is safe with him/her. But still someone has done shopping or done ATM transactions on card.

C. CASE – C:

Victim complaints that someone has created a fake profile in different social media channels and defaming her/him with abusive comments and pictures to his/her friend and social circle.

D. CASE -D:

Victim complaints that someone sent and email from Income tax department and asked for all different credentials and 40K rupees has been fraudulently withdrawn from account.

E. CASE – E:

Somebody hacked into a website and posted different very defamatory content on his website. Which has caused him/her loss of thousands of dollars.

F. CASE – F :

Somebody has posted all his/her information with mobile no on a pornographic dating site, And she is getting defamatory calls on her number.

VI. COMBAT CYBER CRIME :-

As we see that lots of old mechanism of crimes are now turning into digital day-by-day. So there is a very strong need for designing and enforcing cyber laws and capabilities to safeguarding and securing the cyberspace. The law enforcement shall place a very essential role in achieving our nation's cybersecurity objectives by investigating a wide range of cyber crimes, from theft and fraud to child exploitation, and apprehending and prosecuting those responsible.

The different department of securities have been working with other government agencies to conduct high-impact criminal investigations to disrupt and defeat cyber criminals, prioritize the recruitment and training of technical experts, develop standardized methods, and broadly share cyber response best practices and tools. Criminal investigators and network security experts with deep understanding of the technologies malicious actors are using and the specific vulnerabilities they are

targeting work to effectively respond to and investigate cyber incidents.

Though Government is taking initiatives to combat the cyber crimes country wide, there is also very important role of individuals to prevent themselves to not to get into the situation.

A. Personalised security measurements :-

Let us look into the preventive measures which has to be taken care by individuals as follows:

a) Reduce Opportunities: Reduce Opportunities to the Criminals Develop elaborate system design so that hacker does not hack the computer.

b) Use Authentication Technology : Use password bio-metric devices, finger print or voice recognition technology and retinal imaging, greatly immense the difficulty of obtaining unauthorized access to information systems. Attention to be paid to bio-metric technology as this recognizes the particular user's authentication for using the particular computer.

c) Understand Cyber Crime : For volume, impact and legal challenges. Understand the benefit of proper equipment training and tools to control cyber crime.

d) Adopt Computer Security : Avail new sophisticated products and advice for computer crime prevention which is available free or paid in the market

e) Use Blocking and Filtering Programs: For detecting viruses, since virus can identify and block malicious computer code. AntiSpyware software helps stopping the criminals from taking hold of one's PC and helps to cleanup the PC if the same has been hit.

f) Monitoring Controls: Separate monitoring to be done for (a) Monetary files (b) Business information.

g) Reporting: Always report the crime to cyber fraud complaint center in one's country as they maintain huge data and have better tools for controlling cyber crime.

h) Educate Children: Children should be taught about the child pornography crime used by criminals and how to avoid that.

i) Design Alert Systems: Design the alert system when there is actual intrusion.

j) Install Firewalls: (a) As they block particular network traffic according to security policy. (b) Patches are generally installed automatically and automatically fixes the software security flaws.

k) Install Original Software: As they contain many security measures. Pirated softwares do not contain many security abilities which exist in the original software.

l) Online Assistance : Develop regular online assistance to employees. Learn Internet to one's advantage only and understand all tips to stay online safe.

m) Avoid Infection : Avoid infection rather than cleaning it afterwards Keep browser upto date for security Measures.

n) Avoid bogus Security Products : As many anti-spyware activists' runs a website that list bogus security products. Read the license agreement before installing any program.

o) Attachments : Avoid opening attachments or e-mails which were not expecting and have come from unknown source or person

p) Cross Check: Cross check regularly the statements of financial accounts and internet banking

B. International level security measurements :

Cyber world, being a global medium of information technology, there is a very strong need to create a common platform in Internatioanl levrl to combat with cyber crime.

The Geneva International platform has organized an international level 4th Cyber security day on 30th March to share information among countries what are the trends in the cyber crime, how to prevent it with other countries. Experts, Engineers, diplomats of International co-operation had discussed about common cyber security lab, dark web, and security measurements in global space. The need of highly dedicated organizations which provide 24x7 security services to stop high tech crimes also had discussed.

USA has signed with Convention on cybercrime. The basic challenges of International Cybercrime countries are :

a. Improve the ability to locate and identify the cyber crime originates.

b. Inprove ability to collect and share evidence internationally.

But there are some other problems observed in this field :

a. What has occurred may be relatively easy to discover but identify the person is difficult.

b. Appication to hacking crimes as well as other crimes facilitated by the comouter nework.

The cooperation model is best approach to handle this cyber crime situation till date.

VII. FUTURE NEEDS :

A. International level informatio sharing :

Information sharing is essential to the protection of critical infrastructure and to furthering cybersecurity for the nation. As the lead federal department for the protection of critical infrastructure and the furthering of cybersecurity, there is an effort going on to develop and implement numerous information sharing programs. Through these programs, countries are developing partnerships and shares substantive information with the private sector, which owns and operates the majority of the nation's critical infrastructure. Countries will also shares information with state, local, tribal, and territorial governments and with international partners, as cybersecurity threat actors are not constrained by geographic boundaries.

B. Cybersecurity Education & Career Development :-

World needs well trained professionals working in cybersecurity roles. These professionals are critical in both private industry and the government for the security of individuals and the nation. The countries is committed to strengthening the nation's cybersecurity workforce through standardizing roles and helping to ensure we have well-trained cybersecurity workers today as well as a strong pipeline of future cybersecurity leaders of tomorrow.

C. Action To Be Taken By Companies And Entrepreneurs On Cyber Criminals :-

the most important step would be to educate people on how to protect themselves (privacy) from being intrusively invaded by cyber criminals. Secondly the employees need to be trained on how to protect their work. As for the HR department, the task is to conduct thorough pre-employment checks. In the modern cyber technology world it is very much necessary to regulate

cybercrimes and most importantly cyber law should be made stricter in the case of cyber terrorism and hackers.

D. Major Deterrents For The Police And The Companies So For As Detecting Cyber crimes :

Companies in India do not want to be publicized for the wrong reasons. If ever they are in trouble, they try their best to sort it out through own in-house security system.As far as the police are concerned they are usually reluctant to take up cyber crime cases as investigation is highly labour-intensive and expensive.

CONCLUSIONS :-

This is quite clear from the previous studies and record analysis that with the increase of digital, smart phone, internet penetration to global level the quantity of the cybercrimes have increased with multiplied proportion. Qualified people has got a new dimension of preferences to conduct cyber attack. Cybercrime and hacking not necessary is not going away but it is getting stronger in the current scenarios. There will be always a new challenge to stay ahead with cyber criminals for the governments. To combat their affect and making effort to protect citizens from cybercrime the government from local to country level have to work with global level with different countries in very real time manner. India, USA, many other countries have started to collaboration platform to combat this cyber criminal effects. The collaboration is going to be the best option is to be believed in the current scenario to deal with cybercrime.

REFERENCES :-

1. https://www.juniperresearch.com/press/press-releases/cybercrime-cost-businesses-over-2trillion.
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Cybercrime
3. https://www.fbi.gov/investigate/cyber
4. https://cybercellmumbai.gov.in/html/cyber-crimes/index.html
5. www.helplinelaw.com/...criminal.../cyber-crimes-in-india-what-is-types-web-hijackin.

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
September 2021 Page No. : 30-33

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

CYBER CRIME AGAINST WOMEN

-Dr. Rahul Tiwari
Assistant Professor, Sai Meer Law College, Chhibramau, Kannauj.

Abstract :- The customary Indian culture places women in a high respects, the Vedas celebrated women as the mother, the maker, one who gives life and loved her as a 'Devi' or Goddess. The women involved an essential job and as such her enslavement and abuse were viewed as disparaging to the lady as well as towards the entire society. Notwithstanding, in current occasions women are seen and depicted as sex objects, she is dealt with mediocre compared to men in different cultural circles and capacities; this has made an immense sex predisposition between the people where even the men feel that their bad behaviors towards women can't be punished. Cybercrime and web harassing works in comparative way where the transgressors are not terrified of any position that can punish. The digital world in itself has a computer generated simulation where anybody can cover up or even phony his character, this endowment of web is utilized by the criminally disapproved to perpetrate improper demonstrations and afterward stow away under the sweeping given by the web. Advanced India is the significance of numerous developments and innovative development. The greater part populace are in the everyday practice of utilizing Computer, web and different gadgets which are most generally utilized are online media locales like Facebook, visit rooms, Instagram, skype, WhatsApp, Dating destinations and so forth At one side of the coin the digitalization has reinforce the arrangement of India in all terms like schooling, economy, administration and so forth, however at the opposite side it brought digital wrongdoings against women likewise in India at exceptionally huge number.

Key Words : Definition, Reasons, Types, Cyber Harassment, Cyber stalking, Morphing, Email Spoofing, Cyber pornography, Cyber defamation

Introduction :- In 1820, first cybercrime was accounted for in France. All things considered a demonstration of treachery was submitted by the workers of a material industry. The originally distinguished cybercrimes were identified with PC interruptions and misrepresentation. Yet, with the progression of time, the PC wrongdoings additionally got progressed and in the present time there is a quick expansion in the cybercrime which is difficult to follow, now and again. The internet is one of the most significant invention in the communication sector with the help of which, people living across the globe can communicate with each other without realising the distances between them. It has diminished the boundaries among people and provides them with opportunities to make better relations at both the personal as well as the professional fronts. The number of social network users in India has increased drastically from 181.7 million in 2015 to 216.5 million in 2016 to a projected 500.8 million in 2022.

However, it is an aid on one side, yet on the opposite side, it has made uncertainty in the existences of women because of the expanding crimes in the virtual world. Security of females, everything being equal, and foundations are in a weak situation with the development of web. The appearance of innovation has prompted cybercrimes and exploitation of females and it is an incredible danger to the security of an individual in general.

Kautilya's Arthashastra, a document written around in the 350 BC is considered to be one of the most authentic administrative treatises in India which discusses the various crimes committed in the society, security

initiatives to be taken by the rulers to curb them, possible crimes in a State, etc. It also advocates awarding different punishments for different offences listed therein. Further, the concept of restoration of loss to the victims has also been discussed in it. In his theory of probable crime, he has discussed as to how with the changes in society, different crimes emerge. To illustrate the weak position of women in the society it lays down that the crimes against women will increase in the society; with the strong position of a specific sector, the abuse of power will result in commission of crimes associated with the power-play. Certainly, the advent of Information and Communication Technology has lead to the emergence of a new kind of crime called the Cyber Crime. To clearly understand the meaning of Cyber Crime, one should first understand the meaning of the term Crime and then the meaning of Cyber Crime.

Definition of cyber crime :- It is rightly said that everything has a cost associated with it and so is the case with growing popularity and convenience of digital networks. The ease, convenience and swift communication provided by the Information and Communication technology does also come at a cost. As the businesses and societies are increasingly relying on computers and internet-based networking, the cyber crimes and digital attack incidents have increased many folds. In a cyber crime, the computer or the data itself is either a target or the object of an offence or a tool employed in committing some offence, and thus providing the necessary inputs for that offence. All such acts of crime come under the broad definition of the term Cyber Crime.

The term "cyber-crimes" is not defined in any statute or rulebook. The word "cyber" is slang for anything relating to computers, information technology, internet and virtual reality. Therefore, it stands to reason that "cyber-crimes" are offences relating to computers, information technology, internet and virtual reality. In simple terms we can define the term "cyber crime" as an act or omission prohibited by law which is carried out either with the means of or where the target is a computer, computer source or computer network. Accordance to the Information Technology Act, 2000 a Cyber Crime can be defined as "an act or omission that is punishable under the Information Technology Act, 2000". This however is not an exhaustive definition as the Indian Penal Code also covers certain cyber crimes, such as email spoofing and cyber defamation, sending threatening emails, etc. Cyber crimes are technology based crimes wherein the computer or internet itself is used as a weapon or means to commit such crimes. They are organized and white collar crimes like cyber frauds, hacking, data theft, phishing, identity theft, etc. Cyber crimes are committed with the help of technology and cyber criminals have a deep understanding of technology. In fact, cyber criminals are technocrats who understand the intricacies of Information Technology. Cyber crimes do not know or recognise any territorial boundary or barrier.

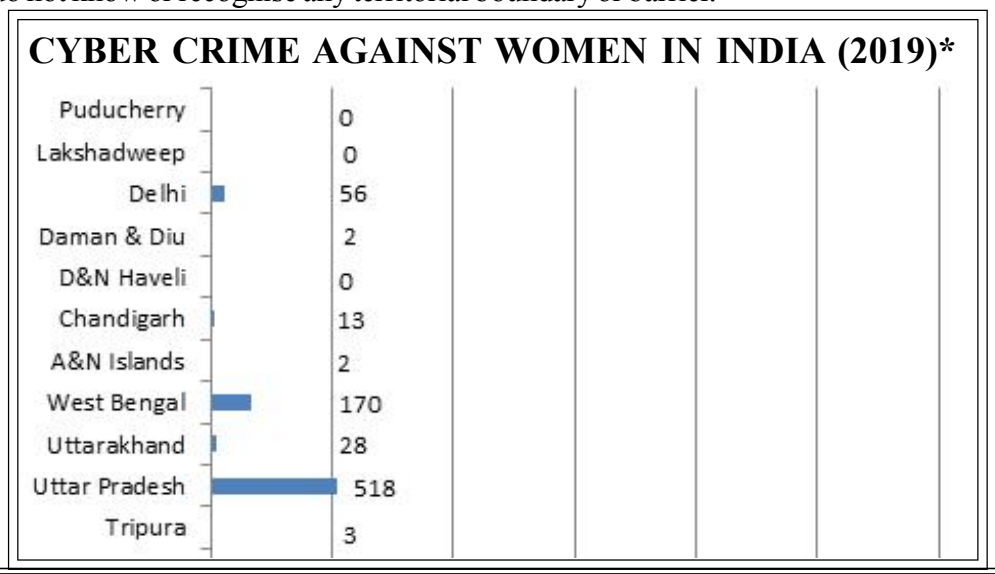

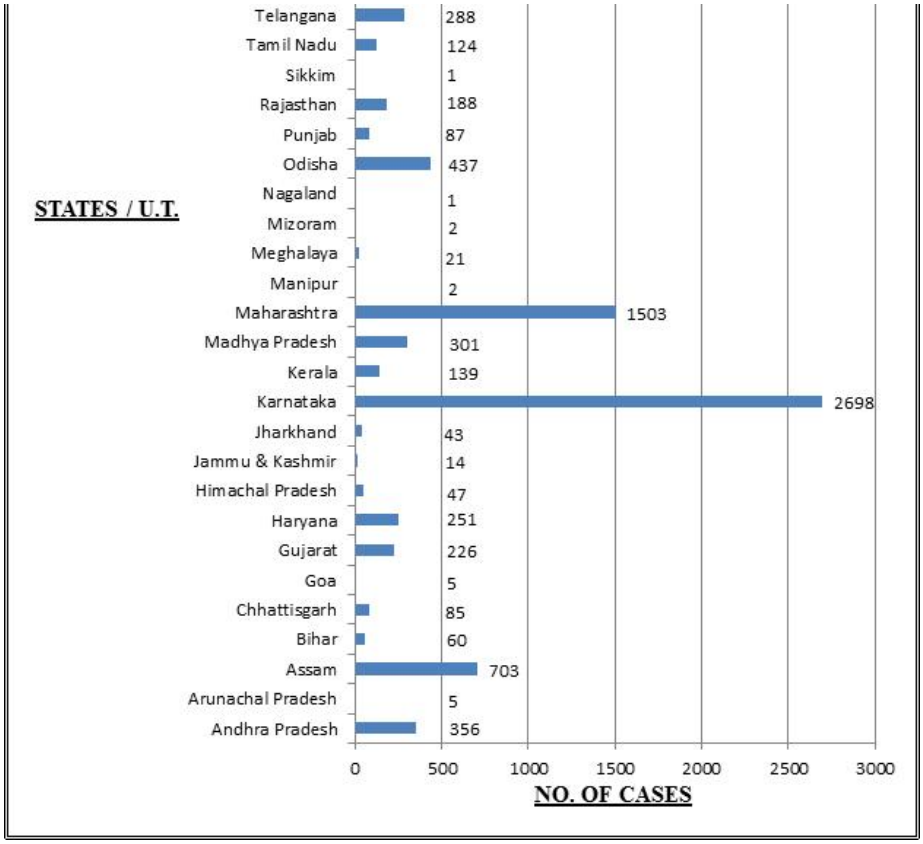

* NCRB Report, 2020

Reasons for the growth of cyber crime against women in India :- The reasons for the increasing cyber crime rate against women can be categorised into two folds: legal and sociological reasons.

Legal Reasons :- The objective of the IT Act is crystal clear from its preamble which confirms that it was formed largely for improving e-commerce hence it covers commercial or economic crimes i.e. hacking, fraud, and breach of confidentiality etc. but the drafters were unacquainted with the protection of net users.

Sociological reasons :- Most of the cybercrimes remain unreported due to the hesitancy and shyness of the victim and her fear of defamation of family's name. Many times, she considers that she herself is accountable for the crime done to her. The women are more vulnerable to the danger of cybercrime as the perpetrator's identity remains anonymous and he may constantly threaten and blackmail the victim with different names and identities. Due to these fears women often fail to report the crimes, causing the spirits of culprits to get even higher.

Types of cyber crime against women :- Now a day's cyber crime against women is very familiar issue. Every second, one woman in India gets trapped to be a victim of cyber crimes and the online podiums are now the new platform where a woman's privacy, dignity and security is more and more being challenged every moment. Technology is the resource used by some criminals who target to defame women by sending obscene e-mail, WhatsApp messages, stalking women by sing websites, chat rooms, and worst of all by developing pornographic videos, mostly created without their consent, spoofing e-mails, morphing of images for pornographic content by using various software's available online.

1. Cyber Harassment :- Cyber Harassment is characteristic repetitive behaviour intended to disturb or up rest a person though use of internet. A particular class of harassment which is sexual in nature is known as sexual harassment, among several other things it majorly includes persistent and unwanted sexual advancement.

2. Cyber stalking :- Cyber Stalking basically is behavior wherein an individual willfully and repeatedly engages in a knowing course of harassing conduct directed at another person which reasonably and seriously alarms, torments, or terrorizes that person. This is one of the most talked about internet crimes in the modern world.

3. Cyber pornography :- It refers to portrayal of sexual material on the web. This is the another threat to the female netizens as they never know which actions of theirs are being recorded and would later end up on internet.

4. Cyber defamation :- Cyber tort including libel and defamation is another common crime against women in the net. This occurs when defamation takes place with the help of computers and or the Internet.

5. Morphing :- Morphing is editing the original picture so as to make it look completely or largely different. Often criminally minded elements of the cyber world download pictures of girls from websites such as Facebook and then morph it with another picture in compromising situation so as to represent that those women were indulging in such acts.

6. Email Spoofing : - E-mail spoofing is a term used to describe fraudulent email activity in which the sender address and other parts of the email header are altered to appear as though the email originated from a different source; it is done by properties of the email, such as the From, Return-Path and Reply-To fields, ill-intentioned users can make the email appear to be from someone other than the actual sender.

Conclusion :-

Cybercrimes against women are as yet messed with in India, for the most part in light of the fact that overall the regard towards women in our cutting edge society is on a lessening likewise a many individuals can't deal with the way that in any event, posting pictures of somebody online in a wrongdoing. Cybercrimes, for example, transforming, email mocking don't have an ethical moving in the public arena and subsequently are messed with. This carries us to the main part where social progression is required, individuals need to perceive the privileges of others and acknowledge what comprises a wrongdoing. They should learn not to meddle with the private existences of others, regard towards women in the public arena needs to increment. This must be done if youthful sorts are instructed since early on to regard women.

Along these lines, to counter cybercrime against women in India, stricter corrective changes are needed just as a change of guidance system is an enormous essential. Such change can't arise out of inside a single square of society nonetheless people, government and NGOs, etc need to coordinate to convey such changes.

Reference :

1. Leonard-Barton, Dorothy, and Kraus, William A.. Implementing New Technology. United States, Harvard Business School Reprint, 1985.
2. Indigenous Historical Knowledge: Kautilya and His Vocabulary. India, Pentagon Press, 2015.
3. 21st Century Technologies: Promises and Perils of a Dynamic Future. Ukraine, OECD Publishing, 1998.
4. Sood, Vivek. Cyber Law Simplified. India, Tata McGraw-Hill Publishing Company, 2001.
5. Cyber Criminology: Exploring Internet Crimes and Criminal Behavior. United Kingdom, CRC Press, 2011.
6. Doyle, Charles. Cybercrime and Its Implications. United States, Nova Science Publishers, 2009.
7. Jaishankar, K, and Halder, Debarati. Cyber Crimes Against Women in India. India, SAGE Publications, 2016.
8. Geertz, Clifford. The Interpretation of Cultures. United States, Basic Books, 2017.
9. Citron, Danielle Keats. Hate Crimes in Cyberspace. United Kingdom, Harvard University Press, 2014.
10. Cyber crime against women in India –investigative and legislative challenges. N.p., blue rose publishers, 2020.

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
September 2021 Page No. : 34-39

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

CYBER CRIMES AGAINST WOMEN

-Ramshankar Varma,

Assistant Teacher, Chemistry Departments,
S K Somaiya Junior College of Arts, Science and Commerce, Vidyavihar, Mumbai 400077

ABSTRACT :-

Information technology has widened itself over the last two decades and has become the axis of today's global and technical development. The world of internet provides every user all the required information fastest communication and sharing tool making it the most valuable source of information. With the numerous advancements of internet, the crime using internet has also widened its roots in all directions. The cyber-crimes pose a great threat to individuals. Cyber-crime is a global phenomenon and women are the soft targets of this new form of crime. In this paper we explore the Cyber-crimes and the online security vulnerabilities against women. Cyber-crime is emerging as a challenge for national and economic security. Various issues that are discussed in this paper are: Cyber Stalking, Harassment via Email, Cyber Defamation, Morphing, and Email Spoofing against women.

Keywords :- Cyber Crime, Women, Information Technology.

CYBER CRIME :-

There have been numerous technological advancements over the last decade [Maltais 2005]. The Internet is one of the fastest-growing areas of technical infrastructure development in all nations. [ITU 2005] In the current era of online processing, maximum of the critical information and details are online and prone to cyber threats. Individuals use the internet because they can gather and share information very easily with other individuals no matter where on the globe they are located [Grzybowski 2012]. In every creation there are both good and bad sides but when a new one is created for the betterment of people the inventor does not think for its evil sides [Kumar, Jha 2012]. Any technological development is capable of beneficial uses as well as misuse [Seminar on "Cyber Crimes against Women, 2009]. The growth of the internet has also resulted in the creation and growth of cyber-crime.

Current era is too fast to utilize the time factor to improve the performance factor. It is only possible due the use of Internet [Saini, Rao 2012]. For the communication purpose, e-mails have displaced traditional letters; online web representation is nowadays more important for businesses than printed materials and Internet-based communication and phone services are growing faster than landline communications. These advancements, while of immense benefit for the population, have also brought opportunities for various criminal activities.

The growth of the information society is accompanied by new and serious threats. When internet was invented, inventors did not think for its bad behavior. But the criminal mentality of human psychology started its misuse by using internet as a tool of crime, which gave the birth to "Cyber-crime" and world is facing a huge challenge from these cyber criminals [Kumar, Jha 2012].

Crimes are as old as man himself and computer crimes are as old as computers themselves. People are very reliant on information systems and the Internet making them easy targets for cyber criminals [Loganathan, Kirubakaran 2011]. The number of internet users has grown exponentially over the last twenty years. Cyber-crimes have become rampant in the city [The Hindu, 2011]. Top 10 countries facing cyber crime is shown in Figure 1. Cyber-crime is a major issue facing society today.

A. Cyber-Crimes Can Be Broadly Divided Into 3 Major Categories –

Cyber-crimes against persons, property and Government. Cyber-crimes committed against persons include various crimes like transmission of obscene messages, harassment of any one with the use of a computer such as e-mail, cyber-bullying and cyber-stalking. The second category of Cyber-crimes is that of Cyber-crimes against organization or all forms of property. These crimes include illegal and unauthorized computer trespassing, and transmission of important and critical information outside the organization which can lead to a great loss to the organization. The third category of Cyber-crimes relate to Cyber-crimes against Government which includes Cyber Terrorism [Duggal].

CYBER CRIME AGAINST WOMEN :-

The expanding reach of computers and the internet has made it easier for people to keep in touch across long distances. However, the means that enable the free flow of information and ideas over long distances also give rise to a worryingly high incidence of irresponsible behavior. The vulnerability and safety of women is one of the biggest concerns of any criminal and penal law, but unfortunately women are still defenseless in cyber space [Halder, Jaishankar 2008]. Cyber- crime against women is on at alarming stage and it may pose as a major threat to the security of a person as a whole [Jeet 2012]. The World Wide Web allows users to circulate content in the form of text, images, videos and sounds. The widespread circulation of such content is particularly harmful for women. In recent years, there have been numerous reports of women receiving unsolicited emails which often contains obscene and obnoxious language.

India is considered as one of the very few countries to enact IT Act 2000 to combat cyber-crimes; This Act widely covers the commercial and economic crimes [Jeet 2012]. Even though issues regarding women still remain untouched in this Act.

Social Networking and other websites are created and updated for many useful purposes, but they are nowadays also be used to circulate offensive contents also. Individuals who post personal information about themselves on job and marriage websites or social networking websites are often at the receiving end of 'cyber- crime'. Women and minors who post their contact details become especially vulnerable.

As many as 80,000 cyber-crime related complaints have been registered with police in Kerala in 2012, of which 50,000 relate to harassment of women through new hi-tech devices [The Financial

Express, 2012].

A. Types Of Cyber-Crime That Are Committed Against Women :

Amongst the various cyber-crimes committed against individuals and society at large, crimes that are specifically targeting women are as follows :–

- Cyber-stalking.
- Cyber Bullying
- Email spoofing.
- Harassment via e-mails.
- Morphing.
- Cyber Defamation.

CYBER STALKING :-

Cyber Stalking is one of the most widespread net crimes in the modern world. The word "stalking" means "pursuing stealthily". Cyber stalking can be used interchangeably with online harassment and online abuse [Muthukumaran 2008]. It is the use of the Internet or other electronic means to stalk or harass a person [Kumar 2010]. The utilization of technology allows stalkers to harass their target from oceans away [Cyber Stalking 2011].

It involves invading the privacy by following a person's movements across the Internet by posting messages on the bulletin boards, entering the chat-rooms frequented by the victim, constantly bombarding the victim with messages and emails with obscene language.

In Cyber Stalking, stalker access the victim's personal information like name, family background, telephone numbers and daily routine of the victim and post them on the websites related to dating services with the name of victim [The Times of India, 2013].

Ritu Kohli Case :-

The perfectly normal married life of Ritu Kohli, New Delhi turned upside down, when she started receiving a number of emails from an unknown source. Initially she ignored the mails. [Mukut 2012].

Stalker used obscene and obnoxious language, and post her residence telephone number and other personal details on various websites, inviting people to chat with her on the phone. As a result, she started receiving numerous obscene calls at odd hours from everywhere, then she got alarmed. Distraught, Kohli lodged a police complaint. Fortunately Delhi police immediately sprang into action. They traced down the IP address (Internet Protocol address) of the hacker to a cyber cafe. The cyber stalker- Manish Kathuria, later got arrested by the Delhi police and was booked under sec 509 of the IPC (Indian Penal Code) for outraging the modesty of a woman and also under the IT Act (Information Technology Act) of 2000. The case highlighted here is the first case of cyber stalking to be reported in India [Mukut 2012].

Another Case :-

In another case of Cyber Stalking that comes in the notice, a 28 year old woman, Neha Ghai was shocked after she received objectionable calls and text messages Cyber Crimes Against ..on her mobile phones and even vulgar e-mails in her inbox. When she approached the cyber cell and lodged a complaint against the accused, she came to know that she has become a victim of cyber stalking and the stalker had collected all her personal details posted on objectionable portals.

Cyber stalking nowadays become a serious issue and victims should immediately inform the

police. The Police can trace the accused by tracking the IP (internet protocol) address of the system that is used for the criminal activity.

HARASSMENT VIA EMAIL :-

There is no doubt that email has become one of the most heavily used electronic tools of the last decade. Many people, send and receive in around 100 emails every day [Email Harassment in Business]. Harassment on the Internet can take place in a number of ways [Harvey]. One form may include Harassment through e-mails includes blackmailing, threatening, bullying, [Halder] constant sending of love letters in anonymous names or regular sending of embarrassing mails to one's mail box. Indian Penal Code, Criminal Procedure Code and select sections of IT Act deal with the protection from cyber-crime. In general they are used to book the perpetrators along with Section 292A of the IPC for printing or publishing grossly indecent or scurrilous matter or matter intended to blackmail, and under Section 509 of the IPC for uttering any word or making any gesture intended to insult the modesty of a woman.

CYBER BULLYING :-

Today, people all over the world have the capability to communicate with each other with just a click of a button and technology opens up new risks.

Cyber bullying is the use of Information Communications Technology (ICT), particularly mobile phones and the internet, deliberately to upset someone else [Childnet International]. Cyber bullying is "willful and repeated harm inflicted through the use of computers, cell phones or other electronic devices, by sending messages of an intimidating or threatening nature. "Globally, India is third behind China and Singapore in cyber bullying or called online bullying [Simhan]. Cases of suicides linked to cyber bullying have grown over the past decade.

Bullying classmates, juniors or even seniors in the school is a common culture among the young school students in India [Halder, Jaishankar]. Social networking sites used in nearly half of cases. Girls are about twice as likely as boys to be victims [Do Something]. With 24 female cases were reported compared with 17 males, reveals that the victims are more often female.

India is third on the list behind China and Singapore in the cases of cyber-crime according to a report, highlighting the need to take actions and increase education about online behavior.

A. Cyber Bullying New-Age Threat :-

Harini (name changed), a 12 year old girl when put up her profile picture on a social networking site, she did not know that she would soon face serious physical threat. When she finally told her parents about the happening, they were shocked that a person living in the neighborhood had been bullying her and threatening to misuse her personal information and photos if she told anyone. After certain visits to the cyber-crime police station, they somehow managed to get rid of the threat.

However, Harini's parents are still not sure how to make their daughter overcome the fear and regain her self-esteem [Indian Express 2012].

MORPHING :-

Morphing is editing the original picture by an unauthorized user. When unauthorized user with fake identity downloads victim's pictures and then uploads or reloads them after editing is known as

morphing. It was observed that female's pictures are downloaded from websites by fake users and again re- posted/uploaded on different websites by creating fake profiles after editing them.

This amounts to violation of I.T. Act, 2000. The violator can also be booked under IPC also for criminal trespass under Section 441, Section 290 for committing public nuisance, Section 292A for printing or publishing grossly indecent or scurrilous matter or matter intended to blackmail and under Section 501 for defamation [Agarwal].

EMAIL SPOOFING :-

A spoofed e-mail may be said to be one, which misrepresents its origin [Legal India]. It shows its origin to be different from its actual source. E-mail spoofing is a popular way of scamming online. E-mail spoofing is a term used to describe fraudulent email activity in which the sender's address and other parts of the email header are altered to appear as though the email originated from a known or authorized source.

CYBER DEFAMATION :-

Cyber tort including libel and defamation is another common crime against women in the net. Although this can happen to both genders, but women are more vulnerable. This occurs when defamation takes place with the help of computers and/or the Internet when someone publishes defamatory matter about someone on a website or sends e-mails containing defamatory information to all of that person's friends.

The term defamation is used to define the injury that is caused to the reputation of a person in the eyes of a third person Cyber defamation is publishing of defamatory material against another person with the help of computers or internet.

You build a great brand over 20 years and all it takes is 2 days to destroy it, on the Net [The Times of India 2010]. Unfortunately cyber defamation is not defined by the IT Act 2000 and it is treated by the criminal justice system under the same provisions of publication of obscene materials in the internet.

With the exponential increase in the use of the internet as a medium of communication and sharing of information, chances of use of the web for publication of defamatory content has increased multi-fold and there is a coherent need for a clear law in this area.

Cyber Defamation Case :-

Abhishek, a teenaged student was arrested by the police in India following a girl's complaint about tarnishing her image in the social networking. Abhishek had allegedly created a fake account in the name of the girl with her mobile number posted on the profile [Didwania 2013].

Laws Against Cyber Defamation In India :-

According to Section 67 of the IT Act 2000, any person who sends, by means of a computer resource or any communication device any offensive information, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and with fine [Didwania 2013].

CONCLUSION :-

The growth of cyber-crime in India, as all over the world, is on the rise. Anybody who uses the Internet is at risk for becoming a victim of cyber-crime [Mennell]. Cyber space offers a plethora of

opportunities for cyber criminals either to cause harm to innocent people.

India is considered as one of the very few countries to enact IT Act 2000 to combat cyber-crimes; This Act is widely covered commercial and economic crimes which is clear from the preamble of the IT Act but it is observed that there is no specific provision to protect security of women and children. However there are few provisions to cover some of the crimes against women in cyber space under IT Act.

In order to avoid the cyber-crime we should not engage in conversation with people we don't know. People on the other end of the computer may not be who they claim to be. We must keep our passwords protected and do not keep sensitive material on the computer as that can be accessed by the hacker. If anything seems out of place or wrong, contact law enforcement immediately.

REFERENCES :-

1. Agarwal, R "CYBER CRIME AGAINST WOMEN AND REGULATIONS IN INDIA" available on http://tmu.ac.in/gallery/viewpointsdcip2013/pdf/track4/T-403.pdf
2. Cyber Crimes Against .. Agarwal & Kaushik 45
3. Childnet International "Cyberbullying: A whole-school community issue" available on http://digizen.org/downloads/cyberbullyingOverview.pdf
4. Cyber stalking (2011) "Cyber stalking: A growing problem" available on http://womenslawproject.wordpress.com/2011/06/13/cyberstalking-a- growing-problem/
5. Didwania, P (2013) "India: Cyber Defamation In Corporate World" available on http://www.mondaq.com/india/x/218890/Social+Media/Cyber+Defamati on+In+Corporate+World
6. Published on Do Something "11 Facts about Cyber Bullying" available
7. http://www.netsafe.org.nz/Doc_Library/netsafepapers_davidharvey_cyb erstalking.pdf
8. Indian Express (2012) "Cyber bullying new-age threat" Indian Express, Nov 24 available on http://newindianexpress.com/cities/bangalore/article1352590.ece
9. ITU (2005) "Understanding Cybercrime: phenomena , challenges and legal response" available on
10. http://www.itu.int/ITU- D/cyb/cybersecurity/docs/Cybercrime%20legislation%20EV6.pdf

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
September 2021 Page No. : 40-45

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Classification of Cyber Crime

-Pawan kumar Srivastava
Research Scholar (Law), LNCT, University, Bhopal.

Abstract :-

It is rightly said that everything has a cost associated with it and so is the case with growing popularity and convenience of digital networks. The ease, convenience and swift communication provided by the Information and Communication technology does also come at a cost. As the businesses and societies are increasingly relying on computers and internet-based networking, the cyber crimes and digital attack incidents have increased many folds.

Key Words :- Definition, Cyber-Stalking, Malware, Defamation, Hacking.

Introduction :-

Cyber crime is an intricate concept to be defined in a simple and in layman's language. However, it can be said that when any crime is commit ted over the Internet it can be referred to as a Cyber Crime. There are different cyber crimes which are taking place in the present world which is dominated by the Information and Communication Technology. It could be hackers vandalizing your website, viewing confidential information, stealing trade secrets or intellectual property with the use of internet. It can also include 'denial of services' and virus at tacks preventing regular traffic from reaching your website. Cyber crimes are not limited to outsiders except in case of viruses and with respect to security related cyber crimes that are usually commit ted by the employees of particular company/ organisation who can easily access the password and the data storage of the company for their illegal purposes. Cyber crimes also include criminal activities carried out with the use of computers which further perpetuates different crimes, e.g. financial crimes, sale of illegal articles, pornography, online gambling, intellectual property crime, e-mail, spoofing, forgery, cyber defamation, cyber stalking, unauthorized access to Computer system, theft of information contained in the electronic form, email bombing, physically damaging the computer system, etc.

The number of Cyber Crimes committed is increasing with each passing day, and it is very difficult to find out as to what actually a cyber crime is and what the conventional crime is. However, to deal with this challenge, the most common cyber crimes can be categorised and discussed under the following heads :

1. Cyber Crime Against Person;
2. Cyber Crime Against Property;
3. Cyber Crime Against Government;

1. Cyber Crimes against Persons :-

There are certain of fences which affect the personality of an individual and can be defined as :

(i) Harassment via E-Mails :-

It is a very common type of harassment done through letters, attachments of files & folders, i.e., via e-mails. At present, harassment is common with the increase in the usage of social networking sites, like Facebook.com, Twit ter.com, etc.

(ii) Cyber-Stalking :-

It means expressed or implied a physical threat that creates fear through the use to computer technology such as internet , e-mail, phones, text messages, webcam, websites or videos.

(iii) Dissemination of Obscene Material :-

It includes Indecent exposure/ Pornography (basically child pornography), hosting of website containing these prohibited materials. These obscene matters may cause harm to the mind of the adolescent and tend to deprave or corrupt their mind.

(iv) Malware :-

Malware is software that takes control of any individual's computer to spread a bug to other people's devices or social networking profiles.

(v) Defamation :-

It is an act of imputing any person with intent to lower down the dignity of the person by hacking his mail account and sending some mails with vulgar language to unknown persons mail account.

(vi) Hacking :-

It means unauthorized control/access over computer system and act of hacking completely destroys t he whole data as well as computer programmes. Hackers usually hack telecommunication and mobile network.

(vii) Cracking :-

It is amongst the gravest cyber crimes known till date. It is a dreadful feeling to know that a stranger has broken into your computer systems without your knowledge and consent and has tampered with precious confidential data and information.

(viii) E-Mail Spoofing :-

A spoofed e-mail may be said to be one, which misrepresents its origin. It shows its origin to be different from which actually it originates.

(ix) SMS Spoofing :-

Spoofing is a blocking through spam which means the unwanted uninvited messages.

(x) Carding :-

It means false ATM cards, i.e., Debit and Credit cards used by criminals for their monetary benefits through withdrawing money from the victim's bank account mala-fidely. There is always unauthorized use of ATM cards in this type of cyber crimes.

(xi) Cheating & Fraud :-

It means the person who is doing the act of cyber crime i.e. stealing password and data storage

has done it with wrongful intention which leads to fraud and cheating.

(xii) Child Pornography :-

It involves the use of computer networks to create, distribute, or access materials that sexually exploit underage children.

(xiii) Phishing :-

Phishing is just one of the many frauds on the Internet , Phishing trying to fool people into parting with their money. Phishing refers to the receipt of unsolicited emails by customers of financial institutions, requesting them to enter their username, password or other personal information to access their account for some reason.

(xiv) Vishing :-

Vishing is the criminal practice of using social engineering and Voice over IP (VoIP) to gain access to private personal and financial Information from the public for the purpose of financial reward. The term is a combination of "voice" and phishing.

(xv) Bot networks :-

A cyber crime called 'Bot Networks', wherein spamsters and other perpetrators of cyber crimes remotely take control of computers without the users realizing it, is increasing at an alarming rate.

(xvi) Assault by Threat :-

It refers to threatening a person with fear for their lives or lives of their families through the use of a computer network, i.e., E-mail, videos or phones.

(xvii) Buffer overflow :-

Buffers are created to hold a finite amount of data. When it overflows, it goes into adjacent buffers which can cause data to be overwritten. In buffer overflow at tacks, the extra data can contain inst ructions that trigger specific actions. These actions can cause damage to files and/or change data.

2. Crimes against Persons' Property :-

There are certain offences which affect person's properties which are as follows:

(i) Intellectual Property Crimes :-

Intellectual property consists of a bundle of rights. Any unlawful act by which the owner is deprived completely or partially of his rights is an offence. The common form of IPR violation may be said to be software piracy, infringement of copyright, trademark, patents, designs and service mark violation, theft of computer source code, etc.

(ii) Software piracy :-

There is a common perception amongst normal computer users to not consider software as "property". This has led the software piracy to become a flourishing business.

(iii) Cyber Squatting :-

It means where two persons claim for the same Domain Name either by claiming that they had registered the name first on by right of using it before the other or using something similar to that previously. For example two similar names, i.e., www.yahoo.com and www.yaahoo.com.

(iv) Cyber Vandalism :-

Vandalism means deliberately destroying or damaging property of another. Thus cyber vandalism

means destroying or damaging the data when a network service is stopped or disrupted.

(v) Hacking Computer System :-

Hacktivism at tacks those included Famous Twitter, blogging plat form by unauthorized access/ control over the computer. Due to the hacking activity there will be loss of data as well as computer. A hacker is an unauthorized user who at tempts to or gains access to an information system.

(vi) Transmitting Virus :-

Viruses are programs that attach themselves to a computer or a file and then circulate themselves to other files and to other computers on a network. They usually affect the data on a computer, either by altering or deleting it. Worm attacks plays major role in affecting the computerize system of the individuals.

(vii) Packet Sniffing :-

This is used by hackers and forensic experts. Data travels in the form of packets and vary in size depending on the network bandwidth and amount of data. The hacker intercepts the transmission between computer A and B.

(viii) Cyber Trespass :-

It means to access someone's computer without the right authorization of the owner and does not disturb, alter, misuse, or damage data or system by using wireless internet connect ion.

(ix) Salami Attack :-

Those attacks are used for the commission of financial crimes. The key here is to take the alteration so insignificant t hat in a single case it would go completely unnoticed. e.g., a bank employee inserts a program into bank's servers, that deducts a small amount from the account of every customer.

(x) Internet Time Thefts :-

Basically, Internet time theft comes under hacking. It is the use by an unauthorised person, of the Internet hours paid for by another person.

(xi) Trojan and Rats :-

Trojan horses are programs that appear to be doing what the user wants while they are actually doing something else such as deleting files or format ting disks. All the user sees is the interface of the program that he wants to run. RATs are remote access Trojans that provide a backdoor into the system through which a hacker can snoop into your system and run malicious code.

(xii) Data Diddling :-

Data diddling involves changing data prior or during input into a computer. In other words, information is changed from the way it should be entered by a person typing in the data, a virus that changes data, the programmer of the database or application, or anyone else involved in the process of having information stored in a computer file.

(xiii) Email account hacking :-

Emails are increasingly being used for social interaction, business communication and online transactions. Most email account holders do not take basic precautions to protect their email account passwords. Cases of theft of email passwords and subsequent misuse of email accounts are becoming very common.

3. Cyber crimes against Government :-

There are certain of fences done by group of persons intending to threaten the international governments by using internet facilities. It includes:

(i) Cyber Terrorism :-

Cyber terrorism is a major burning issue in the domestic as well as global concern. The common form of these terrorist attacks on the Internet is by distributed denial of service attacks, hate websites and hat e e-mails, attacks on sensitive computer networks etc. Cyber terrorism activities endanger the sovereignty and integrity of the nation.

(ii) Web defacement :-

Website defacement is usually the substitution of the original home page of a website with another page (usually pornographic or defamatory in nature) by a hacker. Religious and government sites are regularly targeted by hackers in order to display political or religious beliefs.

(iii) Cyber Warfare :-

It refers to politically motivated hacking to conduct sabotage and espionage. It is a form of information warfare sometimes seen as analogous to conventional warfare although this analogy is controversial for both its accuracy and its political motivation.

(iv) Use of Internet and Computers by terrorists :-

Many terrorists are using virtual as well as physical storage media for hiding information and records of their illicit business. They also use emails and chat rooms to communicate with their counterparts around the globe.

(v) Distribution of pirated software :-

It means distributing pirated software from one computer to another intending to destroy the data and official records of the government .

(vi) Possession of Unauthorized Information :-

It is very easy to access any information by the terrorists with the aid of internet and to possess that information for political, religious, social, ideological objectives.

Conclusion :-

Today hackers are spread across the world in large quantities. Many government and private agencies, state police are working to detect these hackers, but we also have some duty to protect ourselves and our private data from online frauds. Finally, I would like to say that if you use the internet properly and use the secure websites, then it will be difficult for hackers to hack your data.

Refrences :-

1. Chadwick, Andrew. Internet politics: states, citizens, and new communication technologies. United Kingdom, Oxford University Press, 2006.
2. Doyle, Charles. Cybercrime: An Overview of the Federal Computer Fraud and Abuse Statute and Related Federal Criminal Laws. United States, DIANE Publishing Company, 2011.
3. Zittrain, Jonathan. The Future of the Internet--And How to Stop It. Ukraine, Yale University Press, 2008.

4. Joseph, Benild. Digital Crime Investigation: Handbook for Cyber Crime Investigators. N.p., Independently Published, 2017.
5. Jordan, Tim, and Taylor, Paul. Hacktivism and Cyberwars: Rebels with a Cause?. N.p., Taylor & Francis, 2004.
6. Sirohi, Dr M N. Transformational Dimensions of Cyber Crime. India, Vij Books India Private Limited, 2015.
7. Hopkins Burke, Roger, and Long, Matt. Vandalism and Anti-Social Behaviour. United Kingdom, Palgrave Macmillan UK, 2015.
8. Sharma, Dhiraj. Foundations of IT. India, Excel Books, 2009.
9. CYBERISH. N.p., BecomeShakespeare.com, 2019.
10. Hack the world - Ethical Hacking. N.p., Lulu.com.
11. Cyber Crime and Digital Disorder. India, K. Jaishankar, 2011.

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
September 2021 Page No. : 46-50

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Cyber Crime and Women

-Sumit Kumar

Student, Department of Social Work, Chaudhary Bansi Lal University, Bhiwani

ABSTRACT :-

Twenty first century is the age of technology. Each and every information is just a click away. Internet made lives of people easy and comfortable. People cannot live without technology. The evolution of technology is beneficial to humans. Technology helps to save time as well as money. Technology has increased productivity of almost every industry in the world. People use to explore unknowns and communicate with them, on social media, anytime across the world. On the other hand, the evolution of modern technology has disadvantages in disguised form. Internet has paved the way for cyber criminals and women are the main target of these cyber criminals. These cyber criminals are using the cyber platforms to harass and abuse women. This paper throws light on cybercrime and legislative measures.

KEY-WORDS :- Technology, Internet, Woman harassment, Cyber Crime, Communication

Introduction :-

Cyber-crime has become a profession and the demography of typical cyber-criminal is changing rapidly. Women and home- both are almost synonymous in India. According to Indian Customs women are key to the well-being of the family with fixed feminine virtues. This idealization of women equipped them with some virtues like purity, sacrifice, care and tenderness. The sacred literature in India is plotted with feminine dreams as well as female fury. The ancient Indian society placed women above men, as women is defined as the creational power. Only a women has the ability to bring forth life that's why the Vedas worshiped women as the creator. But a paradox of worshiping goddesses and approach to women existed in Ancient India. The digital era views women as sex objects. The digital era treats women as an inferior gender.

This inferiority is the product of the mindset of society, these days, that a woman is just a medium to fulfill the sex desires. The digitalization enhanced the socio-economic, education and governance but it also brought cybercrime. Cybercrime and internet bullying is the byproduct of technical advancement. More than half of the population is habitual to use computers and other devices for educational and research purpose but on the other side a huge number of internet users surf the social media websites like: Facebook, Instagram, Skype, Whats app and some dating sites. Cybercriminals use computer based technology to get access of someone's personal information. After getting someone's personal information cybercriminal starts to harass and exploit as stalking, threatening and blackmailing with the help of Whats app, E-mail, Facebook, Instagram, photo morphing

and cyber pornography. Offenders are misusing these platforms with the intention to harass and abuse women. Being kind hearted or less awareness, sometimes, out-turns women as very soft target. Women usually trust offenders and share their information will paves the way for serious repercussions.

Women in Mythology :-

Our mythology or folklores described women as a sex object. Father and even god treated women as sex objects. To advocate the statement here are some examples quoted from the well-known scriptures :-

Sandhya, disgusted by her father's deed, propitiated Shiva and asked that all newborns should be free from desire and incapable of arousing lust. Shiva cursed Brahma that there would be no temples or festivals in his honor. - Shiva Purana

A woman with a long tongue was licking away soma, the sacred sacrificial oblation meant for the gods. The devas did not want to share the soma, the source of their divine splendor, with anyone. They had killed their half-brothers, the asuras, for much less. Deeming Dirghajihvi, the long-tongued women, to be an ogress, the gods plotted to kill her. Firstly they stopped all sacrifices so that no more soma was produces. Then Indra, leader of the devas, tried to grab her. He failed. So he recruited the handsome Sumitra to seduce and overpower her. "Women like to flirt with a good-looking man." Indra said. Sumitra, however failed in his MISSION. Dirghajihvi's body was covered with vaginas, and Sumitra's single penis could not satisfy her. Indra then caused Sumitra to sprout several penises all over her body and sent him back to Dirghajihvi. This time Sumitra succeeded. He mounted Dirghajihvi and, having entered her, refused to leave. "Let go," she cried, "I thought you were a good friend." "I am a good friend to good friend and a bad friend to bad friends", replied Sumitra, pinning Dirghajihvi down. He then summoned Indra, who hurled his thunderbolt and killed Dirghajihvi. -Jaiminiya Brahmana

These are few extracts from the Indian mythology which express that in ancient time women were treated as sex objects to fulfill male ego/sexual urges. Modernization and the technical advancement acted as a catalyst. Cyber world has a virtual reality. Anyone can access to anyone in just few clicks. Cyber criminals commit wrongful acts and hide their identity under the blanket powered by the internet.

Concept of Cyber Crime :-

There is no difference between any ordinary crime and a cyber-crime. Cyber-crime is prohibited by law and state has power to punish the offender. A computer and network based crime can be defined as a cyber-crime. The computer may be used as a target or tool of a crime. The medium or the universe of the cyber-crime is cyberspace. Cyber-criminals access personal information with the intention to harass and exploit someone which includes stalking, blackmailing, threatening using emails, photo morphing, cyber pornography etc. Women are the main target for such criminals. Women easily trust such anti-social elements and usually share their personal information. Once such criminals get access to personal information then they start to harass, abuse and blackmail women. Less than half of the cases get registered because of the so called pride and prejudices associated to a woman and sometimes women are unaware about their rights and procedure of filing a complaint. In most of the cyber-crimes the motive, generally, is greed, pride or desire to play with the character of the

victim. According to the latest government data, India has recorded a massive increase of 63.5% in cybercrime cases in the year 2019. The National Crime Record Bureau's (NCRB) data states that 44,546 cases of cyber-crimes were registered in 2019 as compared to 28,248 in 2018.

Cyber-Crime Against Women :-

In India almost 71 Crore people are using Internet, out of which 25 crore are women. The harassment of women on social media platforms are done by sending messages, making audio/video calls, photo morphing etc. Ill-intentioned men generally create fake Ids on Facebook, Twitter, Instagram and other social media platforms with the intention such as illegal gain, revenge, blackmailing, sexual exploitation and defamation.

Common Cyber-Crimes Against Women :-

Most common forms if cyber-crimes are discussed below:

Cyber Stalking :-

Cyber stalking is often viewed as simply a cyberspace version of 'stalking'. Cyberstalking have different forms. But in broadest way, it is harassment or stalking via social media or email platforms. A cyber stalker observes victim's online activity and then uses them to harass the victim. Online interaction reduces identification that's why cyber stalking is more common than physical stalking. Stalker will collect all the personal information about the victim such as name, family background, telephone numbers residence and work place and daily routine of victim. If stalker is stranger to victim then he collects these information from internet resources. Cyber stalking is covered under Section 72 of IT Act 2000 that perpetrator can be booked remotely for breach of confidentiality and privacy. The accused may also be booked under Section 354D, 441 and Section 509 of the Indian Penal Code for outraging the modesty of women.

Cyber Defamation :-

Cyber defamation (Cyber smearing) can be defined as the intentional violation of an individual's right to his good name. Computer or internet is used to defame an individual in cyberspace. Women are the target for such offenders. It implies defamation of an individual by anything, which can be read, seen or heard with the help of computer. Cyber-criminal may post victim's personal information on any website related to sex-services or dating services, posing as if the victim is posting this information and invite the people to call the victim on her telephone numbers to have sexual services. Under Section 67 and 72 of IT Act 2000 the perpetrator illegally and without consent of an individual concerned discloses any electronic/book/register/ information or other material to which he got access under any of the provision of the Act is any rule or regulation made under is liable for breach of privacy. Defamatory material posted on the internet using emails or social networking websites could draw the attention of Section 4 of IT Act, 2000 and Section 499 of Criminal Law (Amendment) Act, 2013.

Morphing :-

Morphing is a technique used to replace an individual's image to another image with the intention to misuse the processed image. Usually women are affected by such activities. Offenders download their pictures from various social media platforms and then morph those images to harass or blackmail

that woman.

Such acts can be penalized under IT Act, 2000 under Sections 43 and 66. The perpetrator can also be booked under Section 509 of Indian Penal Code.

Cyber-pornography :-

"Nothing can more efficiently destroy a person, fizzle their mind, evaporate their future, eliminate their potential or destroy society like pornography" -Kamlesh Vaswani, Activist

The word 'pornography' derived from Greek words "porne and graphos". "Porne" means prostitute and "graphos" means "to write". The word "pornography" originally referred to any work of art or literature dealing with sex and sexual themes. Pornography, according to Oxford Dictionary, explicit representation of sexual activity visually or descriptively to stimulate erotic rather than aesthetic feelings, film, literature etc.

Section 67 of the IT Act 2000 provides for punishment to a person who transmits or publishes or causes to be published or transmitted any material, which is obscene in electronic form with both imprisonment and fine.

Sections 67 and 80 includes the provisions that are meant to deal with the dissemination Pornographic materials on the internet.

Along with IT Act perpetrator can be punished under various Sections of IPC- Section 290 for committing public nuisance, Section 292 for sale of obscene books/pamphlet/paper/writing/drawing/ painting.

Section 292A for printing or publishing grossly indecent or scurrilous matter or matter intended to blackmail.

Section 293 for sale/distribution/circulation to any person under the age of twenty years.

Section 294 for doing or composing/writing etc. of obscene songs.

Section 509 lays down the punishment for outraging the modesty of women.

Harassment Using E-Mail :-

E-Mail system is widely used to harass women. Blackmailing, threatening and constant sending of love letters or sexual content, e-mail spamming and e-mail spoofing commonly practiced to harass women. The criminal law contains various sections that address crimes of verbal abuse against harassment of women.

Section 354D of the Criminal Law (Amendment) Act, 2013 and Section 509 of Indian Penal Code pertains to stalking or cyber stalking.

Section 66A under IT Act, 2000 deals with sending offensive messages through communication services. Perpetrator can be punished for imprisonment up to three years or fine.

Section 66C of IT Act, 2000 defines electronic signature or other identity theft like using others' password or electronic signature etc.

Section 67 under IT Act, 2000 deals with the publishing or transmitting obscene material in electronic form.

Why Cyber-Crimes Against Women are Increasing in India :-

The main reason behind the increase in cyber-crime is the association of prosperity and honor

with women in society. Typical Indian families do not want to report any crime that happened against their female family member, as they believe that if any female gets associated with police station in any case then it will bring a bad name as well as disgrace to their family. This practice boost up or encourage the perpetrator/offender. Many times the victim considers herself guilty for the crime done with her, because of her mental conditioning; as females are considered as an inferior gender and gets conditioned accordingly. In some cases women fear that if they report the crime then they may invite bad fortune to the family. Women in India also remain in a dilemma that whether they will get support from their families and friends, if they wish to report such crimes. These are some fears which lead to failure in reporting of such crimes and the perpetrator gets encouraged to harass another women.

CONCLUSION :-

It is high time for the prevention set up for cyber-crimes. Cyber-crimes against women are taken lightly in India because of the association of dignity with women and family. The society, firstly, need to understand that such activities must be reported with the intention of permanent solution. Social advancement plays a vital role here, people need to recognize the rights of women and show respect towards women. All this can only be done if young minds will be taught gender equality along with ethics and morals. School curriculum must cover women rights and moral values.

The police personnel should be equipped with suitable knowledge, skills and communication skills to cope up with the increasing cyber scenario. We are emerging towards digitization so there should be a digital police portal where woman can report her problems online easily, instead of waiting for her brother or father to guide or accompany her to the police station. Setting up a digital police portal for cyber-crimes against women will definitely increase the cases because this step will reduce the stigma of association prosperity and pride with women. This will also eliminate the involvement of parents/guardians in such cases. The police department needs to aware women about their rights.

REFERENCES :-

1. Pattnayak, Devdutt, (2000). The Goddess in India, Rochester, Vermont: inner Traditions.
2. Bagchi, Subrata , (2014). Beyond The Private World, Delhi: Replika Press Pvt. Ltd.
3. https://cybercrime.gov.in/pdf/Cyber%20Security%20Awareness%20Booklet%20for%20Citizens.pdf
4. Qadri, S. M. Afzal (2014). Ahmad Sidique's Criminology Penology and Victimology, Lucknow: Eastern Book Company.
5. https://data.gov.in/ministrydepartment/national-crime-records-bureau-ncrb
6. https://www.thehindu.com/news/national/andhra-pradesh/cyber-crimes-against-women-on-the-rise/article32399536.ece#:~:text=Radhika%20said%20that%20NCRB%20data,lodge%20complaints%20on%20cyber%20crimes.%22
7. http://www.legalserviceindia.com/legal/article-639-cyber-crime-in-india-are-women-a-soft-target.html
8. Kataria, R.P & Sriniwas, S.K.P. (2016). Cyber Crimes Law, Practice & Procedure, Allahabad: Orient Publishing Company.
9. Tayal, Vimlendu (2011), Cyber Law Cyber Crime Internet and E-Commerce, Jaipur: Bharat Law Publications.

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
September 2021 Page No. : 51-53

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

भारत में साइबर अपराध का इतिहास

–हरिओम सिंह

प्र०अ०, UPS पेरई (कक्षा 1 से 8), नेवादा–कौशाम्बी, (उत्तर प्रदेश)

जैसा कि वर्तमान समय में 'कम्प्युटर' हम सभी के दैनिक जीवन का एक आवश्यक अंग बन गया तथा 'इंटरनेट' जो कि एक कंम्प्युटर को दूर स्थित दूसरे कम्प्यूटर से आपस में जोड़नें का कार्य करता है। जबकि कम्प्यूटर के द्वारा संवाद करते समय सूचनाओं के आदान प्रदान तथा ईमेल, आडियो, क्लिप, विडियो क्लिप के जरिये होता है जो सूचना का यह आदान प्रदान एक काल्पनिक जगह में होता है जिसे हम 'साइबर स्पेस' कहतें हैं और जब ये तीनों आपस में मिल जातें हैं तो 'सूचना प्रौद्योगिकी' का जन्म होता है और यह सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक नें कानून के क्षेत्र में जितनी मुश्किलें पैदा की हुयी हैं वह वर्तमान में अन्य किसी तकनीक नें नहीं पैदा की है वर्तमान में इन मुश्किलों से निपटनें के लिए सरकारे अलग–अलग हल ढूँढते हुए अपनें स्तर से कानून/अधिनियम बना रहीं हैं तथा न्यायालयों के द्वारा फैसले आ रहे हैं इन सारे अधिनियम या कानून को इंटरनेट कानून या साइबर कानून कहा जाता है। इस मुश्किल से निपटनें के लिए अपनें देश में सबसे पहले कानून में बदलाव तथा बौद्धिक सम्पदा अधिकार के क्षेत्र में कार्य किया गया। इस क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एक्ट 2000 बनाया गया। वर्तमान में इंटरनेट टेलीफोन और टेलीविजन इन तीनों का आपस में समन्वय होता जा रहा है इस समन्वय को देखते हुए इसका फायदा कैसे ज्यादा से ज्यादा उठाया जाए इसके लिए कम्युनिकेशन कनवर्जेन्स बिल संसद समिति के सामनें भेजा गया जिस पर समिति नें विचार किया और विचार करनें के उपरान्त समिति इस निष्कर्ष पर पहुची की इसे लागू करनें के बाद आपसी विरोधाभास को बढ़ावा मिलेगा जिस कारण यह बिल आज तक अधिनियम का रूप नहीं ले पाया लेकिन इसके कुछ प्रावधान बहुत अच्छे थे जिन्हें समिति के द्वारा स्वीकारते हुए स्वीकार कर लिया गया।

साइबर कानून का उल्लघन करनें पर मुख्य रूप से दो प्रकार से प्रावधान किये गये है। साइबर कानून का उल्लंघन करना मुख्यरूप से सूचना प्रौद्योगिकी का उल्लंघन करना है जिसे सामान्य तौर पर साइबर क्राइम कहा गया है इसके लिए दो तरीके के उपाय किये गये हैं पहला 'दिवानी उपाय' इसके अन्तर्गत यह है कि जो भी व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाता है उससे आप हर्जाना प्राप्त कर सकतें हैं। लेकिन ये मुकदमें सिविल न्यायालयों में न दर्ज होकर बल्कि एक नियुक्त अतिरिक्त न्यायिक अधिकारी के माध्यम से की जाती है तथा दूसरा 'फौजदारी अभियोग' इसके अन्तर्गत साइबर कानून के उल्लघंन करनें पर सजा का प्रावधान है इसके लिए पुलिस विभाग में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जाती है और उसके अनुरूप मुकदमा फौजदारी अदालत में चलता है। जबकि दूसरा बौद्धिक सम्पदा अधिकार है। यदि इन अपराधों को श्रेणीबद्ध करें तो इन अपराधों के दो प्रकार है।

1. कम्प्युटर अपराध :–

कम्प्यूटर अपराध जिसके अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्न चीजें शामिल होती है जैसे किसी के भी कंप्यूटर से उसकी व्यक्तिगत जानकारी निकालना जैसे उपयोगकर्ता नाम या पासवर्ड। तथा इसके अतिरिक्त किसी भी जानकारी को मिटाना ताकी उसे नुकसान हो एवं किसी भी जानकारी मे कुछ हटाना या जोड़ना एवं उस जानकारी को बदल देना तथा किसी के भी बहारी भागो को नष्ट करना, उसे तोडना या भागो की चोरी करना भी कंप्यूटर अपराध मे आता है।

2. साइबर अपराध :–

इसके अन्तर्गत निम्न प्रकार से नुकसान पहुँचता है। कभी–कभी कुछ ऐसे ईमेल आते हैं जो सिर्फ कंम्प्यूटर को ही नुकसान पहुचातें हैं इससे कम्प्यूटर में खराबी आ जाती है इस प्रकार के ईमेल को 'स्पैम ईमेल' कहते हैं तथा किसी की भी निजी जानकारी को हैक करना और उसमें फेर बदल करते हुए उसका दुरूपयोग करना 'हैकिंग' कहलाता है एवं किसी के पास स्पैस ईमेल भेजना ताकी वह अपनी निजी जानकारी दे और उसे देनें के बाद उसका नुकसान हो तो इसे 'साइबर फिशिंग' कहते हैं। इसी प्रकार से साइबर अपराधी कुछ ऐसे साफ्टवेयर आपके कम्प्यूटर पर भेजते हैं जिसमें वायरस छिपे रहते हैं जो आपके कम्प्यूटर को काफी हानि पहुंचा सकते हैं जिसे 'वायरस फैलाना' कहतें हैं। इसी प्रकार से यदि साफ्टवेयर की नकल तैयार कर सस्ते दामों में बेचतें हैं तो भी वह साइबर क्राइम के अन्तर्गत आता है जिसे 'सॉफ्टवेयर पाइरेसी' कहतें हैं इन सबके अलावा फर्जी बैंक कॉल जिसके अन्तर्गत जालसाज फर्जी ईमेल मैसेज या फोन काल करते हैं और फोनकाल करके आपका एटीएम नम्बर और पासवर्ड इत्यादि पूँछते हैं यदि आपके द्वारा यह जानकारी नहीं दी जाती तो खाता बंद करनें की धमकी दी जाती है और यदि दे दी जाती है तो जालसाज उसका दुरूपयोग करते हुए आपको नुकसान पहुँचाते हैं केवल इतना ही बल्कि यदि कोई सोशल साइटों पर यदि कोई अफवाह फैलाता है तो वह भी साइबर अपराध की श्रेणी में आता है तथा इसके अलावा फेसबुक जैसी सोशल साइट में अशोभनीय कमेंट करना इंटरनेट पर धमकियां देना किसी का इस स्तर पर मजाक करना कि वह तंग हो जाये अर्थात वह इंटरनेट के माध्यम से दूसरे के सामनें शर्मिदा हो जाये तो वह 'साइबर बुलिंग' के अन्तर्गत आता है।

इस प्रकार ये सभी प्रकार से अपराध साइबर अपराध की श्रेणी में आतें हैं। इस तरह से हम जितनी तेजी से डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहें हैं ठीक उसी के गुणात्मक अनुपात में साइबर क्राइम की संख्या भी बढ़ती जा रही है अर्थात जिस गति से तकनीकि नें उन्नति की है उतनी ही गति से हम सभी की इन्टरनेट पर निर्भरता भी बढ़ी है। एक ही जगह पर बैठकर इंटरनेट के जरिये मनुष्य विश्व के हर कोनें तक पहुँच आसान हुई है। आज के समय में वे सभी चीजे जिसे मनुष्य सोचता है सभी चीजें इन्टरनेट के माध्यम से उसके बारे में देख सकता है। इस प्रकार से हम कह सकतें हैं कि आज के समय में इंटरनेट का उपयोग लगभग सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है और इसी इंटरनेट के बढते उपभोग के साथ ही साइबर अपराधों की अवधारणा भी तेजी से विकसित हुई है।

वर्तमान में अपनें देश में बहुत ही भारी संख्या में लोग इंटरनेट का यूज करते हैं लेकिन वे यूज तो कर रहें हैं पर उसके यूज के प्रति लोंगों में जानकारी का अभाव है इसके साथ ही अधिकतर सोशल नेटवर्किंग साइट्स के सर्वर विदेश में भी है जिससे अपनें देश में साइबर अपराध घटित होनें की स्थिति में इनकी जड़ तक

पहुँच पाना कठिन होता है। अपनें देश में इसके लिए आईपीसी (भारतीय दण्ड संहिता) में साइबर अपराध हेतु विभिन्न प्रावधान भी किये गये हैं जैसे यदि कोई ईमेल के माध्यम से धमकी भरे संदेश देता है तो वह 'IPC की धारा 503' के तहत अभियोग दर्ज होगा तथा फर्जी इलेक्ट्रानिक रिकार्ड का उपयोग करनें पर धारा 463, फर्जी बेवसाइट हेतु धारा 420, ईमेल का गलत उपयोग धारा 500 इत्यादि अन्य विभिन्न आईपीसी की धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कराये जानें का प्राविधान किया गया है।

यदि देखा जाए तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 में 2011 से 2014 के बीच दर्ज हुए साइबर क्राइम के बहुत ज्यादा मामले सामनें आये हैं। भारत में तो लगभग 350 प्रतिशत तक बढौतरी हुई है जिसका एक मात्र कारण बढ़ रहे इंटरनेट और स्मार्टफोन के इस्तेमाल के कारण है। इस प्रकार ये साइबर हमले किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं बल्कि बिजनेस मैन एवं सरकारी संस्थाओं को भी अपना निशाना बना रहे हैं। इस समय साइबर अपराध करनें वाले लोगों का प्रोफाइल और मोटीवेशन भी बदल रहा है अर्थात तकनीक का सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है। जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उसी पर निर्भर होते जा रहे हैं जिसके फायदे कम मिल रहे हैं बल्कि नुकसान ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इस क्षेत्र में राष्ट्रीय क्रिटिकल सूचना अवसंरचना संरक्षण केन्द्र को राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन एक नोडल एजेन्सी के रूप में तैयार कर रही है जो खासतौर पर ऊर्जा, बैंकिग, आईसीटी, परिवहन, और ई गवर्नेंस जैसे उद्यमों पर अपना नियंत्रण रखेगा। इस प्रकार साइबर अपराधों के बढ़ते हुए वैविध्य तथा गहनता को देखते हुए सभी राष्ट्रों को मिलकर इस समस्या के समाधान की ओर अग्रसर होना चाहिए क्योकि वैश्वीकरण सूचना एवं संचार तकनीकी के युग में सभी राष्ट्रों के समन्वित प्रयासों से ही इस समस्या का समुचित समाधान निकाला जा सकता है इस दिशा Ee 2004 में बुडापेस्ट सम्मेलन में मुख्य रूप से साइबर अपराधों को रोकनें पर चर्चा हुई जिसके माध्यम से सुरक्षा उपलब्ध कराए जानें हेतु एक सामान्य नीति का निर्माण करना था इसमें कुछ विशेष शक्तियों और प्रकियाओं का उल्लेख किया गया था जिसमें हानिकारक कम्प्यूटर नेटवर्क की खोज तथा उस पर रोक लगाना शामिल है। इस प्रकार डिजिटल होती दुनिया में साइबर अपराध एक गंभीर एवं जटिल समस्या है जिसके तहत हैंकरो द्वारा प्रायः उन्हीं कम्प्यूटर नेटवर्कों में सेंध लगायी जाती है जिनका सुरक्षा नेटवर्क बहुत कमजोर है।

अतः तकनीकि रूप से उन्नत करते हुए सुदृढ़ नेटवर्क का निर्माण करना हमारी प्राथमिक आवश्यकता होनी चाहिए इसके लिए आईटी तकनीकों बायोमैट्रिक तकनीक प्रणाली इत्यादि का उपयोग करके साइबर अपराधों को कम किया जा सकता है। इस प्रकार आज जब हम पांचवी पीढ़ी में प्रवेश कर रहें हैं यदि ऐसे समय में हम यदि साइबर हमलों की चुनौतियों को पार कर इंटरनेट को सुरक्षित और भरोसेमंद बनानें में सफल साबित हुए तो अवश्य ही सूचना की यह क्रांन्ति हमारे लिये वरदान स्वरूप सिद्ध होगी। वर्तमान समय में हमारे देश में नेशनल साइबर सिक्योरिटी रेगुलेटर (NCSC) तथा इंडिया कंम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने बेहतर प्रयास किया है तथा इस दिशा में केन्द्र सरकार द्वारा साइबर क्राइम (जीओवी) इन नाम से पोर्टल जारी किया गया है इससे कोई भी व्यक्ति अपनें नाम से या नाम छिपाकर शिकायत दर्ज कर सकता है तथा केवल इतना ही नहीं बल्कि Cyberdost के नाम से ट्विटर हैंडल शुरू किया गया है जिस पर साइबर क्राइम को रोकनें हेतु आवश्यक सुझाव दिये जातें हैं।

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
September 2021 Page No. : 54-59

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

साइबर अपराधों के बारे में जाकरूकता

–राजू गजभिये

(लेखक एवं मार्गदर्शन), दर्शना मार्गदर्शन केंद्र,
हिंदी साहित्य सम्मेलन बदनावर, बदनावर जिला धार–454660 (मध्यप्रदेश)

आज का युग सुचना क्रान्ति एवं विज्ञान युग है। रोज नये–नये शोध विकसित हो रहे है। कम्प्यूटर में अनेक बदलाव आकर सुपर कम्प्यूटर तक पहुंच गये। जैसै–जैसे विकास हुआ साइबर अपराध का जन्म हुआ। अभी उससे सुरक्षित रहने हेतु बहुत जागरूक होंना बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसै आज भंयकर संक्रमण कोरोना महामारी बचने हेतु जागरूक रह रहे है। तब भी हम छुटपुट संक्रमण से मृत्यु को प्राप्त हो रहे है। कभी ऑक्सीजन नही मिल रही, कभी दिशा निर्देश की कमी से एवं विसंगतियों से गंभीर परिणाम आ रहे हैं।

वैसे ही साइबर का मायाजाल बहुत व्यापक हैं। उसके रोकथाम के लिए प्रथम जागरूकता की आवश्यकता हैं। जैसै हम आज मास्क व पल–पल सैनैटाईज कर रहें हैं।

हम जितनी तेज़ी से डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक उतनी ही तेज़ी से साइबर अपराध की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। जिस गति से तकनीक ने उन्नति की है, उसी गति से मनुष्य की इंटरनेट पर निर्भरता भी बढ़ी है। एक ही जगह पर बैठकर इंटरनेट के ज़रिये मनुष्य की पहुँच, विश्व के हर कोने तक आसान हुई है। आज के समय में हर वो चीज़ जिसके विषय में इंसान सोच सकता है, उस तक उसकी पहुँच इंटरनेट के माध्यम से हो सकती है, जैसे कि सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन शॉपिंग, डेटा स्टोर करना, गेमिंग, ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन जॉब इत्यादि। आज के समय में इंटरनेट का उपयोग लगभग हर क्षेत्र में किया जाता है। इंटरनेट के विकास और इसके संबंधित लाभों के साथ साइबर अपराधों की अवधारणा भी विकसित हुई है। हमें सबसे प्रथम CYBER (इंटरनेट) का व्यापक अर्थ भी समझना हैं।

Cyber War	साइबर युद्ध
Cyber bull.	साइबर इंटरनेट का दुरुपयोग
Cyber Crime	कम्प्यूटर के माध्यम से गैर कानूनी कार्य करना।
Cyber Cafe	साइबर इटरनेट चलाने की दुकान
Cyber Bully	साइबर बुली
Cyber Attack	साइबर हमला / हमले
Cyber Crime	साइबर अपराध
Cyber Bulling	कम्प्यूटर मोबाइल ईमेल आदि से कसी को प्रताड़ित करना।
Cybersquatter	इटरनेट पर बीमारी के लक्षण पड़ के युद्ध को उस बीमारी

Cyberchonriac.	का शिकार समझ लेना
Cybertronians	साइबर अपराधी

किसी भी कंप्यूटर का अपराधिक स्थान पर मिलना या कंप्यूटर से कोई अपराध करना कंप्यूटर अपराध कहलाता है। कंप्यूटर अपराध मे नेटवर्क शामिल नही होता है। किसी कि नीजी जानकारी को प्राप्त करना और उसका गलत इस्तमाल करना। किसी की भी निजी जानकारी कंप्यूटर से निकाल लेना या चोरी कर लेना भी साइबर अपराध है।

साइबर अपराध के प्रकार :–

Hacking- इस प्रकार के Crime में hackers अक्सर restricted area में घुसकर दूसरों के personal और sensitive information को access करते हैं उनके बिना अनुमति के ही. ...

Theft	-	---
Cyber Stalking	-	---
Identity Theft	-	---
Malicious Software	-	---
Child Ponography और Abuse	-	---

साइबर क्राइम को रोकने के उपाय :–

सरकार ने 2000 में आईटी एक्ट बनाया और 2008 में इसे संशोधित भी किया लेकिन इसके बावजूद साइबर क्राइम को रोकना मुश्किल हो रहा है। दुनिया का सबसे मजूबत कंप्यूटर नेटवर्क भी हैकरों से सुरक्षित नहीं है। देश में साइबर क्राइम से निपटने के लिए आईटी एक्ट बनाया गया है, जिसमें वेबसाइट ब्लॉक करने तक के प्रावधान हैं।

इसके तहत आमजन cybercrime.gov.पद पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं या हेल्पलाइन 155260 पर कॉल कर सकते हैं। पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के लिए यूजर आइडी क्रिएट करनी होगी।

वर्तमान में भारत की बड़ी आबादी सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग करती है। भारत में सोशल नेटवर्किंग साइट्स के उपयोग के प्रति लोगों में जानकारी का अभाव है। इसके साथ ही अधिकतर सोशल नेटवर्किंग साइट्स के सर्वर विदेश में हैं, जिससे भारत में साइबर अपराध घटित होने की स्थिति में इनकी जड़ तक पहुँच पाना कठिन होता है।

हमें साइबर अपराध, उसके प्रकार, बचाव के उपाय और सरकार के द्वारा किये गए प्रावधानों पर विमर्श मिलकर करना है। इसके साथ ही साइबर अपराध में सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका का भी मूल्यांकन करना हैं।

साइबर अपराध क्या है?

साइबर अपराध विभिन्न रूपों में किये जाते हैं। कुछ साल पहले, इंटरनेट के माध्यम से होने वाले अपराधों के बारे में जागरूकता का अभाव था। साइबर अपराधों के मामलों में भारत भी उन देशों से पीछे नहीं है, जहाँ साइबर अपराधों की घटनाओं की दर भी दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। साइबर अपराध के मामलों में एक साइबर अपराधी, किसी उपकरण का उपयोग, उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी, गोपनीय व्यावसायिक

जानकारी, सरकारी जानकारी या किसी डिवाइस को अक्षम करने के लिये कर सकता है। उपरोक्त सूचनाओं को ऑनलाइन बेचना या खरीदना भी एक साइबर अपराध है।

इसमें कोई संशय नहीं है कि यह एक आपराधिक गतिविधि है, जिसे कंप्यूटर और इंटरनेट के उपयोग द्वारा अंजाम दिया जाता है। साइबर अपराध, जिसे श्इलेक्ट्रॉनिक अपराधश के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी भी अपराध को करने के लिये कंप्यूटर, नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क का उपयोग, एक वस्तु या उपकरण के रूप में किया जाता है। जहाँ इनके (कंप्यूटर, नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क) ज़रिये ऐसे अपराधों को अंजाम दिया जाता है वहीं इन्हें लक्ष्य बनाते हुए इनके विरुद्ध अपराध भी किया जाता है।

ऐसे अपराध में साइबर जबरन वसूली, पहचान की चोरी, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, कंप्यूटर से व्यक्तिगत डेटा हैक करना, फ़िशिंग, अवैध डाउनलोडिंग, साइबर स्टॉकिंग, वायरस प्रसार, सहित कई प्रकार की गतिविधियाँ शामिल हैं। ग़ौरतलब है कि सॉफ्टवेयर चोरी भी साइबर अपराध का ही एक रूप है, जिसमें यह जरूरी नहीं है कि साइबर अपराधी, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही अपराध करे।

साइबर अपराध का वर्गीकरण :-

साइबर विशेषज्ञों के अनुसार, अपराध की श्रेणी को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :-

– वे अपराध जिनमें कंप्यूटर पर हमला किया जाता है। इस तरह के अपराधों के उदाहरण हैकिंग, वायरस हमले आदि हैं।

– वे अपराध जिनमे कंप्यूटर को एक हथियार/उपकरण/के रूप में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के अपराधों में साइबर आतंकवाद, आईपीआर उल्लंघन, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, पोर्नोग्राफी आदि।

साइबर अपराध की श्रेणियाँ :-

साइबर अपराध के अंतर्गत 3 प्रमुख श्रेणियाँ आती हैं जिसमें व्यक्ति विशेष, संपत्ति और सरकार के विरुद्ध अपराध शामिल हैं।

व्यक्ति विशेष के विरूद्ध साइबर अपराध :-

ऐसे अपराध, यद्यपि ऑनलाइन होते हैं, परंतु वे वास्तविक लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ अपराधों में साइबर उत्पीड़न और साइबर स्टॉकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का वितरण, विभिन्न प्रकार के स्पूफिंग, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, मानव तस्करी, पहचान की चोरी और ऑनलाइन बदनाम किया जाना शामिल हैं। साइबर अपराध की इस श्रेणी में किसी व्यक्ति या समूह के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण या अवैध जानकारी को ऑनलाइन लीक कर दिया जाता है।

संपत्ति विशेष के विरूद्ध साइबर अपराध :-

कुछ ऑनलाइन अपराध संपत्ति के खिलाफ होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर या सर्वर के खिलाफ या उसे ज़रिया बनाकर किये जाते हैं। इन अपराधों में हैकिंग, वायरस ट्रांसमिशन, साइबर और टाइपो स्क्वाटिंग, कॉपीराइट उल्लंघन, आईपीआर उल्लंघन आदि शामिल हैं। उदाहरण–कोई आपको एक वेब–लिंक भेजे, जिस पर क्लिक करने के पश्चात एक वेब पेज खुले जहाँ आपसे आपके बैंक खाते/गोपनीय दस्तावेज़ संबंधित सारी जानकारी मांगी जाए और ऐसा कहा जाए कि यह जानकारी रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया या सरकार की ओर से मांगी जा रही है, आप वहाँ सारी जानकारी दे दें और फिर उस जानकारी के इस्तेमाल से आपके दस्तावेज़ एवं बैंक खाते के

साथ छेड़छाड़ की जाए, तो यह संपत्ति के विरूद्ध साइबर हमला कहा जायेगा।

सरकार विशेष के विरुद्ध साइबर अपराधरू यह सबसे गंभीर साइबर अपराध माना जाता है। सरकार के खिलाफ किये गए ऐसे अपराध को साइबर आतंकवाद के रूप में भी जाना जाता है। सरकारी साइबर अपराध में सरकारी वेबसाइट या सैन्य वेबसाइट को हैक किया जाना शामिल हैं। ग़ौरतलब है कि जब सरकार के खिलाफ एक साइबर अपराध किया जाता है, तो इसे उस राष्ट्र की संप्रभुता पर हमला और युद्ध की कार्रवाई माना जाता है। ये अपराधी आमतौर पर आतंकवादी या अन्य शत्रु देशों की सरकारें होती हैं। इस प्रकार के साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिये प्रत्येक देश की सरकार द्वारा कठोर साइबर कानून बनाए गए हैं।

सोशल मीडिया की भूमिका :-

बड़े पैमाने पर सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग करने वाली जनसंख्या साइबर अपराध के खतरों से अनजान है। विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइट्स के सर्वर अन्य देशों में केंद्रित हैं, जिससे यह डर रहता है कि कहीं ये देश लोगों की व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग न करें।

विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लोग अपनी व्यक्तिगत जानकारियाँ साझा करते हैं, जिससे हैकर्स इन सोशल नेटवर्किंग एकाउंट्स को आसानी से हैक कर लेते हैं और फिर प्राप्त सूचना का दुरुपयोग करते हैं। लोगों को सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हैकर्स ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाते हैं।

सुरक्षा एजेंसियों द्वारा यह भी पता लगाया गया है कि ऑनलाइन मुद्रा स्थानांतरित करने वाले विभिन्न एप के माध्यम से आतंकवादियों और देशविरोधी तत्वों को फंडिंग की जाती है।

साइबर अपराधी विभिन्न ऑनलाइन गेम्स के माध्यम से बच्चों को अपराध करने के लिये प्रोत्साहित करते हैं।

साइबर अपराधों से निपटने की दिशा में सरकार के प्रयास भारत में 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000' पारित किया गया जिसके प्रावधानों के साथ–साथ भारतीय दंड संहिता के प्रावधान सम्मिलित रूप से साइबर अपराधों से निपटने के लिये पर्याप्त हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धाराएँ 43, 43ए, 66, 66बी, 66सी, 66डी, 66ई, 66एफ, 67, 67ए, 67बी, 70, 72, 72ए और 74 हैकिंग और साइबर अपराधों से संबंधित हैं। सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013' जारी की गई जिसके तहत सरकार ने अति–संवेदनशील सूचनाओं के संरक्षण के लिये 'राष्ट्रीय अतिसंवेदनशील सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (National Critical Information Infrastructure protection centre-NCIIPC) का गठन किया। इसके अंतर्गत 2 वर्ष से लेकर उम्रकैद तथा दंड अथवा जुर्माने का भी प्रावधान है।

विभिन्न स्तरों पर सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकसित करने के उद्देश्य से सरकार ने 'सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता' (Information Security Education and Awareness: ISEA) परियोजना प्रारंभ की है।

सरकार द्वारा 'कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In)' की स्थापना की गई जो कंप्यूटर सुरक्षा के लिये राष्ट्रीय स्तर की मॉडल एजेंसी है।

देश में साइबर अपराधों से समन्वित और प्रभावी तरीके से निपटने के लिए 'साइबर स्वच्छता केंद्र' भी स्थापित किया गया है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology-MeitY) के तहत भारत सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम का एक हिस्सा है।

भारत सूचना साझा करने और साइबर सुरक्षा के संदर्भ में सर्वोत्तम कार्य प्रणाली अपनाने के लिये अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों के साथ समन्वय कर रहा है।

अंतर–एजेंसी समन्वय के लिये 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (Indian Cyber Crime Co-ordination Centre-I4C) की स्थापना की गई है।

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र :-

जनवरी 2020 में गृह मंत्रालय द्वारा साइबर क्राइम से निपटने के लिये 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (Indian Cyber Crime Coordination Centre-I4C) का उद्घाटन किया गया है।

इस योजना को संपूर्ण भारत में लागू किया गया है। साइबर क्राइम से बेहतर तरीके से निपटने के लिये तथा I4C को समन्वित और प्रभावी तरीके से लागू करने हेतु इस योजना के निम्नलिखित सात प्रमुख घटक है–

– नेशनल साइबरक्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट (National Cybercrime Threat Analytics Unit)
– नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (National Cyber Crime Reporting Portal)
– संयुक्त साइबर अपराध जाँच दल के लिये मंच (Platform for Joint Cyber Crime Investigation Team)
– राष्ट्रीय साइबर अपराध फोरेंसिक प्रयोगशाला पारिस्थितिकी तंत्र (National Cyber Crime Forensic Laboratory Ecosystem)
– राष्ट्रीय साइबर क्राइम प्रशिक्षण केंद्र (National Cyber Crime Training Centre)
– साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट (Cyber Crime Ecosystem Management Unit)
– राष्ट्रीय साइबर अनुसंधान और नवाचार केंद्र (National Cyber Research and Innovation Centre)

बुडापेस्ट कन्वेंशन क्या है?

साइबर अपराध के संबंध में बुडापेस्ट कन्वेंशन (Budapest Convention on cyber crime) पर हस्ताक्षर करने के लिये गृह मंत्रालय द्वारा साइबर अपराध और डेटा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है।

बुडापेस्ट कन्वेंशन साइबर क्राइम पर एक कन्वेंशन है, जिसे साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है।

यह अपनी तरह की पहली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय कानूनों को सुव्यवस्थित करके, जाँच–पड़ताल की तकनीकों में सुधार करके तथा इस संबंध में विश्व के अन्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने हेतु इंटरनेट और कंप्यूटर अपराधों पर रोक लगाने संबंधी मांग की गई है।

कन्वेंशन का अनुच्छेद 32ठ डेटा तक पहुँच की अनुमति देता है और इस प्रकार यह राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करता है, इसलिये भारत ने अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं।

निष्कर्ष :-

भारत इंटरनेट का तीसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है और हाल के वर्षों में साइबर अपराध कई गुना बढ़ गए हैं। साइबर सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिये सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। कैशलेस अर्थव्यवस्था को अपनाने की दिशा में बढ़ने के कारण भारत में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। डिजिटल भारत कार्यक्रम की सफलता काफी हद तक साइबर सुरक्षा पर निर्भर करेगी अतः भारत को इस क्षेत्र

में तीव्र गति से कार्य करना होगा। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को नया आयाम दिया है, आज प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी डर के सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार रख सकता है और उसे हज़ारों लोगों तक पहुँचा सकता है, परंतु सोशल मीडिया का सावधानीपूर्वक उपयोग ही हमें ऑनलाइन ठगी तथा साइबर अपराध के गंभीर खतरों से बचा सकता है।

कानून : आईटी कानून 2000 की धारा 77 बी, आईटी (संशोधन) कानून 2008 की धारा 66 डी, आईपीसी की धारा 417, 419, 420 और 465। ... ऐसी सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से प्रकाशित करने, किसी को भेजने या किसी और के जरिए प्रकाशित करवाने या भिजवाने पर पोर्नोग्राफी निरोधक कानून लागू होता है।

आइटी (संशोधन) एक्ट, 2008 की धारा 43(ए), धारा 66, आइपीसी की धारा 379 और 406 के तहत अपराध साबित होने पर तीन साल तक की जेल या पांच लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। किसी व्यक्ति, संस्थान या संगठन आदि के किसी सिस्टम से निजी या गोपनीय डाटा या सूचनाओं की चोरी करना भी साइबर क्राइम है।

फायरवॉल वह सिस्टम है जो कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क पर हमले से रक्षा करता है और नेटवर्क ट्रैफिक को बाधित करके बाद के घुसपैठ को रोकता है जो इससे होकर गुजर सकता है; यह सिस्टम प्रशासक परिभाषित नियमों के एक सेट पर आधारित है।

'साइबर बुलिंग', यानि गंदी भाषा, तस्वीरों या धमकियों से इंटरनेट पर तंग करनारू आम होती जा रही इस समस्या से निपटने के तरीके जानने के लिए बीबीसी हिन्दी ने साइबर एक्सपर्ट्स के साथ फेसबुक चौट किया।

साइबर बुलिंग एक तरह से ऑनलाइन रैगिंग है। यह इंटरनेट के माध्यम से होने वाला शोषण है। इसमें किसी को धमकी देना, उसके खिलाफ अफवाह फैलाना, भद्दे कमेंट व घृणास्पद बयानबाजी करना, अश्लील भाषा, फोटो का गलत इस्तेमाल आदि काम किया जाते हैं। ऑनलाइन गेम के जाल में फंसा कर रुपये ऐंठना भी बुलिंग नया प्रचलित तरीका है।

साइबर क्राइम को रोकने और 'राष्ट्र हित' में सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए स्वयंसेवक या वॉलंटियर्स तैयार किए जाएंगे।

सरकार ने विस्तार से इसकी ज़रूरत के बारे में बताया है लेकिन साइबर क़ानून और निजता के अधिकारों के क्षेत्र में काम कर रहे कार्यकर्ताओं ने इस पर गहरी चिंता और आशंकाएँ जताई हैं।

सरकार का कहना है कि अभी यह प्रोग्राम परीक्षण के तौर पर जम्मू–कश्मीर में शुरू किया गया है, वहाँ मिलने वाली रिपोर्ट के बाद उसके आधार पर ही इस प्रोग्राम पर आगे काम किया जाएगा।

संदर्भ :–

1. समृति पर आधारित।
2. गूगल से सहायक सर्च से।
3. दैनिक भास्कर पेपर्स से।

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
September 2021 Page No. : 60-64

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

साइबर अपराध : एक वैश्विक अवलोकन

–मुकेश चौहान

एम. फिल शोधार्थी, हिंदी विभाग, गौहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी, कामरूप, (असम)

प्रस्तावना :–

आज का युग विज्ञान का युग है। वैज्ञानिक उपलब्धियों ने मनुष्य के जीवन को एक नई दिशा प्रदान की है। विज्ञान के प्रयोग से अनेक असंभव लगने वाली कार्य को भी उसने संभव कर दिखाया है। इंटरनेट की खोज मनुष्य के लिए असाधारण सफलता है। जिसने उसकी कल्पनाओं की उड़ान को मानव पंख प्रदान कर दिए हैं। इंटरनेट शब्द को आज सभी लोग जानते हैं अगर सही अर्थों में देखा जाए तो आज इंटरनेट हम सभी के लिए जीने की वजह बन चुका है। अर्थात यह हमारे आज के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है। आज के समय में इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय नेटवर्क बन चुका है। इंटरनेट को आधुनिक और तकनीकी विज्ञान का आविष्कार भी माना जाता है। दुनिया भर के सभी नेटवर्क इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। अतः इसे हम नेटवर्कों का नेटवर्क भी कह सकते हैं।

असल में इंटरनेट का प्रयोग आज पूरे विश्व में एक साइबर अपराध के रूप में फैल रहा है। अर्थात आज लगभग हर क्षेत्र में यह अपना पैर पसार चुका है। चाहे वह शिक्षा व्यवस्था हो, वाणिज्य व्यापार, कृषि व्यवस्था, अनुसंधान केंद्र आदि कई क्षेत्रों में साइबर अपराध की घटनाएं दृष्टव्य है। हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में इंटरनेट के बिना आधुनिक जीवन शैली की कल्पना करना सर्वथा उचित नहीं। अगर सीधे शब्दों में कहे तो दुनिया के लगभग सभी कंप्यूटरों के साथ साइबर से जुड़ी घटनाएं देखने को मिलती है। इंटरनेट आजादी का पर्याय है। इसलिए इसके ऊपर मौजूद संसाधनों तक पहुंच पाना आसान है। इसी सुलभता के चक्कर में साइबर खतरों का खतरा आज पूरे विश्व में मंडरा रहा है। आज लोगों को अपनी प्राइवेसी सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। लोगों का निजी डाटा चुरा कर बेचा जा रहा है, जिससे बचना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से जानकारी चुराकर सेकंडो में हजारों बैंक अकाउंट को भी खाली कर सकते हैं।

आज हम टैक्नोलॉजी के उस युग में पहुंच गए हैं, जहां हर दिन नए–नए अविष्कार किए जा रहे हैं। जिससे एक तरफ हमारी जिंदगी सहज बन गई है वहीं दूसरी ओर इसके बहुत ही दुष्परिणाम भी उभर कर सामने आए हैं। इन्हीं सारे दुष्परिणामों का परिणाम है– साइबर अपराध। जो आज एक वैश्विक परिवेश में पूरे मानव जाति को अपने आगोश में ले रही है। आज के इस आधुनिक तकनीकी युग में लोग अपना जीवन सहज एवं सरल बनाने के लिए इंटरनेट के साथ–साथ मोबाइल कंप्यूटर जैसे कई उपकरणों का उपयोग कर सामाजिक नेटवर्किंग, ऑनलाइन खरीदारी, आदान–प्रदान, ऑनलाइन पढ़ाई, गेम खेलने, ऑनलाइन शॉपिंग करने, नौकरियां

आदि से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। इन सुविधाओं के बीच आज पूरा विश्व भर में इंटरनेट के माध्यम से लोग घर बैठे किसी के व्यक्तिगत जानकारियों की चोरी कर रहे हैं, जिसके बदौलत साइबर अपराध की घटना बढ़ रही है।

साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें एक कंप्यूटर और एक नेटवर्क शामिल होता है। जिसके माध्यम से इस अपराध को अंजाम तक पहुंचाया जाता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि यह साइबर क्राइम क्या है और साइबर क्राइम किस तरह से किसी के जीवन में समस्याएं उत्पन्न करती है। अगर सरल शब्दों में कहें तो साइबर अपराध कंप्यूटर की मदद से अंजाम दिया जाने वाला अपराध है। किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक डाटा को सार्वजनिक करना, किसी के डिजिटल लेख पुस्तक आदि को कॉपी करना, किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा को चुराना आदि साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो साइबर अपराध करने वाले 41 प्रतिशत अपराधी 30 से 45 वर्ष आयु के हैं। जिसमे ऑनलाइन ठगी के शिकार के मामलों में भारत एशिया में पहले स्थान पर है। इसके साथ ही और भी कई देशों में इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। असल में इसमें हैकर किसी वेबसाइट का नकली होम पेज बना लेता है जिसके बाद जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी आईडी तथा पासवर्ड उस नकली पेज पर डालता है तो वह डांटा कर्ज के पास पहुंच जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि हैकर आपके फेसबुक अकाउंट को हैक करना चाहता है तो वह इसके लिए फेसबुक का होम पेज जैसा नकली पेज तैयार करेगा जिसके बाद उस होम पेज का लिंक आपके पास भेजेगा तथा जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो जो पेज खुलेगा वह फिक्सिंग पेज होगा और जैसे ही आप उसमें डाटा भरेंगे वह है कर के पास चला जाएगा।

आजकल सोशल मीडिया के बढ़ते क्रेज के कारण ब्लैकमेलर को शय मिल रही है। फेसबुक, टिक–टॉक, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से महिलाओं से दोस्ती करते हैं, दोस्ती इतना करीब पहुंच जाती है कि महिलाएं अपना आपत्तिजनक वीडियो भी शेयर करती हैं जिसका फायदा उठाकर वह निजी जरूरतों की पूर्ति हेतु उस डाटा का गलत प्रयोग करने लिए इस्तेमाल करते हैं। हम जितनी तेज़ी से डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक उतनी ही तेज़ी से साइबर अपराध की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। जिस गति से तकनीक ने उन्नति की है, उसी गति से मनुष्य की इंटरनेट पर निर्भरता भी बढ़ी है। एक ही जगह पर बैठकर इंटरनेट के ज़रिये मनुष्य की पहुँच, विश्व के हर कोने तक आसान हुई है। आज के समय में हर वो चीज़ जिसके विषय में इंसान सोच सकता है, उस तक उसकी पहुँच इंटरनेट के माध्यम से हो सकती है, जैसे कि सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन शॉपिंग, डेटा स्टोर करना, गेमिंग, ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन जॉब इत्यादि। आज के समय में इंटरनेट का उपयोग लगभग हर क्षेत्र में किया जाता है। इंटरनेट के विकास और इसके संबंधित लाभों के साथ साइबर अपराधों की अवधारणा भी विकसित हुई है। वर्तमान में भारत की बड़ी आबादी सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग करती है।

भारत में सोशल नेटवर्किंग साइट्स के उपयोग के प्रति लोगों में जानकारी का अभाव है। इसके साथ ही अधिकतर सोशल नेटवर्किंग साइट्स के सर्वर विदेश में हैं, जिससे भारत में साइबर अपराध घटित होने की स्थिति में इनकी जड़ तक पहुँच पाना कठिन होता है। साइबर अपराध विभिन्न रूपों में किये जाते हैं। कुछ साल पहले, इंटरनेट के माध्यम से होने वाले अपराधों के बारे में जागरूकता का अभाव था। साइबर अपराधों के मामलों में भारत भी उन देशों से पीछे नहीं है, जहाँ साइबर अपराधों की घटनाओं की दर भी दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। साइबर अपराध के मामलों में एक साइबर अपराधी, किसी उपकरण का उपयोग, उपयोगकर्ता की

व्यक्तिगत जानकारी, गोपनीय व्यावसायिक जानकारी, सरकारी जानकारी या किसी डिवाइस को अक्षम करने के लिये कर सकता है। उपरोक्त सूचनाओं को ऑनलाइन बेचना या खरीदना भी एक साइबर अपराध है।

इसमें कोई संशय नहीं है कि यह एक आपराधिक गतिविधि है, जिसे कंप्यूटर और इंटरनेट के उपयोग द्वारा अंजाम दिया जाता है। साइबर अपराध, जिसे 'इलेक्ट्रॉनिक अपराध' के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी भी अपराध को करने के लिये कंप्यूटर, नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क का उपयोग, एक वस्तु या उपकरण के रूप में किया जाता है। जहाँ इनके (कंप्यूटर, नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क) ज़रिये ऐसे अपराधों को अंजाम दिया जाता है वहीं इन्हें लक्ष्य बनाते हुए इनके विरुद्ध अपराध भी किया जाता है।

व्यक्ति विशेष के विरूद्ध साइबर अपराध :–

ऐसे अपराध, यद्यपि ऑनलाइन होते हैं, परंतु वे वास्तविक लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ अपराधों में साइबर उत्पीड़न और साइबर स्टॉकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का वितरण, विभिन्न प्रकार के स्पूफिंग, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, मानव तस्करी, पहचान की चोरी और ऑनलाइन बदनाम किया जाना शामिल हैं। साइबर अपराध की इस श्रेणी में किसी व्यक्ति या समूह के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण या अवैध जानकारी को ऑनलाइन लीक कर दिया जाता है।

सरकार विशेष के विरूद्ध साइबर अपराध :–

यह सबसे गंभीर साइबर अपराध माना जाता है। सरकार के खिलाफ किये गए ऐसे अपराध को साइबर आतंकवाद के रूप में भी जाना जाता है। सरकारी साइबर अपराध में सरकारी वेबसाइट या सैन्य वेबसाइट को हैक किया जाना शामिल हैं। ग़ौरतलब है कि जब सरकार के खिलाफ एक साइबर अपराध किया जाता है, तो इसे उस राष्ट्र की संप्रभुता पर हमला और युद्ध की कार्रवाई माना जाता है। ये अपराधी आमतौर पर आतंकवादी या अन्य शत्रु देशों की सरकारें होती हैं। इस प्रकार के साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिये प्रत्येक देश की सरकार द्वारा कठोर साइबर कानून बनाए गए हैं।

संपत्ति विशेष के विरूद्ध साइबर अपराध :–

कुछ ऑनलाइन अपराध संपत्ति के खिलाफ होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर या सर्वर के खिलाफ या उसे ज़रिया बनाकर किये जाते हैं। इन अपराधों में हैकिंग, वायरस ट्रांसमिशन, साइबर और टाइपो स्क्वाटिंग, कॉपीराइट उल्लंघन, आईपीआर उल्लंघन आदि शामिल हैं। उदाहरण– कोई आपको एक वेब–लिंक भेजे, जिस पर क्लिक करने के पश्चात एक वेब पेज खुले जहाँ आपसे आपके बैंक खाते/गोपनीय दस्तावेज़ संबंधित सारी जानकारी मांगी जाए और ऐसा कहा जाए कि यह जानकारी रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया या सरकार की ओर से मांगी जा रही है, आप वहाँ सारी जानकारी दे दें और फिर उस जानकारी के इस्तेमाल से आपके दस्तावेज़ एवं बैंक खाते के साथ छेड़–छाड़ की जाए, तो यह संपत्ति के विरूद्ध साइबर हमला कहा जायेगा।

वर्तमान विश्व क्या सच में ऐसी स्थिति में पहुँच गया है जहाँ कुछ भी छुपा हुआ नहीं है? अगर गौर से देखा जाए तो हाँ, बहुत हद तक आज यह स्थिति आ गयी है। इंटरनेट ने समूचे विश्व की सीमाओं को लांघकर ज्ञान, सूचना और संपर्क संबंधी क्रांति को सभी व्यक्तियों तक उपलब्ध कराया है। गौरतलब है कि ज्ञान और अभिव्यक्ति के विस्तार से सुविधाओं में भी विस्तार हुआ है लेकिन विकृत मानसिकताओं के चलते इस व्यवस्था के दुरूपयोग संबंधी मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। वर्तमान में, प्रायः अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी सम्मेलनों में

साइबर क्राइम चर्चा का विषय बन चुका है। अतः वर्तमान डिजिटल एवं सूचना–संचार तकनीकी के युग में, जबकि इंटरनेट का अत्यधिक प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इन परिस्थितियों में एक बेहतर 'साइबर सुरक्षा' की आवश्यकता है। साइबर सुरक्षा का तात्पर्य साइबर स्पेस की हमले, क्षति, दुरूपयोग आदि आर्थिक जासूसी से सुरक्षित करना है। साइबर अपराधों के बढ़ते हुए वैविध्य तथा गहनता को देखते हुए सभी राष्ट्रों को मिल जुलकर इस समस्या के समाधान की ओर अग्रसर होने का प्रयास करना चाहिये, क्योंकि वैश्विकरण सूचना एवं संचार तकनीकी के युग में सभी राष्ट्रों के समन्वित प्रयासों से ही इस समस्या का समुचित समाधान निकाला जा सकता है। इसी दिशा में 2004 में 'बुडापेस्ट' से अवांछित साइबर गतिविधियों पर रोक के लिये एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य साइबर अपराध से समाज को सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने के लिये एक सामान्य नीति बनाना था। इसमें कुछ विशेष शक्तियों और प्रक्रियाओं का उल्लेख है, जिनमें हानिकारक कंप्यूटर नेटवर्क की खोज तथा उन पर रोक शामिल है। भारत में भी साइबर हमलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए समय–समय पर इस दिशा में प्रयास किये गए हैं, जैसे– सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम–2008 भारत की नई साइबर नीति–2013, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा साइबर सुरक्षा के लिये एक संस्थान 'सर्ट इन' इत्यादि का प्रावधान किया गया है।

इस प्रकार साइबर अपराध के अंतर्गत ऐसे गैर–कानूनी कार्यों को सम्मिलित किया जाता है, जिनसे कंप्यूटर प्रणाली को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके अन्य कंप्यूटरों को निशाना बनाया जाता है। वर्तमान में साइबर अपराध के जरिये सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से किसी व्यक्ति की निजता में अनधिकार प्रवेश के अतिरिक्त उसकी गोपनीय सूचनाओं की जानकारी को साझा करके उससे धन की उगाही की जाती है। साइबर युद्ध के माध्यम से एक देश दूसरे देश के कंप्यूटर नेटवर्क को नष्ट कर देता है अथवा सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जानकारियों को हासिल करके राष्ट्र की संप्रभुता को चुनौती देता है। अमेरिका तथा इजरायल ने जहां वर्ष 2009 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ साइबर तकनीक का इस्तेमाल किया था तो वहीं 2016 में संपन्न हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूसी सरकार द्वारा हैकिंग की बात सामने आयी थी। हैकिंग का वह बहुचर्चित मामला संपूर्ण विश्व के लिये एक चेतावनी का विषय बन कर उभरा था। वैसे इस समस्या पर अंकुश लगा पाना किसी एक देश के बस की बात नहीं है। यह एक वैश्विक समस्या है और इसका समाधान भी वैश्विक स्तर पर ही तलाशा जा सकता है।

वस्तुतः मात्र कुछ सही काले किए गए विदेशी मुद्रा के बैक नोट ही पीड़ित को दिखाए जाते हैं, और एक विशेष रसायन जो वेसलाइन तथा आयोडीन के काले मिश्रण के साथ प्रतिक्रिया करता है, एक साधारण क्लीनिंग फ्ल्यूड है। केस में बची हुई सामग्री खाली, काली की गई कागज जो अकसर लिड अप के साथ का फोटो कॉपी करके तथा सीट को बैंक नोट आकार में काटकर बनाया जाता है। कुछ मामलों में वास्तविक मुद्रा को सामान्य वाइट ग्लू के सुरक्षात्मक परत के साथ प्री–कोट कर दिया गया, दूसरे बाद आयोडीन के घोल में डाई कर दिया गया। इसे बाद में मात्र पानी तथा पीसे हुए विटामिन सी टेबलेट के एक ''गुप्त तथा महंगे'' विलयन में डालकर निकाला गया। पीड़ित के सामने अपराधी ऐसे पेश जाएगा जैसे वह दो–चार नोटों में से रेनडॅमली केस से नोट का चयन कर रहा है। इसके बाद वह उसे अपने पास उपलब्ध एक घोल को साफ करेगा। जिसके परिणाम स्वरूप वह नोट बैंक के वास्तविक नोट के समान मूल रूप में वापस आ जाएगा। पीड़ित को ये नोट दे दिए

जाते हैं, जिन्हें इन नोटों को खर्च करने तथा उसकी बैंक में जाँच कराने तथा उनकी वास्तविकता की पुष्टि कराने के लिए आमंत्रित किया गया है। वास्तव में अपराधी को यह भली भांति ज्ञात होता है कि वह कौन सा नोट का चयन कर रहा है तथा वह वहाँ उपलब्ध मात्र असली नोटों का ही चयन करता है। एक असली निपुण अपराधी पीड़ित को नोट साफ करने हेतु चयन करने के लिए आमंत्रित करता है तथा अपने पूर्व अभ्यास से हाथ की सफाई दिखाकर, पीड़ित से असली नोट ही चयन करवाता है।

निष्कर्ष :-

निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि साइबर सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिये सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। कैशलेस अर्थव्यवस्था को अपनाने की दिशा में बढ़ने के कारण भारत में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। डिजिटल भारत कार्यक्रम की सफलता काफी हद तक साइबर सुरक्षा पर निर्भर करेगी। अतः भारत को इस क्षेत्र में तीव्र गति से कार्य करना होगा। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को नया आयाम दिया है, आज प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी डर के सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार रख सकता है और उसे हज़ारों लोगों तक पहुँचा सकता है, परंतु सोशल मीडिया का सावधानीपूर्वक उपयोग ही हमें ऑनलाइन ठगी तथा साइबर अपराध के गंभीर खतरों से बचा सकता है। साइबर अपराध वर्तमान परिदृश्य में, इंटरनेट के माध्यम से किया जाने वाला सबसे प्रचलित अपराध बन चुका है। यह पीड़ित को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इस तरह के अपराधों से बचने के लिए हमें कुछ उपाय करने चाहिए। सतर्कतापूर्ण व्यवहार और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन केवल एक सहायक उपकरण की तरह है जो साइबर अपराध की घटनाओं पर कुछ हद तक काबू पा सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शोधगंगा।
2. https://www.drishtiias-com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/cyber-crime-and-role-of-social-medi
3. https://hi.wikipedia.org
4. https://mgkvp.ac.in
5. https://www.google.com
6. साइबर अपराध : विकिपीडिया।
7. साइबर अपराध एक : आलोचनात्मक अध्ययन।

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
September 2021 Page No. : 65-76

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

साइबर क्राईम के प्रति जन–जागरूकता में प्रिंट मीडिया की भूमिका

(हरियाणा के हिंदी दैनिक समाचार पत्रों के संदर्भ में एक आलोचनात्मक अध्ययन)

–शिव कुमार, शोधार्थी,
प्रोफेसर, (डॉ.) हरीश कुमार,
पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक (हरियाणा) पिन कोड–124001

शोध सारांश :–

साइबर अपराध आम व्यक्ति के जीवन से जुड़ा है। यह कंप्यूटर व इंटरनेट के प्रयोग द्वारा अंजाम दिया जाता है। साइबर अपराध आज वैश्विक स्तर पर चर्चा का मुददा है। वर्तमान में प्रिंट मीडिया तकनीकी क्रांति के दौर में लोगों को इंटरनेट की समझ के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। साइबर अपराध के प्रति लोगों को जागरूक करने में मीडिया के योगदान का पता करने के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित इंटरनेट पर अपराध मुददों के प्रकाशन की प्राथमिकता, समाचारों की संख्या, समाचारों की प्रकृति, कॉलमों की संख्या आदि के आधार पर आंकलन किया जाता है। इस शोध अध्ययन का फोकस यह निर्धारित करना है कि हिंदी दैनिक समाचार पत्र पर्याप्त रूप से इंटरनेट संबंधित अपराधों को रिपोर्ट करते है, या नहीं। अध्ययन के निष्कर्षो से पता चलता है कि प्रिंट मीडिया ने साइबर अपराध के कवरेज पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया।

इस अध्ययन में अंतर्वस्तु–विश्लेषण विधि के माध्यम से समाचार पत्रों का मात्रात्मक रूप से अध्ययन किया गया है। अध्ययन में समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों को द्वितीयक आंकड़ों के रूप में शामिल किया गया है। इस अध्ययन में प्राथमिक रूप से उद्देश्यों का निर्धारण करके, परिकल्पना निर्माण करके एकत्रित डेटा का विशलेषण करके निष्कर्ष व सुझाव प्रस्तुत किए गए है। साइबर अपराध से संबंधित समाचार लोगों को इंटरनेट पर होने वाली धोखाधड़ी के प्रति जागरूक बनाकर, साइबर अपराध के प्रति सक्रिय रहने के लिए लोगो को जागरूक करने का काम करता है। साइबर अपराध के विभिन्न मुद्दों जैसे :– साइबर फ्रोड, फिशिंग, साइबर टेरीरिज्म, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, हेकिंग, चोरी से निजी डेटा पर हमला, आदि से संबंधित कवरेज का अध्ययन किया गया है। नमूने के तौर पर "भारतीय पाठक सर्वेक्षण" के टॉप दो हिंदी दैनिक समाचार पत्रों के संस्करण में 31 दिन (01–31 मार्च 2021) के समाचार पत्रों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। लोगों को साइबर कानूनों की जानकारी देने व साइबर अपराध के प्रति जागरूक करने के लिए प्रिंट मीडिया द्वारा प्रकाशित समाचार, विज्ञापनों, अग्रलेखों, फीचर, सम्पादकीय आदि का अध्ययन किया गया है।

महत्वपूर्ण शब्द :–

साइबर अपराध, प्रिंट मीडिया, इंटरनेट फ्रोड, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, साइबर कानून, जागरूकता अभियान।

प्रस्तावना :–

वर्तमान में प्रौद्योगिकी हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन गई है। मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में इंटरनेट के बिना सोचना, प्रगति करना, जीवन यापन करना असंभव सा प्रतीत होता है। हम इंटरनेट का उपयोग अपने व्यवसाय में, मनोरंजन के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए आदि सभी क्षेत्रों में करते हैं। जिस प्रकार एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक उसी प्रकार इंटरनेट के भी अपने फायदे और नुकसान हैं। इंटरनेट के आगमन से सभी क्षेत्रों में क्रांति आई है। मानव के सभी कार्य सरल व तेज गति से होने लगे हैं। देश विकासशील से विकसित मार्ग की ओर प्रस्त हुआ है; वहीं दूसरी तरफ कंप्यूटर तथा इंटरनेट के आगमन से साइबर अपराध ने भी वैश्विक स्तर पर अपना प्रभाव दिखाया है। साइबर अपराध यानी इंटरनेट पर अवैध तरीकों से की गई गतिविधियां कई गुना बढ़ गई है। इसलिए साइबर अपराध के आगमन से साइबर कानून की आवश्यकता महसूस की गई। जहां इंटरनेट के अनेकों फायदे हैं; लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से कई तरह के जोखिम भी है। आज आधुनिक युग में चोर एक हथियार का उपयोग करने से अधिक एक कंप्यूटर का उपयोग करके अधिक चोरी करने में सक्षम है। भविष्य में आतंकवादी संगठन बम का इस्तेमाल करने की बजाय कंप्यूटर पर इंटरनेट का उपयोग करके अवैध हरकतों को अंजाम दे सकेंगे।

अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार रिपोर्ट के अनुसार :–

दुनिया में ज्यादा आबादी इंटरनेट का उपयोग करती है। 2018 में 51.2 प्रतिशत व्यक्ति इंटरनेट का उपयोग कर रहे थे। इस रिपोर्ट के अनुसार यह वैश्विक सूचना समाज की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है; लेकिन इसके साथ ही साइबर सुरक्षा बढाने की भी आवश्यकता महसूस की गई है। आई. टी. यू. रिपोर्ट के अनुसार–सन 2030 तकपूरी आबादी के 70 प्रतिशत हिस्से में इंटरनेट की पहुंच होगी। जिससे साइबर सुरक्षा की आवश्यकता बढ़ जाएगी।

चित्र संख्या : 01 में हमने साइबर क्राइम के व्यक्ति विशेष पर, किसी की सम्पति को हडपना, समाज के विरुद्ध हमला, सरकारी आकड़ो के साथ छेडछाड आदि को दर्शाया है, जोकि ऑनलाइन अपराध की श्रेणी में आते है।

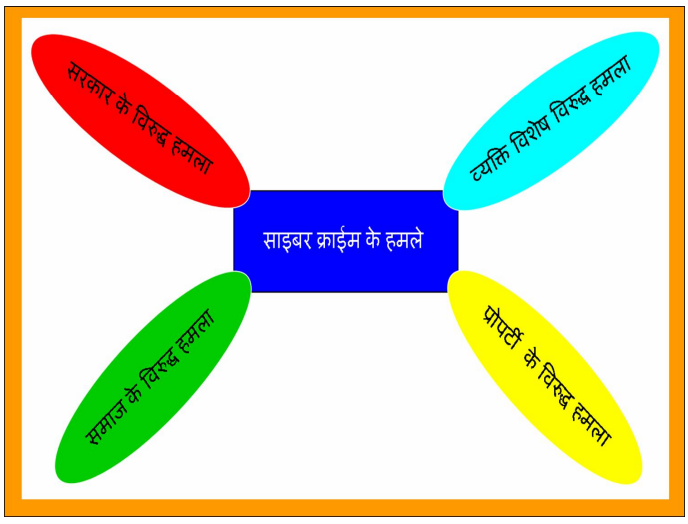

चित्र संख्या : 01

विश्व सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसाररू भारत चीन के पश्चात इंटरनेट उपयोग का दूसरा बड़ा उपयोगकर्ता है। साइबर अपराधों को गैर–कानूनी कृत्यों के रूप में समझा जा सकता है। जिसमें कंप्यूटर एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। साइबर अपराध को एक व्यक्ति के लिए खतरा माना गया है। इसे जांचने और इस पर कार्रवाई करने का कार्य सबसे चुनौतीपूर्ण और कठिन माना जाता है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिर्पोटिंग पोर्टल के अनुसार– यह अदृश्य अपराधी दृश्य मान से भी खतरनाक रहा है। साइबर अपराध अत्यंत व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। साइबर अपराध की विविधताओं को बड़े पैमाने पर लोगों के सामाजिक जीवन पर प्रभाव डालते

हुए निजी जीवन में दस्तक दे रहा है। इसकी रिपोर्टो में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत में साइबर अपराध पर बने साइबर सुरक्षा कानून इसके बढ़ते प्रभाव को सीमित करता है।

शोध के उद्देश्य :-

- दोनों हिंदी दैनिक समाचार पत्रों में साइबर अपराध से संबंधित प्रकाशित समाचारों की संख्या तथा सहचित्र प्रकाशित समाचारों की संख्या का पता लगाना।
- साइबर अपराध से सम्बंधित समाचारों की कैटेगरी का पता लगाना।
- समाचारों के स्त्रोत, क्षेत्र व विस्तार (वर्ग सेंटीमीटर) का पता करना।
- दोनों हिंदी दैनिक समाचार पत्रों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पना :-

- साइबर अपराध के प्रति समाज में जागरूकता लाने में प्रिंट मीडिया उचित माध्यम है।
- दोनों हिंदी दैनिक समाचार पत्र साइबर अपराध के मुद्दों के प्रति सजग हैं।
- दोनों हिंदी दैनिक समाचार पत्र साइबर अपराध से संबंधित समाचारों को प्राथमिकता से प्रकाशित कर रहे हैं।
- दोनों हिंदी दैनिक समाचार पत्र साइबर अपराध के विभिन्न मुद्दों का प्राथमिकता से प्रकाशन कर रहे हैं।

शोध की सीमाएं :-

- शोध अध्ययन के अंतर्गत हिंदी दैनिक समाचार पत्रों को शामिल किया गया है।
- दोनों समाचार पत्रों के राष्ट्रीय संस्करण के पृष्ठ को अध्ययन के लिए चुना गया है।
- शोध की अध्ययन सीमा एक माह; 1 से 31 मार्च, 2021 निर्धारित की गई है।

शोध का अध्ययन क्षेत्र :-

इस शोध अध्ययन के अंतर्गत चयनित हिंदी दैनिक समाचार पत्रों में साइबर अपराध से संबंधित समाचारों को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयन किया गया है।

दोनों हिंदी दैनिक समाचार पत्रों के एक माह तक के साइबर अपराध संबंधित समाचारों को इस शोध कार्य द्वारा अध्ययन किया गया है।

इस अध्ययन में हमने साइबर अपराध से संबंधित गतिविधियों जैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी, कंप्यूटर हेकिंग, बैंक खाता सीज करना, फेक पहचान पत्र द्वारा निजी डेटा लिक करना आदि लगभग सभी धोकाधड़ी सम्बंधी समाचारों को इस शोध अध्ययन में शामिल किया।

शोध विधि :-

इस शोध कार्य में दोनों हिंदी दैनिक समाचार पत्रों का अंतर्वस्तु विश्लेषण विधि द्वारा तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

अंतर्वस्तु विश्लेषण :-

"सामाजिक घटनाएं अमूर्त व परिवर्तनशील होने के कारण इनका स्वरूप जटिल व अस्पष्ट होता है, जिससे इनका विश्लेषण करना कठिन हो जाता है, तथा जटिलता के कारण निष्कर्ष निकालना व सिद्धांत प्रतिपादित करना भी कठिन कार्य हो जाता है।

इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए अंतर्वस्तु विश्लेषण विधि का प्रयोग करके उपलब्ध सामग्री को

विभिन्न भागों में विभाजित करके उनका वस्तु विश्लेषण विधि द्वारा विश्लेषण किया जाता है। इस प्रक्रिया को अंतर्वस्तु विश्लेषण कहते हैं।"

नमूने का चयन :–

समग्र : भारत में प्रकाशित सभी समाचार पत्रों को इस शोध कार्य कार्य का समग्र कह सकते हैं।

पापुलेशन : भारत के हरियाणा राज्य से प्रकाशित पांच राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र 'दैनिक भास्कर व दैनिक जागरण' को पॉपुलेशन के रूप में लेते हैं।

नमूना : हिंदी समाचार पत्रों में से साइबर अपराध से संबंधित समाचार को नमूने के रूप में चुना गया है।

साहित्यिक सर्वेक्षण :–

पवन दुग्गल (2013) ने इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के अँधेरे पक्ष के साथ साइबर क्राइम कानून के निर्माण और इनके लागू करने के परिणामों ने साइबर अपराध और इसके नियंत्रण तंत्र को समझने में दिलचस्प बना दिया है। साइबर अपराध एक विकसित हुई घटना है। पिछले डेढ़ दशक में तकनीकी क्रांति ने कम्पुटर संसाधन और संचार उपकरण के प्रत्येक उपयोगकर्ता को प्रभावित किया है। साइबर कानून क़ानूनी न्यायशास्त्र के नवीनतम और सबसे जटिल विषयों में से एक है।

जस्टिस यतीन्द्र सिंह (2012) साइबर कानूनों का उचित विश्लेषण क़ानूनी मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रोद्योगिकी के पीछे विज्ञान को स्पष्ट रूप से समझाता है। इंटरनेट ने एक और नई तकनीक पेश की है, जिसे वेबकास्टिंग (इंटरनेट प्रसारण) के रूप में जानते है। इसमें इंटरनेट पर ओडियो/विडियो की स्ट्रीमिंग शामिल है। जिसे इन्टरनेट रेडियो कहा जाता है। इन्टरनेट ने व्यक्तियों के एक अलग वर्ग को आगे लाया है। जिन्हें बिचोलियों के नाम से जाना जाता है। ये संचार या साइबर अपराध और साइबर कानून के परिचय के लिए भोतिक सुविधा प्रदान करते है।

अवे (2004) ने अपने शोध पत्र में कहा की साइबर कैफे, जंहा इंटरनेट का उपयोग लोग बड़ी संख्या में करते है। इन कैफे ने साइबर अपराध को बढाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। दूरसंचार कम्पनियों द्वारा 'मॉडेम' के प्रावधान ने साइबर अपराधियों को निजी तौर पर अवैध कारोबार करना आसान बना दिया है। इसने साइबर अपराध को बढ़ावा देने में "याहू बॉयज" के रूप में अत्यधिक योगदान दिया है। यह वाणिज्य, सामाजिक और शैक्षिक गतिविधियों के लिए असीमित अवसर प्रदान करता है। लेकिन इसके साथ ही साइबर अपराध इंटरनेट पर अजीब तरह के जोखिम पैदा कर रहा है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी और इंटरनेट से जुडी सुविधा का अब अपराधिक कार्यो के लिए इंटरनेट से जुडी सुविधा का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट का अपराधिक उदेश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग किया जा रहा है। साइबर अपराध नेट की अनोखी विशेषताओं का उपयोग करता है। कम्प्यूटर हमले दुनियां में कंही से भी अपराधियों द्वारा उत्पन्न किए जा सकते है, और भोगोलिक स्थिति के बावजूद अन्य क्षेत्रों में निष्पादित किए जा सकते है।

डॉ. अर्जुन तिवारी (2000) ने अपनी पुस्तक जनसंचार समग्र में अध्याय–38 में साइबर संचार के विषय में लिखा है; कि साइबरस्पेस शब्द अमेरिकी लेखक **विलियम गिब्सन** की देन है। लेखक ने साइबर जाल को प्राचीन ग्रंथों, मंत्र–सिद्धियों तथा महाभारत की रणभूमि में भी संजय द्वारा कमेंट्री सुनाना साइबर का एक ही रूप माना है। वैज्ञानिकों के अनुसार– प्राचीन काल का विज्ञान आज से ज्यादा परिपक्व था; जिसके ठोस तर्क व

आधार प्रस्तुत किए। महाभारत काल में क्लोनिंग, वेक्टर्स, ट्यूब बेबी आदि विज्ञान प्रचलित था। आज विश्व के करोड़ों कंप्यूटरों का एक ऐसा नेटवर्क है। जिनमें सूचनाओं के आंकड़ों का परस्पर आदान–प्रदान रहता है। साइबर स्पेस में सलंग्न आंकड़े व संदेश तत्काल प्राप्त हो जाते हैं। साइबर स्पेस में समय स्थान की बाधाएं दूर हो गई हैं। यह सूचनाओं के विनिमय का मशीनी माध्यम है। जोकि वैश्वीकरण की प्रक्रिया तेज करके दुनिया से जुड़ने की ललक पैदा करता है। साइबरस्पेस सूचना का राजपथ है। सभी समाचार पत्र ब्राडशीट कागज से एकदम अलग रूप में इंटरनेट पर ऑनलाइन उपलब्ध है। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के साथ–साथ साइबर अपराध की संभावनाएं भी बढ़ी है। कंप्यूटर प्रोग्रामों में डाटा में हेरफेर, कंप्यूटर जासूसी, जालसाजी, धोखेबाजी, कंप्यूटर डाटा व प्रोग्रामों को नष्ट करना, कंप्यूटर का अनाधिकार प्रयोग, कंप्यूटर का अवरोधन आदि साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। साइबर अपराध के संदर्भ में सूचना टेक्नोलॉजी कानून–2000 बनाकर इसे अपराध के दायरे में लाया गया। इसमें पुलिस को अधिकार प्रदान किया गया है; कि साइबर अपराध के मामले में किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है।

कोड बुक : कोडिंग

समाचार पत्र कोड		**सूचना का स्वरूप**	
दैनिक भास्कर	01	समाचार	01
दैनिक जागरण	02	अग्रलेख	02
		सम्पादकीय	03
चित्र		विज्ञापन	04
हाँ	01	फीचर	05
नहीं	02	स्त्रोत	
पृष्ठ क्षेत्र		न्यूज़ एजेंसी	01
अंतर्राष्ट्रीय	01	रिपोर्टर	02
राष्ट्रीय	02	न्यूज़ नेटवर्क	03
क्षेत्रीय	03	मेंशन नहीं	04
विशेषांक	04	विषय विशेषज्ञय	05
समाचार दृवर्गीकरण (कटेगरी)		**कालम विस्तार**	
इमेल	01	एक कालम	01
फिशिंग	02	दो कालम	02
साइबर टेरिरिज्म	03	तीन कालम	03
कम्पुटर से धोखाधड़ी	04	चार कालम	04
साइबर स्टाकिंग	05	पांच कालम	05
चाइल्ड पोर्नोग्राफी	06	छह कालम	06
साइबर थेफ़्ट	07	सात कालम	07
साइबर फ्राड	08	आठ कालम	08

तालिका : 01 दोनों समाचार पत्रों ने कुल 14 समाचार प्रकाशित किए। **दैनिक भास्कर व दैनिक जागरण** ने एक माह में साइबर अपराध के कुल 14 समाचार प्रकाशित किए है जोकि तालिका 01 में दर्शाया गया है।

तालिका : 01

सांख्यिकी

		समाचार	स्वरूप	तस्वीर	क्षेत्र	स्त्रोत	वर्गीकरण
N	Valid	14	14	14	14	14	14
	Missing	0	0	0	0	0	0

तालिका : 02 दोनों हिंदी दैनिक समाचार पत्रों में साइबर क्राइम के समाचार उनकी फ्रीक्वेंसी, प्रतिशता, वैलिडिटी, संचित प्रतिशता को तालिका 02 में दर्शाया गया है।

समाचार पत्र				
वेध	फ्रीक्वेंसी	प्रतिशता (%)	वैधता (%)	संचित (%)
दैनिक भास्कर	12	85.7	85.7	85.7
दैनिक जागरण	2	14.3	14.3	100.0
कुल	**14**	**100.0**	**100.0**	
समाचारों का स्वरूप				
समाचार	12	85.7	85.7	85.7
अग्रलेख	2	14.3	14.3	100.0
कुल	**14**	**100.0**	**100.0**	
तस्वीर				
हाँ	9	64.3	64.3	64.3
नही	5	35.7	35.7	100.0
कुल	**14**	**100.0**	**100.0**	
पृष्ठ क्षेत्र				
अंतर्राष्ट्रीय	5	35.7	35.7	35.7
क्षेत्रीय	5	35.7	35.7	71.4
राष्ट्रीय	4	28.6	28.6	100.0
कुल	**14**	**100.0**	**100.0**	
समाचार स्त्रोत				
समाचार एजेंसी	5	35.7	35.7	35.7
रिपोर्टर	5	35.7	35.7	71.4
विषय विशेषज्ञ	3	21.4	21.4	92.9
मेंशन नही	1	7.1	7.1	100.0
कुल	**14**	**100.0**	**100.0**	

वर्गीकरण				
साइबर फ्रोड	6	42.9	42.9	42.9
फिशिंग	5	35.7	35.7	78.6
साइबर टेरीरिज्म	1	7.1	7.1	85.7
चाइल्ड पोर्नोग्राफी	1	7.1	7.1	92.9
चोरी से हमला	1	7.1	7.1	100.0
कुल	**14**	**100.0**	**100.0**	
कॉलम संख्या				
दो	7	50.0	50.0	50.0
तीन	4	28.6	28.6	78.6
एक	2	14.3	14.3	92.9
चार	1	7.1	7.1	100.0
कुल	**14**	**100.0**	**100.0**	
पेज नंबर				
एक	3	21.4	21.4	21.4
पांच	3	21.4	21.4	42.9
दो	2	14.3	14.3	57.1
आठ	2	14.3	14.3	71.4
तीन	1	7.1	7.1	78.6
चार	1	7.1	7.1	85.7
छह	1	7.1	7.1	92.9
तेरह	1	7.1	7.1	100.0
कुल	**14**	**100.0**	**100.0**	

चित्र संख्या–01

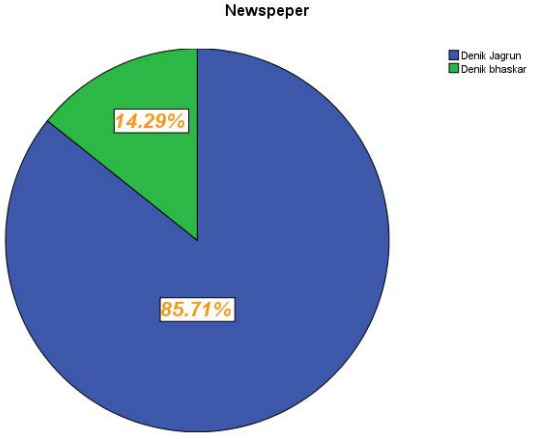

चित्र संख्या : 01 के अनुसार; दोनों समाचार पत्रों ने कुल 14 समाचार प्रकाशित किए। दैनिक भास्कर ने एक माह में साइबर अपराध पर 12 समाचार प्रकशित करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। दैनिक जागरण समाचार पत्र कुल 02 समाचार प्रकाशित करके दूसरा स्थान पर रहा। प्रतिशतता की बात करें तो 85.71 प्रतिशत समाचार दैनिक भास्कर ने तथा 14.29 प्रतिशत स्थान दैनिक जागरण ने प्रदान किया।

चित्र संख्या : 02.

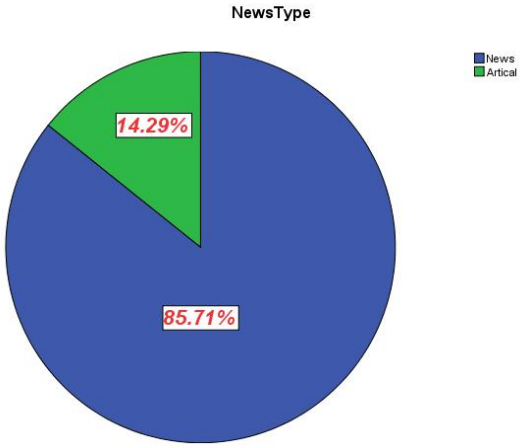

चित्र संख्या : 02 के अनुसार; दोनों समाचार पत्रों ने 14 समाचार कहानियाँ प्रकाशित की जोकि 12 समाचार के रूप में, 02 अग्रलेख के रूप में प्रकाशित हुए। प्रतिशत की बात करें तो 85.71 प्रतिशत स्थान समाचारों के रूप में, 14.29 प्रतिशत स्थान अग्रलेखो को प्रदान किया गया है।

चित्र संख्या : 03

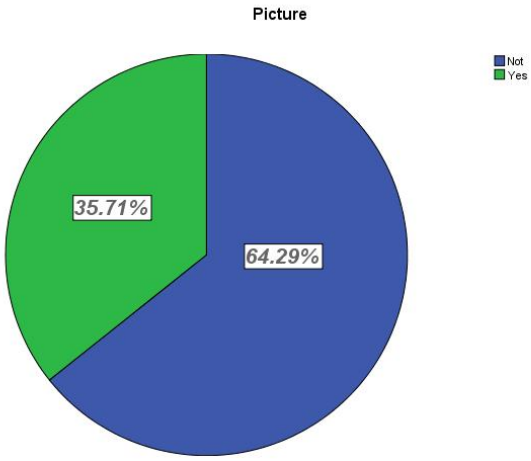

चित्र संख्या : 03 के अनुसार; दोनों समाचार पत्रों में सहचित्र प्रकाशित समाचारों की बात करे तो 09 (64.29 प्रतिशत) सहचित्र तथा 05 समाचार (35.71 प्रतिशत) बिना चित्र के प्रकाशित हुए है।

चित्र संख्या : 04

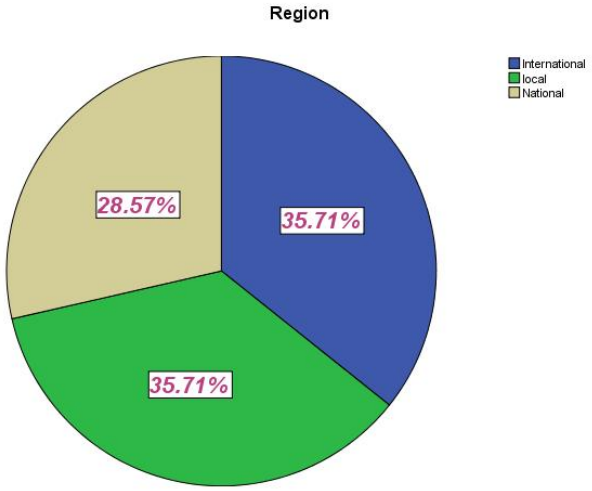

चित्र संख्या 04 के अनुसार :– दोनों समाचार पत्रों का क्षेत्र के आधार पर प्राथमिकता का आकलन करें तो कुल 14 पर्यावरणीय समाचारों के प्रकाशन 04 समाचार राष्ट्रिय पृष्ठ पर, 05 पर्यावरणीय समाचार अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठ पर, 05 पर्यावरण संरक्षण संम्बंधित समाचार क्षेत्रीय पृष्ठ पर प्रकाशित हुए। 28.57 प्रतिशत समाचार राष्ट्रिय पृष्ठ पर, 35.71 प्रतिशत पर्यावरणीय समाचार अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठ पर तथा 35.71 प्रतिशत समाचार क्षेत्रीय पृष्ठ पर प्रकाशित हुए।

चित्र संख्या : 05

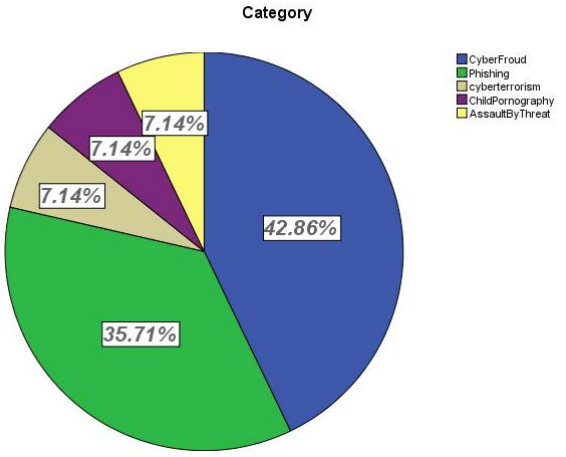

चित्र संख्या : 05 के अनुसार :– समाचार के वर्गीकरण (कटेगरी) की बात करें, तो दोनों समाचार पत्रों में प्रकाशित 14 समाचारों में से 06 समाचार साइबर फ्रोड के, 05 समाचार फिशिंग के, 01 साइबर टेरीरिज्म का, 01 समाचार चाइल्ड पोर्नोग्राफी का, 01 समाचार चोरी से हमला के प्रकाशित हुआ। यदि प्रतिशत की बात करें तो 42.86% साइबर फ्रोड के, 35.71% फिशिंग के 7. 14% साइबर टेरीरिज्म के, 07.14% चाइल्ड पोर्नोग्राफी के, 7.14% चोरी से हमला सम्बन्धी समाचार प्रकाशित हुए।

चित्र संख्या : 06

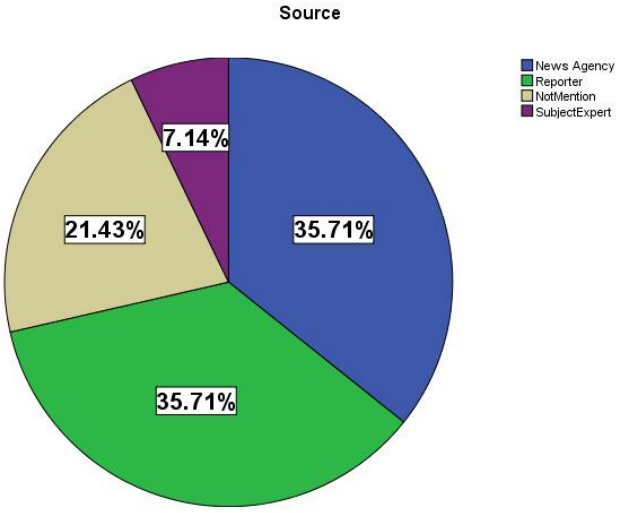

चित्र संख्या : 06 के अनुसार; समाचार स्त्रोतों पर नजर डाले तो 14 समाचारों में से 05 समाचार रिपोर्टरों के माध्यम से, 05 समाचार समाचार एजेंसी द्वारा, 03 समाचारों को विषय विशेषज्ञय के माध्यम से, 01 समाचार मेंशन नही, दिया गया। प्रतिशत पर बात करें तो 35.71% रिपोर्टरों के द्वारा, 21.43% मेंशन नहीं, 35.71% समाचार एजेंसी द्वारा, 7.14% विषय विशेषज्ञ दवारा दिए गए।

चित्र संख्या : 07

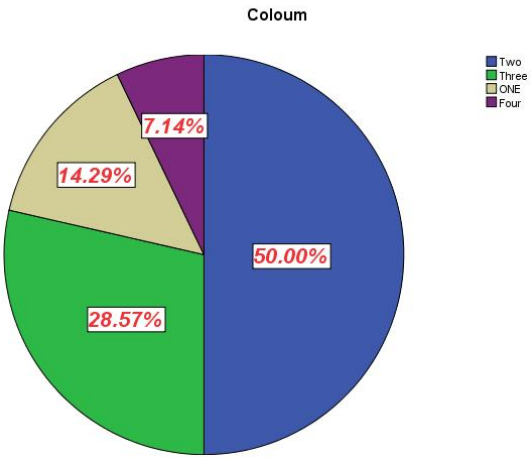

चित्र संख्या : 07 के अनुसार :– दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण दोनों समाचार पत्रों ने कुल 32 कॉलम प्रकाशित किए। जिसमें से 29 कॉलम दैनिक जागरण ने प्रकाशित करके प्रथम स्थान तथा दैनिक भास्कर समाचार पत्र ने 03 कॉलम प्रकाशित करके दूसरा स्थान प्राप्त किया। प्रतिशता की बात करें तो 28. 57 प्रतिशत तीन कॉलम वाले समाचारों ने, 7.14 प्रतिशत चार कालम वाले समाचारों ने, 14.29 प्रतिशत एक कॉलम वाले समाचारों ने, 7.14 प्रतिशत समाचार दो कॉलम वाले समाचारों ने लिया है।

चित्र संख्या : 08

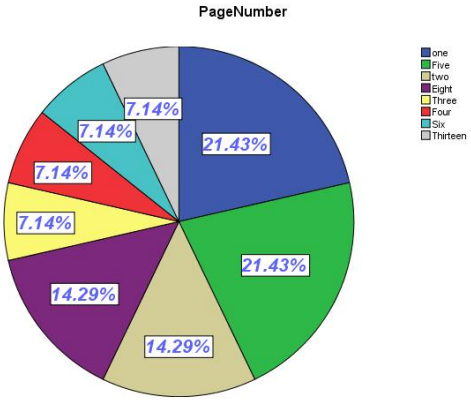

चित्र संख्या : 08 के अनुसार :– यदि हम पेज की प्राथमिकता के दृष्टिकोण से देखे तो कुल प्रकाशित 14 समाचार पत्रों में एक नंबर पेज पर 03, पेज नंबर पांच पर 03 समाचार, पेज नंबर 02 पर 02 समाचार, पेज नंबर आठ पर 02 समाचार, पेज नंबर तीन पर 01 समाचार, पेज नंबर चार पर 01 समाचार, पेज नंबर छह पर 01 समाचार, पेज नंबर तेरह पर 01 समाचार प्रकाशित हुए। यदि प्रतिशतता की नजर डाले तो एक नंबर पेज पर 21.43%, पेज नंबर पांच पर 21.43% समाचार, पेज नंबर 02 पर 14.29 समाचार, पेज नंबर आठ पर 14.29% समाचार, पेज नंबर तीन पर 7.14% समाचार, पेज नंबर चार पर 7.14% समाचार, पेज नंबर छह पर 7.14% समाचार, पेज नंबर तेरह पर 7.14% समाचार प्रकाशित हुए।

समाचारों की आवर्ती की यदि बात की जाएँ तो दोनों हिंदी दैनिक समाचार पत्रों ने एक माह (मार्च–2021) में कुल 32 कालम साइबर अपराध के मुददों पर प्रकाशित किए; तथा 1472.02 वर्ग सेंटीमीटर स्थान दोनों हिंदी दैनिक समाचार पत्रों ने एक माह (मार्च–2021) में दिया गया।

इसके अतिरिक्त दैनिक जागरण समाचार पत्र 1609.42 वर्ग सेंटीमीटर स्थान देकर प्रथम श्रेणी पर रहा। जिसमे से 376.04 वर्ग सेंटीमीटर स्थान दैनिक भास्कर ने प्रदान करके दूसरी श्रेणी प्राप्त की।

निष्कर्ष एवं परिचर्चा (सुझाव) :–

दोनों समाचार पत्रों ने कुल 14 समाचार प्रकाशित किए। दैनिक भास्कर ने एक माह में साइबर अपराध पर 12 समाचार प्रकशित करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। दैनिक जागरण समाचार पत्र कुल 02 समाचार प्रकाशित करके दूसरा स्थान पर रहा। प्रतिशतता की बात करें तो 85.7% समाचार दैनिक भास्कर ने तथा 14.9% स्थान दैनिक जागरण ने प्रदान किया।

समाचार स्वरूप की बात करें तो 12 समाचार के रूप में, 02 अग्रलेख के रूप में प्रकाशित हुए। प्रतिशत की बात करें तो 85.7% स्थान समाचारों के रूप में, 14.2% स्थान अग्रलेखो को प्रदान किया गया है।

दोनों समाचार पत्रों में सहचित्र प्रकाशित समाचारों की बात करे तो 9 (64.2%) सहचित्र तथा 5 समाचार (35.7%) बिना चित्र के प्रकाशित हुए है। दोनों समाचार पत्रों का क्षेत्र के आधार पर प्राथमिकता का आकलन करें तो कुल 14 पर्यावरणीय समाचारों के प्रकाशन 4 समाचार राष्ट्रीय पृष्ठ पर, 5 पर्यावरणीय समाचार अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठ पर, 5 पर्यावरण संरक्षण संम्बंधित समाचार क्षेत्रीय पृष्ठ पर प्रकाशित हुए। 28.5% समाचार राष्ट्रीय पृष्ठ पर, 35. 7% पर्यावरणीय समाचार अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठ पर तथा 35.7% समाचार क्षेत्रीय पृष्ठ पर प्रकाशित हुए।

समाचार के वर्गीकरण (कटेगरी) की बात करें तो दोनों समाचार पत्रों में प्रकाशित 14 समाचारों में से 6 समाचार साइबर फ्रोड के, 5 समाचार फिशिंग के, 1 साइबर टेरीरिज्म के, 1 समाचार चाइल्ड पोर्नोग्राफी के, 1 समाचार चोरी से हमला के प्रकाशित हुए। यदि प्रतिशत की बात करें तो 42.8% साइबर फ्रोड के, 35.7% फिशिंग

के 7.4% साइबर टेरीरिज्म के, 7.1% चाइल्ड पोर्नोग्राफी के, 7.4% चोरी से हमला सम्बन्धी समाचार प्रकाशित हुए।

समाचार स्त्रोतों पर नजर डाले तो 14 समाचारों में से 5 समाचार रिपोर्टरों के माध्यम से, 5 समाचार समाचार एजेंसी द्वारा, 3 समाचारों को विषय विशेषज्ञ के माध्यम से, 1 समाचार मेंशन नहीं, दिया गया। प्रतिशत पर बात करें तो 35.7% रिपोर्टरों के द्वारा, 21.4% मेंशन नहीं, 35.7% समाचार एजेंसी द्वारा, 7.4% विषय विशेषज्ञ द्वारा दिए गए।

दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण दोनों समाचार पत्रों ने कुल 32 कॉलम प्रकाशित किए। जिसमें से 29 कॉलम दैनिक जागरण ने प्रकाशित करके प्रथम स्थान तथा दैनिक भास्कर समाचार पत्र ने 3 कॉलम प्रकाशित करके दूसरा स्थान प्राप्त किया। प्रतिशता की बात करें तो 28.7 प्रतिशत तीन कॉलम वाले समाचारों ने, 7.4 प्रतिशत चार कालम वाले समाचारों ने, 14.9 प्रतिशत एक कॉलम वाले समाचारों ने, 7.4 प्रतिशत समाचार दो कॉलम वाले समाचारों ने लिया है।

पेज की प्राथमिकता के दृष्टिकोण से देखे तो कुल प्रकाशित 14 समाचार पत्रों में एक नंबर पेज पर 3, पेज नंबर पांच पर 3 समाचार, पेज नंबर 2 पर 2 समाचार, पेज नंबर आठ पर 2 समाचार, पेज नंबर तीन पर 1 समाचार, पेज नंबर चार पर 1 समाचार, पेज नंबर छह पर 1 समाचार, पेज नंबर तेरह पर 1 समाचार प्रकाशित हुएद्य यदि प्रतिशतता की नजर डाले तो एक नंबर पेज पर, 21.4%, पेज नंबर पांच पर, 21.3% समाचार, पेज नंबर 2 पर 14.9 समाचार, पेज नंबर आठ पर 14.9% समाचार, पेज नंबर तीन पर 7.4% समाचार, पेज नंबर चार पर 7.4% समाचार, पेज नंबर छह पर 7.4% समाचार, पेज नंबर तेरह पर 7.4% समाचार प्रकाशित हुए।

सुझाव :–

1. भविष्य में इस विषय पर शोध अध्ययन के लिए हिंदी समाचार पत्रों के साथ साथ अन्य भाषाओँ के समाचार पत्रों को अध्ययन में शामिल करके तथा समाचार पत्रो की संख्या बढाकर बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते है।
2. इस विषय पर शोध के लिए प्रिंट मीडिया के स्थान पर इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया, न्यू मीडिया सोशल मीडिया को भी अध्ययन में शामिल किया जा सकता है।
3. भविष्य में इस विषय में विषय विशेषज्ञों के साक्षात्कार करवाकर अध्ययन किया जा सकता है।
4. प्रिन्ट मीडिया की कवरेज का पाठक–वर्ग पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण विधि को अपनाकर अध्ययन किया जा सकता है।
5. हिंदी दैनिक समाचार पत्रों को साइबर अपराध से संबंधित समाचारों को प्राथमिकता से उचित और पर्याप्त स्थान देना होगा। तभी लोगो को इन इन्टरनेट पर ऑनलाइन होने वाले अपराधों के प्रति जानकारी प्राप्त होगी।
6. समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक इन ऑनलाइन अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाना मीडिया का सामाजिक दायित्व है।

संदर्भ ग्रंथ :–

1. डॉ.एम. पोंनियन (2000) साइबर क्राइम, मॉडर्न क्राइम और ह्यूमन राईट, दा पी. आर. पी. जर्नल ऑफ़ ह्यूमन राईट।
2. जाग्रुति देकावादिया (2009) साइबर क्राइम और साइबर लॉ– इंडियन परेस्पेक्टिव गुजरातलॉ हेराल्ड वोल्यूम.2।
3. तोमर प्रिनका एंड गोतम संजय, साइबर क्राइम एंड प्रेवेंटिव मेअसुरेस् बी.पी.बी.
4. Srivastava V.P., An introduction to cyber crime investigation, Indian Publication Delhi
5. Anant D. Chinchure (2010), Global Response to Secure Cyberspace : A comparative Study of National Strategy of USA and India.
6. Gupta Arun (2006) Cyber Crime and Jurisdictional Problem, CBI Bulletin.
7. Dr. Anita Verma (2007), 'Cyber Pornography.' Army Institude of Low Journal, vol-1
8. Dr. Gurbax Singh Karkara and Dr. S.K. Sharma, 'Law of Cyber Crimes in India.' Journal of The Legal Studies.Vol-12

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
September 2021 Page No. : 77-80

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

जानकी जीवनम् में माता के अधिकार

–डॉ० रजनी धाकरे

चन्द्रकमल महाविद्यालय, बिछवां, मैनपुरी।

जनको जन्मदातृत्वात् पालनाच्च पिता स्मृतः।
गरीयान् जन्मदातुश्च योऽन्नदाता पिता मुने।।
तयोः शतगुणं माता पूज्या मान्या च वन्दिता।
गर्भधारण पोषाभ्यां सा च ताभ्यां गरीयसी।। (ब्रह्मवैवर्त पुराण, गणेश अध्याय – 40)

जन्म देने के कारण पिता को जनक और पालन–पोषण करने के कारण पिता कहा जाता है। किन्तु जो अन्नदाता पिता है वह जन्मदाता से श्रेष्ठ है, साथ ही माता इन दोनों से सौ गुना परम पूज्यनीय और दन्दनीय है क्योंकि वह गर्भ में धारण करती है और पोषण करती है। अत वह इन दोनों से श्रेष्ठ है।

माता सन्तान के लिये क्या महत्व रखती है और उसके अधिकार क्या हैं इस विषय में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा। माता जो सन्तान रूपी रचना की रचनाकार है, उस व्यक्ति का अपनी ही रचना पर कितना अधिकार है। इस विषय में कुछ भी कैसे कहा जा सकता है।

माता सदैव अपने कर्तव्यों का पालन करती है। कभी भी अपना अधिकार नहीं दर्शाती। परन्तु यदि वह देखती है कि उसकी सन्तान जीवन पर संकट है, तो वह सब कुछ भूल कर उग्र हो उठती है और तभी उसके कर्तव्य, अधिकार में परिवर्तित हो जाते है। क्योंकि वह उसकी जन्मदात्री है। पीड़ा व कष्ट को उसने सहा है। माता सन्तान के लिए प्रथम इकाई है वह यदि चाहे तो पिता की आज्ञा को न मानने के लिए कह सकती है। क्योकि माता का स्थान विद्वानों ने सहनों पिता से भी श्रेष्ठ बताया है।

सहसंतु पितृन्माता गौरवेणतिरिच्यते। (मनु०–2/145)

वाल्मीकि रामायण में जब राम माता कौशल्या से वन गमन की आज्ञा लेने गये तो माता कौशल्या ने स्पष्ट शब्दों में राम से कहा था कि यदि पिता वन जाने की आज्ञा दे सकते हैं, तो में तुम्हें वन जाने से रोक सकती हूँ। क्योंकि में तुम्हारे लिए आदरणीय हूँ। देखिये महर्षि वाल्मीकि के वचनों में माता के अधिकार –

यथैव ते पुत्र पिता तथाहं
गुरूः स्वधर्मेण सुहृत्तया च।
न त्वानुजानामि न मां विहाय
सुदुःखितामर्हसि पुत्र गन्तुम्।। (बा० रा0– अयो0–21/52)

इतना ही नहीं माता कौशल्या ने तो यह भी कहा कि यदि उन्होंने मेरी आज्ञा न मानी तो में अपने प्राण भी त्याग दूंगी। देखिये अध्यात्म रामायण की पक्तियाँ दृष्टव्य है –

पिता गुरूर्यथा राम तवाहमधिका ततः ।
पित्राऽज्ञप्तो वनं गन्तुं वारयेयमहं सुतम् ।
यदि गच्छसि मद्वाक्यमुल्लडय नृपवाक्यतः ।
तदा प्राणान्परित्यज्य गच्छामि यमसादनम् ।। (अध्या० रा0– अयो0–4/12–13)

वन की कठिनाईयों के कारण और अपने पुत्र प्रेम के कारण माता का हृदय व्याकुल हो उठा है। वह बिछोह की पीड़ा को सहन करने में असमर्थ थी।

माता सन्तान के मुखवन्द को देख कर सभी कष्टो को सरलता से सह लेती है उसे सदा यह विश्वास रहता है कि उसका पुत्र भविष्य मे योग्य बनकर उसके कष्टों को दूर करेगा और उसे वधू व पौत्रों के रूप में खुशी प्रदान करती है। यह सोच उसे कितना मानसिक संवल प्रदान करेगा। यह तो एक माता का हृदय ही जानता है। सन्तान का प्रेम क्या है और उसके लिए माता का कर्तव्य क्या है। यह माता ही समुचित रूप से जानती है। सम्भवतः इसे अन्य जन भी समझते हैं, तभी विद्वानो द्वारा लिखी गई रचनाओं में माता के लिए सम्मान और पूज्यनीय शब्द मिलते है।

माता के अधिकार क्या है, इस विषय में कुछ विवेचन प्राप्त नहीं होता क्यों कि माता के कर्तव्य ही माता के अधिकार है। माता सदैव प्रत्येक कार्य को अपना कर्तव्य मानती है। और उसे कार्य रूप प्रदान करती है। परन्तु जब उसके कर्तव्यों में बाधा आने लगती है और उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि सन्तान उससे दूर हो रही है तो वह व्यथित हो उठती है और उन कर्तव्यों को अधिकार का रूप प्रदान करके सन्तान का हित करना चाहती है।

जानकी जीवनम् महाकाव्य भी कविवर मिश्रजी ने माता को कर्तव्यपरायण ही सिद्ध किया है। परन्तु जब स्थिति परिवर्तित हुई और माता को यह अनुभव हुआ कि इससे सन्तान को कष्ट होगा तो उससे मातृपद के अधिकार का प्रयोग किया और सन्तान का हित करने की कोशिश की।

माता सुनयना की पुत्री सीता जो उन्हें पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त हुई थी, परन्तु फिर भी उन्हें प्राणों से अधिक प्रिय थीं। सीता के विवाह के विषय में भी वे बहुत अधिक चिन्तित थीं। राम को देखकर उनके व्यथित हृदय को शान्ति प्राप्ति हुई। जब उन्होंने पिनाक धनुष उठाया तो उनके कोमल शरीर को देखकर उन्हें बड़ा कष्ट हुआ , परन्तु जव धनुष टूटा उन्हें सर्वाधिक प्रसन्नता हुई।

आरोप्य मौर्वीमपि यावदेव कोदण्डदण्डे परिपूरयेत्सः।
भग्नं धनुस्तावदहो पुराणं प्रचण्ड रावैश्शलथयत्त्रिलोकीम् ।। (जा0 जी0–7/70)

धनुष भंग के पश्चात् महारानी सुनयना ही सर्वप्रथम उनका अभिनदन करने आई। यह उचित भी था क्योंकि वे सीता की माता थी पुत्री से सम्बन्धित किसी भी कार्य का प्रथम अधिकार माता का ही होता है। देखिए कवि के शब्दों मे –

ततश्च सीरध्वजपट्टराज्ञी सहैव वृद्धाभिरूपेतपार्वा ।
ननन्द जामातरमम्बुदाभं सहोदरञ्चापि हिमावदातम् ।। (जा0 जी0–7/78)

कन्यादान में माता का अधिकार है। देखिये –

ततश्च सम्पाद्य तदेव कृत्यं वधूटिकावेणलसत्सुतायाम।

स कारयामास निजानुरूपां किया महिष्याऽपिशु भामनूनाम् ।। (जा0 जी0–8/30)

पुत्री को वधू रूप में देखकर माता के हृदय को कितनी प्रसन्नता होती है यह तथ्य अवर्णनीय है। पुत्रों का जब विवाह होता है तो माताओं को अतुलनीय प्रसन्नता होती है। उनकी उस प्रसन्नता का मुख्य कारण उनके पुत्र ही है। वर्तमान में भी पुत्र जब विवाहोपरान्त वधू को लेकर आता है तो सर्वप्रथम माता ही आरती उतारकर और मंगलकृत्यों द्वारा उनका गृहप्रवेश करती है। कवि ने प्राचीन काल से चली आ रही इस परम्परा का निर्वाह तीनों रानियों द्वारा बनाकर माता के अधिकार को दर्शाया है। देखिए कवि के शब्द –

प्रथम दीपक व्रातैरानुपूर्ताऽभिनन्दनम्।
वधूनां किल सर्वासा विदधे स्मितमण्डिता।।
स्नुषा प्रावेशयद् राज्ञी सुभगे राजमंन्दिरे।
ललनाजनकण्ठोत्थगीत ध्वनिमिरजिते।। (जा0 जी0 –9/24–31)

दशरथ राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे सभी तैयारियाँ हो चुकी थी। दैव योग से उसी क्षण कुविचारों ने मन्थरा के विचारों में प्रवेश किया और उसने कैकेयी को अपने वचनों से उग्र बना दिया –

लता शाखिशाखाच्युता कान्तभक्ति प्रगाढ़ानुरागच्युता चापिभार्या।
सकृदभूशये राज्ञि! शीर्षाधिरोहमअवाप्तुं क्षमे नैव सत्यं ब्रवीमि।। (जा0 जी0 – 10/40)

कैकेयी जो राम को अपने पुत्र भरत से अधिक प्रेम करती थी। परन्तु अपने पुत्र के जीवन के प्रति उसके भविष्य की चिन्ता ने माता के अन्दर अधिकार की भावना को जाग्रत कर दिया। उसे राम के राज्याभिषेक में भरत का पतन दिखाई देने लगा। इसलिए उसने अपना प्रभाव दिखाने के लिए कोपभवन में प्रवेश किया यह दिखाने कि लिए कि वह अभी भी अपना अधिकार हासिल कर सकती है –

गमिष्याम्यहं मन्थरे! कोपगेहं मया चिन्तित भाविकृत्यं यदस्ति।
त्वमप्यद्य में पश्य रूपप्रभावं नृपप्रेयसीत्वं गतं वर्तते वा।। (जा0 जी0 – 10/47)

कैकेयी ने अपना अधिकार दो वरों के रूप में प्राप्त किया, जिसमे से एक वर में भरत को राजपद प्राप्त किया।

अनेनैव राज्याभिषेकोत्सवेन सुतः स्थाप्यताम्मे वरोऽयं स एकः!! (जा० जी०– 10/66)

यह वर तो उसने भरत को राजपद दिलाने के लिए माँगा। उसकी अधिकार की भावना का उग्र रूप में तो उस समय देखने को मिलता है, जब वह द्वितीय वर के रूप में राम को चौदह वर्ष का वनवास माँगती है। देखिये –

वसानस्तपोवल्कलं बद्धकेशः उदासीनवृन्तिश्च रामो वनान्ते।
दशाब्दं तुरीयाधिकं यावदास्तामयोध्यातिदूरं वरोऽयं द्वितीयः।। (जा० जी०– 10/67)

यह था एक माता के अधिकार का रूप, जो अपने पुत्र को सम्पूर्ण रूप से सुरक्षित करके उसे उसका अधिकार दिलाना चाहती थी। इसलिए उसने भूपति के प्रयसी होने का लाभ उठाकर के पुत्र के अधिकार को प्राप्त किया। पुत्र के लालन पालन का अधिकार भी माँ को ही है। माता जिस प्रकार पुत्र का ध्यान रखती है उतना अन्य काई नहीं रख सकता है। जब वे पुत्र बड़े होकर तोतली भाषा में बात करते है घुटनों के बल या नन्हे–नन्हें परों से छोटे–छोटे डग भरकर ऑगन में क्रीडा करते हैं तो माता को अपार हर्ष होता है। देखिये–

जनकजातनुजौ परिवर्धितौ सपदि हायनपञ्चकंसंयतौ।

मधुरया च गिरा घृतवाचिका स्वजनचित्तमरञ्जयतामुभौ।। (जा0 जी0 –19/24)

लव–कुश जब थोड़े बड़े हुए। तब एक दिन महर्षि वाल्मीक राम के समीप आये। दोनो पुत्रों को ज्ञान देने की सही अवस्था है, राम ने यह सोचकर उन्हें महर्षि वाल्मीक के आश्रम में भेजने का विचार किया, जिससे वे वहाँ जाकर समुचित ज्ञान प्राप्त कर सकें। कवि के शब्दों में –

सविनयं पुनरेव निवेद्यते जनकजातनयौ यदिमौ भवान्।

गुरूकुलेऽप्युपनीय निजाश्रमे प्रविद धातु यथारूचि संस्कृतौ।। (जा0 जी0 – 19/34)

दोनो पुत्रों का महर्षि वाल्मीक के आश्रम में जाना सुनकर सीता जी पुत्र प्रेम से व्याकुल हो उठी। परन्तु दूसरी और उन्हें कुल की मर्यादा का भी ध्यान था, इसलिए उन्होंने मातृधर्म के साथ–साथ कुल की मर्यादा का पालन करने हेतु दोनों पुत्रों के विषय में राम जी से कहा –

कुशलवौ रघुनाथ! सुकोमलौ परूषकाननदारूणजीवनम्।

न किल सोदुमिमौ सहजं क्षमौ विरहितौ नु कदापि कुटुम्वतः।।

कुशलवौ तव कीर्तिकुशीलवौ रघुपतेऽत्र ममापि यशः परम्।

ध्रुवमहं तनस्मृतिकातरा मरणमेव गतास्मि न संशयः।। (जा0 जी0 – 19/39–41)

उन्होंने अपने पुत्र प्रेम को प्रकट करते हुए अपनी प्रार्थना को कहा कि पुत्रों के साथ जाने की आज्ञा दे दे। जिससे उनका दुःख कुछ तो कम होगा और पुत्रों की भी माता की कमी महसूस न होगी –

त्रिपथगाभिषवैननु वृण्वती महितपुण्यमवेक्ष्य तपोवनम्।

कुशलवौं च निवेश्य यथोचितं त्वरितमेव भवन्तमुपाश्रये।। (जा0 जी0 – 19/48)

जब राम ने अपने प्रेम से उन्हें रोकना चाहा कि उनके प्रति भी तो सीता का कुछ कर्तव्य है, तो सीता ने राम से कहा कि मैं तो आपके लिए एक हूँ लेकिन आप तो मेरे लिए तीन रूपों में विभका हो गये हैं। अतः मेरा कर्तव्य तो सभी के प्रति है। देखिये कवि के मार्मिक उद्‌गार –

कुशलवौ रघुनाथ! तवात्मजौ मम पुनर्वपुरात्मधरौ च तौ।

ननु विभज्य निजं त्रिषु विग्रहं त्रितयमेव कृतं मम सौहृदम्।। (जा0 जी0 –19/56)

सीता जी के वचनों को सुनकर राम ने उन्हें कुश–लव के साथ जाने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार माता के अधिकार की विजय हुयी। यद्यपि राम चाहते तो वे सीता को कुश–लव के साथ जाने की आज्ञा न देते, परन्तु उन्हें माता की स्थिति का भी भान था। वे माता के सन्तान के प्रति अधिकारो से भी भिज्ञ थे। अतः उन्होंने आज्ञा दे दी –

भवतु गच्छ मतं तव रोचते कुशलवौ वृणुतां स्थिरतां त्वया।

स्वयमहं भवतीमवलोकये गुरूकले प्रथिते सह सोदरैः।। (जा0 जी0 – 19/59)

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
September 2021 Page No. : 81-85

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Cyber Crime and Law in India

-Professor (Dr.) Shakeel Ahmad
-Mr.Rahul , Ph. D Research Scholar,
Department of Law Aligarh Muslim University, Aligarh, UP, India 202002

Abstract :-

21stCentuary is the era of Technology. Today's global technology is seen through online transactions. The web is considered a worldwide stage. The new digital technology has made dramatic changes in the life of humans being. Rapidly new businesses and new consumers are increasingly using computers and the internet to create, transmit and store information in electronic form instead of traditional paper documentation. Information stored in electronic form is very easier to store, retrieve, and speedier to communicate in comparison to the traditional methods but few people are misusing this technology and unauthorized access in the cyber space so many new crime has been emerge after the existence of the Internet like. Online fraud, corruption, cyber pornography, Child pornography, Cyber bulling, cybercrimes against women, etc. Research paper study is conducted for emphasizing on how cyber law will help to the public and how the citizen will get fast relief by the court of law if he is aggrieved by any offence which is punishable under Information Technology Act 2000.

KEY WORDS :- Technology,Computer,Cybercrime,Information.

Introduction :-

Crime is a social phenomenon in the society. It is also exists in the ancient society. "It is true that both crime and criminal are looked upon with greatest hatred by all sections of the people in society, but it is also true that the study and research of the law of crimes has always been one of the most attractive branches of Jurisprudence since the early years of human civilization." According to Terence Morris: "Crime is what society says is crime by establishing that an act is a violation of the criminal law. Without law there can be no crime at all although there may be moral indignation which results in law being enacted".

Since the beginning of civilization, Human being has always been motivated by the need to better the existing technologies for their easier life. This has led to tremendous development and progress in the Society. "Cyber Space is governed by a system of laws and regulations i.e. called Cyber Law.

With the rising sphere of IT sector in country, the parliament enacted the Information Technology Act, 2000, to govern cyber crime and electronic governance. This law was inspired from "The United Nations Commission on International Trade Law embraced the model law on e-Commerce to spearhead legal uniformity globally in 1996. It was further adopted by the General Assembly of the United Nations by passing a resolution on 31st January 1997. The General Assembly of the UN-endorsed this model law as the backbone of the cyber laws of

different countries. Soon, India became the 12th country to legitimize cyber regulations."

In India, the Information Technology Act,(21 of 2000) which come into force on 17thOctober, 2000. Most of the new concepts like E-Commerce, E-Governance, E-Record, Digital Signature are covered under this Act. In 2008, a major amendment was done, which inserted section 66A and 69 in the act. Additionally, it introduced provisions addressing child porn, cyber terrorism and voyeurism.

Objectives of the I.T. Act.

The main object of this Information Technology Act to provide Legal Recognition for transaction carries out by means of Electronic data interchange and in other means Electronic Communication generally it is known as e-Commerce. After the passing of this Act so many provisions and sections has been changed under the Indian penal code ,1860,the Indian evidence Act,1872 Banker's book Evidence Act,1891, and the Reserve Bank of India Act,1934. It is the most important law in India which deals the cyber crimes or digital crimes or electronic commerce and punishment for the offences. "To respond and give effect to the United Nations call to all States to give favourable consideration to Model law when they enact or revise their laws so as to facilitate harmonization of the laws governing alternatives to paper based methods of communication and storage of information. To provide legal recognition for transactions carried out by means of electronic data interchange and other means of electronic communication, commonly called as electronic commerce which involve the use of alternatives to paper based methods of communication and storage of information and to facilitate electronic filing of documents with the Government agencies so as to promote efficient delivery of Government services by means of reliable electronic records."

Salient features of the Information Technology Act :-

1. All electronic contracts made through secure valid and legal form.
2. IT Act gives Legal recognition for digital signatures.
3. The IT act gives the new birth for Security measures for electronic records and also digital signatures.
4. It gives a procedure for the appointment of adjudicating officers for holding inquiries
5. Provision for establishing a Cyber Regulatory Appellant Tribunal under this Act.
6. Tribunal shall handle all appeals made against the order of the Controller or Adjudicating Officer.
7. An appeal may lie against the order of the Cyber Appellant Tribunal(CAT) is only in the High Court.
8. Digital Signatures shall be use an asymmetric cryptosystem .
9. Under this act the Provision for the appointment of the Controller of Certifying Authorities (CCA) to give license and regulate the working of Certifying Authorities. The Controller to act as a repository of all digital signatures.
10. The Act applies to all the offences or contraventions committed outside India.
11. Senior police officers and other officers can enter any public place and search and arrest without warrant of the Magistrate
12. Under this Act the Provisions for the constitution of a Cyber Regulations Advisory Committee (CRAC) to advise the Central Government and the Controller.

Cyber Crime :-

The word ' cyber crime' has neither been defined in any section of the Information Technology Act,2000 nor any other legislation in India. It can be defined as a crime in which a computer is the object of the crime for hacking ,punishing, spamming or used as a tool to commit an offence like child pornography, hate crime,etc.

"The term cyber crime is a very wide term and therefore cannot be defined in just one to two sentences. However, if we look at the nature of this crime, it can be said that it is that type of crime in which computers and computer networks are put into use or more specifically, abuse, and the crime is committed either 'through' them or 'to' them or both. According to a survey by Ipsos, the frequency of complaint filed by Indians are much higher, that is, 32% higher compared with that of the U.S., U.K. and other technologically advanced countries where it ranges only about 11-15%. The 32% data is for the complained cases let alone the non complained ones" .

As we can say that cyber crime is just a combination of crime and computer. To put it in simple terms "any offence or crime in which a computer is used is a cyber crime". Very Interestingly even a petty offence like stealing or pick-pocket can be brought within the broader purview of cyber crime if the basic data or aid to such an offence is a computer or an information stored in a computer used (or misused) by the fraudster. The Information Technology Act defines a computer "means any electronic, magnetic, optical or other high-speed data processing device or system which performs logical, arithmetic and memory functions by manipulations of electronic, magnetic or optical impulses, and includes all input, output, processing, storage, computer software or communication facilities which are connected or related to the computer in a computer system or computer network."

"Digital India may have become a soft target for criminals as country recorded a huge increase of 63.5 percent in cyber crime cases in the year 2019, showed the National Crime Record Bureau data. The NCRB's data stated that 4,4546 cases of cyber crimes were registered in 2019 as compared to 28,248 in 2018.The data showed in 60.4 percent of cases, registered fraud was the motive followed by sexual exploitation (5.1%) and causing disrepute (4.2%). Highest number of cyber crime cases were registered in Karnataka (12,020) followed by Uttar Pradesh (11,416), Maharashtra (4,967), Telangana (2,691) and Assam (2,231). Among the Union Territories, Delhi alone accounted for 78 percent of cyber crimes."

Classification of Cyber Crime :-

Cyber Crime can be classified into four following categories -

1. Cyber Crime Against the Individuals
2. Cyber Crime Against the Property
3. Cyber Crime Against the Organizations
4. Cyber Crime Against the Society

1. Cybercrimes against the individuals.

Cyber Crimes are committed by the Criminals against any individual person for examples.

a) Harassment via e-mails (Online a method of sending e-mail using a false name or e-mail address to make itappear that the e-mail comes from somebody other than the true sender.)

b) Cyber pornography (exm.MMS)

c) Cyber-stalking.

d) Dissemination of obscene material.

e) Defamation.

f) Cheating and fraud

g) Unauthorized control/access over the computer system.

h) Indecent exposure

i) Email spoofing

j) Spamming

k) Phishing

l) Hacking

m) Cracking

2. Cyber Crimes Against the Property.

Cyber Crime against the property includes vandalism of computers, Intellectual (Copyright, patented, trademark etc) Property Crimes, Online threatening etc. Intellectual property crime includes :-

a) Software piracy

b) Copy Right Infringement

c) Trademark Infringment.

d) Cyber squatting

e) Cyber vandalism

f) Hacking Computer System

g) Transmitting Virus

h) Cyber tresspass

3. Cyber Crime Against the Government.

"Cyber crimes against the Government.Cyber terrorism is one distinct kind of crime in this category. The growth of internet has shown that the medium of Cyberspace is being used by individuals and groups to threaten the international governments as also to threaten the citizens of a country. This crime manifests itself into terrorism when an individual cracks into a government or military maintained website. The Parliament attack in Delhi and the Mumbai attack fall under this category."

4. Cyber Crime Against the Society :-

An unlawful act done with the intention of causing harm to the large number of person of a society which society at large effect there are following offences include under the category of cyber crimes against the society like..

a) Child Pornography

b) Cyber Trafficking

c) Online Gambling : Online fraud and cheating is one of the most lucrative businesses that are growing today in the cyberspace. In India a lot of betting and gambling is done on the name of cricket through computer and internet. There are many cases that have come to light are those pertaining to credit card crimes, contractual crimes, offering jobs, etc.

d) Financial Crimes : This type of offence is common as there is huge growth in the users of networking sites and phone networking where culprit will try to attack by sending bogus mails or messages through internet. Ex: Using credit cards by obtaining password illegally.

e) Forgery : It means to deceive to persons at large numbers.

Conclusion :-

Today we are living in the age of Technology where every one is depend on Technologies now we can say that technology is a mile stone in the development of the human life. Life is very easy after the rapid growth and development of the technologies but on some time we pay a huge loss.In the recent years number of cyber crimes is a big threats to the Human Kind. So its very necessary to make strict laws to regulate the technologies.

References :-

1. S.N. Mishra. Indian Penal code, Central law publication,16th Edition 2008,
2. Bare Act, Information Technology Act, 2000.
3. Klare H.J. Chamging concepts Cybersecurity Laws In India: https://www.appknox.com/blog/cybersecurity-laws-in-india
4. Objectives and the salient features of information. https://www.thelawgyan.com/2021/02/02/the-objectives-and-the-salient-features-of-information-technology-act-2000/
5. An Analysis on Cyber Crime in India. http://www.legalserviceindia.com/legal/article-797-an-analysis-on-cyber-crime-in-india.html
6. Digital India Sees 63.5% Increase In Cyber Crime Cases, Shows Data. https://www.ndtv.com/india-news/digital-india-sees-63-5-increase-in-cyber-crime-cases-shows-data-2302958
7. Singh et al., International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering 3(5),May - 2013, pp. 997-1002 Available at http://ijarcsse.com/Before_August_2017/docs/papers/Volume_3/5_May2013/V3I5-0374.pdf

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
September 2021 Page No. : 86-91

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Effect Of Yoga On The Stress Level Of Kho Kho Players : An Empirical Study

-Dr. B.S. Chouhan, Dean faculty of Physical Education
-Mr. Rakesh kumar, Research Scholar,
Bhupal Nobles' University, Udaipur (Raj.)

Abstract :-

India is a land of culture and diversity. Many games have been originated and played here. Kho kho is one such game that originated and played in our country for ages and even its modified a lot. It has also gained international recognition. Players mental and physical wellbeing is essential so that they can outperform in the matches. They need to be flexible, have good strength, balance and focus to excel in the game. Stress has become part of everyone's life and even players have stress related to their performance, match, competition. Stress needs to be addressed and treated on time, if not controlled it may badly affect their physical and psychological health. Yoga is known for its numerous benefits and is also said to help reduce stress. The following study is conducted to find out the effect of yoga in the stress level of khokho players. It was done on 75 khokho players in Rajasthan.T-test was done to find out the significant positive difference in the stress level of players before and after the inclusion of yoga in their training schedule. It was found that the stress level was reduced for the experiment group.It is recommended that even twice or thrice inclusion of yoga along with the daily training routine of the player will be beneficial for their performance and improving their physical and psychological wellbeing.

Keywords - Yoga for stress reduction, stress among player, kho-kho player

Introduction :-

Kho Khois a traditional Indian sport and is known to have its origin from Maharastra. Over the years and with modification it is also recognised at the international level. Kho khois a team game looks for both physical and mental fitness of player as they have to take instant decision and chase and defend tactfully. Its player needs to have individual traits as stamina, strength, flexibility, agility running speed, decision-making power, chasing, prompt decision making, confidence as well as traits to play in a team. For a team to excel its players need to be fit both mentally and physically. Physical issues are visible and treated. Mental issues are hidden and can't be figured easily. We have seen that stress has become a part of everyone life whether it's a kid, young or old It can be due to any reason and can occur at any point. The stress effects differ from person to person and the way of dealing with it also differs for everyone. Stress creates lethargy, dizziness, anxiety, depression various health and physical issues. Prolonged stress creates more dangerous health issues.

Players have the heart of their supporters, coaches, team, family, region, religion. To excel in the match they need to give outstanding performance. They especially need the mind-body connection to excel in their performance.Many things are going in the back of their mind creating stress as their performance, practice, competition. They need to have proper training and practise and give up so many things on day to day basis to excel. Many players give good performance throughout but at the time of the match, they take extreme stress affecting their overall performance. It is found that hopes and the inner will to outperform in the match also create a stressful situation for them but it is always assumed that they have so many supporters and are always surrounded by their family, coaches and supporters where ever they go, what can cause stress for them. It is difficult and debatable to find an answer to this. Many players find it difficult to deal with the thoughts of losing the game, face media questions and how to give their best performance. They even have to perform better than last time, they even become their competitors, and more success increases more expectations from them.Stress also affect the sleep pattern,creates anxiety, anger issues, lack of patience, and leave a player with no relaxation time. (Griffith, 2021)

Studies have shown that stress affects the recovery time and cognitive functions of players as reacting decision making. Commonly three types of stress are found in the players:

Competitive Stressor :- These are most common and directly related to the game or training related to the game as injuries, performance

Organizational :- This is related to the relation with the coach, the team members and the organisation with which they are associated

Personal :- This relates to one's lifestyle, issues and commitments.

Yoga is said to be a stress reducer activity. It is an age-old practice considered anantidote in the present day stressful life. It is known for its enormous benefits, few of them are making us flexible, improves mobility, sleep cycle, balance and overall performance, even aids in keeping one stress-free. It creates a better mind-body connection where one gets aware of all positive and negative thoughts and can comprehend and relax ("Yoga for Stress: Breath, Poses, and Meditation to Calm Anxiety", 2021)

In this paper, the author tried to study the stress level of thekhokho players before and after inclusion of yoga in their training routine.The study was conducted with the following objective :-

- To study the literature on the effects of yoga on players
- To examine the effect of yoga in reducing the stress level of the players

The author tried to throw light on the effect of the inclusion of yoga in the training of the kho-kho player. It will be helpful for the authorities to get insights from it. Stress factors should not be neglected and we need to work on them so that our players can perform better and have physical and mental well being to succeed in the game.

Literature Review :-

In a study, the mental health of khokho players by their achievement level was studied. For this 40 national and 40 state level, 40 district level players were considered. National level players were having more positive mental health compared to state and district level. The conclusion was drawn that mental health differs from the achievement level of players.(Kumar Tiwari &Agashe, 2016)

In a study conducted on volleyball players to see the effect of yoga, Surya namaskar on players. The

participants were divided into three groups as control, yoga and Surya namaskar group of thirty each. They were given respective training for six weeks and the session covered were six in this duration. Suryanamaskar and yoga helped reduce the negative attitude, anxiety, improving motivation and self-realisation.(Arun, S. V. 2016)

A study was conducted on volleyball, football and handball players to find theirstress and anxiety level before and after inclusion of yoga . The experimental group was given six-week training of yoga asanas and developed scales of stress and anxiety were used to find out the result. The stress level was reduced in the group which were exposed to yoga training.(Gopinathan, P. 2016).

In another study, the author explored the effect of practising yoga and specific exercises on the psychological aspects of a hockey player. For this forty-five players of the age range, 14 to 16 were taken. Three groups were created having fifteen players as Control group, Yoga group, Stress-reducing exercise group. These groups were given training for 12 weeks of yoga, stress-reducing exercise respectively. The results showed that players of the yoga and stress relieving exercise group have better output than the control group. Apart from factors like anxiety, depression and so on yoga group also showed good results in coordination and reaction traits of the players. It was concluded that the inclusion of yoga or stress-relieving exercise improves the physical and psychological wellbeing of players. (Karthikeyan, J. 2017).

The author study explored the effects of hatha yoga on making people stress free and relax. It was found that yoga hasa different effect on different people as the study was limited the author suggestsdoing it on large scale using meta-analysis techniques.(Ganguly, S. 2018).

Anxiety level was studied among the khokho players of inter-college and interuniversities. Forty-eight female players have studied their age ranged between 19-25 years. The questionnaire was filled by the players before the competition. No difference exists in the trait anxiety but it does exist in state anxiety. The conclusion drawn was players have a different level of anxiety depending on the level they are playing. (Khatun, A. 2018).

A study was done to find out the stress among the khokho and kabaddi players. it was conducted on 120 students. 60 of each game and each game have both male and female players. khokho players had more stress than the kabaddi players. no difference in the stress was the scene when we divide the group as male and female.(Husainbhai, S. S. 2019).

In a study, the author studied the importance of yoga in improving the psychological traits required for good performance. It was concluded that yoga helped in improving the activeness, attentiveness, creating the right spirit, cognitive skills of the players.(M, 2020)

Effects of meditation were studied on the anxiety level of players, they were divided into 2 groups one was the control and another experimental group. Tests were taken before and after the conduct of 1 month. the meditation hasa positive impact on reducing the anxiety of the players.(TC & Balasubramanian,2020)

The benefits of yoga were studied on softball players suggesting a general guideline for sportspeople.it was done on seventy-five players of seventeen to twenty-two age. Daily yoga training was given to them. At the end of the training, it was found that it helped to improveagility, mobility, strength and flexibility, balance along with improving the mental health of the players. (Mankar, S. S. 2020)

Reasons behind yoga to be treated as stress reducer were identified in a study. Perceived stress and

reaction to stress were studied in this. Five factors were considered as mindfulness, awareness, spiritual wellbeing, self compassion and self control. It was found that the stress reactivity decereases, self control increases. (Park, Finkelstein-Fox, Sacco, Braun & Lazar, 2020)

Research methodology :-

Hypothesis -

In this study the effect of yoga on the stress level were explored forkhokho players. The study was done with the following hypothesis

H0 : There is no significant difference in the stress level of khokho players by including yoga in training

H1 : There is a significant difference in the stress level of khokho players by including yoga in training.

Collection of data :-

To find out the effect of yoga on the stress level of the khokho players, the study was done on 75 players in Rajasthan.The players were divided into two groups as the experimental group having 37 players and the other was control group having 38 players. The study was conducted for a twelve-week period where the experimental group was exposed to yoga practices along with their training thrice a week. The control group was following their normal training routine.

Measuring instrument :-

To study stressEverly and Girdano stress scale was used. It had 14 questions, all the statements were positive having 4 options as "Almost always true", "Usually true", "Seldom true" and never true. Almost always true was given 4 and never true as 1. The score ranged from 1 to 56, The low score on the scale indicates a low stress level. Respondents answers were taken twice on the same questionnaire, first before conducting the study and second time including yoga in their training for tweleve week period.

Statistical method :-

To determine the difference in pre and post-test stress levels of the control and experimental group t-test were applied. Analysis was done using the statistical software SPSS (version 26) and Ms Office- excel. The level of significance was fixed at 0.05 level.

Data analysis and interpretation :-

Following are the results of the t-test test conducted on the data collected. Pre and post-test results are explained in the following tables.Table1 shows the group statistics and Table 2 infer the results of the control group and the experiment group

Table 1: Group Statstics

		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pre Test	Control	38	40.6579	5.00959	0.81266
	Experiment	37	40.6216	4.86685	0.80010
Post Test	Control	38	40.7895	5.20477	0.84432
	Experiment	37	37.6216	5.60432	0.92134

Table 1, indicates the group statistics and we can infer from it that the mean score of the experiment decreased from 40.6215 to 37.6216. The decrease in the mean score implies that the stress level has been reduced; whereas we don't find any major difference in the mean score of the control group.

Table 2 : Paired T-test

	Control Group		*Experiment Group*	
	Pre Test	*Post Test*	*Pre Test*	*Post Test*
Mean	40.65789474	40.78947368	40.62162162	37.62162162
Variance	25.09601707	27.08961593	23.68618619	31.40840841
Observations	38	38	37	37
Pearson Correlation	0.966346712		0.975343689	
Hypothesized Mean Difference	0		0	
Df	37		36	
t Stat	-0.605737476		13.27757951	
P(T<=t) one-tail	0.274193585		9.69059E-16	
t Critical one-tail	1.68709362		1.688297714	
P(T<=t) two-tail	0.54838717		1.93812E-15	
t Critical two-tail	2.026192463		2.028094001	

To test the hypothesis we had done paired sample T-test. As table 2 suggest p-value is more than 0.05 for control group, so we retain the null hypothesis that there is no significant difference in the stress level of the control group pre and post-test. For experiment group p-value is less than 0.05, so we reject the null hypothesis and accept our alternative hypothesis that there is a significant positive difference in the stress level of the experiment group after including yoga in their training.

Through this study, we can conclude that yoga is beneficial in reducing the stress level of the players, as the experiment group show reduction in the mean scores but the control group have shown no change in the stress level after the experiment period.

Recommendation :-

- Yoga should be part of the training schedule and it is found that even done twice or thrice in a week gives a positive result
- Stress should be focused on and deal with very nicely
- Counselling should be provided to players who seem to show signs of stress
- Players should be taught to give equal importance to relaxation and fun activities in their training time.
- Periodic breaks are suggested for the players to take from time to time, where they just relax and come back again after with full zeal and passion. Continuous consciously and subconsciously thinking about the game affect their performance.

Conclusion :-

Mental health is no more considered taboo in our country, it is been openly talk and shared by the players. For a player to give his best in a match they need to be fit mentally and physically, stress should not be neglected and measures should be taken to keep players physical and mental well-being good. Based on the study conducted

we can say that yoga practice help players to reduce their stress and play mindfully and actively. Yoga has enormous benefits and studies are done to see its effect on various aspects of players life like improving their flexibility, agility, concentration, cognitive, balancing and make them more active and alert. Mind and body are interconnected, calm and peaceful mind results in good performance and stress is cause of tension and poor performance. Yoga is known for curing both mind and body. Yogis are known to be resilient in stressful condition.(Parshad, O. 2004). Therefore, it should be part of the training routine of the players. Physically and mentally fit players can give their best performance and even can handle the loss with sportsman spirit.

References :-

1. Arun, S. V. (2016). Effect OfYogasanas And Suryanamaskar On Selected Psychological Variables Among College Men Volleyball Players. Journal DOI, 44975451.
2. Davidson, A. (2021). 3 Types of Psychological Stress Affecting Athletes In-season - Firstbeat Sports. Retrieved 21 August 2021, from https://www.firstbeat.com/en/blog/3-types-of-psychological-stress-affecting-athletes-in-season/
3. Ganguly, S. (2018). Role Of Yoga And Regular Exercise For Stress Management And Healthy Living: An Opinion. Ganesar College Of Arts And Science, 6.
4. Griffith, L. (2021). Star athletes are putting mental health first. Here's how to help players deal with stress.
5. Retrieved 19 August 2021, from https://www.sanluisobispo.com/living/family/linda-lewis-griffith/article253472139.html
6. Gopinathan, P. (2016). Effect of yogasanas on stress and anxiety among inter collegiate players. International Journal of Adapted Physical Education & Yoga, 1(1), 1-5.
7. Husainbhai, S. S. (2019). Stress among Khokho and Kabaddi Players of College Students. Stress. RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary, 4(50, 15-17
8. Karthikeyan, J. (2017). Effect of yogic practices and stress reducing exercises on selected psychological variables among hockey players. International Journal of Yogic, Human Movement and Sports Sciences, 2(2), 68-70
9. Khatun, A. (2018). A study on state and trait anxiety level between Inter College and Inter University female Kho-kho players. International Journal of Physiology, Nutrition and Physical Education , 3(2), 442-445
10. Kho Kho (India) - Traditional Sports. Retrieved 21 August 2021, from https://www.traditionalsports.org/traditional-sports/asia/kho-kho-india.html
11. Kumar Tiwari, D., &Agashe, C. (2016). A Comparative Study of Positive Mental Health among Kho-Kho Players with Varying Level of Sports Achievements. International Journal Of Science And Research (IJSR), 5(4), 1582-1584.
12. M,Yallappa. (2020). A study on psychological importance of yoga with kabaddi players. International Journal Of Physical Education, Sports And Health, 7(3), 279-281.
13. Mankar, S. S. (2020). The role of yogic exercises on softball players. International Journal of Physiology, Nutrition and Physical Education , 5(2), 67-68
14. Park, C., Finkelstein-Fox, L., Sacco, S., Braun, T., & Lazar, S. (2020). How does yoga reduce stress? A clinical trial testing psychological mechanisms. Stress And Health, 37(1), 116-126. doi: 10.1002/smi.2977
15. Parshad, O. (2004). Role of yoga in stress management. The West Indian Medical Journal, 53(3), 191-194.
16. TC, S., & Balasubramanian, D. (2020). Dramatic Effect Of Meditation Practice On Anxiety Among College Level Men Foot Ball Players. Journal Of Emerging Technologies And Innovative Research, 7(5), 414-416. Retrieved from https://www.jetir.org/view?paper=JETIR2005366
17. Yoga for Stress: Breath, Poses, and Meditation to Calm Anxiety. (2021). Retrieved 6 August 2021, from https://www.healthline.com/health/fitness/yoga-for-stress#tips

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
September 2021 Page No. : 92-97

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

जानकी जीवन में नारी का मातृ रूप

–डॉ0 रजनी धाकरे

चन्द्रकमल महाविद्यालय, बिछवां, मैनपुरी।

दया, ममता, स्नेह से मिलकर बनती है एक नारी–माता जीवन पर्यंत वह जहां एक और अपने पति के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होती है, वहीं दूसरी ओर वह अपने स्वामी के अंश भूत उत्पन्न उनकी संतान के पालन पोषण व उचित शिक्षा व संस्कारों को स्थापित करने के लिए वचनबद्ध होती है। जीवन में अनेकों विषम परिस्थितियां भी आती हैं उन स्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति समय अनुसार अपना स्वरूप बदलता है। परंतु माता ही एक ऐसी है जो संतान चाहे, अंधी, अपाहिज या विकारों से युक्त अथवा कैसी भी परिस्थिति में हो, उसका ममत्व से युक्त हस्त सदैव उसके मस्तक पर विराजमान रहता है वह अपने आशीर्वाद और स्नेह से प्रत्येक स्थिति में उसे संबल प्रदान करती है और उचित मार्गदर्शन देती है।

माता ही है जो अपनी शिक्षा से संतान की पराजय को विजय में परिवर्तित कर देती है। जिस प्रकार माता विदुला ने युद्ध से भागकर आए पुत्र संजय में अपने वचनों से उसमें वीरता का संचार किया। उसने पुनः युद्ध किया और विजयी होकर लौटा। मदालसा ने अपने तीनों पुत्रों को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया परंतु राजा के कहने पर चतुर्थ पुत्र अलर्क को व्यवहार शास्त्र के साथ–साथ राजनीति का पूर्ण ज्ञाता बनाकर उसे धर्म, अर्थ और काम तीनों पुरुर्षाथों में पारंगत बना दिया। यही है नारी का महत्व। जीवन में सर्वप्रथम कन्या रूप में उत्पन्न होकर एक नारी को मातृपद प्रदान करती है और वही कलिका प्रस्फुटित होकर पुरुष की पत्नी बनती है। तदुपरांत नर से अंश ग्रहण करके वह परममहनीय मातृपद को प्राप्त कर अपने जीवन की सार्थकता को प्राप्त करती है।

विवाहोपरांत नारी का पत्नी के रूप में नवजीवन प्रारंभ होता है परंतु उसकी पूर्णता माता बनने के उपरांत ही होती है। माता ही है जो स्वयं एक से अनेक को प्रादुर्भूत करती है और सृष्टि को गतिमान बनाती है शिशु के लिए माता ही प्रथम इकाई, विद्यालय और उसका गुरु है। वह सर्वप्रथम इसी उसी की गोद में नेत्र खोलता है और उसके द्वारा स्थापित संस्कारों व प्रदत्त शिक्षा से अपने जीवन को सार्थक बनाता है। जनक की पत्नी सुनैना ने कई वर्षों तक कन्या की माता बनने के पद को प्राप्त नहीं किया था उन्हें यह उच्च पद प्राप्त हुआ तो वह हर्षाविभोर हो उठी वह कन्या उत्पन्न हुई तब अनुपम तेज से युक्त थी। उसकी उत्पत्ति से सुनैना को कन्या की प्राप्ति हुई। कन्या की उत्पत्ति के विषय में कवि की उक्ति देखिए–

व्यालोकि सर्वैरपि लाङ्गलाग्र प्रहारभिन्नोदरकुम्भतल्पे ।
सुखं शयाना मदिरायताक्षी दिवौकसां श्रीरिव कापि बाला ।
प्रफुल्लपद्यस्थमधुव्रताक्षी मनोज्ञचारूस्मितशोभिवक्त्रा ।
सुरालयस्था बलिदीपिकेव प्रभोर्ध्ववक्त्रं परितः किरन्ती ।। (जा0 जी0 – 1 / 42–43)

वर्तमान में आर्थिक संकट के कारण कन्यायें अभिशाप प्रतीत होती हैं। दम्पत्ति भी पुत्री नहीं चाहते सदैव पुत्र ही चाहते हैं परन्तु वर्तमान में क्या ऐसा सम्भव है। परन्तु वैदिक साहित्य के वचनानुसार कन्या के जन्म पर किसी को भी दुःखित नहीं होना चाहिये।

अथ य इच्छेदुहिता में पण्डिता जायेत सर्वमायुरियात्। (वृहदारण्यकोपनिषद् -6/4/17)

वैदिक काल में सभ्यता अत्यन्त विकसित थी क्योंकि उस समय लोग इच्छानुसार पुत्र पुत्री प्राप्त कर सकते थे। वैदिक काल के उपरान्त भी कई युगों तक कन्या के जन्म पर शोक नहीं होता था। पुत्री सहित गुनयना को जब कन्या की प्राप्ति हुई तो उन्हें अपार हर्ष हुआ और कई दिनों तक महोत्सव भी चला –

समागते राजनि लब्बलालसे निधाय प्राणी तनुजामयोनिजाम् ।
बभूव हर्षः सुमहाननुत्तमः प्रजासु दारेषु च सर्वतोमुखम् ।। (जा0 जी0–2 / 1)

माता का सम्मान केवल पुत्र जन्म के कारण ही नहीं बल्कि उसके प्रेम, वात्सल्य के कारण है। माता के लिए उसके सन्तान की क्रीड़ाये सर्वसुखदायिनी होती है। जब बालक तोतली भाषा में बात करता है और छोटी–छोटी क्रीडायें करता है तो माता को अपार हर्ष होता है। जनकनन्दिनी सीता ने भी अपनी बाल क्रीड़ाओं से माता को अपार हर्ष प्रदान किया। कवि के अनुसार –

अमोदयत्सा पितरावनारत स्वकेलिलेशप चुरप्रचारणैः। (जा0 जी0–2/11)

सन्तान माता के गात्र का एक अभिन्न अंग है। जब हमारे शरीर के किसी भी हिस्से पर आघात होता है तो सर्वप्रथम हमारे मन को पीड़ा पहुँचती है और हमारा मन उसके निवारण की सोचता है। सन्तान को जब थोड़ी भी शारीरिक या मानसिक पीड़ा पहुँचती है तो माता को सर्वाधिक क्लेश होता है। क्लेश पहुँचाने वाले व्यक्ति पर रोष फूट पड़ता है। सीता जब थोड़ी बढ़ी हुई तो जनक ने जब उनसे पूण कि तुम्हे माता–पिता में से कौन अधिक प्रिय है तो जानकी जी विश्वल हो उठी। उनके नेत्रों से अनुरूपी मोती झलकने लगे गुनयना जी उन्हें देखकर रोप से फूट पड़ी। यद्यपि वह जनक की भी पुत्री थी। परन्तु जनक से पूर्व ही एक माता का हृदय पीड़ित हो उठा। यही है सन्तान के लिए गगाव की भावना और उरा रामय गुनयना जी ने रोषपूर्वक जनक जी से कटुवचन कह डाले। राजा जनक ने भी मातृस्नेह के कारण उन वचनों को माना और जनकनन्दिनी का दुलार किया। देखिये –

रूपा महिष्याऽपि निकामजल्पितः। (जा जी0–2/4)

पुत्रेष्टि यज्ञ से कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को पुत्र रत्न की प्रापित हुई। राग, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने अपनी माताओं को मातृपद प्रदान किया। माता प्रत्येक स्थिति में अपनी रामान को अपने नेत्रों के सम्हा ही रखना चाहती है। उसे दूर होने पर माता की स्थिति उसी गौ के समान हो जाती है जो अपने बड़े से दूर है। माता यद्यपि उराका भला भी चाहती है परन्तु उसे अपने नेत्रों को दूर नहीं होने देना चाहगी। महर्षि विषमित्र अपनी यज्ञ रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को अपने साथ बन ले जाना चाहते हैं। उसके साथ–साथ वे उनको शस्त्र ज्ञान की शिक्षा भी देंगे। इसमें उनका लाग ही है। परन्तु माता का हृदय किसी भी स्थिति में उनका विणेह स्वीकार नहीं कर पा रहा है। जब ये दोनों पुत्र महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने लगे तो मारनेह के कारण माताओं की स्थिति कैसी हो गयी देखिये कविवर मिश्र जी के शब्दों में –

धात्र्यस्तु वत्सलतयाभुवि सम्मुमूर्छः। (जा0 जी0–4/30 86)

पुत्र की माता की अपेक्षा कन्या की माता को चिन्ता अधिक होती है। पुत्र की माता को उत्तम क्यू की लालसा रहती है तो कन्या की माता के उदय में कन्या की विवाह योग्य अवस्था होने पर सदैव यही विचार गन में रहता है कि कौन होगा जो मेरी कन्या का वरण करेगा। कन्या तीन कुलों को सदैव संशयग्रस्त बनाये रखती है। उत्तम वर की प्राप्ति हो जाने पर माता को मानो सर्वस्व मिल जाता है। फिर सन्तान (कन्या) की भाँति वह भी (जामाता) उसे प्राणों से अधिक प्रिय हो जाता है। सीता जी जब विवाह योग्य अवस्था को प्राप्त हुई तो माता सुनयना का भी चिन्ता होने लगी। जब राम ने पिनाक धनुष भंग किया तो मानो उन्हें मनोवांछित जामाता की प्रापित हो गयी। सीता के गुखद भविष्य को लेकर उनके मन में विषाद था वह भी मिट गया। इसीलिये धनुष भंग के पश्चात् माता सुनयना अपने जामाता के अभिनन्दनार्थ आई। दृष्टव्य है काव्य की निम्न पत्तियों –

ततश्च सीरध्वजपट्टरानी सहैव गृद्धामिरूपेतपार्था।
ननन्द जामातरम्बुदा सहोदरम्यापि हिमावदातम्।। (जा0 जी0 – 7/7)

हिन्दू धर्म में आज भी यह प्रथा है कि सास अपने जामाता की मांगलिक वस्तुओं जैसे–सूप, कलश इत्यादि से परछन उतारती है। तदनमार विवाह की अन्य रस्में सम्पन्न होती है। कवि ने भी इस रीति का पालन अपने काव्य में माता सुनयना द्वारा कराया है। उन्होंने वही अपने जामाता को बात्सल्य भाव से युक्त होकर अपने नेत्रयुगतों से देखकर अपने मातृत्व को सन्तुष्ट किया। वे पूर्णरूप से शंका रहित होकर महत की ओर गई। उस रागय उनका आनन्द सीमायें तोड़कर प्रवाहित हो रहा था। देखिये कवि ने किन मनोहर शब्दों में इसका वर्णन किया है –

घटेन शूर्पण पटाञ्चलेन प्रदक्षिणीकृत्य वरन्नु राशी ।
वात्सल्यनिस्यन्दिविलोचनाभ्यां निपीय वेश्माभिमुखीवभूव ।। (जा 0 जी0–7/79)

कन्या, जिसे माता पाल–पोसकर बड़ा करती है। अच्छे संस्कारों से युक्त करके, व्यवहारिक, नैतिक शिक्षा देकर उसे आदर्श नारी बनने के गुण सिखाती है। जो कन्या विवाह से पूर्व तक अपने माता के प्रत्येक कार्य का ध्यान रखती है। घर–द्वार लीप पोतकर साफ रखती है। यही पुत्री जब फेरे लेने के उपरान्त पराई होती है, उस समय माता की कैसी स्थिति होती है उसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। कवि ने भी उस समय की पीड़ा को समझा है, परन्तु उस व्यथा को शब्द प्रदान नहीं कर सके है इसलिये 'अश्रुधारा बरसाते हुए व्यथित हो उठे' यही कहकर अपने भावों को प्रकट किया है। देखिये कवि के मार्मिक वचन–

निशम्य भावातिगीतगान स्मृताङ्जाशैशवकेलिसौख्यौ ।
विमुक्तने वाम्बुजवारिधारौं विषेदतुर्विवलदम्पती तौ ।। (जा0 जी0–8/41)

माता के लिए पुत्र से बढ़कर कोई नहीं। यदि माता विदेश गये पुत्र के आगमन का समाचार सुनती है तो व्याकुल ह्रदय से एवं अश्रुपूरित नेत्रों से उसकी प्रतीक्षा करती है। यद्यपि राम और लक्ष्मण गये तो विश्वामित्र के साथ उनकी यज्ञ रक्षा की लिए थे। परन्तु यही मिथिला से महर्षि विश्वामित्र के लिए आये निमन्त्रण में उनके साथ चले गये और वहाँ जाकर विवाह का शुभ कार्य अनायास ही सम्पन्न हो गया। जब वधुओं के साथ पुत्रों के आगमन का समाचार सुना, तो मातायें पुत्र प्रेम से विह्वल होकर सब कुछ विस्मृत करके अपने पुत्रों को देखने के लिए व्याकुल होकर राजप्रसाद से निकल पड़ी। उनकी स्थिति उसी गौ के समान थी जो दिन भर से बिछड़े अपने बछड़े से मिलने जा रही है। कवि ने माता की उस स्थिति का अत्यन्त मार्मिक शब्दों में विवेचन किया है–

श्रुत्वा प्रियजनैर्वृत्तं हृदयानन्दवर्धनम् ।
कौशल्यादिमहिष्यस्ता आगता गृहतो बहिः ।।
दृष्ट्वा स्तनन्धयान् वत्सान प्रोषितान् प्रवताङ्गताः ।
सौरभेय्य इयातस्थुमहिष्यो हर्षविह्वलाः ।। (जा0 जी0–9/18–19)

पुत्र के लिए व्याकुल हदय की व्याकुलता को एक माता के हृदय के अतिरिक्त और कौन जान सकता है अर्थात् कोई नहीं। अश्रु जो केवल दुख का ही परिचायक नहीं है, अपितु हर्षातिरेक को भी प्रकट करते है। जब तीनों माताओं ने अपने पुत्रों के मुख को देखा तो वे भाव–विभोर हो उठी। जिस प्रकार कमल पर ओस कणिकाये सुशोभित होती है, उसी प्रकार माताओं के मुख रूपी कमल पर अश्रु की बूदें सुशोभित हो रही थी। देखिये –

तासा नयनपोषु नीराहरकणिकोपमम् ।
अराजातमथालोकि नववात्सल्यमेदुरम् ।। (जा0 जी0–9/20)

यह अश्रु विषाद का नहीं अपितु माता के वात्सल्य, पुत्र प्रेम के परिचायक है। राम की मातायें, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा तीनों ही प्राणों से अधिक चाहती थी। उन्होंने चारों पुत्रों में कभी भेदभाव नहीं किया। कैकेयी भरत से भी अधिक राम को प्रेम करती थी सुमित्रा को भी राम अत्यन्त प्रिय थे। इन्ही माताओं के वात्सल्य की छाया में चारों भाई सुखपूर्वक निवास कर रहे थे। इसी मध्य राम के राज्याभिषेक का समाचार सम्पूर्ण राज्य में फैल गया। माताओं के लिए इससे अधिक सुखदायी समाचार क्या हो सकता है, कि उनका प्राणप्रिय पुत्र अब राजा बनेगा। माता के रूप में कैकेयी का ही एक अपवाद देखने को मिला है कि उसने राम को वनवास कराया। परन्तु इसमें भी पुत्र प्रेम ही था। प्रत्येक माँ अपने पुत्र का ही हित चाहती है किसी भी प्रकार से। यद्यपि कैकयी राम के राज्याभिषेक से प्रसन्न थी परन्तु मन्थरा के वचनों ने उसके मर्मस्थल को छलनी कर दिया और उसे उसमें अपना व अपने पुत्र भरत का अहित नजर आने लगा। राम से भी बढ़कर भरत को प्रेम करने की बात कैकेयी ने स्वयं स्वीकार की है। देखिये –

न कि रामभदे ममास्ति प्रगाढं परं प्रेम पूतं दृढं निर्विकारम्?
अहं प्रत्यवायोन्मुखी नाभविष्यं तदीयाभिषेकोयदिख्यापितः स्यात्।
यदियाननेन्दु चकोरीव नित्यं निपीयैव मे धन्यमासीत्प्रसूत्वम्।
तमेवात्मजं जीवितं जीवितानां कथं नाभिषिक्तमुदाऽलोकविष्यम्।। (जा0 जी0–10/44–45)

कैकेयी को मन्धरा के वचन सत्य प्रतीत होने लगे और उसे भरत को ननिहाल में रहते हुए राम का राज्याभिषेक हो इसमें उसे षड्यन्त्र नजर आने लगा। इसलिये उसने इन सब स्वप्नों को धराशायी करने का प्रण कर लिया। इसीलिये उसने अपनी मूढता में तथा बहकावे में आकर अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय राम को वनवास और अपने पुत्र के लिए युवराज पद दो वरों के रूप में मांग लिया –

बचोवद्धमालोक्य भूपं प्रहष्टं जगादाशु राशी प्रभो! कोसलेन्द्र!
अनेनैव राज्याभिषेकोत्सवेन सुतः स्थाप्यताम्मे वरोऽयं स एकः!!
वसानस्तपोवल्कल बद्धकेशः उदासीनवृत्तिश्च रामो बनान्ते।
दशाब्दं तुरीयाधिक यावदास्तागयोध्यातिदूरं वरोऽयं द्वितीयः।। (जा0 जी0–10/66–67)

यह सब मन्थरा के वचनों का परिणाम था जिन्होंने कैकेयी के मन में स्वार्थ की भावना उत्पन्न कर दी और उसने आदर्श मातृत्व पर दोष लगा लिया। अन्यथा जो राम उसे प्राणों से भी अधिक प्रिय थे, उसके लिए ऐसा करना सम्भव था? कदापि नहीं। कैकेयी के अतिरिक्त माताओं में अन्य कोई ऐसा अपवाद नहीं मिलता जो मातृत्व को दूषित करे। सीता जो केवल पहले बेटी थी बाद में ये वधू व पत्नी बनी परन्तु नारी की पूर्णता को प्राप्त न कर सकी। तदनन्तर उन्होंने लव और कुश को पुत्र रूप में पाकर पूर्णता को प्राप्त किया। देखिये कवि के शब्दों में –

अथ यथासमयं धरणीसुता रूचिरशारदसौम्यनिशीथके।
प्रथितवंशपरौ यमजौ सुतौ रघुपतिप्रतिमौ समजीजनत्।। **(जा0 जी0–19/1)**

माता में स्वका भाव नहीं होता। वह चाहती है उसकी अपेक्षा उसके पुत्रों की प्रशंसा हो। माता का जीवन स्वयं के लिए नहीं वरन् अपनी सन्तान के लिए होता है। माता स्वयं ही नहीं बल्कि जब अन्यजन उसकी सन्तान की प्रशंसा करते हैं तो उसकी प्रसन्नता की सीमा नहीं होती। क्योंकि उसे अपने अनुकूल नहीं वरन अपनी कुल परम्परा के अनुकूल गान्तान चाहिये, जो उसके कुल की परम्परा का पालन करते हुए उसकी उन्नति करे और स्वय के लिए आशीर्वचन प्राप्त करे। उन आशीर्वादों में ही माता की प्रशंसा निहित होती है। जिनसे माता स्वयं को धन्य अनुभव करती है। जब मैथिली ने अन्य महिलाओं के मुख से अपनी सन्तान की प्रशंसा गुनी, कि वे कुल के अनुरूप ही है, तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। उनका कथन देखिये –

जनकजाऽपि निशम्य सुयोषितां रसमयं वचनं इदिमोदिता।
सविनयं निजगाद गमात्मजो निखिलवंशधरांशधरादिति।।
पितृसमौ ननु तौ महितात्मना भरत लक्ष्मण शत्रुदमप्रभौ।
हृदयविक्रमरूपचयैरिति स्वजननीसदृशौ सदृशौ न किम्? **(जा0 जी0–14/15–16)**

नारी माता के रूप में सन्तान को उत्पन्न करती है.उसका पालन पोषण करती है और प्रत्येक स्थिति में अपना निःस्वार्थ प्रेम उस पर न्योछावर करती है। यह सम्मान के मुख को देखकर ही जीवन धारण करती है। उसकी प्रत्येक वचन माता के लिए अनमोल वचन तथा प्रत्येक क्रीड़ा उसके लिए कौतूहल होती है। नन्हे शिशु की चेष्टाये जब किसी के भी हृदय को बरबस अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है, तो माता का हृदय उनसे अछूता कैसे रह सकता है। लव–कुश ने अपने बाल चेष्टाओं द्वारा जानकी जी के हृदय को भी बरबस अपनी ओर आकृष्ट कर लिया था। देखिये कवि के वचन इस विषय में क्या है –

प्रतिपल जवनौ मृगशावकाविध गृहाङ्गण एधितधावनौ ।
जनकजाहृदयं किल जास्तु रू कमलकोगलकान्तकलेवरौ ।। **(जा0 जी0– 19/26)**

माता चाहे जैसी भी स्थिति में हो, वह अपनी सन्तान को सदैव अपने समीप ही देखना चाहती है। वह कहती है – कि जो सदैव परिवार के संरक्षण में रहे है.वे जंगल में किस प्रकार रहेंगे। माता ही जान सकती है, कि पुत्र को क्या चाहिये। देखिये कवि के उद्‌गार –

कुशलवौ रघुनाथ ! सुकोमलो परूषकाननदारूण जीवनम्।
न किल सोढुमिमी सहजं क्षमी विरहितौ नु कदापि कुटुम्बतः।। **(जा0 जी0 – 14/39)**

माता का विछोह पुत्र सहन नहीं कर सको, क्योकि उनकी आवश्यकताओं को वह भली भाँति जान सकती

है। माता भी पुत्रों के वियोग में कदापि जीवन धारण नहीं कर सकती। सीता जी के मार्मिक वचन देखिये किस प्रकार वे उनके हृदय की मार्मिक वेदना को प्रकट कर रहे है–

निमिषमात्रमपि क्षमते न वा जनकजातनुजा किल जीवितुम् ।
तदपि नाथ विचारम दारूणं विशसनं मग यंत्रितमङ्गलम् ।।
कुशलवौ तब कीर्तिकुशीलवौ रघुपतेऽत्र ममापि यशः परम् ।
धुवमहं तनयस्मृतिकातरा मरणमेव गतास्मि न संशयः ।। (जा0 जी0–19 / 40–41)

महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जाने में यद्यपि लव–कुश का लाभ ही था। परन्तु माता का कोमल हृदय उनका वियोग सहने में समर्थ नहीं है। परन्तु ऐसा कदापि नहीं है कि माता उनका हित नहीं चाहती। सीता जी उनके साथ जाने के लिए प्रार्थना इसलिये करती हैं, कि वे जाकर वे उन्हें वहाँ समुचित रूप से व्यवस्थित कर आयेंगी और साथ जाने से विछोह का दुःख भी कम हो जायेगा । देखिये –

गुरूकुलं तनुजद्वयसङ्गता जिगमिषामि महर्षि तपोवने ।
अनुमतं यदि ते भवतादिदं कुशलवौसुखिनौ मम नो व्यथा ।।
त्रिपथगाभिषवैननु वृण्वती महितपुण्यमवेक्ष्य तपोवनम् ।
कुशलवौ च निवेश्य यथोचितं त्वरितमेव भवन्तमुपाश्रये ।। (जा0 जी0– 19/41–48)

माता का कर्तव्य सन्तान के लिए सर्वाधिक हो जाता है। अन्य की अपेक्षा सन्तान को माता की आवश्यकता अधिक होती है। इसलिये नारी भागों में बँट जाती है। परन्तु वह सन्तान के लिए प्रथम है। देखिये–

कुशलवौ रघुनाथ ! तवात्मजौ मम पुनर्वपुरात्मधरौ च तौ ।
ननु विभज्य निजं त्रिषु विग्रहं त्रितयमेव कृतं मम सौहृदम् ।। (जा0 जी0– 19/56)

आज्ञा पाकर सीता जी कुश–लव के साथ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में चली गई। नारी का मातृस्वरूप जो परम पवित्र व पूज्यनीय है। कवि ने जानकीजीवनम् में इस मातृरूप का सुन्दर और महनीय वर्णन किया है।

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
September 2021 Page No. : 98-101

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

इक्कीसवीं सदी के उपन्यासों में नारी चित्रण

–डॉ0 वनीता कुमारी

चरखी दादरी (हरियाणा)

मानव जाति की सभ्यता एवं संस्कृति के विकास का मूल आधार नारी है। नारी ने हमारी संस्कृति, धर्म एवं सभ्यता के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नारी समाज की महत्वपूर्ण इकाई है। नारी के बिना समाज की उन्नति संभव नहीं है। जब समाज ही प्रगति नहीं करेगा तो राष्ट्र की तरक्की की कल्पना करना संभव नहीं है। यही सत्य है कि इस सत्य को इक्कीसवीं संदी का विश्व स्वीकारने लगा है। पुरूष चाहे कितना ही शक्तिशाली बन जाए परन्तु वह स्त्री के अभाव में स्वयं को बाधित ही पाएगा। जिस प्रकार साईकिल दो पहियों के द्वारा चलती है उसी प्रकार समाज के विकास के लिए पुरूष के साथ–साथ नारी का होना भी अत्यंत आवश्यक है। डॉ0 मृणाल पांडे के अनुसार ''समाज में स्त्रीत्व की मूल अवधारण नकारात्मक है। लगभग सभी धार्मिक और दार्शनिक दायरे में स्त्री को पुरूष के संदर्भ में एक अपूर्ण और सापेक्ष जीवन के रूप में देखा गया है।''[1]

इसी संदर्भ में विख्यात साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि ''कोई भी सामाजिक व्यवस्था जो समय के साथ न बदले, वह स्वयं तो डूबती है, उसे भी ले डूबती है जिसके लिए वह बनी है।''[2] किसी भी देश में सार्थक बदलाव की क्रान्ति तभी सफल हो सकती है, जब उसमें महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान शामिल हो। नए युग की नारी न तो पुरूष की अनुगामिनी है और न उसमें पुरूषों जैसा बनने की चाह है। वह सामाजिक, आर्थिक उन्नति में पुरूष की प्रतिद्विन्द्वी न होकर उसकी सहभागिनी बनने की अभिलाषा रहती है।

इक्कीसवीं सदी में एक ओर तो नारी की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नाम बेचने के लिए नग्न, अर्धनग्न 'मॉडल' और कामना या आनंद और उन्माद की वस्तु में बदला जा रहा है, मगर दूसरी तरफ घर में पत्नी, माँ, बहन, बेटी, बहू के लिए वही पुरानी नैतिक मर्यादा, यौन सुचिता और पतिव्रता के कड़े नियम लागू है। आज नारी आर्थिक रूप से सम्पन्न होने के लिए बाजारीकरण के प्रचार–प्रसार में विज्ञापन एवं विज्ञापन संबंधी फिल्मों में सजगता से तैयार रहती है। ममता कालिया ने अपनी कृति ''दौड़'' में टी.वी. पर विज्ञापन का वर्णन करती हुई बताती है ''विज्ञापन में पार्टी का दृश्य था जिसमें हीरो के कुछ कहने पर हीरोइन हँसती है। उसकी हँसी में हर दांत से मोती गिरते हैं। हीरो उन्हें अपनी हथेली पर रोक लेता है, सारे मोती इक्कठे होकर 'स्पार्कल टूथपेस्ट' की टयूब बन जाती है। अगले शॉट में हीरो–हिरोइन लगभग चुम्बनबद्ध हो जाते हैं।''[3]

यह सर्वविदित है कि नारी की जागृति के बिना एक स्वस्थ समाज और उन्नत राष्ट्र की परिकल्पना बेमानी है। आज के दौर की नारी संघर्षशील हो गई है। इक्कीसवीं सदी में आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए हमारे कदम

और हमारा आदिम सामाजिक परिवेश, दोनो में संतुलन के लिए नारी को उसके सर्वागीण विकास की राह दिखा रहा है। आज की नारी संघर्षशील होकर स्वयं को स्थापित करने की लड़ाई, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए नई ऊर्जा प्राप्त कर प्रतिदिन नई ऊंचाईयों को स्पर्श कर रही है और यह निश्चित ही सदियों से निरंतर होने वाली स्वाभाविक परिणति का ही निचोड़ माना जा सकता है।

प्रसिद्ध उपन्यासकार मोहन दास नैमिशराय ने अपने उपन्यास 'आज बाजार बंद है' में नारी के जीवन का यथार्थ रूप, उसकी जलालत व जहालात भरी जिन्दगी का वर्णन किया है जिसे वह जीने को मजबूर है। जो हमारे हिन्दू धर्म में फैली हुई कुप्रथाओं पर बेवाक टिप्पणी है। पार्वती के जीवन–यथार्थ से रूबरू करवाते हुए लेखक ने मंदिर के पुजारी, गाँव के पटेल, सामन्त, साहुकार आदि स्वयं को समाज का ठेकेदार की बेपर्दा किया है, ''यह पार्वती है . . .। बिना शिव के पार्वती, शिव ने पहले इसे मंदिर में बैठाकर देवदासी बनाया फिर मंदिर से चकले में भेज दिया। पहले मंदिर के पुजारी ने इसके शरीर को भोगा, फिर गॉव के पटेल ने बाजी मारी। दोनो का मन भर गया तो गाँव के सामान्त, साहुकार की बारी आई। अब रात को काले चोर के रूप में देवता आते हैं और उस देवी को भोगते है।''[4]

इसी उपन्यास में मोहनदास नैमिशराय ने अनाथ और बेसहारा युवतियों मुमताज और हसीना के इतिहास के द्वारा एक ओर कटु यथार्थ व सत्य प्रस्तुत किया है, ''हसीना अनाथालय में पली–बढ़ी अनाथ लड़की थी। वह भागकर यहाँ आई थी क्योंकि वहां भी यही काम होता था और यहाँ भी। अनाथालय और चकले में हम औरतों की स्थिति एक जैसी रही है। फर्क केवल इतना है कि वहाँ सरकारी ग्राहक होते है और यहाँ प्राईवेट।''[5]

'अकेला पलाश' में उपन्यासकार मेहरून्निसा परवेज स्वच्छंद नारी की अभिव्यक्ति करते हुए स्त्री की शारीरिक, भौतिक, कामवासनाजन्य भूख को सामाजिक संदर्भ में प्रस्तुत करती हुई उसको आर्थिक बोझ से दबी रूढ़िग्रस्त मानकिसता और व्यवहार से उत्पन्न शोषण के प्रति सतर्क करते हुए कहती है, ''आज तुम चुप रहोगी पर कल तुम्हारी स्थिति जब सबसे सच कहेगी कि तुम विधवा हो, यह बात सारे लोग जानते है। दुलाई बाई, मैं जानती हूँ औरत मजबूरी में हर काम करती है। तुम्हारे जो बच्चे हैं, इन्हें अच्छे से पालो, भटकों मत। कल ये तुम्हें सहारा देगें, संभालेगें।''[6]

नारी की बदलती हुई सोच, विवेक और उसकी चेतना की सजगता को आज युगीन परिस्थितियों में महत्वहीन एवं अर्थहीन रूप में नहीं देखा जा सकता है। उसे दुत्कार कर या अपमानित करके उसके अस्तित्व से नहीं खेला जा सकता। इस नई सदी में नारी सुरक्षित होकर प्राचीन रूढ़ियों एवं परम्पराओं का विरोध, आर्थिक आत्मनिर्भरता पाकर अपने वजूद की पहचान बनाए अपने जीवन को स्वच्छन्दता से जीते हुए दिखाई देती है। अपनी कृति 'सेज पर संस्कृति' में मधुकाकारीया संघ मित्र के शब्दों में इसी बात को, भावना को प्रकट करते हुए कहती है, ''मेरी आँखों से पर्दा उठ रहा है . . . . लेकिन एक बात मेरी समझ में नही आ रही कि धर्म जब इस कदर स्त्री विरोधी है तो स्त्रियों का धर्म के प्रति इतना सम्मान क्यों है ? तुम देखों धर्म के मामले में हर जगह स्त्रियाँ ही सबसे आगे हैं . . . . जब से स्त्रियाँ आजाद ख्याल की होने लगी हुँ . . . अन्याय का विरोध करने लगी है।''[7]

इक्कीसवी सदी की नारी को परम्पराओं से लड़ते हुए आत्म चेतना और सजगता के साथ आगे बढ़ते हुए देखा जा सकता है। उसे धोखा देना ललचाना अब आसान नहीं है। वह विवेकशील और आत्म विश्वास से

लबरेज है। 'अकेला पलाश' में मेहरून्निसा परवेज ने नायिक तहमीना की आत्म चेतना और विवेचनात्मक कथन को इस प्रकार बताया है, ''और तुम अपनेपन की सहानुभूति दिखाकर मुझको मेरे कवच से बाहर निकला रहे हो तुषार, पर मैं इस लालच के धोखे में आने वाली नहीं।''[8]

इक्कीसवी सदी की नारी ने न केवल अपनी पारिवारिक स्थिति को सुधारा है बल्कि घर की चार दिवारी के बाहर भी अपनी हिम्मत के साथ कदम बढ़ाए हैं। वह अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना सीख गई है। यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र' की रचना ''घरोदा नहीं घर'' की सरोजा अपने शराबी पति और लालची ससुर का अत्याचार सहन नहीं करती। वह कहती है, ''सासू माँ ! कहीं इतिहास ना बदल जाए। आज तक बहुएँ ही जली है, कहीं ऐसा ना हो अब सास का नम्बर आ जाए। मैं आज ही यह घर छोड़कर जा रही हूँ। अब यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। ध्यान दीजिए, मेरे दहेज का सामान और नकदी मेरे घर पहुँचा दीजिए तो ठीक रहेगा वरना कानून तो है ही।''[9]

इक्कीसवी सदी में नारी जड़ नहीं है। उसने अपनी जड़ता को समाप्त कर दिया है और शिक्षित होकर पुरानी रूढ़ियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चली है। आज की नारी चुपचाप अन्याय सहन नहीं करती बल्कि उसके खिलाफ विद्रोह करके न्याय की माँग करती हुई दिखाई देती है। समाज में आज वह अपने पाँवों पर खड़े होकर अपनी स्थितियों को दृढ़ बनाती जा रही है। प्रसिद्ध उपन्यासकार उषा प्रियंवदा ने 'भया कबीर उदास' की नायिका लिली पांडेय का चित्रण उसके आत्मविश्वास के रूप में प्रतिबिन्बित किया है, ''तुम्हें यह लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जैसे जिन्दगी के हर अहम् निश्चय से तुम भागती रही हो, वह अब नहीं चलेगा, तुम्हें कितने सारे निर्णय स्वयं लेने होंगे, कोई दूसरा नहीं है तुम्हारी मदद करने वाला।''[10]

इस वैश्वीकरण और बाजारवाद के मौजूदा दौर में नारी उन क्षेत्रों में अपनी पहचान स्थापित कर रही है जो क्षेत्र पुरूषों के अधिकार क्षेत्र माने जाते रहे हैं। महीप सिंह ने अपनी लेखनी द्वारा ''बीच की धूप'' में उसकी नायिका रश्मि के शब्दों को इस तरह व्यक्त किया है, ''देखो हेमन्त . . . शहीद बनने की कोशिश मत करो । अगर मैं अपनी जिद्द पर अड़ी रही तो मैं किसी की चिन्ता नहीं करूंगी . . . . न उसकी . . . न समाज की।''[11]

आज की नारी को आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा और क्षमता को प्रमाणित करते हुए देखा जा सकता है। अपनी शक्ति को सम्पन्न बनाकर, अपनी मानसिकता को जगाकर अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों एवं अन्याय का मुकाबला करने का साहस आज की नारी कर रही है और नारी की स्थिति बदल रही है।

इक्कीसवीं सदी वैश्वीकरण की है इसलिए इसमें खुले बाजार की व्यवस्था में निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की वजह से शोषण की अधिक पनपती हुई दिखाई दे रही है। इस वैश्वीकरण और बाजारवाद ने नारी की स्थिति को ओर अधिक विकृत बना दिया है। वह एक वस्तु बन गई है। इस वैश्वीकरण के दौर में जहाँ नारी स्वच्छंद बन गई है वहीं वह परिवार, रिश्तेनातों के बंधन से भी मुक्ति पाना चाहती है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नारी किसी भी हद तक जा सकती है और कुछ भी कर सकती है । भौतिक सुख–सुविध के लिए वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। आज की नारी पुरानी रूढ़ियों की जंजीरों को तोड़ कर पुरूष प्रभुता को चुनौती दे रही है। नारी के वस्तु रूप के कारण ही नारी संबंध में बहुत से सवालों ने जन्म ले लिया है। इसी वजह से इस सदी के उपन्यासों में उपन्यासकारों ने नारी शोषण की अभिव्यक्त करने का रास्ता दिखाया है। अपने

उपन्यास ''एक ब्रेक के बाद'' अलका सरावर्गी ने के.वी. के शब्दों में इसकी पुष्टि की है, ''तुम्हें पता है गुरूचरण, हम बचपन में माँ को छू नहीं सकते थे। माँ को हमारे छूने से फिर स्नान करना पड़ता था।''[12]

निष्कर्ष रूप में प्रगति एवं विकास के युग में भी नारी के प्रश्न घटने की बजाये बढ़ते ही दिखाई दे रहे हैं। गठन की ऊँचाईयों को छूने वाली नारी का तन, मन सब आज भी दाँव पर लगा है। बलात्कार, आत्महत्या, भ्रूण–हत्या, ऑनर किलींग आदि की बातें आम हो गई है। इस युग में नारी की स्थिति की विभिन्नताएं लिए हुए है। जिनमें विविधताओं के अपने रंगों से उपन्यासकारों ने रंग बिखेरा है। अतः इक्कीसवी सदी के प्रथम दशक के उपन्यासकारों ने नारी की स्थितियों का चित्रण किया है और नारी के इस शोषित एवं वंचित समाज के संघर्ष को ध्वस्त करके इसके प्रति रूढिवादी रवैये को पूरी तरह त्यागने की ही श्रेष्ठ बताया है। इस सदी की नारी की चेतनशीलता के द्वारा इन्सानियत के एक नए पाठ की शिक्षा के अनुरूप ढाल कर उसे सृजनात्मक यथार्थ के रूप में स्वीकृति देना आवश्यक माना है।

संदर्भ :–

1. मृगाण पांडे : स्त्रीदेह की राजनीति से देश की राजनीति तक, पृ.सं.–14
2. डॉ0 बसंत बंसल : आधुनिकीकरण, मूल्य और हिन्दी साहित्य, पृ.सं.–7
3. ममता कालिया : दौड़, पृ.सं.–39
4. मोहनदास नैमिशाराय : आज बाजार बंद है, पृ.सं.–33
5. मोहनदास नैमिशाराय : आज बाजार बंद है, पृ.सं.–34
6. मेहरून्निसा परवेज : अकेला पलाश, पृ.स.–12
7. मधुकाकरिया : सेज पर संस्कृति, पृ.स.–139
8. मेहरून्निसा परवेज : अकेला पलाश, पृ.स.–166
9. यादवेन्द्र शर्मा : चन्द्र–घरौदा नहीं घर, पृ.सं.–99
10. उषा प्रियंवदा : भया कबीर उदास, पृ.सं.–33
11. महीप सिंह : बीच की धूप, पृ. 118
12. अलका सरावगी : एक ब्रेक के बाद, पृ.स. 85
13. डॉ. नरेश कुमार सिहाग एडवोकेट, बोहल शोध मंजूषा, नारी विशेषांक 2019

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
September 2021 Page No. : 102-103

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

व्यापारिक बैंक का अभ्युदय प्रगति एक सिंहावलोकन

–डॉ. मुकेश बाबू चंदेल

विभागाध्यक्ष अर्थ शास्त्र, चौ0 जमादार सिंह महाविद्यालय लालकपुर, छिबरामऊ (कन्नौज)

बैंक शब्द की उत्पत्ति –

बैंक शब्द का प्रयोग एक लंबे समय से होता आ रहा है। इस शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के शब्द Banko (बैंकों) से हुई मानी जाती है, जो फ्रेन्च भाषा के शब्द Benke (बैंकों) में बदलता हुआ अंग्रेजी भाषा में बैंक (Bank) हो गया है। बैंकों का अभिप्राय बैंच। पूर्व काल में कुछ लोग बैचों पर बैठकर मुद्रा का लेन–देन करते थे। जब उनमें से किसी का व्यापार बंद हो जाता, तब उसकी बैंच को तोड़ दिया जाता था। इसी से कालान्तर में "बैंक" शब्द मुद्रा का लेन–देन करने वाली संस्थाओं के लिए प्रयोग होने लगा। एक अन्य धारणा के अनुसार बैंक शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा के Banck (बैंक) शब्द से हुई है जिसका तात्पर्य मिले जुले या "शामिलाती" या संयुक्त स्कन्ध कोष (Joint Stok Fund) से है। मैकलिओड (Mackleod) के अनुसार बैंक शब्द का वास्तविक अर्थ एक ढेर होता है। अर्थात् यह शब्द अनेक व्यक्तियों द्वारा एकत्र किए गए सामूहिक कोष को सूचित करता है। इस प्रकार बैंक शब्द की उत्पत्ति के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है, परंतु यह असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि आधुनिक बैंकों का आरम्भ यूरोप में हुआ और बाद में ये शनैः–शनैः सारी दुनिया में फैल गये।

बैंकों की प्रगति एक सिंहावलोकन –

बैंकिंग एक अति प्राचीन व्यवसाय है यद्यपि प्राचीन काल में आज जैसे बैंक नहीं थे, तथापि अनेक देशों में बैंकिंग कार्य महाजन सुनार और सर्राफ आदि द्वारा किया जाता था। ईसा से 2000 वर्ष पूर्व बेबीलोन मे साख के लेन–देन प्रचलित थे। ईसा पूर्व सातवीं शताब्दी में असीरिया में सांप पत्र मिट्टी के टुकड़ों पर लिखे जाते थे। प्रारंभिक बैंकिंग के प्रमाण चाल्दिया, फिनिशिया और मिस्र के इतिहास को देखने से मिलते हैं। उदाहरणार्थ – सिक्का ढलाई के युग से पूर्व ग्रीस में देवता डल्फी के मंदिर और अन्य सुरक्षित स्थान बहुमूल्य धातुओं के भंडार ग्रहों के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे। बाद में यहां (मंदिरों में) निजी और सार्वजनिक कार्यों के लिए धन ब्याज पर उदारता पूर्वक दिया जाने लगा। ग्रीस की भांति प्राचीन रोम में भी बैंकिंग की पर्याप्त प्रगति हुई।

प्राचीन भारत में राजा–महाराजाओं, नवाबों विभिन्न वर्गों के शासकों की समय–समय पर मुद्रा उधार लेने की आवश्यकता होती थी। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह अपने राज्यों में साहूकारों को बताते थे, उन्हें भूमि देते थे तथा अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते थे। यहां सेठ साहूकार लोग जनता से भी रकम जमा कर लेते थे और आवश्यकता पड़ने पर किसानों तथा अन्य व्यक्तियों को ऋण सुविधाएं प्रदान करते थे। यह व्यक्ति की उस समय के बैंकर कहे जा सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि रोमन सभ्यता के पतन के बाद ईसा उपरांत पांचवी शताब्दी में यूरोप को अंधकार युग (Dark Age) से गुजरना पड़ा और इस काल में बैंकिंग व्यवसाय लगभग समाप्त हो गया। मध्यकाल में पुनरुत्थान (Restaration) हुआ और 12वीं शताब्दी में यहूदियों द्वारा बैंकिंग का कार्य पुनः शुरू हो गया। ईसाइयों को अपने ऋणों पर धर्म द्वारा ब्याज लेने की मनाही थी, जिससे यहूदियों का बैंकिंग व्यवसाय निर्वाध चलने लगा। कुछ समय के पश्चात इटली के लोगों ने बैंकिंग का कार्य शुरू कर दिया और 200 वर्ष के अंदर ही उनकी क्रियायें समस्त यूरोप पर विस्तृत हो गई। जिनोआ में एक महत्वपूर्ण बैंक Case the Giorgio सन् 1148 में स्थापित हुआ। सन् 1157 में Bank of Venice की स्थापना हुई। सन् 1481 में Bank of Varsilona और सन् 1407 मे Bank of Gienoaa स्थापित हुआ।

आधुनिक बैंकिंग का शुभारंभ 17वीं शताब्दी को प्रारंभ हुआ माना जाता है। जबकि सन 1609 में Bank of Amesterdom (हालैंड), 1619 में Bank of Hamburg (जर्मनी) और 1694 में Bank of England (इंग्लैंड) स्थापित हुए। धीरे–धीरे बैंकों का आर्थिक महत्व बढ़ता गया और संयुक्त पूंजी वाले बैंक स्थापित किए जाने लगे। इसके साथ ही साथ बैंकों के विकास की गति तेज होने लगी।

क्राउथर ने कहा था – "आधुनिक बैंकों के तीन पूर्वज है व्यापारी (द मर्चेंट), महाजन (द मनी लेंडर), और सुनार (द गोल्ड स्मिथ)।"

17वीं शताब्दी का महान बैंक के रूप में Bank of Amesterdom इसको दीर्घावधि तक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य के क्षेत्र में वही स्थान प्राप्त था जो कि आज बैंक ऑफ इंग्लैंड तथा अन्य केंद्रीय बैंक को प्राप्त है। बैंक सरकारी राजकोषीय अभिकर्ता का कार्य करती थी परंतु इसका प्रमुख कार्य विदेशी हल्के कामा केसे पीटीए शिक्षकों को उनके वास्तविक धात मूल्य पर प्राप्त करना तथा आवश्यक प्रबंधन व सिक्का ढलाई काव्य काटकर इनको अच्छे स्वदेशी मानक सिक्कों में बदलना था।[1] इंग्लैंड में वर्तमान बैंकिंग के विकास का इतिहास महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शासन के समय सुनारों की क्रियाओं से आरंभ होता है। सन् 1640 की घटना के बाद वहां के व्यापारी वर्ग का लंदन टावर की सुरक्षा से विश्वास समाप्त हो गया और भी अपना धन सुनारों के पास रखना अधिक सुरक्षित विचार थे। शीघ्र ही वह सुनार सौदागरों के धन को ब्याज पर उधार देकर लाभ प्राप्त करने लगी यह सुनार शीघ्र ही लोगों के निक्षेपो को स्वीकार करके हुसैन के रूप में दे देकर लाभप्रद बैंकिंग क्रियाओं में व्यस्त हो गए। इस प्रकार लंदन के सुनारों की वर्तमान वर्णय बैंकिंग प्रणाली का अग्रज कहा जाता है। यद्यपि बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना 1694 में हुई थी परंतु व्यापारिक बैंकिंग का विकास 19वीं शताब्दी के मध्य में प्रारंभ हुआ था। सन 1823 में बैंकिंग अधिनियम के बाद ही इंग्लैंड में मिश्रित पूंजी बैंकों की स्थापना तथा विकास हुआ था जबकि अन्य देशों में इससे पहले ही व्यापारिक बैंकों की स्थापना हो चुकी थी। इंग्लैंड में वणिज्य बैंकों के विकास होने का प्रमुख कारण यह था कि 19वीं शताब्दी में हुई विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक क्रांति ने विभिन्न उद्योगों तथा व्यापार के विकास को संभव बना कर व्यापारिक बैंकों की स्थापना तथा उसके विकास को विशेष बल प्रदान किया।

संन्दर्भ ग्रंथ सूची :–

1. एडम स्मिथ – वेल्थ ऑफ नेशन, बुक –4, अध्याय – 3, भाग – 1, पृ0 – 23

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
September 2021 Page No. : 104-106

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

समकालीन हिन्दी नाटकों में दलित समाज की राजनीतिक चेतना

–राम सरोज

शोधछात्र, हिन्दी विभाग, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, अनूपपुर, म.प्र–484887

राजनीतिक चेतना एक ऐसा शब्द है जिससे कोई अनसूना और अनजाना नहीं होगा क्योंकि समकालीन समय में राजनीतिक चेतना सब सुने हुए है लेकिन यहाँ समकालीन दलित राजनीतिक चेतना से अभिप्राय कुछ और है। दलित समाज की राजनीतिक चेतना समानतामूलक समाज स्थापित करना, मानवतावादी पर्यावरण स्थापित करना, आत्मनिर्भरता और श्रमशक्ति को प्राथमिकता देना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर अपनी वैचारिकी को अंकुरित एवं विकसित करना दलित समाज की राजनीतिक चेतना है। जिसका मूल उद्देश्य जाति, धर्म, नस्ल, लिंग और क्षेत्रवाद के आधार पर हो रहे अमानवीय भेदभाव, अत्याचार और शोषण इत्यादि का खात्मा करना है। जिससे समाज में आधुनिक और नवीन शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकें, आर्थिक विषमता को दूर किया जा सकें और स्वस्थ एवं चेतनशील मानव समाज का निर्माण किया जा सकें। दलित समाज की राजनीतिक चेतना ऐसी व्यवस्था स्थापित करना चाहती है, जहां सभी मानव शिक्षित हो, आत्मनिर्भर हो और अपने मौलिक अधिकारों के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। दलित समाज की राजनीतिक चेतना में भेदभाव, हिंसा और शोषण के लिए कोई स्थान नहीं है। बल्कि इसके स्थान पर आधुनिक शिक्षा, आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक चेतना है। समकालीन हिन्दी नाटकों में दलित समाज की राजनीतिक चेतना का वर्णन कैसा हुआ है? इस प्रश्न को जानने–समझने और मूल्यांकन करने के लिए 'उजास', 'वीमा', 'दो चेहरे', 'रंग और व्यंग्य', और 'भभूल्या' इत्यादि हिन्दी नाटकों का सहारा लिया जा सकता है।

दलित समाज की राजनीतिक चेतना, वह राजनीतिक चेतना है जो लोकतान्त्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हुए मानवों पर हो रहे अत्याचारों, जुल्मों एवं अन्यायों से मुक्ति पाने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के दायरे में रहकर विरोध प्रदर्शन करते हैं और न्याय पाने के लिए मांग करते हैं। समकालीन समय में प्रताड़ित और शोषित दलित समाज भेदभाव और शोषणों से मुक्ति पाने के लिए सभा का आयोजन करता है और संगठित होकर अपने अधिकारों को पाने के लिए आवाज उठाता है। तोड़फोड़ और हिंसा में विश्वास नहीं करता है। फिर भी सदियों से शोषित और प्रताड़ित दलित समाज को न्याय नहीं मिलता है। अगर उन्हें कुछ मिलता है तो वह है लात–घूसा और लाठीचार्ज। यह लात–घूसा और लाठीचार्ज दलितों पर जाति के आधार पर किया जाता है। जाति व्यवस्था के ठेकेदार दलितों के अधिकारों को नहीं देना चाहते हैं। इसलिए लाठीचार्ज और हिंसा करते हैं।

भारतीय समाज की सामाजिक संरचना जाति और आर्थिक असमानता पर आधारित है। यहाँ जातियों में भी कई उपजातियाँ विद्यमान हैं। भारतीय समाज में विद्यमान जाति, उपजाति और आर्थिक असमानताओं के वजह

से अधिकारों से वंचित दलित समाज पर क्रूर अमानवीय अत्याचार किया जाता है। आर्थिक विपन्नता के कारण दलित समाज में एकता और मजबूत संगठन स्थापित करना एवं उनमें जागरूकता लाना इत्यादि सबसे बड़ी समस्या है। वर्तमान में भारतीय सामाजिक व्यवस्था में अनेक विषमताएँ और समस्याएं मौजूद है। इसके बावजूद दलित समाज संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए मांग कर रहा है। इस तरह दलितों का संगठित होना और संगठित होकर सभा करना इत्यादि शोषकों को असहनीय हो रहा है, उनका अमन–चैन बिगड़ने लगता है। ऐसा ही 'दो चेहरे' नाटक का पात्र शिवराज सिंह संगठित दलितों द्वारा आयोजित सभा के संदर्भ में किशन से कहता है– 'आप लोगों से पूछता हूँ। क्यूं अमन–चैन बिगाड़ रहे हो इस गाँव का?' इसका जवाब जब किशन देता है तो उसे शिवराज कहता है कि तेरी जुबान बहुत तेज चलने लगी है। इस कथन की पुष्टि के किशन और शिवराज का संवाद नीचे देखा जा सकता है –

"किशन : हम अमन–चौन बिगाड़ रे है? सुण लिया भाइयो, नेताजी क्या कह रे हैं? हम अपणा हक मांगें, तो इनका अमन–चैन बिगड़ता है। और ये शोषण करें तो वह इनका अधिकार है। हम अपने पसीने की मजूरी मांगें तो इनको तकलीफ होती है। बात–बेबात हमारे साथ मार–पीट करें तब अमन–चौन नहीं बिगड़ता...।

शिवराज : किशन तेरी जबान तो बहुत तेज चलने लगी है।"[1]

जैसाकि उपर्युक्त उदाहरण में देखा गया कि जमींदार और शोषक दलितों के परिश्रम का मजदूरी नहीं देते हैं और उन्हें बेवजह मारते–पीटते रहते हैं। जब दलित अपने अधिकारों की मांग करते हैं तब उन्हें दलितों की मांग तेज जुबान लगती है और उनका अमन–चैन बिगड़ने लगता है। दलित समाज का शोषण धर्म, जाति और छुआछूत के आड़ में सदियों से होता आ रहा है। जाति और छुआछूत जैसे अमानवीय व्यवहारों से त्रस्त दलित समाज इससे मुक्ति पाने के लिए हिन्दू धर्म छोड़ने की बात करता है तो जाति व्यवस्था और हिन्दू धर्म के ठेकेदारों की चिंता बढ़ जाती है कि अगर दलितों ने हिन्दू धर्म छोड़ दिया तो गाँव की साफ–सफाई कौन करेगा? इस संदर्भ में 'रंग और व्यंग्य' नाटक से एक उदाहरण देखा जा सकता है। दलितों के सन्दर्भ में पटेल गामा से कहता है कि– "आजकल इनको नाराज करना अच्छी बात नहीं है। कुछ नहीं तो... अगर इन्होंने हमारा हिन्दू धर्म छोड़ दियो तो? हम का करेंगे? गाँव की सफाई के काम का मामला है भैया...?"[2]

जाति और धर्म के ठेकेदार दलितों को हिन्दू धर्म में शामिल करना चाहते हैं लेकिन जब दलित कृष्ण मंदिर बनाते हैं तो उसे कृष्ण मंदिर नहीं कहा जाता है। उसे 'जमादारन का मंदिर' कहा जाता है। दलित मंदिर में पूजा पाठ कराते–कराते कंगाल हो जाते हैं, पर उनके द्वारा स्थापित कृष्ण मंदिर को 'जमादारन का मंदिर' कहा जाता है। उसे गैर दलित कृष्ण का मंदिर कभी नहीं कहते हैं। इसके पीछे द्विजों की जो शोषणवादी हथकंडे हैं। 'रंग और व्यंग्य' नाटक की पात्र छब्बो समझती है और इसका खुलासा करती है। छब्बो शालू से कहती है कि–"बेटी, मंदिर का हमको कोई लाभ नहीं है। मंदिर कृष्ण भगवान का है मगर कहलाता है 'जमादारन का मंदिर'। तेरी नानी की मति मारी गई थी, जो मंदिर बनवाने के चक्कर में पड़ी। हर दिन पंडितों को पूजापाठ के लिए रिश्वत देकर और दान–दक्षिणा देकर वह कंगाल होती जा रही है...।"[3]

उपर्युक्त उदाहरण में देखा जा सकता है कि छब्बो कहती है मंदिरों से हमें कोई लाभ नहीं है। गाँव में मंदिर प्रवेश के नाम पर मुद्दा बनाया जाता है। ताकि सरपंच का चुनाव जीता जा सकें। मंदिर प्रवेश का मुद्दा वोट बैंक की तरह किया जाता है। 'उजास' नाटक का पात्र रामानन्द संती से कहता है कि 'मंदिर प्रवेश का अपना

ध्येय पूरा हो जाने दो संती।' मंदिर प्रवेश से दलितों को कोई लाभ नहीं है फिर मंदिर प्रवेश के नाम पर राजनीति किया जा रहा है। ताकि दलित द्विजों को वोट दे सकें। 'उजास' नाटक से रामानन्द और सेवानंद का संवाद देखा जा सकता है–

"रामानन्द : हम दो तीन लोग सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं। निर्णायक वोट, यूं कहें कि अधिक वोट वाल्मीकि बस्ती के ही हैं। मंदिर प्रवेश के भावना से वे वोट आसानी से भुन जाते हैं। छोटे लोग धर्म को धरती और आकाश से बड़ा मानते हैं।

सेवानंद : सियासत की खड़ग से धर्म की हत्या करना हुआ। उस धर्म की जो हमारी जाति का अस्तित्व है। हम सिरमौर है, उसी बूते।"[4]

समकालीन समय में दलित समाज की राजनीतिक चेतना वह राजनीतिक चेतना है कि जाति के आधार पर हो रहे भेदभाव और शोषण एवं आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए शांतिपूर्ण मांग और संघर्ष ही दलित समाज की राजनीतिक चेतना है। दलित मजदूरी करते हैं तो उन्हें पूरी मजदूरी नहीं मिलती है। जाति को ध्यान में रखकर मजदूरी में कटौती कर लिया जाता है और मंदिर प्रवेश के आधार पर दलितों को वोट बैंक बनाया जा रहा है। इन सब शोषणवादी हथकंडों से अज्ञान नहीं है। समाज में सभी को अपने अधिकारों के साथ जीने के लिए अधिकार है। जाति और धर्म के बीच अधिकारों को पीसना न्याय संगत नहीं है। धर्म से नहीं आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से सार्वभौमिक विकास किया जा सकता है। इसलिए तर्क संगत कार्यों और वैज्ञानिक पद्धतियों को स्थापना करना ही दलित समाज की राजनीतिक चेतना है।

संदर्भ सूची :-

1. दो चेहरे, ओमप्रकाश वाल्मीकि, गौतम बुक सेंटर, शाहदरा, दिल्ली–110093, प्रथम संस्करण 2012, पृष्ठ सं.– 40
2. रंग और व्यंग्य, सुशीला ताकाभौरे, स्वराज प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली–110002, द्वितीय संस्करण : 2014, पृष्ठ सं.– 24
3. वही, पृष्ठ संख्या–31
4. उजास, रत्नकुमार सांभरिया, श्री नटराज प्रकाशन, साउथ गामड़ी एक्सटेंशन, दिल्ली– 110053, प्रथम संस्करण 2020, पृष्ठ सं.– 188

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
September 2021 Page No. : 107-112

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

आदि काव्य रामायण में धर्म एवं दार्शनिक चिन्तन

–डॉ. सुगन्धा जैन

पी०एच०डी० संस्कृत, असि०प्रो०, तीर्थंकर आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजूकेशन, टी०एम०यू०

सारांश :–

भारत में धर्म को सदैव सर्वोच्च स्थान प्राप्त रहा है। प्राचीन भारतीयों के जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में धार्मिक भावनाओं, संस्कृतियों एवं दर्शन के महत्व को हर ओर देखा जा सकता है। रामायण का युग भारतीय संस्कृति, समृद्धि, कला और विकास का युग था तथापि धर्म की अद्‌भुत छटा उस समय में भी परिलक्षित होती थी, यही नहीं लोगों के हृदय एवं उनके क्रियाकलापों में धर्म के साथ साथ आध्यात्मिक दार्शनिक दृष्टिकोण भी परिलक्षित होते थे।

प्राचीन काल में वेदों को सर्वोच्च एवं धार्मिक महत्व प्राप्त था तर्क वितर्क के क्षुद्र आक्षेपों से ऊपर धर्म एवं दर्शन सर्वोपरि था रामायणकालीन संस्कृति इसी वातावरण से ओत–प्रोत रही है। अतः महर्षि वाल्मीकि रचित आदि काव्य रामायण धर्म और दर्शन का एक अनूठा संगम है रामायण कालीन आर्य वैदिक साहित्य में उल्लिखित कर्मकांड के निष्ठावान अनुगामी थे। किसी क्रिया विशेष का वैदिक मंत्रों के अनुसार संपन्न होना ही उसके सुचारू अनुष्ठान का मापदंड था। धार्मिक क्रियाओं के यथाविधि, यथाशास्त्रम् या शास्त्रदृष्टेन विधिना किये जाने का महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रन्थ में बारम्बार उल्लेख किया है।

भारतीय दर्शन की आधारशिला कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत रामायण में सर्वत्र स्वीकृत एवं समर्थित है। कर्म ही समस्त कारणों का–सुख दुःख के साधनों का मूल प्रयोजन है। श्री राम की सम्मति में यह संसार शुभाशुभ कार्य करने और उनका फलाफल भोगने की एक कर्म भूमि है; अग्नि, वायु और सोम भी अपने अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकते।

''कर्मभूमिमिमां प्राप्य कर्तव्यं कर्म यच्छुभम्।
अग्निर्वायुश्चसोमश्च कर्मचारी फलभागिनः।।''

कर्म–सिद्धांत कार्य –कारण –सिद्धांत का ही अनुगमन करता है :–

यादृशं कुरुते कर्म तादृशं फलमश्नुते
जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे
यदाचरित कल्याणि शुभं वा यदि वाशुभम्।
तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्मजमात्मनः।।

कर्ता को अधर्म के फल का भी वैसे ही भागी बनना पड़ता है जैसे धर्म के फल का; धर्माचरण अधर्माचरण को निष्फल नहीं कर सकता; दोनों का परिणाम अवश्यंभावी है।

''न तु धर्मोपसंहारमधर्मफलसंहितम् ।
तदेव फलमन्वेति धर्मश्चाधर्मनाशनः।।''

रामायण दर्शन, धर्म, संस्कृति, कला सभी की संगम स्थली है। महर्षि वाल्मीकि की लेखनी से संस्कृति का कोई भी कोना अछूता नहीं रहा जिसको उन्होने अपने काव्य में स्थान ना दिया हो। वर्तमान में महर्षि वाल्मीकि का आदि काव्य हिंदू–संस्कृति, सभ्यता, धर्म, दर्शन, अध्यात्म आदि को स्थापित किए रखने की सबसे बड़ी आधारशिला है।

भारतीय परंपरा और समग्र संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि रामायण और उसमें श्री राम के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, आदर्शमई अस्तित्व का वर्णन अतुलनीय है। महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम के जिस स्वरूप को लौकिक धरातल प्रदान कर भी अलौकिकता से विरहित नहीं होने दिया है। वह आदर्शरूप उनकी अद्‌भुत काव्य कला का परिचायक है, तथा श्री राम की अवर्णनीय अकथनीय ईश्वरीय सत्ता का द्योतक है। श्री राम के इस लौकिक एवं अलौकिक स्वरूप से मंजुल संयोग ने संपूर्ण सृष्टि को मानवता के मानदंड क्या होने चाहिए; इसको निश्चित कर दिखाया है। महर्षि वाल्मीकि का आदि काव्य रामायण श्री राम के चरित्र की गाथा को प्रस्तुत कर युगों युगों तक जीवंतता को प्राप्त कर चुका है।

रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने श्री हरि के अवतार श्री राम को अनीश्वरत्व प्रदान कर जनसाधारण के मध्य उच्च कोटि के पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया है जोकि जनसाधारण में प्रचलित आचार, व्यवहार एवं किसी समाज की संस्कृति के संपोषक हैं। नैतिक नियमों और धर्म अनुकूल शासन द्वारा संचालित उस युग की सामाजिक व्यवस्था में संस्कृति, शिक्षा, शिष्टाचार, आतिथ्य, वेशभूषा, खानपान, साहित्य, दर्शन, धर्म आदि सभी अलौकिकता को प्राप्त हो गए। वहां कोई कर्म ऐसा नहीं जिसको अधर्म स्पर्श भी कर सके। तत्कालीन संस्कृति का प्रत्येक कर्म धर्म से सुसज्जित था वहां की मिट्टी मिट्टी में धर्म के बीज अंकुरित होते थे चाहे जनसाधारण हो अथवा पुरुषोत्तम श्री राम कोई भी कर्म धर्म विरुद्ध नहीं था यहां तक की श्रीराम ने रावण को मारने के लिए अपना बाण वेदोक्त विधि से अभिमंत्रित करके ही धनुष पर चढ़ाया था :–

''अभिमन्त्रित ततो रामसेतू महेश महाबलः।
वेदोप्रोक्तेन विधिना सन्देश कार्मुके बली।।''

रामायण काल में सभी कर्मकांडों में वेद मंत्रों का अनिवार्य प्रयोग होता था कवि ने वेद मंत्रानुसारिणी बुद्धि की प्रशंसा की और भरत ने माता कौशल्या के समक्ष यह शपथ खाई कि ऐसी शास्त्रानुगामी बुद्धि का धनी मैं कभी न बनूं यदि मेरा श्रीराम के वनगमन में कोई हाथ रहा हो।

''कृतशास्त्रानुगा बुद्धिर्मा भूतत्व कदाचन।
सत्यसन्धः सतां श्रेष्ठों यस्यार्यों नुमते गतः।।''

निश्चित है कि उस समय शास्त्र का अनुगमन करने वाली बुद्धि ही धर्म की परिचायक है। इसीलिए भरत ने भी अपने सत्य को प्रमाणित करने के लिए अपनी बुद्धि की शपथ ली। शांति व मंगल कामना के लिए लोगों में विशिष्ट धार्मिक शक्तियों का अनुष्ठान देखा जाता था। यथा नवीन ग्रहों में प्रवेश करने से पूर्व उसके अधिष्ठाता देवता की प्रीत्यर्थ वास्तु–शांति क्रिया की जाती थी जिससे घर में लुकीछिपी किसी अशुभ बाधा या शक्ति का शमन सदा के लिए हो जाता था और ग्रह–स्वामी की आयु वृद्धि होती थी :–

''कर्तव्यं वास्तुशमनं सौमित्रे चिरजीविभिः।''

रामायण में जब चित्रकूट पर निर्मित अपनी कुटी में श्री राम प्रवेश करते हैं तो उससे पूर्व वह भी वस्तु शमन करते हैं। इस क्रिया का महर्षि बाल्मीकि ने वर्णन करते हुए कहा कि "राम की आज्ञा अनुसार जब लक्ष्मण एक काले मृग को मारकर ले आए, तब राम ने उनसे कहा कि इसके मांस को शीघ्र पका लो, जिससे हम मुहूर्त को टाले बिना यज्ञ कर सकें। तब लक्ष्मण ने आग जलाकर उस मृत मृग को उसमें डाल दिया। जब वह भुन गया, उसका रुधिर शुष्क हो गया तब श्रीराम ने स्नान करके जप किया और संयत होकर मंत्रों सहित यज्ञ किया, तत्पश्चात उन्होंने यथोचित जप कर नदी स्नान आदि के पश्चात आठों दिशाओं में बलि हरण के लिए वेदी–स्थलों को और गणपति, विष्णु आदि के स्थानों को आश्रम के अनुरूप स्थापित किया, समस्त धार्मिक अनुष्ठानों के पश्चात श्री राम ने सीता एवं लक्ष्मण के साथ उस पर्णशाला में प्रवेश किया। यह सभी बातें इस बात को निश्चित करती हैं की रामायण कालीन संस्कृति पग पग पर धर्म से ओतप्रोत रही है, उस समय में जनसामान्य प्रत्येक क्रियाओं की शुभता को प्राप्त करने के लिए धार्मिक अनुष्ठानों का प्रयोग किया करता था। यथा किसी भी प्रकार से वास्तु शमन हो, हिंदू–गृहस्थ का नवीन घर में प्रवेश हो, मांगलिक क्रियाओं का आगमन हो, नवीन ऋतु का आगमन हो, फसल के प्रथम अन्न की प्राप्ति हो, सभी में उनसे विहित धार्मिक अनुष्ठानों को किया जाता था।

कोई भी व्यक्ति हो जब कभी किसी महत्वपूर्ण कार्य का श्रीगणेश वह करता था तब उसकी रिद्धि सिद्धि के लिए स्वस्त्ययन नाम की आशीर्क्रिया संपन्न की जाती थी। यही नहीं प्रातःकाल के समय में योग ध्यान से लेकर देव वंदन, देव तर्पण, पितरों को जलांजलि, अग्निहोत्र, हविष्यान्न का भक्षण, महामुनी के समीप कथा श्रवण आदि अनेक विध धार्मिक अनुष्ठानों का प्रयोग होता था। पुरुष ही नहीं स्त्रियां भी धार्मिक संस्कृति और सभ्यता के प्रति निरंतर सजग रहती थी। वह नियम पूर्वक संध्योपासना करती थी, अग्नि में आहुतियां डालकर प्रातः–सांय अग्निहोत्र आदि का अनुष्ठान करती थी। लंका में माता सीता की खोज के प्रसंग में श्री हनुमान शुद्ध जल वाली नदी को देखकर सोचते हैं कि माता सीता अपनी सांयकालीन संध्या करने के लिए यहां अवश्य आएंगी।

''सांध्यकालमनः श्यामा ध्रुवमेष्यति जानकी
नदीं चेमां शुभजलां सन्ध्यार्थे वरवर्णिनी।''

स्पष्ट है कि उस समय स्त्रियों का एक विशिष्ट वर्ग कम से कम संध्या उपासना अवश्य ही किया करता था। देवताओं का पूजन अर्चन लोगों की धर्मचर्या का अनिवार्य अंग था अयोध्या के सभी वृद्ध और तरुण प्रवासी प्रातः सांय राम के लिए देवताओं को नमस्कार करते थे। दशरथ की राज्यसभा में राम के यौवराज्याभिषेक का निश्चय हो जाने पर पुरवासी अपने अपने घरों को लौट कर कृतज्ञता प्रदर्शन करने के हेतु प्रसन्न मन से देवताओं की पूजा करने लगे थे। अग्नि प्रवेश करने से पहले माता सीता ने भी समस्त देवी देवताओं को प्रणाम किया था– प्रणम्य दैवतेभ्यश्च, दशरथ की मृत्यु और श्री राम के वनवास के कारण अयोध्या में देव पूजा स्थगित हो गई थी जब माता कौशल्या को श्री राम का राज्याभिषेक शीघ्र संपन्न होने का संवाद मिला था तब उन्होंने प्राणायाम करके ध्यानावस्थित होकर भगवान जनार्दन का पूजन किया था और माता सीता भी देव कार्य से निवृत्त होकर अपने अभिषिक्त पति के लौटने की उत्सुकता से बाट जोह रही थीं। यही नहीं श्री राम ने वन के लिए प्रस्थान करते समय अयोध्या में निवास करने वाले देवताओं की अनुमति ली थी।

''आपृच्छे त्वां पुरिश्रेष्ठे.....देवता निवास च यानि त्वां पालयन्त्यावसन्ति च।

कैकेयी ने दशरथ के शपथ ग्रहण की साक्षी के लिए घर–घर निवास करने वाले ग्रह देवताओं का आवाहन किया था –

''गृहेषु गृह देवताः.....जानीयुर्भाषितं तव।''

अंतःपुर तथा नगर के द्वारों और चौराहों की चंदन मालाओं तथा धूप गंध से अर्चना की जाती थी।

''अन्तःपुरस्य द्वाराणि सर्वस्य नगरक्षेत्र च।
चन्दनस्रग्भिरर्च्यन्तां धूपैश्च घ्राणहारिभिः।।''

देवतागार, देवपथ, देवस्थान, देवगृह, देवायतन, देवागार, आदि विविध नामों से देव मंदिरों की चर्चा महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में की है। देव पूजा ही नहीं रामायण कालीन संस्कृति प्रकृति प्रेमी भी थी पशु पक्षियों का सम्मान उनके प्राणों की रक्षा उनके प्रति भावनाओं का समर्पण आदि से संबंधित भी बहुत सारे प्रसंग रामायण में यत्र तत्र बिखरे हुए हैं उस समय में गौ को वैदिक युग के जैसा ही सम्मान प्राप्त था गौ की हत्या राजा और ब्राह्मण की हत्या के समान निंदनीय थी।

''राजा ब्रह्मा गोन्ना सर्वे निरयगामिनः।''

सोती हुई गाय को पैर से छूना अथवा गाय का सारा दूध निकालकर बछड़े को भूखों मरने देना उस समय में पाप समझा जाता था :– **''हन्तु पादेन गाः सुप्ता यस्यायौ नुमते गतः।''**

श्रीराम को वन भेजने वाले को भरत ने इसी पाप का भागी बताया था। गौओं की पवित्रता ब्राह्मणों और कुमारी कन्याओं के समकक्ष मानी जाती थी। वनवास से लौटने पर जिस जुलूस में राम नंदीग्राम से अयोध्या आए उसके आगे आगे ब्राह्मण और कन्याओं के साथ मंगल सूचक गाय भी चल रही थीं :–

''गायः कन्या समद्विबाहु रामस्य पुरतो ययुः।''

श्री राम के राज्याभिषेक समारोह की सामग्री में गांव का भी समावेश किया जाता था ऋषि विश्वामित्र ने श्रीराम को ब्राह्मणों और गौओं के हितार्थ राक्षसी ताड़का को मार डालने का आदेश दिया था उस समय में दान या उपहार में गौएं अनिवार्य रूप से भेंट की जाती थी। चार पुत्रों के पिता बनने पर राजा दशरथ ने हजारों गाय दान की थीं। महर्षि वाल्मीकि ने त्रिजट नामक निर्धन ब्राह्मण को राम से गौएं दान में मिलने की घटना का विनोद पूर्ण वर्णन किया था। श्रीराम ने उनसे कहा था कि आप अपना डंडा जितनी दूर तक फेंक सकेंगे वहां तक की सारी गौएं आपको मिल जाएंगीं। यह सुनकर त्रिजटा ने बड़ी तेजी के साथ धोती के पल्ले को सब ओर से कमर में लपेट लिया और सारी शक्ति लगाकर डंडे को बड़े जोर से घुमा कर फेंका था ब्राह्मण के हाथ से छूटा हुआ डंडा सरयू के उस पार जाकर हजारों गौओं से भरे गोष्ठ में एक सांड के पास गिरा। धर्मात्मा श्रीराम ने वे सारी गायें उसके आश्रम पर भेज दीं थीं।

रामायण–काल एक यज्ञ–बहुल युग था। श्रेष्ठ यज्ञों के अनुष्ठान द्वारा ही राजागण यश और गौरव की प्राप्ति किया करते थे। लक्ष्मण ने सुग्रीव के सम्मुख अपने पिता का परिचय अग्निस्टोर आदि प्रभूत दक्षिणा वाले यज्ञों के कर्ता के रूप में दिया था। भरत और कैकेई ने दशरथ का यायजूक (यज्ञों का नियमित अनुष्ठान करने वाले) के नाम से उल्लेख किया है। श्री राम ने भरत से चित्रकूट में पूछा था :–

''तुमने अपने राज्य में अग्निहोत्र करने के लिए बुद्धिमान्, सरलचित्त एवं विधियों के ज्ञाता व्यक्ति को ही नियुक्त किया है? यज्ञों की समाप्ति और उनके प्रारंभ का उपयुक्त समय वह तुम्हें सदा बताता रहता है?"

''कच्चिदग्निषुते युक्त विधिज्ञ मतिमानृजुः
हुतं य होष्यमाणंच काले वेदयेते सदा।।''

उस समय में यज्ञों के अनुष्ठान–काल में व्यवस्था एवं अनुशासन बनाए रखने के लिए विशेष विधि विधान थे। यज्ञ में दीक्षित होने के बाद जजमान को मन और इंद्रियों पर संयम करके दीक्षा के समस्त नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करना होता था। दीक्षा की अवधि में किसी पर क्रोध करना पुण्य का नाशक समझा जाता था। महर्षि विश्वामित्र ने अपने यज्ञ के अनुष्ठान में राक्षसों के द्वारा किए जा रहे अनाचार की राजा दशरथ से शिकायत करते हुए यह बात कही थी कि "इन निशाचरों पर मैं क्रोध नहीं कर सकता क्योंकि यज्ञ का नियम ही ऐसा है उसे आरंभ कर देने पर किसी को शाप नहीं दिया जा सकता।" यह सभी बातें यज्ञ अनुष्ठानों के नियमों को प्रमाणित करती है। उस समय नदी पूजा, वृक्ष पूजा, स्थान पूजा आदि का विशेष प्रचलन था। जड़ वस्तुओं में भी चेतना अथवा आत्मा का वास माना जाता था, अतः उनको भी चेतन वस्तुओं के समान ही आदर सम्मान प्रदान किया जाता था। माता कौशल्या ने पर्वत, समुद्र, आकाश, पृथ्वी, वायु, दिन, रात्रि, संध्या आदि का सचेतन प्राणियों के रूप में आवाहन करके उनसे श्री राम की वन में रक्षा करने की प्रार्थना की थी। वनस्थलियां वनदेवताओं की बास भूमि मानी जाती थी।

ऋषि विश्वामित्र ने राम से गंगा–सरयू के संगम को प्रणाम करने के लिए कहा था। नाव में गंगा पार होते समय श्रीराम ने मंत्रों का जप किया था तथा लक्ष्मण और सीता ने आचमन करके इस दिव्य नदी को प्रणाम किया था। जब उनकी नाव मझधार में पहुंची तब सीताजी ने गंगा की प्रार्थना करके अपने पति की मंगल कामना की तथा अन्न–पान से नदी का पूजन करने का संकल्प लिया था। नदियों के प्रति यह दिव्य भावना प्राचीन भारतीय संस्कृति के मध्य जल की महत्ता और श्रेष्ठता को स्वीकार करती है।

रामायण धर्म और अध्यात्म के साथ–साथ एक दार्शनिक ग्रंथ भी है जिसके अंतर्गत समस्त आस्तिक एवं नास्तिक दर्शनों की छटा इंद्रधनुषी रंगों के समान शोभायमान है। वहां कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, पाप और पुण्य आदि सभी दर्शनीय हैं। श्रीराम ने स्वयं स्वीकार किया था कि राज्य का नाश, स्वजनों से वियोग, पिता का मरण और पत्नी का अपहरण इन आपत्तियों का तांता मेरे पूर्व जन्म के पापों का ही फल है :–

''पूर्व मया नूनमभीप्सितानि पा पानी कर्माण्यसकृत्कृतानि।
तत्रायमद्यापतितो विपाको दुःखेन दुःखं यदहं विशामि।।''

लंका में वंदनी सीता यह सोचती रहती थी कि जन्मांतर में मैंने कौन से महान पाप किए थे जिसके फलस्वरूप मुझे यह दारूण कष्ट भोगना पड़ा। कर्म की व्याख्या करते हुए महर्षि बाल्मीकि ने किसी स्थान पर कहा है कि जिस प्रकार धान के पकने में समय लगता है वैसे ही कर्मों का फल समय आने पर ही प्रकट होता है। जब रावण ने कुंभकरण को बताया था कि किस प्रकार से युद्ध में मेरा पासा पलटता जा रहा है तब कुंभकरण ने उनसे कहा था कि सीता हरण जैसे पाप कर्म का फल तुम्हें इसी जन्म में और बहुत ही शीघ्र मिल रहा है यही नहीं ऋषि–मुनियों द्वारा दिए गए शाप भी कर्म सिद्धांत का अपराधी को अपने किए का फल पकाने का – ही दृष्टांत उपस्थित करते हैं। वाल्मीकि रामायण में समस्त दर्शनों की छटा मुखरित होती है। रामायण के श्री राम और माता सीता सांख्य के प्रकृति और पुरुष हैं वेदांत के ब्रह्म और माया है उनके स्थल स्थल पर विभिन्न रूप अलग–अलग दर्शनों की प्रस्तुति करने में सक्षम है।

निष्कर्षतः रामायण युग युगांतर तक अजस्र रूप से बहने वाली एक ऐसी आदर्श संस्कृति धर्म–दर्शन एवं मूल्यों की व्याख्या है जो संपूर्ण संसार को जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को सोदाहरण समझाने में सक्षम है। यह एक ऐसा महाकाव्य है जो समस्त साहित्य की आधारशिला है, मानव जीवन के उत्कृष्ट मार्गदर्शन का आधार है। इस काव्य ग्रंथ को जितना अधिक गहराई से जाकर आस्वादित करने का प्रयास किया जाएगा यह उतना अधिक परमानंद की प्राप्ति कराने में सहायक होगा।

वास्तव में यह वैज्ञानिक युग में भी एक अनुकरणीय ग्रंथ रत्न है जिसकी तुलना कर पाना असंभव है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. वाल्मीकि रामायण।
2. रामायण कालीन संस्कृति।
3. संस्कृत ड्रामा।
4. संस्कृत साहित्य का इतिहास।
5. अध्यात्म रामायण।
6. वेदांत दर्शन।
7. सांख्य दर्शन।

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
September 2021 Page No. : 113-117

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

The Role of National Education Policy, 2020 in Developing the Nation

-Vikram Singh Bhadoriya

Research Scholar Social Work Department
Guru Ghasidas Central University, Bilaspur(Chattisgarh)

Abstract :-

The National Education Policy, 2020 aims to reshape and patch all parts of the education structure, including guidance and governance, to create another framework consistent with the optimistic goals of 21st century education. This national education policy envisions India, an education system established in the Indian ethos that directly contributes to transforming India into a purposeful and vibrant information society, making India a world power by providing quality education for all. National Education Policy of India 2020 is walking towards accomplishing such goal by making creative strategies to improve the quality, allure, moderateness, and expanding the inventory by opening up the higher education for the private sector and simultaneously with exacting controls to keep up quality in each advanced education foundation. The academic and student focused viewpoints take a important role in the development as well as nation building policy. Thus, the Indian new and modified education policy is moving from educator driven to student driven education framework which will eventually lead towards building and fostering the nation over the long haul.

Keywords :- Education, National Education Policy, Nation Building

Introduction :-

The primary goal of education is to build the knowledge, skills and understanding of our glorious national heritage and the important achievements of human civilization through scientific guidance and commitment to the ideals of democracy, pluralism, secularism, nationalism and peace as per the goals stated in the preamble to the Constitution of India. The above ideals should be strengthened and used by social representatives, economic analysts and political leaders to improve society. These people were created through higher education. Universities are the centers of higher education activities in our country.

In 1947, Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru, attending a conference at Allahabad University, said that the university represents humanism, perseverance, logic, thinking, experience, and the quest for truth. It means the future development of mankind towards higher goals. University is a place of confidence and optimism. It is beneficial to the country and to individuals when universities properly fulfill their responsibilities.

This understanding of the First Prime Minister led to the beginning of the University's original inspiring initiative for Free India Education. After gaining independence, the then Education Minister Maulan Abula Kalama Azad, formed a high-Level Committee headed by Dr. S Radhakrishnan to introduce advanced degree in the Indian

University Education (Misra, 2011).

Need for a new national education policy :-

As a developing country for educational transformation, India currently has about 845 universities and about 40,000 Higher Education Institutions (HEIs), reflecting the high overall dropout rate and the small number of HEIs in the country that affiliate these universities (Kumar, 2005). As a developing country for educational transformation, India currently has about 845 universities and about 40,000 Higher Education Institutions (HEIs), reflecting the high overall dropout rate and the small number of HEIs in the country that affiliate these universities. It was found that over 40% of these smaller rating institutes operate a single program that opposes the general transition to a multidisciplinary higher education style essential to educational change in 21st century countries. Additionally, more than 20% of schools enroll in fewer than 100 sub-institutions each year, which is actionable for educational improvement, and only 4% of universities exceed 3000 enrolments due to availability of less schools and regional imbalance of students. The same is true of the nature of the school as well as the quality they offer (Aithal and Aithal, 2020).

Role of education in nation building :-

Nation building holds an important place among youth education point of view. Subjects such as history, science and technology are vital in the making of great and developed nations. Its job is appropriate during the time spent on nation-building. The academic and student focused viewpoints take a docile situation to the nation building project. The educational framework intentionally develops a firm quality of life for young people. The curriculum, pedagogy and the entire educational system are designed to lead young people in developing his/her own place, state and ultimately the country. The state is the leading power, first in terms of building the state and then in terms of food. The school utilizes the authoritatively supported information on the nation's past to motivate youngsters to satisfy their jobs as faithful residents (Geetha, 2003).

National Education Policy 2020 :-

The national education policy in 2020 is the main education policy of the 21st century, and it is planned to achieve many development goals in our country. This policy aims to reshape and patch all parts of the education structure, including guidance and governance, to create another framework consistent with the optimistic goals of 21st century education, including SDG4, while building a framework of customs and values in India do. The national education policy places particular emphasis on the development of each individual's imagination. Education is based on the rule that education should promote 'intrinsic limits' of skills and numeracy as well as 'high demand' psychological limits such as basic reasoning and critical thinking, as well as intellectual limitations. Social, moral, and emotional boundaries are also promoted.

These components must be combined and compromised, taking into account the surrounding and global needs and taking into account the rich diversity and culture. The dissemination of information about India and the changing social, social and mechanical needs, the unique imagination, language and information habits, and strong morals among Indian youth have been regarded as the basis for national pride, self-confidence, self-report, and motivation to participate (NEP2020, 2020).

Principles of this Policy :-

The motivation of the educational framework is to encourage receptive people who are drawn to ideal ideas and activities, with an appropriate moral foundation and qualities, with empathy and compassion, courage

and resilience, a logical climate and innovative imagination, along with appropriate moral foundations and qualities. Its purpose is to contribute to the development of a purposeful, inclusive and pluralistic society envisioned in accordance with the constitution.

The Vision of this Policy :-

This national education policy envisions India, an education system established in the Indian ethos that directly contributes to transforming India into a purposeful and vibrant information society, making India a world power by providing quality education for all. Politicians believe that our foundation's curriculum and methods of education among subdivisions should instill a deep attitude towards basic duties and constitutional virtues, advocate for the country, and consciously recognize their work and responsibilities in developing countries. The policy's approach is to instill in students a deep sense of pride, ideological pride, while nurturing the information, abilities, virtues and shortcomings that contribute to a competent shared duty. Freedom, economic events, life, and world prosperity really reflect the world's population.

Key features of NEP 2020 :-

(1) Higher education (HE) checking and controlling foundations like AICTE, UGC, DCI, MCI, INC and so forth will be converged with the Higher Education Commission of India (HECI) as a solitary controller for HEI.

(2) The current Accreditation Institutions like NAAC and NAB will be supplanted by a hearty National Accreditation Council (NAC).

(3) Foundation of a National Research Foundation (NRF) to subsidize research in colleges and schools.

(4) The Central Union divided HEIs into two sorts of Multidisciplinary Universities (MU) and Multidisciplinary Autonomous Colleges (AC) with the grounds having in excess of 3,000 students. The Timeline to become multi-disciplinary is by 2030 and to have 3,000 and more studies by 2040.

(5) Multidisciplinary Universities will be of two sorts as (1) Research-intensive Universities, and (2) Teaching-oriented Universities.

(6) Each current College will form into either degree giving independent College or moved into a Constituent College of University and turns out to be completely a piece of the University.

(7) The Gross Enrolment Ratio in HE including Vocational education will increment from current 26.3% (2018) to half by 2035.

(8) HEIs which convey the best will get more impetuses from the Government.

(9) All current affiliated Colleges will ultimately develop self-governing degree-giving schools with the tutoring backing of partnered University by improving and getting the endorsed accreditation level.

(10) The different terminologies utilized as of now, for example deemed to be university, affiliating university, central university, etc will be replaced by 'University' in the wake of satisfying the necessary measures according to standards.

(11) Research will be included for UG, PG, even out and have a comprehensive and multidisciplinary education approach.

(12) Pedagogy in HEIs will focus on correspondence, discussion, presentation, debate, exploration, examination, and interdisciplinary reasoning.

(13) An Academic Bank of Credit (ABC) will be set up which would carefully store the scholarly credits of all

enlisted competitors acquired from different perceived HEIs (SWAYAM and ODL mode) that can be considered while granting degrees by the school or college.

(14) Four years Bachelor certification with numerous leave alternatives, one to two years Master's certificate dependent on the quantity of years spent in Bachelor certificate as four or three separately, and choice to do Ph.D. for a very long time Bachelor certificate with research are conceivable.

(15) Two years Master degree with full research in the second year, One year Master degree for four years Bachelor degree holders, and Five years integrated Bachelor/Master degree.

(16) All HEIs will focus on research and innovation by setting up (1) Start-up incubation centres, (2) Technology development centres, (3) Centres in frontier areas of research, (4) Centre for Industry-academic linkage, and (5) Interdisciplinary Research Centres including humanities and social sciences research.

(17) Student Centered educating and learning measure rather than Teacher focused instructing model.

(18) Choice Based Credit System is modified by a creative and adaptable Competency Based Credit System.

(19) Examination framework will change from high-stakes examinations (Semester End framework) towards a more persistent and exhaustive assessment examination framework.

(20) All HEIs will have proficient scholarly and vocation guiding focuses with advocates accessible to all understudies to guarantee physical, mental and enthusiastic prosperity.

(21) All HEIs will create, backing, and asset for subject focused clubs and exercises coordinated by understudies with the assistance of personnel and different specialists depending on the situation, in the space of science, language, mathematics, literature, poetry, debate, sports, music, etc.

(22) Encouragement for Online Distance Learning (ODL) courses as a piece of degree projects to incorporate the credit framework.

(23) The Degree projects may contain in-class educating, Online showing segments, and ODL segments with 40:30:30 proportion model to accomplish a worldwide norm of value.

(24) HE quality will be improved to worldwide quality level to draw in more international understudies and the credits procured in unfamiliar colleges will be meant the honor of a degree.

(25) National Scholarship Portal will be reinforced and extended to help the monetary necessities of legitimacy based understudies. Private HEIs will be urged to offer bigger quantities of free ships and grants to their understudies.

NEP 2020 and nation building :-

Research work is essential in the improvement of any nation particularly towards the field of science and innovation. As per the new NEP 2020 examination will be a necessary piece of single man's and graduate degrees according to NEP 2020. The HEIs ought to boost the utilization of innovation and limit the physical model of the grounds based educating learning measure which opens the entryway for the understudies to get abilities and information from everywhere the world right at the work area. To support self-reliance following 18 years old, understudies ought to be urged to foster abilities in their intrigued region and include in some sort of monetary/useful exercises subsequently their reliance on guardians can be decreased. This new NEP 2020 targets accomplishing this by giving professional preparing and building their certainty to acquire while learns programs. A particularly imaginative model gives certainty for the understudies to pick a business visionary profession in this way agricultural country through business. In conclusion, the NEP 2020 spotlights on granting quality education. The NEP 2020

proposes exacting arrangements and responsibility estimates dependent on which every non-entertainer and outdated HR working in the Higher Education framework, possibly in schools, colleges, or HE administrative frameworks ought to be taken out occasionally (Aithal and Aithal, 2020, Kumawat and Sharma, 2021).

Conclusion :-

Higher education is a significant angle in choosing the economy, societal position, innovation selection, and healthy human conduct in each country. National Education Policy of India 2020 is walking towards accomplishing such goal by making creative strategies to improve the quality, allure, moderateness, and expanding the inventory by opening up the higher education for the private sector and simultaneously with exacting controls to keep up quality in each advanced education foundation. These changes will begin from the scholarly year 2021-22 and will proceed until the year 2030 where the principal level of change is relied upon to apparent. Thus, the Indian advanced education framework is moving from educator driven to understudy driven education framework which will eventually lead towards building and fostering the nation over the long haul.

References :-

1. AITHAL, P. & AITHAL, S. 2020. Analysis of the Indian National Education Policy 2020 towards Achieving its Objectives. International Journal of Management, Technology, and Social Sciences (IJMTS), 5, 19-41.
2. GEETHA, V. 2003. Book Reviews: KRISHNA KUMAR, Prejudice and Pride: School Histories of the Freedom Struggle in India and Pakistan, New Delhi: Viking, Penguin India, Rs 395. The Indian Economic & Social History Review, 40, 477-481.
3. KUMAR, K. 2005. Quality of Education at the Beginning of the 21st Century: Lessons from India. Indian Educational Review, 40, 3-28.
4. KUMAWAT, H. & SHARMA, M. 2021. Study Of The Indian National Education Policy 2020 Towards Achieving Its Objectives. Ilkogretim Online, 20.
5. MISRA, S. N. 2011. Higher Education and Nation Building in India. Orissa Review, September-October, 49-54.
6. NEP2020. 2020. National Education Policy 2020.

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
September 2021 Page No. : 118-123

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

कोविड–19 का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव

–विनय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर
–डॉ. सुगंधा जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर
तीर्थंकर आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन (तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी), मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश

सारांश :–

वर्तमान समय में न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी का सामना कर रहा है। इस वैश्विक महामारी ने मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष पर अपना प्रतिकूल प्रभाव डाला। वास्तव में इस वैश्विक महामारी ने ना केवल मानव को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पंगु किया बल्कि उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा आघात किया। कोरोना ने ना केवल उन लोगों को मानसिक रूप से अपना शिकार बनाया जो इस वायरस से संक्रमित हुए बल्कि वे लोग भी कई मानसिक रोगों जैसे अवसाद तनाव, चिंता, कुंठा आदि का शिकार हुए जिन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण से अपने आप को बचाए रखा। इस पूरी वैश्विक महामारी के दौरान कुछ इस तरह का माहौल उत्पन्न हुआ कि मानव बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को मानसिक रूप से समायोजित नहीं कर पाया और परिणामस्वरूप अनेक मानसिक रोगों का शिकार हुआ।

अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी कतारें, लोगों की चीख–पुकार, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी, रोते बिलखते परिजन, श्मशान में जलती लाशें, सड़कों पर दम तोड़ते परिजन, अपनों का बिछड़ना आदि ऐसे भयानक मंजरो ने मानव मस्तिष्क पर ऐसा प्रहार किया कि लाख कोशिशों के बाद भी लोग अपने आप को मानसिक रोगों से बचा नहीं पाए और अनेक मानसिक रोगों का शिकार हो गए।

कोविड–19 की दूसरी लहर में हमने देखा कि किस तरह से कोरोना वायरस के कारण लोगों को कई शारीरिक बीमारियों का सामना करना तथा ऐसे लोग जो बीमारी को मात देकर शारीरिक रूप से तो स्वस्थ हो गए परंतु मानसिक रूप से अनेक समस्याओं का सामना ऐसे लोगों को अभी भी करना पड़ रहा है तथा मानसिक रूप से पूर्णता स्वस्थ होने में ऐसे लोगों को अभी भी काफी इंतजार करना पड़ेगा।

शब्द कुंजी :– मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण, कोरोना काल और मानसिक स्वास्थ्य, कोरोना का काल के दौरान मानसिक संतुलन।

मानसिक रूप से स्वस्थ होना इंसान के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि जब वह मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तभी वह शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो पाएगा और तभी यह कहा गया है कि मन के हारे हार हे और मन

के जीते जीत। जितने भी महान दार्शनिक हुए हैं उनका भी यह कहना है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही एक संतुलित जीवन का आनंद उठा सकता है ऐसा नहीं कि मानव पहले कभी मानसिक रोगों से ग्रस्त ना हुआ हो परंतु इस कोरोना कॉल ने मानसिक रूप से ग्रस्त व्यक्तियों के ग्राफ में तेजी से वृद्धि की। इससे पहले कि हम आगे बढ़े और इसके कारणों का जानने का प्रयास करें सर्वप्रथम हमें यह समझने की आवश्यकता है कि मानसिक स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है और एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की क्या पहचान होती है।

मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य :-

सरल शब्दों में मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य उस स्वास्थ्य से है जिसका संबंध मानस अथवा मन से होता है। मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य है कि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का अपने पूर्ण रूप से अच्छी तरह तालमेल बिठाते हुए कार्य करते रहना। शारीरिक स्वास्थ्य का संबंध जहां मात्र शरीर संबंधी विकास तथा उसके ठीक ढंग से कार्य करने से होता है वहां मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तित्व के सभी पक्षों शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, सौंदर्यात्मक के संतुलित और सामंजस्य पूर्ण विकास और क्रियात्मक, भावात्मक एवं ज्ञानात्मक सभी प्रकार के व्यवहार में पूरा तालमेल रखने की बात कहता है। संक्षेप में अगर कहा जाए तो मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य व्यक्ति के मन की उस स्वस्थ अवस्था से है जो उसे एक संपूर्ण एवं समग्र व्यक्तित्व के रूप में संतुलित एवं संयमित व्यवहार कर अपने आप से तथा अपने वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन करने में सहायता करती है।

अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण :-

एक अच्छे मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं :

1. वह अपनी योग्यताओं क्षमताओं तथा कमजोरियों से भलीभांति परिचित होता है।
2. उसमें बदलती हुई परिस्थितियों तथा हालातों के अनुसार अपने आप को बदलने की योग्यता होती है।
3. वह संवेगात्मक रूप से स्थिर एवं परिपक्व होता है और उसका अपना संवेग ऊपर उचित नियंत्रण होता है।
4. उसकी मानसिक शक्तियां ठीक प्रकार से विकसित होती है वह स्वतंत्र रूप से सोच सकता है और उचित समय पर उचित निर्णय ले सकता है।
5. वह कल्पना और स्वप्नों के संसार की अपेक्षा यथार्थ और वास्तविकता के अधिक निकट होता है।
6. वह अनावश्यक चिंताओं, अवसाद, कुंठा, अस्वस्थता, मानसिक द्वंद्व, आदि मानसिक रोगों से पीड़ित नहीं होता।
7. वह आत्मविश्वासी होता है और अनावश्यक रूप से चिंतित और भयभीत नहीं होता।
8. वह जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है और उसमें सामाजिक रूप से भी समायोजित होने की क्षमता होती है।
9. उसे अपने कर्तव्यों का बोध होता है और अपने कर्तव्यों को निभाने में पूरी तरह नियमित और समय का पाबंद होता है।
10. वह अपन संवेगों को उचित प्रकार से अभिव्यक्त कर सकता है और उसका अपने संवेगों को पर आवश्यक

रूप से नियंत्रण भी होता है।

कोरोना काल और मानसिक स्वास्थ्य :-

हमने देखा कि कोरोना काल की प्रथम और दूसरी लहर में पूरे देश में लॉकडाउन लगा, लोग अपने घरों में कैद हो गए और अपनी दिनचर्या से कट गए लोगों के बीच सामाजिक दूरियां बढ़ी अचानक से इस भागती दौड़ती जिंदगी में ब्रेक लगा और कोरोना वायरस के डर ने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर अपना प्रभाव डालना प्रारंभ कर दिया। जिस तरह की खबरें हमें प्राप्त हुई चाहे वह प्रिंट मीडिया से प्राप्त हुई या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्राप्त हुई कहीं ना कहीं इन खबरों को बढ़ा चढ़ा कर हमारे सामने प्रस्तुत किया गया इन सब के कारण चिंता, डर, अकेलापन अनिश्चितता का माहौल बना और हम सब अभी भी इन सब परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं और दिन–रात इन से जूझ रहे हैं।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है समाज के बिना उसके अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती समाज में रहकर एक दूसरे से अंतः प्रक्रिया करना सामाजिक जीवन की एक अहम और आवश्यक विशेषता है परंतु इस कोरोनावायरस ने इंसानों के बीच सामाजिक दूरियां को बढ़ावा दिया जिसका प्रभाव उनके मानसिक स्वास्थ्य पर देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा समस्या बच्चों के साथ देखने को मिली क्योंकि वह बड़ों की तरह परिपक्व नहीं होते और बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को एकदम से ढाल लेने में असमर्थ होते हैं। लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालने में भूमिका मीडिया की भी रही चाहे वह प्रिंट मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्योंकि मीडिया ने लोगों के बीच खबरों को कुछ इस तरह से पेश किया जिससे भय का माहौल पैदा हो, दिन रात घरों में कैद रहना ऐसी खबरों को देखना अथवा पढ़ना इससे न केवल भय का माहौल पैदा हुआ बल्कि जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा भी मिला। ऐसा नहीं है कि इस महामारी से पूर्व लोग अवसाद या मानसिक रोगों का शिकार नहीं थे परंतु इस महामारी ने इसको और बढ़ावा दिया।

जिन लोगों को कोरोना वायरस ने संक्रमित किया उन्हें आइसोलेशन में रहना पड़ा और यह देखा गया कि ऐसे लोग ज्यादा अवसाद और तनाव का शिकार हुए और इन्हें अन्य प्रकार की मानसिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। आइसोलेशन के दौरान ईटिंग डिसऑर्डर (असामान्य भोजन करना) का शिकार हो गए। अमेरिका के नेशनल ईटिंग डिसऑर्डर एसोसिएशन के कम्यूनिकेशन मैनेजर चेल्सी क्रोननगोल्ड के अनुसार, ईटिंग डिसऑर्डर के कारण तनाव, अकेलापन और अन्य मानसिक विकार पैदा हो सकते हैं। हालांकि यह सिर्फ आइसोलेशन के वक्त नहीं होता है, बल्कि भोजन से दूर होने की चिंता और अपराध बोध के कारण भी हो सकता है। यह पाया गया कि वे लोग जो कोरोनावायरस से संक्रमित नहीं हुए लेकिन मानसिक रोगों से ग्रस्त पाए गए। यह साफ है कि संक्रामक रोग सभी लोगों पर एक गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालते हैं– उन लोगों पर भी जो वायरस से प्रभावित नहीं हैं। कोविड–19 के बाद मानसिक रोगों के मामले चिंताजनक रूप से बड़े यह एक विनाशकारी वायरस है जिसके बारे में अभी भी हमारे वैज्ञानिक जानकारियां जुटा रहे हैं यह अदृश्य वायरस कब प्रकट हो जाए कितना विनाशकारी हो और यह कब और किस तरह समाप्त होगा इसके बारे में अनुमान लगाना

अत्यंत कठिन है यही सब अनिश्चितता असुरक्षा और भय की भावना ने मानसिक रोगों में वृद्धि को बढ़ावा दिया। कुछ मनोरोग विशेषज्ञ तो कोविड–19 को फियरोडेमिक की संज्ञा दे रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेन्टल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज (निमहान्स) बेंगलुरु के विशेषज्ञों के अनुसार अपने स्वजनों और मित्रों से दूर किसी अपरिचित वातावरण में मृत्यु का भय लोगों को मानसिक रूप से कमजोर बना रहा है। मीडिया में लगातार दिखाए जाने वाले अंतिम संस्कार हेतु लंबी कतारों एवं सामूहिक अंतिम संस्कार आदि के भयानक दृश्य तथा बेड, ऑक्सीजन एवं दवाओं की कमी से मौतों के समाचार लोगों में मृत्यु भय उत्पन्न कर रहे हैं।

सुसाइड प्रिवेंशन इन इंडिया फाउंडेशन' के संस्थापक नेल्सन मोसेज़ का आकलन है कि कोविड–19 के कारण अधिकांश लोग निराशा, हताशा एवं अवसाद का अनुभव कर रहे हैं और अब मानसिक रोगों का फैलाव घर घर तक हो गया है।

दूसरी लहर के दौरान कोविड–19 के नए नए सांघातिक वैरिएंट्स की उपस्थिति, इन वैरिएंट्स द्वारा उत्पन्न विभिन्न एवं विरोधाभासी लक्षण, इलाज के विषय में बदलते प्रोटोकॉल, कोविड संक्रमण से मुक्त होने के बाद दुबारा कोविड ग्रस्त होने की आशंका और म्यूकोरमाइकोसिस जैसे जानलेवा संक्रमण का खतरा आम लोगों के भय हेतु उत्तरदायी रहे हैं तथा इनके कारण मानसिक तनाव एवं मानसिक व्याधियों में असाधारण वृद्धि हुई है।

जिन लोगों को संक्रमण ने ज्यादा प्रभावित किया उन लोगों को अस्पतालों में भर्ती होना पड़ा ऐसे लोग अपने परिजनों से दूर रहे इन्हें कोई सांत्वना देने वाला नहीं रहा लोग इनके पास आने से कतराए। एक दूसरे के साथ संप्रेषण का अभाव रहा इन सब का परिणाम यह रहा कि ऐसे लोग भावात्मक रूप से अत्यंत टूट गए और इस कारण इनके मन में अनेक शंकाओं ने जन्म लिया जैसे मैं बच पाऊंगा या नहीं अगर मैं इस बीमारी से उबर भी पाया तो अपनी पूर्व दिनचर्या में लौटने में कितना समय लगेगा आदि अनेक ऐसे प्रश्नों ने ऐसे लोगों को अवसाद, कुंठा, चिंता, संवेगात्मक अस्थिरता आदि मानसिक रोगों से ग्रसित किया।

कोविड–19 के कारण मृत परिजनों के अंतिम संस्कार में सम्मिलित न हो पाना, मृत्योपरांत होने वाले पारंपरिक कार्यक्रमों का सम्पादन न कर पाना, किसी आत्मीय की मृत्यु के दुःख को अकेले सहन करने की विवशता तथा शोक के पलों में मित्रों एवं परिजनों की अनुपस्थिति आदि ने भी मानसिक रोगों को बढ़ावा दिया।

आर्थिक अनिश्चितता ने भी मानसिक रोगों को बढ़ावा दिया। कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ा परंतु इस कारण लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा निजी संस्थानों में कार्यरत लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा या फिर उनकी मासिक आय में कटौती की गई वहीं दूसरी ओर प्रवासी मजदूरों की स्थिति तो और भी भयावह थी उनको निरंतर इस बात का भय सताता रहा कि आगे क्या होगा, उनका निर्वाह कैसे होगा, कैसे वह अपना और अपने बच्चों का पेट पालेंगे और एक ऐसी अनजान जगह में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा यही सब बातों ने लोगों को मानसिक रूप से कमजोर कर दिया और वह कई मानसिक रोगों जैसे अवसाद आदि से ग्रस्त हो गए।

लोग लॉकडाउन के दौरान घरों में कैद रहे एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रहे परिवार के सदस्यों से भी दूरी बनाए रखनी पड़ी इन सब का परिणाम यह हुआ कि लोगों ने अपने समय को व्यतीत करने के लिए किसी ना किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल आदि का सहारा लिया परंतु इन सबके भी कोई सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिले उलटा उनके मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा उनके व्यवहार में आक्रमकता, भूलने के लक्षण, संवेगात्मक अस्थिरता, क्रोध, कुंठा, तनाव आदि का प्रदर्शन होने लगा।

कोरोना काल के दौरान मानसिक संतुलन :-

मानसिक संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि मानसिक रूप से समायोजित व्यक्ति बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को समायोजित कर पाता है और मानसिक रोगों का शिकार नहीं होता। कोरोना काल के दौरान मानसिक संतुलन बनाए रखना अपने आप में एक बड़ी चुनौती रही जो अभी भी बरकरार है अगर यह स्थिति यथावत बनी रहती है तो इसके दुष्परिणाम अत्यंत कष्टकारी होते हैं।

अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने और मानसिक रोगों से बचने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है।

1. मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपनी सोच सकारात्मक रखें जैसे कि यह कुछ दिनों की समस्या है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं अकेला नहीं इस लड़ाई में आदि।
2. भ्रामक खबरों से बचना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि ऐसी खबरें हमारे अंदर भय पैदा करती हैं और हमारी सोच को नकारात्मक बनाती है।
3. अपने रिश्तों को मज़बूत करें. छोटी–छोटी बातों का बुरा ना मानें, एक–दूसरे से बातें करें और सदस्यों का ख्याल रखें, निगेटिव बातों पर चर्चा कम करें।
4. देश विदेश में किए गए कई शोधों के परिणाम के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि जिन लोगों ने इस दौरान अपने आप को प्रगति के संपर्क में रखा वह मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहे और इसने उनकी सकारात्मक सोच को भी बढ़ावा दिया।
5. अपनी दैनिक दिनचर्या बनाना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह इंसान को व्यस्त रखता है और इधर उधर की अनावश्यक बातें नहीं सोचता वैसे भी कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर।
6. अगर हमारे अंदर कोई ऐसा शौक जो हम अपनी व्यस्तता के कारण शायद पूरा नहीं कर पाए तो इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने शौक को पूरा करें।
7. परिवार के सदस्यों के साथ समय बताएं उनके साथ बैठे हैं एक साथ मिलजुल कर खाना खाएं विचार विमर्श करें।
8. अगर कोई परेशानी या बात है तो उस पर अकेले चिंतन मनन ना करें बल्कि सबके साथ साझा करें और अगर आवश्यकता है तो किसी अच्छे परामर्श चिकित्सक से परामर्श प्राप्त करें।
9. मानसिक तनाव को कम करने में योग की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है अतः मानसिक रूप से और

शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योगाभ्यास करें।

10. अनेक शोधों के निष्कर्ष के आधार पर यह पाया गया है कि संगीत की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है तनाव व अवसाद को कम करने और अनेक मानसिक रोगों से आप का बचाव करने में अतः अपनी पसंद के अनुसार संगीत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यही निष्कर्ष प्राप्त होता है कि कोई भी स्थित सदैव के लिए नहीं होती, समय परिवर्तनशील है इससे पहले भी विश्व में बड़ी से बड़ी महामारियों ने जन्म लिया परंतु हमने इन महामारियों के उन्मूलन में सफलता प्राप्त की। कोरोना काल भी सदैव के लिए नहीं है और हमने काफी हद तक इस पर सफलता भी प्राप्त कर ली है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में कोरोना वैक्सीन का अभियान तेजी से चल रहा है जितने ज्यादा से ज्यादा लोग कोरोना की वैक्सीन लेंगे उतनी ही तेजी से हम इस वायरस के द्वारा फैलने वाले संक्रमण पर सफलता प्राप्त कर पाएंगे आवश्यकता इस बात की है कि हम जागरूक रहें सतर्क रहें और समय–समय पर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और एक साथ मिलजुल कर इस वैश्विक महामारी का सामना करें।

References :-

1. S.K Mangal 'Education psychology', PHI Learning Private Limited, New Delhi, 2010, page 601-607
2. https:///www.jagran.com/news/national-coronavirus-created-new-problems-main-challenge-to-maintain-mental-health-jagran-special-21255553.html
3. https://dailychhattisgarh.com/article-details.php\article (111520-path-article) 11
4. Wikipedia, 2021 www.wikipedia.org

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
September 2021 Page No. : 124-125

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Future Prospects of Teacher Educator in India

-Dr. Santosh Arora, Senior Professor
-Md. Matin Arif, Research Scholar
Department of B.Ed. /M.Ed. (IASE), M.J.P. Rohilkhand University, Bareilly. U.P.

The American commission on teacher education rightly observes, "The quality of a nation depends upon the quality of its citizens, the quality of its citizens depends not exclusively, but in critical measure upon the quantity of their education, the quality of their education depends more than upon any single factor, upon the quality of their teacher". In this continuity I add one more statement that the quality of teacher is depends upon the quality of teacher educators. Therefore the essence of the quality of nation is directly proportionate to the quality of their teacher educator program.

In our country Kothari commission report (1964-66) criticized that teacher educator program being conventional, rigid and away from reality. Therefore it suggested the need of establishing Nation Council of Teacher Education (NCTE) in order to improve the standards of Teacher Education in India. In September 1972, Central Advisory Board in Education (CABE) accepted the Kothari commission proposal and put down its draft 21st May 1973 NCTE has got its independent constitution status by law. The NCTE main objectives are :-

1. To work especially towards planned and coordinated development of teacher education.
2. To improve the standards and functionality of teacher education.

In 2014 NCTE make some amendments in Norms and Standard for teacher education right from pre-school teacher education to post-graduate level teacher education programs. NCTE notified revised regulations and norms and Standard on November 28, 2014 for a total 15 teacher education programs (TEPs) including B.Ed. and M.Ed. Program. The curriculum for B.Ed. and M.Ed. programs was modified and their duration was changed from one academic year to two academic year duration. All teacher education institutions had to comply with norms and standards related to these 15 programs with effect from academic sessions 2015-2016 onwards. The changed in teacher education programs specifically in B.Ed. and M.Ed. level have been widely criticized on many grounds. No attempts have ever been made to empirically or otherwise establish the superiority of present (TEPs) over the previous ones.

Amendment in Norms and Standard in (ITEP-2018) by NCTE implement the four year integrated teacher training program as B.A.-B.Ed./ B.Sc.-B.Ed. will be offered in the field of teacher education. This makes the existing many (TEPs) redundant within 4 years of their implementation. Again, no empirical or other evidences to offer! Teacher education has reached at the crossroads and no-one knows the road ahead.

NEP-2020 policy the clarity about the teacher education program such as four year integrated B.A. B.Ed./B.Sc. B.Ed. is given in detail but there is only one page out of sixty four pages of preamble of NPE 2020 the term teacher educator is mentioned. This signified the government doesn't have vision about the course related to

teacher educator programs such as M.Ed. and without the relevance of teacher educator programs how it is possible to achieve the concept of 'Vishwa Guru' can be achieved in 21st century? How the quality of teachers (B.Ed.-Programs) can be maintain without the quality of teacher educator (M.Ed.-Programs).

The validity of teacher educator program course (M.Ed.) also not justify by NCTE as well as the various commission of higher education. The various recruitment agencies of higher education of different states frame the different criteria for recruitment for assistant professor in education; some give more weightage of M.A. Degree program than M.Ed. Degree program.

It creates a perception in the cognition of rational person that raise the following questions?

1. Why candidates do M.Ed. degree program course?
2. What is the validity of M.Ed. degree program course in future?
3. Why M.A. (Education) degree program course have more weightage than M.Ed. degree program courses?
4. Why various higher education recruitment agencies like UPHESC refuse to give equal status of M.Ed. degree program course to M.A. (Education) degree program course?
5. A lot of candidates who have done M.Ed. degree program course in the previous years. What would be the future prospective for their carrier?

Due to above these reasons in the near future there is a black-hole in the teacher educator profession especially in M.Ed. degree course program. I can't understand why the NCTE bruitly crucified the teachers' educator profession. When we read the preamble of NEP-2020 we don't get the answers of above these questions, therefore it is our responsibility to aware the higher authorities regarding this important aspect which is directly responsible for the quality of teachers and the existence of teacher educator program in near future. How the buds (B.Ed. Teacher Education) will bloom without the essence of important nutrients? (M.Ed. Teacher Educator). Let's think together rationally without the influence of pre-notion biasness and in the favor of future of teacher educator program.

Reference :-

1. Singh, L.C. (1990) Teacher Education in India: A Resource Book, Delhi, NCERT.
2. Kothari, D.S. (1966). Report of Education Commission (1964-66) : Education and National Development, Ministry of Education. Government of India.
3. National Council for Teacher Education Act. 1993. The Gazette of India New Delhi: Ministry of Law, Justice and Company Affairs. Gazette Notification No. 73 dated on 29 Dec 1993 Published on 30 Dec 1993.
4. NCTE (Regulation Norms and Procedure) Regulations, 2014 Gazette Notification Published on 28 Nov 2014.
5. NCTE (Regulation Norms and Procedure) Regulations, 2018 Gazette Notification No. 442, dated 20 Nov 2018 published on 22 Nov 2018.
4. NCF (2005). National Curriculum Framework. NCERT. New Delhi.
5. NCFTE (2009). National curriculum Framework for Teacher Education- Towards Preparing Professional and Humane teacher. NCTE, New Delhi.2009

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
September 2021 Page No. : 126-129

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

भारतीय शिक्षा व्यवस्था के विकास में आंग्ल भारतीय समुदाय का योगदान (हनेरी लुईस विवियन डिरोजियो के विशेष संदर्भ में)

–सरिता

शोधार्थी, आर.जी. (पी.जी.) कॉलेज, मेरठ।

सारांश :–

शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा समाज में बदलाव लाती है। जब भारत गुलाम था तब समाज अंधकार में डूबा हुआ था। शिक्षा मृतप्राय थी। सामाजिक कुरीतियों ने अपनी जड़ें समाज में गहरी कर ली थी। चहुँ ओर गरीबी, अशिक्षा, धार्मिक अंधविश्वास, स्त्री शोषण का वातावरण था, ऐसे समय कुछ पढ़े–लिखे विद्वानों ने समाज में शिक्षा का प्रचार–प्रसार किया और वैज्ञानिक सोच, तर्क–वितर्क के द्वारा युवाओं को सत्य की खोज के लिए प्रेरित किया। इनमें से एक थे हेनरी लुईस विवियन डिरोजियो।

शब्द संकेत :– आंग्ल भारतीय–वह व्यक्ति जो भारत में रहता है और जिसका पिता या कोई पुरूष यूरोपीयन वंश का हो।

हेनरी विवियन डिरोजियो का नाम भारतीय पनुर्जागरण में एक विशेष महत्व रखता है। जब भारतीय समाज अंधविश्वास, अज्ञानता, अशिक्षा, सामाजिक कुरीतियों, परम्पराओं, रूढ़िवाद, धार्मिक अंधविश्वास के बंधन में जकड़ा हुआ था। ऐसे समय में डिरोजियो सामाजिक क्रान्ति के अग्रदूत के रूप में उभरे। महज 17 वर्ष की उम्र में डिरोजियो हिन्दू कॉलेज में सन् 1826 में प्रोफेसर नियुक्त हुए। डिरोजियो अंग्रेजी साहित्य का गहन ज्ञान रखते थे। साथ ही उन्होंने अंग्रेजी में विभिन्न कविताओं का प्रकाशन करवाया। डॉ0 विल्सन (अंग्रेजी अफसर) का मानना था कि यदि अंग्रेजी का कोई प्राध्यापक इंग्लैण्ड से बुलाया जाता तो यह बहुत व्यय साध्य होता इसलिए डॉ0 विल्सन ने डिरोजियो को चुना क्योंकि विल्सन यह सोचते थे कि डिरोजियो अंग्रेजी भाषा, साहित्य व इतिहास के सर्वोत्तम प्राध्यापक होंगे।

जब डिरोजियो हिन्दू कॉलेज में प्राध्यापक बन कर आए तब उन्होंने पाठ्यक्रम में आमूल–चूल परिवर्तन किए। पर्यवेक्षक समिति के सम्मुख डिरोजियो ने यह विचार प्रस्तुत किया कि अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा के साथ–साथ इतिहास, भूगोल और विज्ञान की शिक्षा प्रदान की जाए। उनका प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और अब स्नातक के तीनों वर्षों के लिए निम्न पाठ्य पुस्तकें जोड़ी गई।

"प्रथम वर्ष–इंग्लैण्ड का इतिहास (गोल्ड स्मिथ) :–

स्फॉट कृत प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएँ
दार्शनिक विषयों के व्याकरण

म्यूर कृत व्याख्यान

द्वितीय वर्ष–जॉयस के व्याख्यान :–

रोम का इतिहास

अंग्रेजी व्याकरण के लिए म्यूर की व्याकरण

तृतीय वर्ष–गोल्ड स्मिथ का भौगोलिक विवरण इत्यादि।[1]

पाठ्यक्रम में यह बदलाव छात्रों के मानसिक विकास, तर्कणा के विकास के लिए किया गया।

शेक्सपियर, मिल्टन, थॉमसन, ग्रे, हॉमर इत्यादि की रचनाओं का पाठ्यक्रम में समावेश किया गया।

इतिहास में विभिन्न देशों का इतिहास यथा यूरोप का इतिहास, यूनान व रोम का इतिहास का अध्ययन कराने से तुलनात्मक समझ विकसित हुई।

हालांकि डिरोजियों महज पांच वर्ष ही कॉलेज में अध्यापक रह सके। इनका कार्यकाल 1826 के बीच रहा। इतने कम समय में ही डिरोजियो ने महान बौद्धिक व शैक्षाणिक क्षमताओं का प्रदर्शन किया।

विस्तृत पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों को उन्होंने यह शिक्षा दी कि किस प्रकार यूरोप में ऐतिहासिक परिपेक्ष्य में साहित्य का विकास हुआ। इतिहास को दर्शन से सम्बद्ध करते हुए मध्यकालीन यूरोप के उदारवादी व परिवर्तनवादी विचारों का विकास किस प्रकार हुआ।

डिरोजियो की शिक्षण पद्धति सर्वथा भिन्न थी। उनकी शिक्षण पद्धति कोई सीमा नही जानती थी। उन्होंने तय कक्षाकक्ष कार्यकाल, पाठ्यक्रम की सीमाओं को तोड़ते हुए छात्रों के साथ प्रत्यक्ष वाद–विवाद स्थापित किया वे छात्रों से कक्षा के बाहर भी तर्क–वितर्क करते थे यह कार्य वे अपने घर पर भी करते। जो भी छात्र उनके घर जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहता थे डिरोजियो उसे स्वतंत्रता प्रदान करते। ऐसे वे छात्रों के ज्ञान भण्डार को विस्तृत और गहनतम करना चाहते थे।

डिरोजियो छात्रों को वाद–विवाद व विचार–विमर्श, समूह चर्चा आयोजित करने को उत्साहित करते थे। उन्होंने छात्रों को उन्होंने ज्ञान ग्रहण करने एवं सत्य दर्शन के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सभी प्रकार के विश्वासों को तर्क की कसौटी पर कसने को कहा और यदि खरा ना उतरे तो वे अपने छात्रों को प्रेरित करते कि ऐसे नियम को त्याग देना चाहिए।

डिरोजियो अपने छात्रों से व्यक्तिगत रूप से सम्बद्ध होते थे। वे प्रत्येक छात्र के जीवन में आए सुख–दुःख के प्रति सहानुभूति रखते थे। इसलिए छात्र अपने गुरू का बहुत सम्मान करते थे। जैसे ही डिरोजियो कॉलेज में प्रवेश करते छात्र उन्हें घेर लेते थे। गुरू के बीच इस मित्रतापूर्ण व्यवहार ने हिन्दू कॉलेज में एक नए वातावरण का सृजन किया। अपनी कविता 'टू द प्यूपिल्स' के माध्यम से डिरोजियो ने व्यक्त किया....

युवा फूलों की पंखुड़ियों की तरह विस्तृत
मैंने आपके युवा मस्तिष्क का विस्तार देखा है
और बांधने वाले मंत्र का मधुर ढीलापन
जो तुम्हारी बौद्धिक ऊर्जा व शक्ति को बांधता है.....
युवा पक्षी की भांति जब गर्मी के सुखद
महीनों में अपने पंख खोलते हैं

ताकि अपनी शक्ति का अवलोकन कर सके।
हे परिस्थितियों की हवा, और
अप्रैल की बारिश की भांति प्रारम्भिक ज्ञान, और
विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं ने अपना प्रभाव छोड़ा
और किस प्रकार आप सत्य की सर्वव्यापकता की पूजा
करते हैं। जब मैं यह देखता हूँ तो मुझ पर
आनन्द रूपी वर्षा होती है।
और मैं सोचता हूँ मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया।[2]

डिरोजयो अपने छात्रों की प्रगति से उत्साहित होते थे। आज जबकि शिक्षा व्यवस्था का व्यवसायीकरण हो चुका है और गुरू–शिष्य परम्परा का ह्रास हो रहा है ऐसे समय में डिरोजयो की प्रसांगिकता बढ़ जाती है।

एच0 एच0 विल्सन (हिन्दू कॉलेज के भ्रमणकर्ता विद्वान) ने जब डिरोजियो की शिक्षण प्रणालियों को देखा तो स्तब्ध रह गए। वे लिखते हैं, ''डिरोजियो इतिहास को ऐसे पढ़ाते हैं जैसे अन्य कोई दार्शनिक का मस्तिष्क हो। डिरोजयो के पास अन्य विषय से सम्बद्ध करते हुए अपने विषय को पढ़ाने की विलक्षण प्रतिभा थी।[3]

यदि हम तत्कालीन समय के डिरोजियो के कुछ छात्रों के विषय में अध्ययन करें तो हमें डिरोजियो की शैक्षिणक योगदान का गहन ज्ञान प्राप्त होगा।

किशोरी चंद्र मित्र हिन्दू कॉलेज के छात्र थे। उन्होंने डिरोजियो के हिन्दू कॉलेज में नियुक्ति को एक नए युग का सूत्रपात माना। क्योंकि समकालीन किसी भी अन्य प्रोफेसर या शिक्षक की तुलना में डिरोजियो ने छात्रों को सत्य दर्शन कराए, तर्क शक्ति विकास किया, तुलनात्मक ज्ञान को बढ़ावा दिया, वैज्ञानिक सोच ग्रहण करने पर बल दिया। छात्रों में नैतिकता का विकास किया।[4] डिरोजियो का विश्वास था कि वे केवल शब्द ज्ञान न दे बल्कि विषय का सम्पूर्ण ज्ञान, छात्रों को दें। केवल मस्तिष्क पर प्रभाव ना छोड़े बल्कि उनके हृदय पटल को स्पर्श करें।

डिरोजियो की शिक्षण पद्धति व योगदान के विषय में शिवनाथ शास्त्री की उन्नीसवीं शताब्दी की पुस्तक 'रामतुन लाहिड़ी ओ तत्कालीन बंगसमाज' बहुत महत्वपूर्ण है। डिरोजियो कक्षा चार (स्नातक के चौथे वर्ष) के अध्यापक थे परन्तु अन्य कक्षाओं के छात्र भी उनसे प्रभावित थे। वे छात्र से वाद–विवाद व समूह चर्चा करते थे।[5]

डिरोजियो के जीवनी लेखक थॉमस एडवर्ड अपनी पुस्तक में डिरोजियो के विषय में लिखते हैं ''ना तो पहले ना ही उस दिन के बाद भारत में स्थापित किसी भी शिक्षण संस्था में छात्रों के ऊपर ऐसा प्रभाव नहीं छोड़ा गया जैसा कि डिरोजियो ने छोड़ा।[6]

सी0 जे0 मॉटेग्यू कलकत्ता के प्रसिद्ध अध्यापक हुए उन्होंने डिरोजियो के विषय में लिखा, ''एक अध्यापक के रूप में उनका जीवन एक महान सफलता है।'' उन्होंने अपने छात्रों में समझ की दृष्टि उत्पन्न की। उन्होंने छात्रों को तर्क करना सिखाया।''[7]

हिन्दू कॉलेज में डिरोजियो प्रतिदिन कक्षा से पहले व बाद छात्रों के साथ कविता, साहित्य, नैतिक दर्शन से संबंधित बातचीत करते थे। कॉलेज में उनके इस कार्य का विरोध किया गया तब उन्होंने श्री कृष्ण सिंह की सहायता से उनके घर मनीकतुल्ला में छात्रों से बातचीत करनी शुरू की और इस तरह 'एकेडेमिक एसोसिएशन'

की नींव पड़ी।[8] बंगाल में अपने तरीके का यह पहला एसोसिएशन था। हर शाम वहाँ किसी ना किसी मुद्दे पर विचार–विमर्श का आयोजन होता। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न वर्ग के युवाओं के बीच एक समान धरातल विकसित करना था ताकि समाज में व्याप्त कुरीतियों का शिक्षा के माध्यम से सामना किया जा सके।

विचार–विमर्श का मुख्य विषय पहले ही तय कर दिया जाता था और यह तत्कालीन समाज की मुख्य परिस्थितियों से सम्बद्ध होता था। कुछ छात्र पक्ष तो कुछ विपक्ष में होते ताकि किसी सामाजिक समस्या पर प्रत्येक दृष्टिकोण से दृष्टिपात किया जा सके। और अंत में जो निष्कर्ष सामने आते छात्र उसे अपने जीवन से सम्बद्ध करने का प्रयास करते थे।

अपने छात्रों की सम्पूर्ण विकास के लिए डिरोजियो का केवल वाक् अभिव्यक्ति पर बल देते थे अपितु लेखन कला को भी उन्होंने विकसित किया, क्योंकि लेखन के माध्यम से विचार जन–जन तक पहुँचते थे। प्रत्येक छात्र को डिरोजियो उन्मुक्त चिन्तन करने प्राधिकारी से प्रश्न करने और किसी समस्या पर तर्क पूर्ण चिन्तन करने को प्रोत्साहित करते थे। डिबेटिंग क्लब की स्थापना डिरोजियो ने इसी उद्देश्य से की। यहाँ प्रत्येक छात्र के अलग–अलग विचार आपस में टकराते और एक नया विचार सामने आता। इससे छात्रों को आत्म मूल्यांकन का अवसर प्राप्त होता था। छात्रों की लेखन क्षमता विकसित करने के लिए डिरोजियो ने मीडिया की सहायता ली। पार्थेनान' का प्रकाशन इसलिए ही किया गया कि हिन्दू कॉलेज के छात्र उसमें अपने लेख प्रकाशित कर सके। समाज में व्याप्त कुरीतियों पर डिरोजियो व उनके छात्रों ने कुठराघात किया। शिक्षा का मूल उद्देश्य भी यहीं है कि छात्र सत्य दर्शन करें और समाज को सही दिशा दिखा सके। 'ईस्ट इण्डिया' व 'कलकत्ता गजट' जैसे समाचार पत्रों में छपे लेख कुरीतियों पर कुठराघात करते हालांकि तत्कालीन समाज में इसका बहिष्कार किया गया लेकिन अंततः समाज को नई दिशा मिली।[9]

उस समय हिन्दू कॉलेज अपनी प्रबुद्धधता के लिए जाना जाने लगा। वैज्ञानिक तर्कणावाद, नैतिक दर्शन, सत्य की खोज, तर्क–वितर्क, समूह चर्चा जैसे महान गुणों का समावेश करके श्री डिरोजियो ने शिक्षा व्यवस्था को नया आयाम दिया और भारत देश सदैव उनका ऋणी रहेगा।

संदर्भ :-

1. विल्सन रिपोर्ट (1825) जी.सी.पी.आई.
2. डिरोजियो पोस्ट ऑफ इंडिया, रोसिका चौधरी पृष्ठ संख्या–56
3. मुखोपाध्याय एस.एस. नाइनटीन्थ सेंचुरी बंगाल (पृष्ठ संख्या–53–57) कलकत्ता, पारूल प्रकाशिनी प्राईवेट लिमिटेड।
4. मित्रा पी. (1879) ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ डेविड हेयर, कलकत्ता : स्टोनहोप प्रैस पृष्ठ सं0–88–89
5. लेथब्रिज आर. (1972) ऐ हिस्ट्री ऑफ द रिनेसां इन बंगाल; रामतनु लोहिड़ी ब्राह्मण एवं रिफॉर्मर; द सोशल रेवॉल्यूशन इन बंगाल, पृष्ठ संख्या–55–56 कोलकाता एडीशन।
6. मुखोपाध्याय एस.ए. (2008), डिरोजियो रिमेम्बर्ड; बर्थ बाईसेण्टेनरी सेलीब्रेशन कॉपोरेशन वॉल्यम–1 स्केचिज ऑफ हिन्दू यूथ (पृष्ठ संख्या–24) कोलकाता पुनहासा पब्लिकेशन।
7. वही पृष्ठ संख्या–25
8. मुखोपाध्याय एम. (2001), Total Quality Management in Education New Delhi National Institute of Educational Planning and Administration (पृष्ठ–28)
9. बोस (1976) द इंडियन अवेकनिंग एण्ड बंगाल, यंग बंगाल पृष्ठ संख्या (69–82)

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
September 2021 Page No. : 130-138

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

हिन्दी कविता में राष्ट्रीय चेतना के स्वर

–कृष्णा अवतार

शोध–छात्र, हिन्दी विभाग, राम स्वरूप ग्रामोद्योग महाविद्यालय, पुखरायाँ, कानपुर देहात।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह सदैव मानव जाति की ही नहीं, समस्त जैविक समुदाय आस–पास के वातावरण के बारे में भी चिन्तनशील रहा है। प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व बनता है कि अपने समाज वातारण और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार तथा चिंतनशील रहे; यही चिंतनशीलता ही चेतना कहलाती है और जब व्यक्ति अपने राष्ट्र की समस्याओं, उपलब्धियों, विविधता, एकता एवं अखण्डता के प्रति जागरूक रहता है तो वह राष्ट्रीय चेतना कहलाता है। हिन्दी कविता के इतिहास में अगर दृष्टि दौड़ाई जाय तो राष्ट्रीय चेतना का स्वर चन्दवरदाई, जगनिक, भूषण की रचनाओं में साफ–साफ दिखाई पड़ता है। ऐसा कहा जाता है, भूषण की राष्ट्रीय चेतना से ओत–प्रोत रचनाओं से मुग्ध हो महाराजा छत्रसाल ने स्वयं भूषण की पालकी को कंधा दिया था। भूषण की ओजपूर्ण रचनाओं को सुनकर किसी भी व्यक्ति के अन्दर ऊर्जा आ सकती है–

इन्द्र जिमि जंभ पर, बाड़व सुअंभ पर,
रावन सदंभ पर रघुकुल राज हैं।
पौन बारिवाह पर, संभु रतिनाह पर,
ज्यों सहस्त्रवाहु पर राम द्विजराज हैं।।

X X X X

तेज तम अंस पर, कान्ह जिमि कंस पर,
त्यों मलेच्छ बंस पर सेर सिवराज हैं।।[1]

चेतना जागृत करने में कवियों का हमेशा योगदान रहा है। 'पुराने जमाने' में ग्रीस के एथेंस नगर वाले मेंगारा वालों से शत्रुता रखते थे। एक टापू के लिए दोनों के बीच कई दफे युद्ध हुए पर हर बार एथेंस को हार का सामना करना पड़ा, इस पर एथेंस के विद्वान सोलन को बहुत कष्ट हुआ, उसने एक ओज पूर्ण कविता लिखी जिसे एक ऊंचे टीले पर चढ़कर राष्ट्र के लोगों को सुनाया उसकी कविता ने लोगों के हृदय पर ऐसा असर किया कि लोगों ने मेगारा वालो पर चढ़ाई कर दी और मेगारा को पराजित कर टापू को छीन लिया।' ऐसी कथा है कि जयपुर के राजा सवाई जयसिंह अपनी नवोढ़ा पत्नी पर इतने आसक्त हो गये कि राज–काज से विरत हो अपने राज धर्म को भूल गए, जनता में अपार असंतोष था। अतः कवि बिहारी ने उन्हें एक दोहा लिख कर भेजा–

नहिं पराग नहिं मधुर मधु, नहिं विकास यहिं काल।
अली कली ही सो बँध्यों, आगे कौन हवाल।।[2]

कहा जाता है कि महाराजा पर इस दोहे का इतना असर हुआ कि वह न केवल राज–काज में लग गये बल्कि उनके दरबार में बिहारी का सम्मान सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में बढ़ गया।

भारतेन्दु काल में भारत पराभव से गुजर रहा था इस्लामी शासन के बाद भारत पर अंग्रेजी शासन का अत्याचार था, जिससे क्षुब्ध होकर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी ने अपनी कलम को अंग्रेजों के विरूद्ध राष्ट्र की जनता को आजादी के प्रति जागरूक होने के लिए इस्तेमाल किया। अंग्रेजों द्वारा भारतीय सम्पदा को ब्रिटेन ले जाने के प्रति गहरा क्षोभ व्यक्त किया–

अंग्रेज राज सुख साज सजै सब भारी
पै धन विदेस चलि जात इहै अति ख्यारी।।[3]

आधुनिक काल में मैथिलीशरण गुप्त जी ऐसे कवि है जिन्हें राष्ट्रीय चेतना का पर्याय समझा जाता है। इनकी रचनाएं राष्ट्रवाद से ओत–प्रोत हैं। इनकी रचना धर्मिता के प्रखर शक्ति से ब्रिटिश हुकूमत तक हिल गयी थी, नतीजा यह हुआ था इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति 'भारत–भारती' को प्रतिबंध का सामना करना पड़ा था। तत्कालीन समय में 'भारत–भारती' की पंक्तियाँ लोगों के जुबान पर हुआ करती थीं। जिसकी वजह से लोगों में राष्ट्रवाद के प्रति रूझान को देखते हुए ब्रिटिश सरकार घबरा गयी थी। गुप्त जी ने 'भारत–भारती' में न केवल अतीत की गौरव गाथा का वर्णन किया है बल्कि वर्तमान भारत की बद्तर स्थिति के चित्र को दिखाते हुए भारत के उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की है–

इस देश को हे दीनबन्धों! आप फिर अपनाइए,
भगवान्! भारतवर्ष को फिर पुण्य–भूमि बनाइए[4]

भारत विविध भाषाओं, बोलियों, जातियों, सम्प्रदायों एवं रीति रिवाजों वाला देश है। जहाँ की विविधता विश्व प्रसिद्ध है, अनेकता में एकता ही भारत की मुख्य पहचान है। हिन्दू, मुसलमान यहाँ की बड़ी कौमों में आती है। राष्ट्रकवि में मैथिलीशरण गुप्त जी को यह मालूम था कि बिना दोनों के सौहार्द्र से देश कतई मजबूत नहीं हो सकता इसीलिए उन्होंने 'गुरुकुल' नामक अपनी रचना में दोनों की एकता की बात की है–

हिन्दू–मुसलमानों दोनों अब छोड़े यह विग्रह की नीति।
प्रकट की गई है यह केवल अपने वीरों के प्रति प्रीति।।[5]

द्विवेदी युग मूलतः राष्ट्रीयता एवं अपनी इतिवृत्तात्मकता के लिए जाना जाता है, इस युग के कवियों ने स्वाधीनता के प्रति स्वर को मुखर करते हुए ब्रिटिश सत्ता को खुलकर चुनौती दी। नाथूराम शर्मा 'शंकर', गया प्रसाद शुक्ल 'सनेही', गोपाल शरण सिंह, राम नरेश त्रिपाठी ऐसे ही कवियों में आते हैं जिन्होंने राष्ट्रीय चेतना के स्वर को बुलन्द किया। इस युग के कवि नाथूराम शर्मा 'शंकर' ने आजादी के प्रति खुद को बलिदान करने को युवाओं से आवाह्न करते हुए कहा–

देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा
प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा।[6]

श्रीधर पाठक भी ऐसे ही कवियों में आते है, जिन्होंने राष्ट्रभाषा–मातृभाषा को गौरव पूर्ण मानते हुए विदेशी भाषाओं की गुलामी को तिरस्कृत करने का आवाहन किया। उनका मानना था कि दूसरो हुकूमत ही नहीं दूसरों की भाषा, व्यापार, संस्कृति को ग्रहण करना और अपनी भाषा–संस्कृति को तरजीह न देना भी एक मानसिक

गुलामी है। स्वयं की भाषा के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए इन्होंने कहा कि–

निज भाषा बोलहु लिखहु, पढ़हु गुनहु सब लोग।
करहु सकल विषयन विषै, निज भाषा उपजोग।।[7]

राष्ट्रीय चेतना के समृद्ध कवियों में बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' जी का नाम भी बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। ये स्वाधीनता संग्राम सेनानी एवं प्रसिद्ध क्रांतिकारी गणेश शंकर विद्यार्थी जी के अभिन्न मित्र थे। राष्ट्रप्रेम, बलिदान, त्याग एवं समर्पण की भावना की दीक्षा इन्हें विद्यार्थी जी से ही प्राप्त हुई थी। अपनी शिक्षा के दौरान ही विद्यालय को छोड़कर नवीन जी गणेश शंकर विद्यार्थी जी के साथ आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिए। कानपुर उन दिनों क्रान्तिकारियों का केन्द्र हुआ करता था। नवीन जी ने विद्यार्थी जी द्वारा प्रज्वलित मशाल को आगे बढ़ाते हुए युवाओं को स्वाधीनता के प्रति प्रेरित किया। इनकी कविता के स्वर में तत्कालीन युवा अपने स्वर को मिलाते हुए यह गीत गुनगुनाते थे–

कवि, कुछ ऐसी तान सुनाओ, जिससे उथल–पुथ मच जाये।
एक हिलोर इधर से आये, एक हिलोर उधर से आये।।[8]

मैथिलीशरण गुप्त जी के अनुज सियारामशरण गुप्त जी प्रसिद्ध गाँधीवादी रचनाकार थे। इनके अन्दर भी गुप्त जी की तरह ही राष्ट्रीयता कूट–कूट कर भरी थी। ये हिंसा का जबाब अहिंसा के अस्त्र से देने के पक्षपाती थे, शोषण का विरोध एवं शोषित के पक्ष के हिमायती थे। इनका विचार था कि जीवन और जगत में करूणा का बड़ा महत्त्व होता है। इसका प्रसार व्यक्ति से समाज की ओर होता है। लेकिन समाजोन्मुख तथा सूक्ष्म नैतिक बोध से समन्वित उनकी करूणा व्यंग्य मिश्रित होकर धारदार और संवेदनात्मक रूप धारण करती है। ये परतंन्त्रता, शोषण, अत्याचार के मुखर विरोधी थे। इसके विरोध में स्वर मुखरित करते हुए कहते है–

ज्वालागिरि के बीज, क्रूर शोषण से जमकर
फूट पड़े हैं ठौर–ठौर आग्नेय विकट तर
काँप उठी है धारा उन्हीं के विस्फोटन में
फैल गयी प्रलयाग्नि–शिखा यह निखिल भुवन में।[9]

माखन लाल चतुर्वेदी जी भी राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी कवि हैं। ब्रिटिश हुकूमत को अपनी दासता समझते थे, उसे आक्रमणकारी लुटेरा समझते हुए भारत की गरीबी की वजह मानते थे। युगों से शोषित भारतीय जनता को विज्ञान से प्राप्त नये साधनों से युक्त ब्रिटिश साम्राज्य वादियों के खिलाफ संघर्ष को हथियारों के बल पर जीत पाना आसान नहीं था। इसलिए इसे समझते हुए वे भारतीय जनमानस को गांधीवादी शस्त्र से आन्दोलन के लिए प्रेरित करते हुए विरोध करने का आवाह्न किया–

क्या? देख न सकती जंजीरों का गहना?
हथकड़ियाँ क्यों? यह ब्रिटिश राज्य का गहना,
कोल्हू का चर्रक चूं? जीवन की तान,
गिट्टी पर लिखे अंगुलियों ने गान?
हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ,
खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कूआं।[10]

निराला जी विद्रोही प्रकृति के कवि थे। इनकी तालमेल अपने समकालीन कवियों से भी कम बैठता थी। गरीबी की हालत में भी अपने समकालीन आर्थिक रूप से सम्पन्न रचनाकारों को भी विपन्न समझते थे। इनका विद्रोह न केवल कविता के विषय से था बल्कि तत्कालीन कवि समाज, ब्रिटिश सरकार के साथ–साथ कविता की परम्परागत शैली से भी था। यह कहा जा सकता है कि विद्रोही तेवर इनके स्वभाव मे था। शोषण के विरूद्ध जनता को जागृत करते हुए अपनी प्रसिद्ध रचना 'तुलसीदास' के समापन अंश में कहते है–

जागो, जागो आया प्रभात,
बीती वह, बीती अंधरात,
झरता भर ज्योतिर्मय प्रपात पूर्वाचल;
बाँधो, बाँधों किरणें चेतन;
तेजस्वी, हे तमजिज्जीवन;
आती भारत की ज्योतिर्घन महिमाबल!।।[11]

जयशंकर प्रसाद जी ने अपने ऐतिहासिक नाटकों द्वारा राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का काम किया है। चन्द्रगुप्त, स्कन्दगुप्त, ध्रुवस्वामिनी इनके ऐसे ही नाटक है, जिसमें राष्ट्रीय चेतनाबोध को आसानी से देखा जा सकता है। चन्द्रगुप्त नाटक में चाणक्य, सिंहरण से कहता है ''मालव और मगध को भूलकर जब तुम आर्यावर्त का नाम लोगे तभी वह आत्मसम्मान मिलेगा।।'' अलका के हृदय में देशभक्ति की भावना पूरी तरह से भरी हुई है। वह जन साधारण को राष्ट्र की स्वतंन्त्रता एवं रक्षा के लिए उठ खड़े होने की बात करती है–

हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती।
स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती।।
अमत्र्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो।
प्रशस्त्र पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो।।[12]

भारतीय मूल्यों एवं जीवन के मूल्यों की श्रेष्ठता को स्थापित करते हुए कार्नेलिया के मुख से भारत को ही अपना राष्ट्र बताते हुए भारत की महिमा का गान कराया है–

अरुण यह मधुमय देश हमारा।
जहाँ पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा।।[13]

राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कई कवियों ने सक्रिय योगदान दिया। इसी परिवेश में स्वाधीनता से संबंधित कविताएं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कलम से मुखरित हो रही थी 'झाँसी की रानी' इनकी एक ऐसी कविता है, जो आज तक पाठकों एवं श्रोताओं के दिलों दिमाग पर रची बसी है। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं में जहाँ एक तरफ ओज का प्रवाह है वही दूसरी तरफ असहयोग एवं बलिदान की प्रेरणा भी है–

विजयिनी माँ के वीर पुत्र पाप से असहयोग ले ठान।
गुंजा डालें स्वराज की तान, और सब हो जावें बलिदान।।[14]

वैसे तो सुमित्रानन्दन पंत जी प्रकृतिवादी कवि हैं, लेकिन कालान्तर में 1934–36 के आस–पास 'युगान्त' संग्रह के साथ ही इनके रचना संसार की दिशा बदल जाती हैं, और ये प्रगतिवाद के पक्ष में रचनाएं करने लगते है। इसी संदर्भ में 'युगवाणी', 'ग्राम्या', 'स्वर्णधूल', 'लोकायतन' जैसे रचना संग्रहों का आगमन होता है। 'युगान्त'

की 'श्रमजीवी' कविता में पंत ने सर्वहारा के रूप में मजदूरों का भव्य एवं गौरवपूर्ण चित्रण अंकित किया है, इसमें उन्होंने मजदूरों को कर्दम पोषित (कीचड़ से सना) होने के बावजूद पवित्र शोषित होने के बावजूद निर्माता तथा अशिक्षित होने के बावजूद शिक्षितों से भी अधिक शिक्षित के रूप में दिखाने का प्रयास किया है। सर्वहारा के रूप में श्रमिक वर्ग समाज का सबसे क्रांतिकारी वर्ग होता है, लेकिन भारतीय परिस्थितियों में औद्योगिक मजदूरों की संख्या इतनी कम थी कि उनसे कोई बड़ी क्रांति की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। उस समय ग्रामीण जनता कृषि मजदूर के रूप में जीवन बिता रहा था, और वही कृषक आन्दोलन के रूप में सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इनकी रचनाओं में गावों का चरित्र, पात्र, दलित शोषित की शोषक के प्रति बदलती सोंच एवं मुखरित होते आवाजों को देखा जा सकता है–

जमीदार पर फब्ती कसता
बाह्मन, ठाकुर पर है हँसता
बातों में वक्रोक्ति काकु औ'
श्लेष बोल जाता वह सस्ता।[15]

इसी कड़ी में दिनकर जी ऐसे कवि हैं जिनमें संवेदना एवं विचार का समन्वय देखा जा सकता है। चाहे व्यक्तिगत प्रेम सौन्दर्य मूलक कविताएं हों, चाहे राष्ट्रीय चेतना की कविताएं हों, सब में पाठक एवं श्रोता को बांधने की अजीब सी कसक दिखाई पड़ती है। अपने देश और युग सत्य के प्रति जागरूकता इनकी अपनी विशेषता है। परतंत्र भारत की घटनाओं, शोषण यातनाओं, विषमताओं आदि के प्रति कवि ने जिस तरह कलम चलाया है वैसा निराला को छोड़कर पीछे के किसी भी रचनाकार में दिखाई नहीं पड़ता। उन्हें भारत की संस्कृति, परम्परा, प्राचीन मूल्यों का नए जीवन सन्दर्भों के परिप्रेक्ष्य में आकलन कर जीवंतता प्रदान करने का हुनर प्राप्त था। वर्तमान समस्याओं को प्राचीन जीवन मूल्यों से जोड़कर राष्ट्रीयता को निरुपित करने की कला उनमें दिखायी पड़ती है।

उन्होंने 'कुरुक्षेत्र' के निवेदन में लिखा है–''बात यों हुई कि पहले मुझे अशोक के निर्वेद ने आकर्षित किया और 'कलिंगविजय' नामक कविता लिखते–लिखते मुझे ऐसा लगा मानों युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ हो।'' इसी क्रम में उन्होंने 'कुरुक्षेत्र' नामक प्रबंध काव्य की रचना की। इस प्रबंध काव्य के तृतीय सर्ग में जहाँ उन्होंने क्षमाशीलता को तो महान बताया है, लेकिन उसी के लिए जो उसके मूल्यों को समझता हो, किन्तु जो व्यक्ति क्षमाशीलता को व्यक्ति की कमजोरी समझता हो उसके प्रति कठोर होने की बात भी कही है। और किसी प्रकार के अत्याचार को सहन करने का विरोध किया है। ध्यातव्य है कि यह कथा महाभारत जैसे प्राचीन कथानक से भले लिया गया हो परन्तु वह तत्कालीन भारत से सन्दर्भित है। वीरता, संघर्ष, साहस, धैर्य भारतीयों की प्राचीन विरासत है, इस विरासत को सजोये रखने तथा अपनी स्वाधीनता के प्रति चेतना बनाये रखने के लिए संदेश देते हुए लिखा है–

क्षमाशील हो रिपु– समक्ष
तुम हुए विनत जितना ही,
दुष्ट कौरवों ने तुमको
कायर समझा उतना ही।

अत्याचार सहन करने का
कुफल यही होता है,
पौरुष का आतंक मनुज
कोमल होकर खोता है।[16]

हिन्दी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के दो स्वरूप देखे जा सकते है पहले स्वरूप का विवेचन हम उपर्युक्त लेखन में कर चुके हैं। यह मूलतः आजादी के पूर्व की भारत की स्थिति परिस्थिति, सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, स्वरूपों, मूल्यों एवं संवेदनाओं पर आधारित है। लोगों का आजादी के प्रति सोंच एवं शोषण अत्याचार, लूटमार आदि के विरोध में राष्ट्रीय चेतना का संचार करता है। आजादी को प्राप्त करने में हमारे महापुरुषों, क्रांतिकारियों ने त्याग एवं बलिदान से निर्मित जिस तरह के राष्ट्र निर्माण की कल्पना की थी, आजादी प्राप्त होने के पश्चात हमारे राजनेताओं में ध्वस्त होते मूल्यों राजनीति के बदलते छद्म स्वरूपों, आजादी के प्रति कल्पित मूल्यों में गिरावट की वजह से रचनाकारों के विषय–शिल्प एवं संवेदना में भी बदलाव आया। इस दौर में नागार्जुन, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन तथा आगे चलकर धूमिल, शमशेर बहादुर सिंह, अदम गोंडवी, रघुवीर सहाय जैसे अनेक रचनाकारों ने राष्ट्र की समकालीन परिस्थिति को अपनी कलम से मुखरित किया।

नागार्जुन का आगमन हिन्दी साहित्य में सबसे बड़े व्यंग्यकार कवियों के रूप में उभरकर आता है। नागार्जुन काव्य संसार का एक बड़ा अंश राजनीतिक विद्रूपता के ऊपर ही लिखा गया है। नागार्जुन की राजनीतिक कविता में संघर्ष, विद्रोह एवं जनता की जय मिलता है। नागार्जुन व्यंग्य के बेजोड़ कवि हैं, यही वजह है, डा0 नामवर सिंह ने लिखा है कि ''यह निर्विवाद है कि कबीर के बाद हिन्दी कविता में नागार्जुन से बड़ा व्यंग्यकार अभी तक कोई नहीं हुआ।'' नागार्जुन ने अपने युगीन यथार्थ एवं समसामयिक चेतना को काव्य का विषय बनाया। राजनीतिज्ञों के चेहरों के मुखौटों को हटाकर उनकी असलियत का पर्दाफांश किया है–

खादी ने मलमल से अपनी साँठ–गाँठ कर डाली है।
बिड़ला टाटा डालमिया की तीसों दिन दीवाली है।[17]

मुक्तिबोध का काव्य प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का रासायनिक मिश्रण है, परन्तु दोनों की अतिरेकवादी प्रवृत्तियाँ उन्हें मान्य नहीं थी। वे न तो छायावाद से संतुष्ट थे, न प्रयोगवाद और न ही प्रगतिवाद से। वे सिद्धान्त और व्यवहार दोनों में मार्क्सवादी थे। पर कविता में अनेक पद्धतियों, कलात्मक विधियों और सौन्दर्यवत्ता के समर्थक थे, जिन्हें प्रगतिवाद ने उपेक्षित कर रखा था। मुक्तिबोध की कविताओं में जीवन के प्रश्नों के साथ ही उनके समाधान की भी कलात्मक अभिव्यक्ति हुई है। अतः उनकी कविताओं की मूल विशेषता को समझने के लिए उनके कला चिन्तन को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। अपनी बदहाली से चोंट खाकर वे शोषण उत्पीड़न और दुखों का केवल चित्रण करके नहीं रह जाते। उसकी कारक शक्तियों का विवेचन विश्लेषण करते हुए उसके समाधान का मार्ग भी प्रस्तुत करते हैं। वे प्रश्न करते हैं कि ''सभी मानव सुखी, सुन्दर व शोषण मुक्त कब होंगे''–

''क्यों मानव के
इस तुलसी वन में आग लगी
क्यों मारी–मारी फिरती है

मन की गहरी सज्जनता
दु:ख के कीड़ों ने खायी क्यों
ये जुही पत्तियाँ जीवन की....[१८]

केदारनाथ अग्रवाल की कविता की दो धाराएं थी– एक राजनीतिक काव्यधारा तो दूसरा प्रकृति प्रेम और समाज सम्बन्धी काव्य। राजनीतिक कविताएं ''कहें केदार खरी–खरी'' में संग्रहीत है। केदारनाथ जी ने आरम्भ से ही शोषण, दमन और अत्याचार का विरोध किया है। आजादी के बाद केदारनाथ जी का सपना जनवादी सरकार में निहित था। आजादी के पूर्व और आजादी के बाद दोनों ही स्थितियों के दस्तावेज इनकी कविताओं में देखे जा सकते है। केदारनाथ जी जन में ही शक्ति देखते हैं। शोषित व्यक्ति में ही क्रांति को भी देखते है–

मैंने उसको जब जब देखा
लोहा देखा, लोहा जैसा तपते देखा
गलते देखा, ढ़लते देखा
मैंने उसको गोली जैसा
चलते देखा।[19]

धूमिल की कविता में आग भी है, धुआं भी है। जहाँ आग प्रगतिशील चेतना है, वहीं धुआं आधुनिकता है। निराला की तरह धूमिल ने भी उर्जा, विक्षोभ, अक्रामकता, भाषिक नवोंन्मेष है, परन्तु धूमिल का एक छोर जहाँ आधुनिकता से बँधा था, वही दूसरा छोर आरजकता से। ये दोनों प्रवृत्तियाँ इनकी रचनाओं में प्रारम्भ से ही दिखायी दी। आजादी के बाद जो मूल्य बदले उसका क्षोभ रचनाकार की कविता में दिखाई देता है। राजनीतिक अवमूल्यन से लोकतंत्र के प्रति कवि का मोहभंग स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है–

'यह जनतन्त्र' है
जिसकी रोज सैकड़ों बार हत्या होती है।
और हर बार
वह भेड़ियों की जुबान पर जिंदा है।

अपनी एक अन्य 'प्रजातन्त्र के विरूद्ध' नामक कविता में संसद की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहते हैं–

अपने यहाँ संसद
तेली की वह घानी है
जिसमें आधा तेल है
आधा पानी है।[20]

रघुवीर सहाय ने अपने समय और समाज को काफी गहराई में उतकर देखा। उनका मानना था कि अगर इंसान और इंसान के बीच एक गैरबराबरी का रिश्ता है और रिश्ते को कोई आदमी मानता है कि, ऐसा ही रहना चाहिए तो वह रचना नहीं कर सकता। अपने समय के अधिनायक को उन्होंने ठीक ही सत्ताधारी कांग्रेस के नेतृत्व में देखा था, क्योंकि वह मनुष्य और मनुष्य के बीच बराबरी लाने के बजाय अमीर को अधिक अमीर तथा गरीब को अधिक गरीब बनाने के पूँजीवादी रास्ते पर चल रही थी। रघुवीर सहाय ने साठ के दशक में कांग्रेस के नेतृत्व के बारे में चुटकी लेते हुए भारत के सत्ताधारी वर्ग के चरित्र की असलियत खोल दी थी। उन्होंने जनगण मन

अधिनायक की व्याख्या एक कविता में करते हुए जन–जन में यह विश्वास पैदा करने का प्रयत्न किया कि अब कांग्रेस नए अधिनायकवाद की जमीन तैयार करने का काम कर रही है–

राष्ट्रगीत में भला कौन वह
भारत भाग्य विधाता है।
फटा सुथन्ना पहने जिसका
गुन हरचरना गाता है।[21]

दुष्यंत कुमार ऐसे रचनाकार है कि जिनकी कलम की आवाज गलीकूंचे तथा संसद से सड़क तक गूंजती है। वह सुविधावादी मध्यमवर्गीय संवेदना के धुर आलोचक थे। बाजार से गली से होते हुए गरीब की रसोई तक लिखे गए उनके काव्य में उन्हें हमेश के लिए अमर कर दिया। उन्होंने आजादी के महान नायकों के सपने आजाद भारत में चकनाचूर होते देखा। नेताओं के चारित्रिक पतन, लूट, बेईमानी, भ्रष्टाचार को देखते हुए व्यथित मन से कहा–

कहाँ तो तय था चिरागाँ हरेक घर के लिए,
कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए।[22]

दुष्यंत के साथ अगर अदम गोंडवी का नाम न लिया जाए तो स्वाधीन भारत की राष्ट्रीय चेतना की बात करना अधूरा रह जाता है। जहाँ दुष्यंत की कविता ठीक आपाताकल के आस–पास गज़ल में ढलकर लोगों के कसकते और मौंन चीत्कार करते हुए होंठों पर लोक गुहार की पुकार बन गई थी, वही अदम गोंडवी की शायरी में जनता की गुर्राहट और आक्रामक मुद्रा देखने को मिलती है। भारतीय सियासत में चोर–लुटेरे और भ्रष्टाचारियों के घुसने से जो मूल्यहीनता आयी उसके प्रति गोंडवी जी की कलम से निकले हुए आक्रोश और व्यंग्य के स्वर बिना किसी लाग लपेट के हमें आइना दिखाते हैं–

काजू भुने प्लेट में व्हिस्की गिलास में।
उतरा है रामराज विधायक निवास में।।
पक्के समाजवादी हैं तस्कर हों या डकैत।
इतना असर है खादी के उजले लिवास में।।[23]

आजादी के बाद अनेक रचनाकारों ने राष्ट्रीय चेतना के प्रति अपनी कलम से आवाज को मुखरित किया इनमें– त्रिलोचन, शमशेर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, भावानी प्रसाद मिश्र आदि के नाम लिए जा सकते हैं। जहाँ आजादी के पूर्व के रचनाकारों ने ब्रिटिश शासन की शोषण, अत्याचार, अनाचार, क्रूरता तथा भ्रष्टाचार के विरोध में लिखकर राष्ट्रीय चेतना फैलाई, वहीं आजादी के बाद के रचनाकारों ने आजादी के मूल्यों के प्रति पैदा हुई मोहभंग के प्रति अपनी रचना का स्वर मुखरित किया।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. हिन्दी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली परिवर्धित संस्करण 2006, पृष्ठ संख्या–199

2. हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचन्द्र शुक्ल, नागरी प्रचारणी सभा काशी, संशोधित एवं प्रवर्धित अठारहवाँ पुनर्मुद्रण संवत 2035 वि0
3. हिन्दी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी, लोक–भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, सत्रहवाँ संस्करण–2004, पृष्ठ सं. 86
4. भारत–भारती, मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य सदन झांसी, 1998 पृष्ठ सं. 191
5. गुरुकुल, मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य सदन, झांसी, संस्करण–2001, पृष्ठ सं. 31
6. हिन्दी साहित्य का इतिहास, डॉ0 नगेन्द्र, डॉ0 हरदयाल, मयूर पेपर बैक्स नोयडा, संशोधित संस्करण तृतीय 2009, पृष्ठ संख्या 499
7. वही, पृष्ठ सं. 484
8. हिन्दी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह राधाकृष्ण प्रकाशन नई दिल्ली, परिवर्तित संस्करण, 2006, पृष्ठ संख्या 402
9. आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास, डॉ0 बच्चन सिंह, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, संशोधित संस्करण 2006, पृष्ठ 236–237
10. हिन्दी साहित्य का इतिहास, डॉ0 नगेन्द्र, डॉ0 हरदयाल, मयूर पेपर बैक्स नोयडा, संशोधित संस्करण तृतीय 2009, पृष्ठ 519
11. हिन्दी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी, लोक भारत प्रकाशन, इलाहाबाद सत्रहवाँ संस्करण, 2004, पृष्ठ सं. 114
12. आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, नामवर सिंह, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण 1990, पृष्ठ सं. 40
13. वही, पृष्ठ सं. 40
14. हिन्दी साहित्य का इतिहास, डॉ0 नगेन्द्र–डॉ हरदयाल, मयूर पेपर बैक्स नोयडा, संशोधित संस्करण तृतीय 2009, पृष्ठ सं. 522
15. आधुनिक हिन्दी कविता, तृतीय खण्ड, छायावादी तथा छायावादोत्तर काव्य, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त वि0वि0, 2000, पृष्ठ संख्या–36
16. कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, संस्करण 2001, पृष्ठ सं. 25
17. आधुनिक साहित्यिक निबंध, प्रो0 त्रिभुवन सिंह, रतना पब्लिकेशन वाराणसी, द्वितीय संस्करण 1988, पृष्ठ संख्या–696
18. आधुनिक हिन्दी कविताः प्रगतिशील काव्य, इन्दिरागगाँधी रा0मु0 विश्वविद्यालय, 2000, पृष्ठ सं. 42
19. अनहद, सम्पादक संतोष कुमार तिवारी, इण्डियन प्रेस इलाहाबाद, वर्षरू 7, संयुक्तांकरू 6,7,8,9 मार्च 2017, पृष्ठ 251
20. हिन्दी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, संशोधित संस्करण 2006, पृ0 सं0 451
21. हिन्दी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी, ओरियंट ब्लैकस्वॉन, नई दिल्ली, संस्करण 2010, पृष्ठ संख्या 154
22. साये में धूप, दुष्यंत कुमार, राधाकृष्ण प्रकाशन नई दिल्ली, संस्करण 2006, पृष्ठ सं. 13
23. समय से मुठभेड़, अदम गोंडवी, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली आवृत्ति संस्करण 2016, पृष्ठ सं.–17

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
September 2021 Page No. : 139-144

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

किन्नर जीवन के संघर्ष को बयां करते समकालीन उपन्यास

–डॉ. रिंकी सिंह

असि. प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, सर्वोदय विद्यापीठ पी.जी. कालेज सलोन, रायबरेली (उ.प्र.)

किन्नर अर्थात् थर्ड जेंडर अथवा तृतीय प्रकृति हमारे समाज का एक ऐसा अंग है जो समाज का होते हुए भी समाज से तिरस्कृत व बहिस्कृत हैं। समाज में इन्हें हिजड़ा, खोजा, किन्नर, नपुंसक, उभयलिंगी, छक्का, शिरुसान गाई, अनरावनी, जनरवा, आदि कई नामों से सम्बोधित किया जाता है।

यह सामाजिक बहुत बड़ी विडम्बना है कि हम उन्हें अपनी हर खुशियों में शामिल करते हैं, हमारे यहाँ किसी भी शुभ अवसर पर उनका आना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, उनका आशीर्वाद हम बड़े प्रेम से उनसे माँगते हैं। वे हमारी खुशियों में थिरकते हैं अपने हाथों को हमारी सलामती की दुआ मांगने के लिए उठाते हैं फिर भी उनके हिस्से अपमान एवं तिरस्कार ही आता है।

पंडित राहुल सांकृत्यायन इन्हीं किन्नरों के विषय में कहते हैं–"यदि किन्नर का शब्दार्थ बुरा आदमी लें तो अपने शत्रु के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग आज भी हुआ करता है। किसी ने अपने शत्रुओं को यह नाम दिया होगा। यह तो जरूर मालूम होता है और ऐसा नाम आर्यों की भाषा में होने से यह अर्थाभाव आर्यो का ही हो सकता है, तो क्या किन्नर आर्यो से भिन्न थे? हाँ, आदिम रूप से भिन्न जरूर मालूम होते हैं।"[1]

आदिम सभ्यता से ही मानव समाज दो समुदायों में विभक्त रहा है पुरुष और स्त्री इन दोनों के समन्वय एवं सहअस्तित्व से ही समाज आगे बढ़ रहा है लेकिन समाज में इन दो लिंगों के अलावा भी एक अन्य प्रजाति का अस्तित्व मौजूद है। वह न सम्बन्ध बना सकते हैं और न ही गर्भधारण कर सकते हैं। आदिम सभ्यता से ही हमारे समाज में इन दो लिंगों के अतिरिक्त एक अन्य लिंग का अस्तित्व मौजूद रहा जिसे नंपुसक लिंग कहा गया।

संविधान की यदि बात की जाये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार थर्ड जेंडर से संबंधित कानून यौनिकता तथा जेंडर पहचान के रूप में 26 मार्च 2007 को घोषित किया गया। इसके अंतर्गत 25 देशों के विशेषज्ञों द्वारा पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करते हुए यौनिकता और जेंडर सिद्धांत का निरूपण किया गया और कहा गया कि 'हर देश का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक इंसान को उसकी यौनिकता या जेंडर पहचान के आधार पर भेदभाव किए बिना, मानवाधिकार बहाल करें, उनकी सुरक्षा करे तथा उनको इज्जत दे।'[2]

हिजड़ा होना कोई अपराध नहीं है और न ही इसके लिए हिजड़ा व्यक्ति को दोष दिया जा सकता है लेकिन जिस समाज में द्विलिंगी समझ ही सदा पुरुष और स्त्री, इन दोनों लिंगों में बाँटकर देखने की परम्परा रही है।

थर्ड जेन्डर अर्थात् हिजड़ा समुदाय के लिये किन्नर शब्द कब और किस तरह प्रचलन में आया, यह कहना कठिन है लेकिन वर्तमान समय में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिल्म जगत और कई लेखकों के साथ–2 आमजन के व्यवहार में किन्नर शब्द हिजड़ा समुदाय के लिए रूढ़ हो गया है।

बचपन से ही देखती आई हूँ उन लोगों के प्रति समाज के तिरस्कार को जिन्हें प्रकृति ने तयशुदा जेंडर नहीं दिया इसमें उनका क्या दोष? ये क्यों हमेशा त्यागे गए, दुरदराए गए, सताए गए, अपमान के भागी बने? सामाजिक जीवन में बहुत सी खाईयां हैं जिन्हें हमने भेद की नीति के चलते और गहरा कर दिया है। इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक तक आते–आते मनुष्य की सामाजिक सोच व संरचना में जो क्रांतिकारी बदलाव और व्यापक खुलापन आया है, उससे स्त्री–पुरुष के सामाजिक संबंध ही नहीं बल्कि किन्नर समाज जैसे मुद्दे पर अपने विचार बेबाक तरीके से प्रकट कर रहे हैं। लोगों के इस रुझान के प्रति समकालीन कथाकारों का एकदम से आकर्षित होना आश्चर्य की बात नही है। किन्नरों के प्रति समाज की यथास्थितिवाद सोच को दरकाने के लिए इधर कई लेखक–लेखिकाओं का एक बहुत छोटा सा वर्ग ही सक्रिय हुआ है जिसमें मुख्यतः–भगवंत अनमोल, गिरिजा भारती, प्रदीप सौरभ, महेन्द्र भीष्म, डॉ. एम. फिरोज खान, चित्रा मुदगल, राकेश शंकर भारती, नीरजा माधव, अनुसूया त्यागी, निर्मला भुराड़िया, सुभाष अखिल आदि हैं।

समाज के अनेक कहे–अनकहे सवालों का जवाब इन्होंने देने की पूरी कोशिश की है, हिन्दी कथाकारों का इस ओर एकदम से आकर्षित होना आकस्मिक नहीं है। "वर्जित प्रदेश में उड़ान भरने की पहल आजादी से पहले पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र' जैसे प्रकृतिवादी कथाकार की रचना 'चॉकलेट' से मानी जाती है। आजादी के बाद राजकमल चौधरी कृत 'मछली मरी हुई' जैसे इक्का–दुक्का प्रयास हुए लेकिन समकालीन कथाकारों में यह साहस अधिक देखने को मिलता है। अनीता राकेश कृत–गुरुकुल, प्रदीप सौरभ कृत–तीसरी ताली, महेन्द्र भीष्म–मैं पायल, चित्र मुदगल–पोस्ट बाक्स नं. 203 नाला सोपारा, 'मैं भी औरत हूँ अनुसूया त्यागी का है। निर्मला भुराड़िया का गुलाम मंडी, नीरज माधव का यमदीप, जिन्दगी 50 50 भगवंत अनमोल, तो सुभाष अखिल का 'दरमियाना' हिजड़ों की जिंदगी पर आधारित पठनीय उपन्यास इन कथाकारों ने अधूरी देह के संघर्ष को अपने उपन्यासों में दर्शाने की कोशिश की है और काफी हद तक सफलता भी पायी है।

नीरज माधव का उपन्यास यमदीप (2002) इस क्रम में मील का पत्थर साबित हुआ। क्या है यह 'यमदीप'? स्वयं लेखिका ने ही उपन्यास की भूमिका में स्पष्ट कर दिया है कि दीपावली की पूर्व संध्या में घर के एक दिये को यम से संवाद करने के लिए उठाकर घर से बाहर 'घूर' पर रख दिया जाता है–वह दीपक 'यमदीप' कहलाता है। वे कहती हैं–"घर के एक दिये को केवल यम से संवाद करने के लिए उठाकर घूर (कूड़ा–करकट) पर रख देना और फिर उधर मुड़कर भी न देखना कि कब वह जलते–जलते बुझा, सत्य से विमुख होना है।"[4]

तीसरे लिंग में जन्में मनुष्य की भी कुछ यही कथा है उसके जन्म पर फुलझड़ियाँ नहीं छूटती, पूजा–अर्चना नहीं होता वह उपेक्षित सा 'घूर' पर पड़े 'यमदीप' की तरह ही जीवन भर उपेक्षा का शिकार ही रहता है।

यमदीप उपन्यास एक मेजर के घर तीसरी सन्तान के रूप में जन्मी 'नन्दरानी' की जीवनकथा है। माँ की लाडली 'नन्दरानी' से 'हिजड़ा नाज बीबी' में रूपान्तरण की उसकी कथा हृदय विदारक है। कथा लेखिका ने परिवार, शिक्षण–संस्थाएं, धर्म के ठेकेदार, मीडियाकर्मी, पुलिस, राजनेता सबकी निर्मम पड़ताल की है क्रूर–अमानवीय

समाज के समानांतर 'नाज बीबी' का उज्ज्वल चरित्र गढ़ा है, लेखिका के घटनाओं के ताने–बाने से कथानक को कुछ इस तरह से संयोजित किया है कि हिजड़ा बनाम शेष समाज का प्रश्न बार–बार पाठक के मस्तिष्क में कौंधने लगता है। उपन्यास का अन्त मानवी के उस संकल्प के साथ किया है जिसमें वह भ्रष्ट राजनीतिक मन्ना बाबू के विरोध में नाज बीबी को चुनाव में खड़ा करना चाहती है। डी.एम. आनन्द का सहयोग भरा साथ उसे प्राप्त होता है। इस प्रकार उपन्यास का अंत तीनों लिंगों के सहयोगी प्रयास की मधुर कल्याणकारी संकल्पना के साथ होता है।

इसी क्रम में निर्मला भुराड़िया कृत 'गुलाम मंडी' (2013) देह व्यापार हेतु की जाने वाली मानव–तस्करी का वैश्विक आख्यान है। कुल पच्चीस खंडों में लिखित 'गुलाम मंडी' कभी जानकी, लक्ष्मी जैसी बेटियों कभी अंगूरी, हमीदा, रानी जैसी किन्नरों की कथा के माध्यम से आज के समय और समाज के चेहरे पर फेके गए वे रंग हैं जो उसकी असंगति और विकृति को उभार कर साफ स्पष्ट कर देते हैं। मूलकथा कल्याणी और जानकी की है और उसके साथ–साथ अनेक उपकथायें चलती है, जिनमें किन्नर कथा सऊ और घुँघरू की कथा, जौन की कथा, हरियाली राम की कथा, लंतरानी बुआ की कथा आदि प्रासंगिक कथायें प्रमुख हैं। उपन्यास में कहीं फ्लैश बैक का सहारा लिया गया है तो कहीं वर्तमान स्वरूप का।

गुलाम मंडी पूर्णतया ट्रेजडी उपन्यास है सामाजिक समस्याओं को बाखूबी से उठाया गया है, देश–विदेश की यात्रा दर्शायी गयी है गुलामों की तस्करी के माध्यम से उपन्यास जिन समस्याओं को उठाता है, उसे समाधान तक ले जाने को पाठक को उत्प्रेरित करता है, यह उपन्यास की सफलता है।

समकालीन किन्नर उपन्यासकारों में महेन्द्र भीष्म का नाम भी बड़े सम्मान से लिया जाता है। इनका उपन्यास 'किन्नर कथा' (2010) एक अनूठा उपन्यास है जो किन्नरों की संवेदनशीलता उनका संघर्ष, मनोव्यथा को उजागर करने में पूर्णतः सफल हुआ है। उपन्यास में राजा जगतराज सिंह बुंदेला के घर में जन्मी दो जुड़वा सन्तानों में से एक का किन्नर साबित होना उनकी पत्नी रानी आभा के लिये भय और चिन्ता का कारण बन गयी है लेकिन जगतराज सिंह को अपने क्षत्रिय कुल की आन–बान–शान के सामने अपनी बेटी सोना भी प्यारी नही है। रानी का दुःख, उनकी तड़प भी पिता को पिघला न सकी और वे उसे जान से मारने के लिए दीवान पंचम सिंह के हाथों पकड़ा देते हैं लेकिन पंचम सिंह सोना के निश्चल प्रेम के समक्ष हार जाते हैं और सोना को तारा के हिजड़ों की टोली को सौंप देते हैं और स्वयं सन्यास ग्रहण कर लेते हैं।

तारा को पुराने दिन याद आ जाते हैं। जब भतीजे ने तारा को धमकाया था–"तू हिजड़ा है, हिजड़ा हमारा तेरे दर से कोई नाता नहीं, तू हमारा कुछ नहीं लगता, भाग जा यहाँ से, क्यों हमारी नाक कटाने में तुला है हिजड़ा कहीं का।"[5] वस्तुतः तारा का चरित्र ही पूरे उपन्यास पर न सिर्फ भारी है बल्कि इसी बहाने किन्नर जीवन की सारी आह, सारी आँच सारी कड़वाहट और सारी यातना का तार और सार हमारे सामने उपस्थित होता है। इस उपन्यास में लेखक ने चंदा, तारा इत्यादि पात्रों के माध्यम से तृतीय लिंग की जिस वास्तविक स्थिति का दृश्यमान चित्रण प्रस्तुत किया है वह बहुत ही मार्मिक है। इस प्रकार इस उपन्यास को एक सराहनीय प्रयास माना जाना चाहिए।

समकालीन लेखन में मानवतावादी चिन्तन को केन्द्र में रखा गयाा है जिससे समाज के सबसे आखिरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति को भी केन्द्र में लाने की कोशिश की गयी है। इसी कड़ी में भगवंत अनमोल कृत 'जिन्दगी

50–50 (2017) विशेष महत्व रखता है।

अपनी निष्ठावान सोच के शब्द सुमन से किन्नर जीवन के संघर्षमय जीवन को रेखांकित करते हुए वे हमारे समक्ष आते है जिन्दगी 50–50 के माध्यम से। इस उपन्यास का कथानक तीन कहानियों को एक साथ लेकर चलता है। प्रथम अनमोल के भाई किन्नर की कहानी द्वितीय प्रेमकथा तथा तीसरी अनमोल के पुत्र किन्नर की। उपन्यास की शुरुआत और अंत दोनों एक फिल्म की भांति होता है।

उपन्यास का पात्र हर्षा हाशिए के उस उपेक्षित किन्नर वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसे हम पहचानते हैं पर जानना नहीं चाहते। एक स्थान पर हर्षा इस दर्द को उभारते हुए कहती है "मार के साथ ये शब्द मुझे काँटों से ज्यादा चुभ रहे थे। क्या सच में मैं इतनी बुरी हूँ? क्या समाज में मुझ जैसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं? वहीं समाज जिसका एक व्यक्ति मेरे साथ कुकृत्य करता है और उसका दोष भी मुझे दिया जाता है। वही समाज जो अपने अलग लोगों की इज्जत करना नहीं जानता। क्या यह सभ्य समाज है?"[6] उपन्यास में उठाये गये कई अनुत्तरित सवाल उत्तर की प्रतीक्षा में हैं। उपन्यास का अंत बड़ा नाटकीय है। एक ओर हर्षा की मृत्यु की दुःखद सूचना है, वहीं सूर्या जैसे किन्नर पुत्र की सफलता के संकेत और प्रेमिका अनाया और उससे जन्मे पुत्र का मिलन। निश्चित रूप से जिन्दगी 50–50 ही है। किसी ने सच ही कहा है–"कभी किसी को मुक्कमल जहाँ नहीं मिलता किसी को जमीं किसी को आसमा नहीं मिलता" अभाव ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।

इस कड़ी में मैं प्रदीप सौरभ के उपन्यास 'तीसरी ताली' (2014) को भी जोड़ना चाहूंगी। रिपोर्ताज शैली में लिखा गया यह उपन्यास अधूरी देह के संघर्ष को उनकी समस्याओं का अध्ययन कराता है। किन्नरों की जीवनशैली और उनके संघर्ष पर आधारित इस उपन्यास के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय इन्दु शर्मा कथा सम्मान प्रदान किया गया है।

'तीसरी ताली' उपन्यास का कथानक दिल्ली की सिद्धार्थ एनक्लेव हाउसिंग सोसायटी से प्रारम्भ होकर हिजड़ों के पावन तीर्थस्थल कुवागम के मेले में पूर्णता को प्राप्त होता है। उपन्यास में बहुत सारी कथाएँ समानान्तर चलती है तथा एक–दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उपन्यास में हिजड़ों के गुरू और उनके रीति–रिवाज पर रोशनी डालते हुए एक स्थान पर गुरू संत आशामाई कहती हैं–"कुदरत से खिलवाड़ करने का हक किसी को नही है। अपने फायदे के लिए किसी को हिजड़ा बनाना पाप है। ऐसा करने पर हिजड़ों को सौ बार हिजड़े का जनम लेना पड़ता है तथा फिर भी उसका पाप कम नहीं होता है।"[7] उपन्यास में हिजड़ों के रस्मों–रिवाज, जीवनयापन, उनका आंतरिक जीवन, अकेलेपन का दुःख दर्द, लिंग के रूप में विभाजन तथा इनके जीवन से संबंधित कई पहलुओं पर रोशनी डाली गई है। बेरोजगारी के कारण उनका वेश्यावृत्ति को अपनाना किस प्रकार हाशिए पर जीवनयापन करते हुए अपनी अस्मिता और जीविका के लिए जद्दोजहद कर रहा है उसे इस उपन्यास में देखा जा सकता है।

साहित्य अकादमी (2018) से पुरस्कृत चित्रा मुद्गल का उपन्यास 'पोस्ट बाक्स नं. 203 नाला सोपारा' पत्रात्मक शैली में लिखा इस दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है।

उपन्यास का मुख्य पात्र विनोद, बिमली उर्फ बिन्नी अपनी माँ को पत्र लिखता है। सम्पूर्ण उपन्यास बिन्नी और उसकी माँ के आपसी पत्र व्यवहार के माध्यम से किन्नरों के दुःख दर्द, उनकी दारुण दशा के कारणों पर

तार्किक प्रश्न उठाती है और समाधान भी प्रस्तुत करती है। वे स्पष्ट करती हैं–"मेरा मकसद उनकी (हिजड़ों की) जिन्दगी पर फीचर लिखना नही था। मुझे उन्हें आमलोगों के बीच रखकर देखना था। उन लोगों के बीच रखकर जिनके दैनन्दिनी जीवन का वे हिस्सा तो है लेकिन जिनके लिए वे दूसरे या अजनबी हैं"।[8] 'नाला सोपारा' में लेखिका एक गहरी मानवीय अपील के साथ उपस्थित होती है और नायक विनोद के माध्यम से पाठकों को यह संदेश देती है कि हिजड़ा को जननांग विकृति के रूप में देखे जाने की अपेक्षा एक आम इंसान के रूप में ही देखा जाना चाहिए "हम जो औरों की नजरों में गलीज और असामान्य हैं लेकिन कितने आम और सामान्य हैं, ठीक उनकी ही तरह संवदेनशील और भावुक, असुरक्षा से घिरे।"[9] उपन्यास का अंत लेखिका दो समाचारों के माध्यम से बताती है। एक पहले पृष्ठ पर छपी माँ की अपील और दूसरी मुंबई के कुर्ला, कालीन कॉम्प्लेक्स में लगी मीठी नदी में एक किन्नर की लाश मिली है। उपन्यास का अंत निःसंदेह मर्मान्तक है समाज और राजनीति के स्वार्थी और क्रूर नजरिये को बतलाता है। नाला सोपारा अपने कथ्य को पूरी संवेदना और तार्किकता के साथ प्रस्तुत करता है।

इसी क्रम में मैं सुभाष अखिल जी के उपन्यास 'दरमियाना' का जिक्र भी करना चाहूँगी। यह उपन्यास तृतीय लिंगी विमर्श को केन्द्र में रखकर लिखा गया है। उपन्यास के रूप में आने से पहले यह कहानी के रूप में सन् 1980 में 'सारिका' पत्रिका में प्रकाशित हुई, सारिका के तत्कालीन सम्पादक कन्हैयालाल नन्दन सहित सभी सहयोगियों ने जिसमें जैनेन्द्र कुमार, विष्णु प्रभाकर, अजीत कुमार, डॉ. नरेन्द्र कोहली तथा अन्य सभी साहित्यकारों ने 'दरमियाना' को इस विषय पर लिखी हिन्दी की पहली कहानी माना था।

'दरमियाना' में लेखक ने किन्नर जीवन की व्यापक पड़ताल की है। तारा, रेशमा, संध्या, सुनंदा, रेखा और दयारानी के जीवन के बहाने किन्नर जीवन के संघर्ष और उनके अंतर में निहित संवेदना को चित्रित किया है। उपन्यास में हिजड़ों के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और भाषा पर प्रकाश डाला है। एक स्थान पर "मैं हमेशा से सोंचती थी कि हम इंसान नहीं है? कम से कम हमें भी तो इंसानों की तरह जीने को मिले।"[10] दया का यह वक्तव्य किन्नरों की छटपटाहट को समझने के लिए पर्याप्त है। सम्पूर्ण उपन्यास 'मैं' शैली में लिखा गया है। वे आवरण से बाहर निकलकर लिखते हैं कि–"विषय को यहीं समाप्त करते हुए, मैं इस बात को लेकर आहत हूँ कि जहाँ एक ओर इनके लिए सरकार, समाज, एनजीओ तथा अनेक लोगों के द्वारा तमाम कार्य किए जा रहे हैं, वहीं वे स्वयं अभी भी अपनी जड़ताओं से मुक्त होने के लिए तैयार नहीं हैं। यह सही है कि उनके हाथ में अभी एक बहुत बड़े संघर्ष की जरूरत है.....मगर एक संघर्ष इन्हें भी तो अपने भीतर करना ही होगा।"[11]

कुल मिलाकर देखा जाये तो समकालीन उपन्यासों में अधूरी देह के जीवन संघर्ष को एवं सामाजिक जागरूकता और आर्थिक निर्भरता अभियान को समाज में इनकी वास्तविक यौनिक पहचान का आधार बनाया गयाा है। भिन्न यौनिक पहचान के कारण ही इस समुदाय को समाज से उपेक्षित किया गया है। उपन्यासकारों की गहरी हमदर्दी किन्नरों की जिंदगी के अयाचित दुःखों की तरफ है। ये सभी उपन्यास चाहे वह यमदीप हो या गुलाम मंडी, किन्नर कथा जिन्दगी 50–50, नाला सोपारा, दरमियाना हो पाठक के समक्ष कोलाज बनाता है जिसे पढ़कर मन में प्रश्न घाव की तरह रिसने लगते हैं। आज उत्तर आधुनिकता एवं भूमंडलीकरण के दौर में जहाँ सभी लोगों को सिर्फ अपना हित और स्वार्थ दिखता है ऐसे विपरीत समय में इन उपन्यासकारों ने उपेक्षित, अभिशप्त, घृणित किन्नर समाज पर उपन्यास लिखकर काफी सराहनीय कार्य किया। हम मनुष्यों को मानवीय

संवदेना की कसौटी पर सोचने के लिए मजबूर किया।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. किन्नर देश में, राहुल सांकृत्यायन, पृ.सं.–346
2. समानता की नींव (रिपोर्ट) भारत में यौनिक रुझान और जेंडर पहचान का गैर अपराधीकरण, पृ.सं.–43
3. थर्ड जेन्डर अतीत और वर्तमान, सम्पादक, डॉ. एम. फिरोज़ खान, पृ.सं.–32
4. यमदीप, नीरज माधवा, पृ.सं.–11
5. महेन्द्र भीष्म, किन्नर कथा, संस्करण 2016, पृ.सं.–51
6. भगवंत अनमोल, जिन्दगी 50–50, पृ.सं.–199
7. प्रदीप सौरभ, तीसरी ताली, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली, पृ.सं.–30
8. https://satyagarh.scrollin/article/27544/interview.chitramudgal
9. चित्रा मुद्गल, पोस्ट बाक्स नं. 203 नाला सोपारा, पृ.सं.–83
10. दरमियाना, सुभाष अखिल, अमन प्रकाशन कानपुर, 2018, पृ.सं.–122
11. दरमियाना, सुभाष अखिल, अमन प्रकाशन कानपुर, 2018, पृ.सं.–128
12. साहित्य समाज और किन्नर विशेषांक, बोहल शोध मंजूषा 2019
13. किन्नर महाविशेषांक, बोहल शोध मंजूषा, 2021

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
September 2021 Page No. : 145-154

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

नन्हे–नन्हे कदमों से चलकर चन्द्रकला की पूर्ण परिपक्वता को प्राप्त हमारी हिंदी

–डॉ. आजेन्द्र प्रताप सिंह

असि. प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, फ़ीरोज़ गाँधी कालेज रायबरेली (उ.प्र.)

अपने नन्हें–नन्हें पाँव से चलती हुई हिंदी आज चन्द्रकला की तरह बढ़कर पूर्ण परिपक्वता को प्राप्त हो गई है–किसी भी रास्ते पर चलना अब उसके बाँये हाथ का खेल है। देखना है कि वह अपने रास्ते बनाने में किन–किन साधनों का प्रयोग कर रही है। सहज ग्रामीण से लेकर इंटरनेट तक पहुँची हिंदी की आज बाजार में क्या स्थिति है कहाँ उसकी कैसी चाल है इस पर विचार–विमर्श की आवश्यकता है।

आज समय की माँग है–हिंदी। मार्केट की डिमाण्ड है हिंदी। मुनाफे की भाषा है हिंदी। क्योंकि अब वो जमाना लद गया जब फाख्ते संचार का माध्यम हुआ करते थे और हम पेड़ों की छाल को भोजपत्र बना श्लोक लिखा करते थे। आज का युग इंटरनेट का युग है, जो स्वभाव से ही अंतर्राष्ट्रीय है। संचार माध्यमों द्वारा आज हिंदी एक कोने से विश्व के दूसरे कोने तक पढ़ी और देखी जा रही है। इसका ज्वलंत प्रमाण है हिंदी के लिए विश्व हिंदी दिवस (10 जनवरी) मनाया जाना।

सम्पूर्ण हिन्द प्रदेश की भाषा का नाम हिंदी है। हिंदी के क्रमिक विकास को समझने हेतु हिंदी भाषा के भौगोलिक विस्तार को जानना आवश्यक है। जिसे भाषाविद् डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है –

हिंदी क्षेत्र :– हिंदी क्षेत्र में मुख्यतः हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार आते हैं। गौणतः पंजाब के कुछ भाग अबोहर तथा फ़ज़िल्का तथा महाराष्ट्र के कुछ भाग भी इसमें आते हैं।

अन्य भाषा क्षेत्र :– अन्य भाषा क्षेत्र में कर्नाटक तथा आन्ध्र के दक्खिनी हिंदी वाले भाग एवं कलकत्ता, शिलांग, बम्बई तथा अहमदाबाद आदि भारत के अहिंदी भाषी क्षेत्र के बड़े नगरों में बिखरे हुए कुछ हिंदी भाषी छोटे–छोटे क्षेत्र आते हैं। "यही नहीं अंडमान तथा लक्षद्वीप आदि द्वीपों में भी हिंदी बोली और समझी जाती है।"[1]

भारतेत्तर क्षेत्र :– भारत के बाहर भी कई देशों में हिंदी भाषी लोग काफी बड़ी संख्या में बसे हैं। जैसे मारीशस, फीजी, सूरीनाम, ट्रिनिडाड आदि में, ऐसे ही नेपाल के भी सीमावर्ती इलाकों में हिंदी भाषी हैं। इनके अतिरिक्त कई देशों में थोड़े–बहुत हिंदी भाषी हैं। जैसे इंग्लैण्ड में, लंदन में, सोवियत संघ में तजाकिस्तान–उजबेकिस्तान की सीमा पर, अफ्रीका में गियाना तथा दक्षिणी अफ्रीका में, अमेरिका के भी कई बड़े नगरों जैसे–न्यूयार्क में। इनके अतिरिक्त हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर आदि पूर्वी देशों में भी हिंदी भाषी हैं।"[2] हिंदी भाषा की बोलियों के भी क्षेत्र

की दृष्टि से डॉ. भोलानाथ तिवारी ने तीन भेद बतलायें हैं – 1. हिंदी क्षेत्र की बोलियाँ 2. अन्य भाषा क्षेत्र की बोलियाँ तथा 3. भारतेत्तर क्षेत्र की बोलियाँ।

इनमें सर्वप्रम हिंदी क्षेत्र की 17 बोलियों की एक सूची भाषाविद् डॉ. भोलानाथ तिवारी ने प्रस्तुत की हैं जिसे उन्होने 05 बोली वर्ग या उपभाषाओं में विभक्त किया है। यथा –

भाषा	**उपभाषाएं** (अथवा बोली वर्ग)	**बोलियाँ**
हिन्दी	1. पश्चिमी हिंदी	
	2. पूर्वी हिंदी	
	3. राजस्थानी हिंदी	
	4. पहाड़ी हिंदी	
	5. बिहारी हिंदी	

भाषाविद् डॉ. भोलानाथ तिवारी का कहना है कि– "इस तरह हिंदी के अंतर्गत ये सत्रह बोलियाँ मानी जाती हैं। मैं ताजुज्बेकी तथा निमाड़ी मिलाकर उन्नीस मानता हूँ।"[3] आपका मानना है कि पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियाँ मानी जाती हैं किन्तु मैं हिंदी में ताजुज्बेकी तथा निमाड़ी को भी मानता हूँ। उस तरह मेरे अनुसार पश्चिमी हिंदी में सात बोलियाँ हैं। ठीक इसी प्रकार का विभाजन डॉ. भोलानाथ तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में भी किया है।"[4]

भाषाविद् गोपाल राय के अनुसार – "राजनीतिक स्तर पर यानी भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी का क्षेत्रीय भाषा के रूप में प्रसार पश्चिम में राजस्थान की पाकिस्तान में लगी सीमा तक, उत्तर पश्चिमी में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तक और पूर्व में बिहार की पूर्वी सीमा तक, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा तक तथा दक्षिण में मध्य प्रदेश और राजस्थान की दक्षिणी सीमाओं तक है। इस क्षेत्र की भाषा हिंदी मानी गयी है और भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में उर्दू को छोड़कर जिसका कोई भी विशेष क्षेत्र नहीं है, इस क्षेत्र की किसी भाषा को स्थान नहीं दिया गया है। इस विरोध में मैथिली, राजस्थानी, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी आदि भाषाओं के बोलने वाले आंदोलन भी चला रहे हैं पर उन्हे अब तक सफलता नहीं मिली है। राजस्थानी और मैथिली को साहित्य अकादमी में मान्यता अवश्य मिल चुकी है जो अभी अन्य भाषाओं को नहीं मिल पायी है।"[5] ग्रियर्सन सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, उदय नारायण तिवारी आदि भाषा शास्त्रियों के अनुसार प्राचीन मध्य देश की मुख्य बोलियों के समूह को हिंदी नाम से पुकारा जाता है।

जहाँ तक भौगोलिक स्थिति के कारण संबंधों का प्रश्न है। प्रत्येक बोली अपनी सीमावर्ती बोली से कम से कम अपने सीमान्त क्षेत्र से जुड़ी है तो दूसरी ओर अर्द्धमागधी की बोलियों का मागधी की बोलियों से अधिक संबंध है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाये तो हिंदी की बोलियों का उद्‌भव तीन अपभ्रंशों में हुआ है–

1. **शौरसनी अपभ्रंश :– राजस्थानी बोलियाँ, पश्चिमी हिंदी बोलियाँ, पहाड़ी हिंदी बोलियाँ**
2. **अर्द्धमागधी अपभ्रंश :– पूर्वी हिंदी बोलियाँ**
3. **मागधी अपभ्रंश :– बिहारी बोलियाँ**

डॉ. हरदेव बाहरी का मत है कि – "समाज की कोई सुगठित इकाई होगी तो उसकी अपनी एक संपर्क

भाषा अवश्य होती है। छोटी से छोटी इकाई अर्थात् परिवार से लेकर गाँव या नगर, जिला, प्रदेश, देश या राष्ट्र तक एक इकाई हो सकती है और हम तो वसुधैव कुटुम्बकम् मानने वाले हैं।" सब इकाइयों में विचार–विनिमय, भावाभिव्यक्ति, लेन–देन, विहार–व्यवहार के लिए कोई एक भाषा अवश्य होती है, अन्यथा उस इकाई का रोजमर्रा का काम नहीं चलता। वह भाषा उस इकाई के स्तर के अनुसार शब्दों और वाक्यों या अभिव्यक्तियों में लघु, सीमित या बड़ी और विस्तारपूर्ण हो सकती है, पर उससे उस सामाजिक इकाई का सारा काम सम्पन्न होता है। उस भाषा के बिना वह समाज, समाज ही नहीं बनता।"[6]

'राजकाज में हिंदी' नामक पुस्तक में हिंदी की प्रयोजनीयता पर **भाषाविद् डॉ. हरदेव बाहरी** जी लिखते हैं–"यह दुनिया मतलब की है। तुम्हें मुझसे कोई मतलब है तो आओगे, दोस्ती गाँठोगे और निकट का संबंध बनाओगे। कोई मतलब नही है या नहीं रहा तो बेलाग हो कोई बोलचाल तक नहीं।" यह कर युग है, यह कलयुग नहीं। यहाँ सौदा नकद व नकदी है। इस हाथ से ले उस हाथ दे।" "यह युग उपयोगितावादी युग है और पूर्णतया अव्यावहारिक है कला की अपेक्षा विज्ञान के विषय अधिक उपयोगी हैं। कोई और विषय नहीं मिल रहा तो हिंदी ही ले लें। शायद आगे किसी विद्यालय या महाविद्यालय में अध्यापन कार्य मिल जाये या पत्रकारिता में प्रवेश मिल जाये। पर इन दोनों में अलग से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। बात यह है कि हिंदी का पाठ्यक्रम अभी तक साहित्य श्रवण रहा है। पाँचवीं कक्षा से लेकर एम.ए. तक एक सा ढर्रा है।"[7] इस ढर्रे से मुक्त होकर हमें हिंदी की प्रयोजनीयता पर विश्वस्तर पर हिंदी की पहचान बने। इस दृष्टि से पाठ्यक्रम निर्धारित करने होंगे।

संभवतः यह पाठ्यक्रम का ही दोष है कि एम.ए. कर लेने के बाद भी बहुत से विद्यार्थी लिखना तो दूर शुद्ध हिंदी बोल तक नहीं पाते। भाषाई द्वन्द में–हिंदी विरोधियों ने एक प्रश्न उठाया है कि हिंदी ही एकमात्र राष्ट्रभाषा क्यों है। गुजराती, मराठी, बंगला, तमिल, तेलगू आदि राष्ट्रभाषा कैसे नहीं? हमारा कहना यह है कि अपने देश की कोई भी भाषा हमारे राष्ट्र की बहुमूल्य और समादरणीय भाषा है परन्तु राष्ट्र के अंदर एक भाषा और पूरे राष्ट्र की एक सामान्य भाषा मानने में अंतर है। तमिल, मलयालम, मराठी, उड़िया, बंगला आदि राष्ट्र की भाषाएं हैं, हिंदी पूरे राष्ट्र की भाषा है। हमारे नेताओं ने एक स्वर में इसी को सारे देश की संपर्क भाषा मानकर राष्ट्रभाषा कहा और अन्य भाषाओं को राष्ट्र की नाना भाषाएं माना। जिन्हें हमारे संविधान की आठवीं अनुसूची में परिगणित कर दिया गया। इसमें किसी भी भाषा या बोली का निरादर नहीं है। सवाल राष्ट्रीयता बनाम प्रान्तीयता का है। हमारे देश में कितने ही सुन्दर और उपयोगी पक्षी हैं–तोता, मैना, कबूतर, बाज (श्येन), शिकरा। परन्तु 'मोर' राष्ट्रीय पक्षी है। इससे अन्य पक्षी न अभारतीय हैं, न अराष्ट्रीय। राष्ट्रीय पशु चीता माना गया है, इसमें हाथी, सिंह, हिरन, गाय आदि के प्रति हमारे आदर और गर्व पर प्रश्नचिन्ह क्यों लगे।"[8]

"हिंदी ग्यारहवीं, बारहवीं शती से संपूर्ण भारत की राष्ट्र और राज वाणी रही है। हिन्दी भाषा के माध्यम से भारत की संस्कृति, साहित्य, तत्व चिंतन, आध्यात्मिक साधनाओं, जीवन दर्शन, सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं, सामाजिक, पारिवारिक तथा राष्ट्रीय संगठनों में सतत् प्रवाहित होने वाली त्याग, निष्ठा एवं साधना से पूर्ण जिन आदर्शात्मक अमर तत्वों का उद्घाटन किया गया है। वे भारत के विभिन्न प्रान्तों, भाषाओं, धर्मों और सम्प्रदायों को सैकड़ों वर्षों से एक सूत्र में आबद्ध करते रहे हैं। हिंदी की समन्वयवादी, लोक व्यापक प्रकृति का प्रभाव प्रारंभ से भारतीय प्रशासन पर पड़ना स्वाभाविक था जिसके परिणामस्वरूप इसे राजभाषा स्वीकार किया गया।"[9]

सम्पर्क भाषा एवं राष्ट्र भाषा के परिप्रेक्ष्य में **भाषाविद् डॉ. हरदेव बाहरी** एक कथा का दृष्टांत देखते हैं–"एक कथा आती है। बाबल नगर के निवासियों ने मिलकर एक मीनार बनाने की योजना बनाई। उनमें एक भाषा का व्यवहार होता था। काम शुरू हुआ तो सामान मांगा जाता, हाजिर हो जाता, कार्य में जो प्रगति होती उसका लेखाजोखा कर लिया जाता और आगे का काम कैसे होगा, कोई अड़चन तो नहीं होगी, सारी सामग्री तैयार है या कहीं कमी है इत्यादि बातों पर विचार विनिमय कर लिया जाता और निर्माण कार्य बहुत तेजी से बढ़ता जाता। मीनार ऊँचा होता गया, होता गया और आसमान को छूने लगा। तब अल्लाह मियाँ को आशंका हुई कि ये लोग तो मेरे दर्जे तक तो पहुंच जायेंगे। उसने सबमें अलग–अलग भाषा भर दी। अब क्या हुआ। राजमिस्त्री पत्थर के ढोंके मांग रहे हैं, तब सब एकदूसरे का मुँह ताकते खडें हैं, कोई चूना–गारा मांग रहा है, कोई पाड़ बांधने के लिए बॉस और रस्सी के लिए चिल्ला रहा है, कोई बेलचे या फरुए की फरियाद कर रहा है, पर कोई किसी की सुनता–समझता ही नहीं। काम ठप्प हो गया। लोग मिलते हैं तो विचार–विमर्श, कोई परामर्श नहीं हो पाता। आपस में लड़ना–झगड़ना शुरू कर देते हैं। अंततः सारी जाति का नाश हो जाता है।"[10]

"भाषा नदी की धारा की तरह चंचल है। वह रुकना नहीं जानती। यदि कोई उसे बलपूर्वक रोकना भी चाहे तो यह (भाषा) उसके बंधन को तोड़ आगे निकल जाती है। यह उसकी स्वभाविक प्रकृति और प्रवृत्ति है। हर देश की भाषा के इतिहास में ऐसी बात देखी जाती है। भारत एक प्राचीन देश है। यहाँ के लोग भिन्न–भिन्न कालों में भिन्न–भिन्न भाषाएं बोलते व लिखते आयें हैं। संस्कृत इस देश की सबसे पुरानी भाषा है। इसका प्राचीनतम रूप संसार की सर्वप्रथम कृति ऋग्वेद में देखने को मिलता है। संस्कृत को आर्यभाषा या देवभाषा भी कहते हैं। हिंदी इस आर्यभाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी है जिसकी उत्पत्ति की कथा निम्नवत है –

1. **प्राचीन भारतीय आर्यभाषा (1500 ई.पू. से 500 ई.पू. तक)**
2. **मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा (500 ई.पू. से 1000 ई. तक)**
3. **आधुनिक भारतीय आर्यभाषा (1000 ई. से अब तक)**[11]

"एक राष्ट्र में एक राष्ट्रभाषा हमारे गौरव व हमारी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रतीक है। सार्वदेशिक, सर्वराष्ट्रीय या पूरे देश की सम्पर्क भाषा बनने या मान्य होने के लिए विद्वानों ने निम्नलिखित अर्हतांए गिनाई हैं –

1. वह राष्ट्र में बहुसंख्यक जनता द्वारा बोली जाती हो।
2. उसका अपने क्षेत्र से बाहर भी व्यापक विस्तार हो।
3. वह राष्ट्र की सांस्कृतिक और भाषिक विरासत की सशक्त उत्तराधिकारी हो।
4. उसकी व्याकरणिक संरचना, सरल, सुबोध और वैज्ञानिक हो।
5. उसकी शब्द सामर्थ्य तथा अभिव्यंजनात्मक क्षमता उत्तम हो।
6. उसमें जीवन्तता और सजीवता हो ताकि वह नए शब्दों और प्रयोगों को आत्मसात करती हुई विकासोन्मुख रहे।
7. उसकी लिपि पूर्ण और वैज्ञानिक हो।"

भारत की भाषाओं में केवल हिंदी ऐसी भाषा है जिसमें उपर्युक्त सब गुण पाये जाते हैं।"[12]

भाषाविद् गोपाल राय का मानना है कि – "भाषा की प्रवृत्ति स्वभावतः विकासोन्मुख है। उसे व्याकरण या स्थिर मानक रूपों में निगणित करना उसकी मृत्यु को बुलावा देना है।"[13]

हिंदी भारत के सबसे बड़े भू–भाग में – हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के लोगों की अर्थात् 43 प्रतिशत जनता की तो मातृभाषा ही है और इसके अतिरिक्त हिंदी प्रदेश के आसपास–पंजाब, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल और आसाम के अधिकतर लोगों की दूसरी भाषा है एवं दक्षिण के बहुत से लोग दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में इसे भली प्रकार बोलते–समझते हैं। हिंदी, संस्कृत, प्राकृत आदि की पूर्णतया उत्तराधिकारी है। विरासत में मिला, युग का सांस्कृतिक साहित्य हिंदी ने ही प्रचारित किया है। हिंदी अत्यन्त सरल और वैज्ञानिक भाषा है। काबुल का पठान या कश्मीर का ठेठ व्यक्ति भारत के नाना प्रदेशों में घूमता है या निवास करने लगता है तो वह पड़ोसन की भाषा पंजाबी प्रायः नहीं सीख पाता परन्तु वह सर्वत्र हिंदी बोलता है।"[13]

"विदेशों से जो पर्यटक आते हैं, वे जो किसी भारतीय भाषा से आसानी से अपना लगाव बना लेते हैं, तो हिंदी से ही। एक अंग्रेज ने यहाँ तक कहा कि एक पोस्टकार्ड पर हिंदी का सारा व्याकरण आ जाता है। हिंदी का शब्द भण्डार अत्यन्त समृद्ध है और इसमें देशी–विदेशी सब तरह के शब्दों को पचाने की अद्‌भुत क्षमता है जिससे यह भारत की प्रगतिशील भाषा कही जाती है और भारत की सामासिक संस्कृति का सशक्त माध्यम है।"[15] हिंदी एक विकासमान भाषा है। भारत एक बहुभाषा–भाषी देश है, जहाँ की राजभाषा हिंदी है। स्वयं हिंदी क्षेत्र में अनेक भाषाएं बोली जाती है। जिनके बोलने वाले हिंदी भाषा और साहित्य के निर्माण में लगे हुए हैं, जहाँ इतने प्रकार के भाषा–भाषियों द्वारा हिंदी निर्मित और समृद्ध हो रही हो, वहाँ शब्दों की वर्तनी की भिन्नता अस्वाभाविक नही है।"[16]

"प्रत्येक समुन्नत, स्वतंत्र, स्वाभिमानी देश की अपनी राष्ट्रभाषा है–इंग्लैण्ड, अमरीका, फ्रांस, रूस, चीन, जापान आदि सभी देशों में वहाँ की व्यापक बहुप्रचलित भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में व्यवहृत होती है। राष्ट्रभाषा की रक्षा, सीमाओं की रक्षा से भी अधिक आवश्यक है क्योंकि वह विदेशी आक्रमण को रोकने में पर्वतों और नदियों से अधिक समर्थ है। जो लोग स्विटजरलैण्ड में वर्तमान चार भाषाओं की बात उठाकर एक राष्ट्रभाषा की बात नहीं मानना चाहते, वे मानो कहना चाहते हैं कि मजबूरी और दोषपूर्णता में भी जिया तो जा ही सकता है।"[17]

आयरलैण्ड के पुनर्जागरण के साथ ही गैलिक भाषा को पुनर्जीवित करने का तीव्र प्रयास न होता तो वहाँ राजनीतिक चेतना का विकास कभी न हो पाता और परतंत्रता में गैलिक भाषा लुप्तप्राय हो जाती। नई पीढ़ी के लोग बिल्कुल न जानते और जानते भी वे बोलने में लजाते–शर्माते थे परन्तु वहाँ के अग्रगण्य नेता डी. वैलेरा ने एक सौ वर्ष बूढ़े मोची से गैलिक भाषा सीखी क्योंकि वे कहते थे कि इसके बल पर ही स्वाधीनता प्राप्त करूंगा और उन्होने कर दिखाया। सोई हुई भाषा जाग उठी सारे देश में फैल गई। आयरलैण्ड ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी से मुक्त होकर आजाद हो गया। ऐसी कथाएं हमारे लिए प्रेरणास्रोत हैं। हमें हिंदी को राष्ट्रभाषा का पूर्ण दर्जा दिलाने के लिए ऐसे ही प्रयास करने होंगे। वर्ष 1942 और 1945 का समय ऐसा था जब देश में स्वाधीनता की लहरें तीव्रतम थी। तब जितने राष्ट्रगीत और राष्ट्र भावना से ओत–प्रोत जितनी रचनाएं लिखीं गई उतनी शायद किसी और भाषा में इतने व्यापक रूप से लिखी गई हों। उन दिनों हिंदी प्रेस सबसे अधिक सक्रिय रहे। राष्ट्रभाषा के प्रचार के साथ राष्ट्रीयता के प्रबल हो जाने पर अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। डॉ. हरदेव बाहरी लिखते हैं कि–"1947 से पहले भारत देश तो था पर वह राष्ट्र नहीं था क्योंकि वह स्वतंत्र नहीं था, उसकी अपनी, अपने लोगों के वश में और अपने ही लोगों से बनी सेवा नही थी। उसकी कोई अपनी विदेश नीति नहीं और

स्वदेश नीति नहीं थी, आर्थिक नीति भी अपनी नहीं थी और शिक्षा नीति भी गैर के हाथों में थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ भारत देश एक राष्ट्र बन जाता है। अब हमारी योजनाएं राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होती है, सारे राष्ट्र के हित में बनती है न किसी गैर व्यक्ति या गैर व्यक्तियों के लिए और न किसी गैर देश के लिए। हम भारतीय हैं, भारत एक है और हम एक हैं।

सर्वभवति एकनीऽम। संगच्छध्वं, संगदध्वं सं वो मनांसि जानताम्"–हम एक साथ चलने वाले एक साथ बोलने वाले एक दूसरे के मन को जानते हुए एक साथ सोचते हैं। हमारी इस एकता के प्रतीक हैं एक राष्ट्रध्वज, एक राष्ट्र पशु, एक राष्ट्रगान और एक राष्ट्रभा.....षा। यह अंतिम शब्द कहते हुए डर लग रहा है कि उन पृथक्तावादियों और प्रान्तीयतावादियों से। हम तो मानते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र की एक राष्ट्रभाषा होती है। हिन्द की एक राष्ट्रभाषा है और एक है हिन्दी। व्यवहार में हम देखते हैं कि हिन्दी भारत के कोने–कोने में व्याप्त है। कहीं चले जाइये हिंदी बोली और समझी जाती है।[18] स्पष्ट कर दें कि–"किसी देश की भाषा को राष्ट्रभाषा की मान्यता प्राप्त हो जाये तो उस भाषा की और उस देश की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। उसका सामाजिक स्तर ऊँचा हो जाता है। देश की प्रतिष्ठा में चार चाँद लग जाते हैं। बाहर के लोगों को भी जान पड़ता है कि देश एक है अखण्ड है और एकात्म है। संपर्क भाषा होने से कोई भाषा राष्ट्रभाषा नहीं कहला सकती परन्तु राष्ट्रभाषा होने से वह संपर्क भाषा तो होती ही है।"[19]

अपने राष्ट्र में हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तह में अगर जायें तो पाते हैं कि–संस्कृत, पाली, प्राकृत और हिन्दी क्रमशः प्रत्येक युग में संपूर्ण देश में प्रयुक्त होती रही है। हिन्दी के आदिकाल का सारा साहित्य हिन्दी प्रदेश के बाहर लिखा गया जिसमें नाथ साहित्य–पश्चिम में, सिद्ध साहित्य और ब्रजबुलि (ब्रजभाषा और बंगला का मिश्रित) साहित्य–पूर्व में, बहुत सा कृष्णकाव्य उड़िया और नेपाली में एवं आदिभक्ति साहित्य महाराष्ट्र और गुजरात में लिखा गया है। युग–युग से तीर्थयात्रियों, व्यापारियों और कलाकारों की भाषा हिंदी ही रही है। सारे भारत में राग–रागिनी की भाषा ब्रज ही रही है। दक्षिण के आचार्यों में हिंदी के आदिकाल से ही महसूस किया कि हिंदी भाषा के माध्यम से ही सारे देश के जन–जन तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, रामानुज, रामानंद आदि ने इसकी राष्ट्रीय महत्ता को समझकर ही इसे व्यवहार में अपनाया। दक्षिण में राष्ट्रकूटों और यादवों के जब राज्य स्थापित हुए तो वहाँ हिंदी का प्रचार हुआ। विजयनगरम् में हिंदी को विशिष्ट स्थान प्राप्त था। मछलीपट्टम के नादेल पुरुषोत्तम कवि ने 32 नाटकों की हिंदी में रचना की।

केरल में तिरुविनांकुर के राजा स्वाति तिरुनाल श्रीराम वर्मा (जन्म 1813 ई.) इससे भी पूर्व तंजौर के भोसलवंशीय शाह जी महाराज (शासनकाल 1684–1712ई.) ने हिंदी में गीत रचना की। मलयालम में संस्कृत शब्दावली का बाहुल्य है। वे अन्य द्रविड़ की अपेक्षा हिंदी के अति निकट हैं। केरल के लोग विशेष रूप से नर्सें पूरे देश में फैली हैं और हिंदी का व्यवहार आसानी से करती हैं। महाराष्ट्र में नाथ योगियों, महानुभाव सम्प्रदाय, वारकरी सम्प्रदाय तथा विट्ठल सम्प्रदाय ने दूर–दूर तक हिंदी का प्रचार किया। संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम आदि की रचनाओं में हिंदी के ढेर पद्य प्राप्त होते हैं। संत देवराज महाराज (1654 से 1721 ई.) ने विदर्भ में हिंदी के माध्यम से भक्तिपूर्ण पद लिखे। शिवाजी के दरबार में हिंदी कवियों को मान्यता प्राप्त थी।

18वीं सदी में पेशवा, सिंधिया तथा होलकर आदि मराठी घराने हिंदी में राज कार्य करते थे। वर्तमान में महाराष्ट्र की राजधानी बंबई में हिंदी ही व्याप्त है। हिंदी सिनेमा चरम पर है और मराठी तथा हिंदी दोनों की लिपि

देवनागरी ही है। गुजराती और ब्रजभाषा में कोई विशेष अंतर नहीं। सूरदास और नरसी मेहता की रचनाएं इसका प्रमाण हैं। वृंदावन से लेकर द्वारिका तक कृष्ण का लीला क्षेत्र रहा है और वहाँ कृष्ण भक्ति का विस्तार रहा है। निर्गुण संतों और सभी सूफियों ने भी गुजरात में हिंदी में प्रचार का बड़ा काम किया है। पंजाब के सिख गुरुओं और सूफी फकीरों ने अपना प्रचार खड़ी बोली मिश्रित ब्रजभाषा में किया था। उड़ीसा की सीमाएं मध्य प्रदेश और बिहार के साथ लगी हुई हैं। भक्ति आंदोलन के साथ ही यह प्रदेश हिंदी के साथ जुड़ गया। चैतन्य महाप्रभु के प्रचार से ब्रजबुलि का और कबीरपंथियों के प्रभाव में हिंदी का व्यापक प्रचार हुआ। जगन्नाथपुरी पुराना तीर्थस्थान है और वहाँ का बच्चा–बच्चा हिंदी से परिचित रहा है। बंगाल में भी भक्ति आंदोलन के साथ ही हिंदी का प्रचार होने लगा था। चैतन्य महाप्रभु ने अपना प्रचार हिंदी मिश्रित बंगला भाषा में किया था। जिसे ब्रजबुलि कहा जाता है। सूफियों के द्वारा अवधी का प्रसार हुआ।

कलकत्ता महानगरी भारत की राजधानी रही है। हिंदी के पहलेपहल प्रकाशित होने वाले पत्र कलकत्ता से निकले। भारत में विश्वविद्यालयों में सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय में हिदी को एम.ए. पाठ्यक्रम में स्थान मिला और भी कई तरह की सेवायें बंगाल में हिदी को प्रतिष्ठित करने के लिए की। यह विवेचन स्पष्ट करता है कि हिन्दी सारे देश में जन–जन के पारस्परिक संपर्क की ही नहीं साहित्य की भी अखिल भारतीय भाषा रही है। कबीर, तुलसी, सूर की वाणी आज भी उनको लुभाती है जिसकी मातृभाषा हिंदी नही है। अंग्रेजी राज्यकाल में 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी का प्रचार–प्रसार जोरों से हुआ। 1936 ई. में महात्मा गाँधी जी ने कहा था कि–"अगर हिन्दुस्तान को सचमुच आगे बढ़ना है तो चाहे कोई माने या न माने राष्ट्रभाषा तो हिदी ही बन सकती है क्योंकि जो स्थान हिदी को प्राप्त है वह किसी अन्य भाषा को नहीं मिल सकता।"

गाँधी जी की प्रेरणा से ही वर्धा और मद्रास में राष्ट्रभाषा प्रचार सभाएं स्थापित हुई। इनकी शाखाएं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी खुलीं। काका साहब कालेलकर और मोटूरि सत्य नारायण जैसे विद्वान नेता दक्षिण में हिदी का प्रचार करते रहे। इसी तरह आसाम में आसाम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हिदी असमिया साहित्य परिषद, उड़ीसा में जगह–जगह हिंदी शिक्षण मंदिर खुले।

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, हिंदुस्तानी प्रचार सभा वर्धा, हिंदी विद्यापीठ बंबई, गुजरात विद्यापीठ और महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे और हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद आदि प्रचार सभाओं ने अपने–अपने प्रदेश में उल्लेखनीय कार्य किए तथा आज तक यह संस्थाएं सक्रिय रूप में अपना कार्य कर रही हैं। एक दौर था जब राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रभाषा एक–दूसरे के पर्याय बन गये थे। गुजरात सरदार वल्लभ भाई पटेल जब 1940 में कराची अधिवेशन के अध्यक्ष हुए तो उन्होने अपना अभिभाषण पहले हिंदी में पढ़ा और बाद में अंग्रेजी में पढ़ा। दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलगू भाषाएं द्रविड़ परिवार की हैं परन्तु उन पर संस्कृत का इतना प्रभाव है कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत का सांस्कृतिक शब्द भण्डार सामान्य हो गया है। दक्षिण के तीर्थस्थानों में हिंदी का व्यवहार बराबर होता आया है।

एक समय मद्रास के युवकों ने गाँधी जी से साग्रह निवेदन किया था कि यहाँ हिंदी प्रचारक भेजे जायें। वहाँ पर स्कूलों में हिन्दी की शिक्षा अनिवार्य रही है और यह अनिवार्य शिक्षा सी. राजगोपालाचारी आदि नेताओं के प्रयत्नों से वर्षों दी जाती रही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद कहते थे कि–"मैं हिंदी के प्रचार, राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीयता का मुख्य अंग मानता हूँ। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने राष्ट्रीय

शिक्षण विद्यालय द्वारा बहुत से बलिदानी प्रचारक तैयार किये। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी का प्रहरी कहा गया है। उनके ही प्रयत्नों से हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की उपलब्धियाँ भी महत्वपूर्ण हैं। स्वाधीनता आंदोलन में लेखकों–पत्रकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रताप नारायण मिश्र ने अपने पत्र–ब्राह्मण, बालभट्ट ने 'हिन्दी प्रदीप' में और बालमुकुंद गुप्त ने शिवशंभू के चिट्ठे में हिंदी के माध्यम से भारत की तिलमिलाती जनता के चित्र खींचे। कलकत्ता से प्रकाशित 'भारत मित्र' तथा 'विशाल भारत' पत्र की उल्लेखनीय भूमिका रही तथा 1900 ई. में सरस्वती का प्रकाशन हिंदी के लिए अति महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट रहा। इसने 60 वर्षों तक हिंदी भाषा, हिन्दी साहित्य और राष्ट्रीय आंदोलन को न केवल दिशा दी अपितु निखारा भी। इसी तरह अभ्युदय–मदन मोहन मालवीय, केसरी–बाल गंगाधर तिलक, नवजीवन–महात्मा गाँधी, संघर्ष–आचार्य नरेन्द्र देव, प्रताप–गणेश शंकर विद्यार्थी एवं बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' आदि का उल्लेखनीय योगदान रहा परन्तु इतनी यात्रा तय करने के बाद भी स्वाधीनता प्राप्त होने के पश्चात राष्ट्रभाषा का उद्देश्य भी जैसे समाप्त हो गया। सन् 1956 में भाषावार प्रान्त बन गये और हमें प्रादेशिक भाषा की चिंता सताने लगी परन्तु आज संचार माध्यमों में इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया है।

संचार के 'सुपर हाइवे पर' सवार हिंदी अब मात्र भारत की राजभाषा या राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि आर्थिक मुनाफे की भाषा बनने लगी है। इस काम को बाजार की शक्तियाँ बखूबी निभा रही हैं, आज कहा जाये कि 'हिंदी चली लंदन को' तो गलत न होगा। हिंदी को आज जो 'न्यू टोन' उभर कर सामने आ रही है वह पूरी तरह से 'मार्केट फ्रेंडली' यानि बाजार सापेक्ष है। मीडिया हिंदी को मार्केट फ्रेंड बनाने में प्रयासरत है। बाजारीकरण के इस दौर में हिंदी की नई चाल देखने के लिए कुछ बिन्दुओं पर विचार करना होगा। यथा –

1. दुकानदारों के नाम व साइन बोर्ड्स में हिंदी
2. दुकानदारों की भाषा में हिंदी
3. विज्ञापनों में हिंदी
4. विश्व बाजार में व्यहृत हिंदी
5. फिल्मों में व्यहृत हिंदी

1. दुकानदारों के नाम व साइनबोर्ड्स में हिंदी :– दुकानों व होटल, रेस्तरां आदि के नाम अथवा साइन बोर्ड्स में हिंदी आज पहले से ज्यादा छा गई है। इनमें कुछ नाम अभिधात्मक, कुछ लाक्षणिक और कुछ व्यंजना प्रधान होते हैं।

(क) अभिधात्मक–साड़ी संसार, वस्त्रालोक, आंचल, गीता वस्त्रालय, गृहसज्जा, परिधान आदि–आदि।

(ख) लाक्षणिक–घूँघट, सास–बहू, मनभावन, मिठास, दानापानी, बटोही, बटी, चूल्हा–चौकी आदि–आदि।

(ग) व्यंजना प्रधान–ठग्गू के लड्डू, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं, एक बार आएं और बार–बार ले जाएं, चटनी के साथ समोसा फ्री आदि–आदि।

2. दुकानदारों की भाषा में हिंदी :– हिंदी अपनी चाल में यहाँ थोड़ा सा डगमगाती है, लड़खड़ाती है, चूंकि दुकानदारों की भाषा में अंग्रेजी की मिलावट अधिक है। जैसे – 1. ये ड्रेस माडर्न है। 2. ये ड्रेस आप पर सूट करेगी। 3. ये आइटम मार्केट में कास्टली है। 4. डे बाई डे प्राइज हाई होते जा रहे हैं। 5. इसमें बड़ा लॉस होगा। इतने की तो परचेज भी न हीं है। 6. आप मेरे पर्सनल पर्सन हैं कस्टमर हैं, उचित लगा लेंगे आदि–आदि।

3. विज्ञापनों में हिंदी :– विज्ञापनों के माध्यम से हिंदी अपनी अच्छी पैठ बनाती जा रही है। बैनरों–होर्डिंग्स, समाचार–पत्रों, आकाशवाणी व दूरदर्शन के विज्ञापनों के माध्यम से आम जनता में हिंदी का व्यापक प्रचार–प्रसार

हो रहा है। लगभग 1500 करोड़ विज्ञापन प्रतिवर्ष हिंदी में छपते हैं।

(क) बैनर व होर्डिंग्स की हिंदी– 1. कर लो दुनिया मुट्ठी में (रिलायंस मोबाइल की बिक्री में अत्यन्त कारगर) 2. आप जहाँ नेटवर्क वहाँ (एयरटेल) 3. एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया (आइडिया) 4. हर पल साथ इतना कुछ (वोडाफोन) 5. हिंदुस्तां बोल रहा है (बीएसएनएल) आदि–आदि।

(ख) समाचार पत्रों के विज्ञापन में हिंदी– विज्ञापन का सशक्त माध्यम है समाचार पत्र। जुगल किशोर के उदन्त मार्तण्ड से प्रारम्भ समाचार पत्रों की यह यात्रा अपने चरम पर है। इसमें विज्ञापन जैसे–1. च्यवनप्राश का विज्ञापन है, खाओगे जितना पाओगे उतना। 2. पेप्सी–ये दिल मांगे मोर 3. ड्यू–डर के आगे जीत है। 4. थम्सअप–तूफानी ठण्डा आदि–आदि।

(ग) आकाशवाणी के विज्ञापन में हिंदी – आकाशवाणी की हिंदी की अहम भूमिका है। बाजारीकरण में हिंदी की चाल को सुदृढ़ करना है। श्रव्य माध्यम से बाजारीकरण की पहल इसी आकाशवाणी ने की है। जैसे–जागो ग्राहक जागो जैसे प्रोग्राम सुनाकर ग्राहक को जागरूक कर रही है साथ ही विविध भारती, किसानों के लिए कार्यक्रम, नवजवानों के लिए कार्यक्रम, फौजियों के लिए कार्यक्रम, एफएम, रेडियो सिटी आदि–आदि निश्चित ही ऐसे सराहनीय कार्यक्रम है।

(घ) दूरदर्शन के विज्ञापन में हिंदी – दूरदर्शन दृश्य–श्रव्य माध्यम होने के कारण हमारी दोनों ही इंद्रियों को अपनी ओर खींचता है। इसलिए संचार माध्यम में यह सबसे सशक्त माध्यम है। टीवी के माध्यम से पढ़ना, देखना, सुनना तीनों काम हम कर सकते हैं, इसलिए विक्रेता हमें इस माध्यम से आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय चैनलों के अतिरिक्त स्टार टीवी, जीटीवी, स्टार प्लस, जी सिनेमा, जूम टीवी, सब टीवी, ई–टीवी, संस्कार चैनल, आस्था चैनल आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विभिन्न चैनलों के माध्यम से रामायण, महाभारत, गंगामइया, ओम नमः शिवाय, जय हनुमान, श्रीकृष्णा, जय लक्ष्मी आदि का प्रसारण महत्वपूर्ण है। दूरदर्शन के विज्ञापनों में जैसे– 1. विको टरमरिक क्रीम–हल्दी चंदन के गुण इसमें समाये 2. विको वज्रदंती 3. मिन्टास–दिमाग की बत्ती जला दे 4. लाइफबाय है जहाँ तंदरुस्ती है वहाँ 5. सुबह बबूल की तो दिन तुम्हारा 6. ईगो टीवी ने इस दलेर की छुट्टी कर दी आदि–आदि।

4. **विश्व बाजार में व्यहृत हिंदी :–** विश्व बाजार की हिंदी पर ध्यान दें तो पायेंगे कि हिंदी अपने रूप का निर्वहन बड़ी अच्छी तरीके से कर रही है। जैसे–1. संवेदी सूचकांक में छलांग मारी 2. एफ.डी.आर.डी. को हरी झण्डी 3. सुधारों की धीमी गति से निवेशकों को लाभ नहीं 4. संवेदी सूचकांक एक सप्ताह में उच्चतम स्तर पर 5. संवेदी सूचकांक का इतने प्रतिशत आयात बढ़ा आदि–आदि।

5. **फिल्मों में व्यहृत हिंदी :–** भारतीय फिल्मों ने हिंदी के प्रचार–प्रसार में महती भूमिका का निर्वहन किया है। 1913 में पहली फिल्म 'राजा हरिश्चन्द्र' दादा साहब फाल्के पुरस्कार से पुरस्कृत हुई। मुंशी प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, फणीश्वरनाथ रेणु, राही मासूम रज़ा, भगवती चरण वर्मा, कविवर प्रदीप आदि हिंदी फिल्मों से जुड़े रहे। पतंग, भूलभुलैया, लागा चुनरी में दाग, तिरंगा, कर्ज, शोले, फर्ज, कर्मा, लगान जैसी असंख्य फिल्में हिंदी का प्रचार–प्रसार करती हैं। शोले का एक संवाद–ये हाथ मुझे दे–दे ठाकुर तथा बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना आज भी लोगों की जुबान पर है।

निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हिंदी बढ़ी है, बढ़ रही है और निश्चित ही उत्तरोत्तर बढ़ेगी, यदि

25–30 वर्षों पहले हिंदी साईकिल चला रही थी तो आज वह मोटरबाइक व कार चला रही है। मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति करने वाली कालजयी भाषा हिंदी अब विश्व–बाजार एवं वैश्वीकरण के दौर में एक मिश्रित विश्व–संस्कृति के रूप में, बास्केट ऑफ करेंसी के रूप में, बास्केट ऑफ लैंग्वेज के रूप में विकसित होगी। हिंदी ही अ–अज्ञानी से ज्ञ–ज्ञानी तक की यात्रा तय कराती है। यायावर अब्बास इसलिए कहते हैं कि–शफ़ी छोड़ दो अंदाज हिंदी वाले के/उठोगे हश्र में वरना तथा–तथा करते।

संदर्भ सूची :-

1. हिंदी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ – डॉ. भोलानाथ तिवारी, पृ.सं. 17
2. हिंदी भाषा – डॉ. भोलानाथ तिवारी, पृ.सं. 26
3. हिंदी भाषा – डॉ. भोलानाथ तिवारी, पृ.सं. 26–27
4. हिंदी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ – डॉ. भोलानाथ तिवारी, पृ.सं. 17
5. हिंदी भाषा का विकास – गोपाल राय, पृ.सं. 17
6. हिंदी भाषा – डॉ. हरदेव बाहरी, पृ.सं. 163
7. राजकाज में हिंदी – डॉ. हरदेव बाहरी, पृ.सं. 09
8. हिंदी भाषा – डॉ. हरदेव बाहरी, पृ.सं. 162
9. हिंदी भाषा और साहित्य – (प्रशासनिक सेवाओं के संदर्भ में) मयूर पेपरबैक्स, पृ.सं. 48
10. हिंदी भाषा – डॉ. हरदेव बाहरी, पृ.सं. 163
11. आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना – डॉ. वासुदेव नंदन प्रसाद, पृ.सं. 3
12. हिंदी भाषा – डॉ. हरदेव बाहरी, पृ.सं. 162
13. हिंदी भाषा का विकास – गोपाल राय, पृ.सं. 263
14. हिंदी भाषा – डॉ. हरदेव बाहरी, पृ.सं. 163
15. हिंदी भाषा – डॉ. हरदेव बाहरी, पृ.सं. 163
16. हिंदी भाषा का विकास – गोपाल राय, पृ.सं. 263
17. हिंदी भाषा – डॉ. हरदेव बाहरी, पृ.सं. 152
18. हिंदी भाषा – डॉ. हरदेव बाहरी, पृ.सं. 164
19. हिंदी भाषा – डॉ. हरदेव बाहरी, पृ.सं. 165

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
September 2021 Page No. : 155-159

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

अवधी साहित्य : प्रभास्वर परम्परा

–डॉ0 ऋचा सुकुमार

एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी–विभाग,

हेमवतीनन्दन बहुगुणा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लालगंज, प्रतापगढ़, (उ0प्र0)–230132

अवध अवधी की तासीर सत्त्वविमण्डित है। अति प्राचीन काल से मानवीय मूल्यों और मानवता के आदर्शों की तेजोमयी उद्घोषणा यहाँ से होती रही है। यहाँ की सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक चिन्ता–धारा लोकाभिमुखी, राष्ट्र उद्बोधिनी और सर्व समैक्य भाविनी रही है। राष्ट्रीय गौरव गरिमा का जैसा अखण्ड आलोक यहाँ के जन–मानस में प्रसार पाता रहा है, वह अनन्य–असाधारण है। अवध की तेजोमयी वाणी (अवधी) का उद्भास अन्य आधुनिक आर्य भाषाओं की भाँति दसवीं शताब्दी के आस–पास हुआ। यों उसके मूल रूप के दर्शन सातवीं शताब्दी से ही होने लगे थे। प्रख्यात भाषाविद् डॉ० रामविलास शर्मा के अनुसार 'अवधी भाषा का उद्गम वैदिक, लौकिक, संस्कृत, प्राकृत पालि, अपभ्रंश आदि साहित्यिक धार्मिक भाषाओं के समानान्तर हज़ारों वर्ष पुरानी सतत गतिमती लोकभाषा की गंगोत्री के अन्तर्गर्भ से हुआ है। भ्रमवश डॉ० ग्रियर्सन, डॉ० बाबूराम सक्सेना आदि विद्वान् अवधी के व्यापक रूप पूर्वी हिन्दी का उद्गम अर्धमागधी अपभ्रंश से मानते हैं। यह पूर्वी हिन्दी (अर्थात् अवधी) तीन रूपों में विकसित हुई अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने अवध–क्षेत्र की पुरानी जनभाषा को जनपदीय आधार पर 'कोसली' कहा है और उसी से वर्तमान अवधी को निष्पन्न माना है।'[1]

भाषा के अर्थ में 'अवधी' शब्द का प्राचीनतम प्रयोग अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचना 'नुहसिपर' में मिलता है। अनन्तर अबुल फज़ल के 'आईने– अकबरी' में भी यह नाम भाषा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। वस्तुतः अवधी का प्रामाणिक साहित्य 11वीं सदी से ही मिलने लगता है। रोडा–कृत 'राउल बेल' पुरानी अवधी की प्रथम उपलब्ध सम्पूर्ण रचना है। जयचन्द के दरबारी कवि आचार्य दामोदरभट्ट की कृति 'उक्ति–व्यक्ति प्रकरण' में अवधी भाषा के व्याकरणिक रूप–स्वरूप का प्रामाणिक निरूपण किया गया है।

अवधी शब्द से ऐसा लगता है कि मानो यह मात्र अवध क्षेत्र की उप–भाषा है, किन्तु वस्तुतः यह उपभाषा अवध क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। जहाँ एक ओर यह अवध के कुछ क्षेत्रों यथा हरदोई तथा खीरी के कुछ भागों में और फैज़ाबाद के सीमान्त पूर्वांचलों में नहीं बोली जाती, वहीं दूसरी ओर अवध के बाहर के कुछ ज़िलों, यथा–फतेहपुर, इलाहाबाद का सम्पूर्ण ज़िला, अकबरपुर तथा डेरापुर तहसीलों को छोड़कर कानपुर देहात का सम्पूर्ण ज़िला तथा केराकत को छोड़कर पूरे जौनपुर एवं बस्ती जिले की हरैया तहसील में इसका अविरल व्यवहार होता है। समस्त अवध क्षेत्र फैज़ाबाद, गोण्डा, बहराइच, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, सुलतानपुर,

प्रतापगढ़, रायबरेली, उन्नाव जिलों के साथ–साथ नेपाल की तराई के कुछ हिस्सों में भी इसी उपभाषा का सम्प्रसार है। बिहार के मुज़फ्फरपुर जिले के बुनकर भी इसी बोली का प्रयोग करते हैं। इतने व्यापक परिक्षेत्र में बोली जाने वाली अवधी भाषा का साहित्य सामान्यतः पद्य में ही मिलता है। इसमें धार्मिक और लोकाश्रयी साहित्य की प्रचुरता है।

अवधी कविता मानवीय मूल्यों की अमूल्य मंजूषा है। साहित्य की सार्वभौम श्रेष्ठता के लिए चराचर जगत् की जिस कर्मण्य जीवंतता के प्राणोष्म–निरूपण की बात करते आचार्य रामचन्द्र शुक्ल थकते नहीं, जिस साहित्य को मूलाधार मानकर उन्होंने साहित्य के मानदण्ड स्थापित किये और जिस साहित्य के माध्यम से उन्होंने लोकमंगल की साधनावस्था का अनूठा सूत्र प्रदान किया, वह साहित्य अवधी का ही रहा है।

अवधी साहित्य के प्रदीर्घ इतिहास में लगभग 1000 उल्लेखनीय कवियों का विवरण प्राप्त होता है। उनमें से 200 से अधिक रामकाव्य धारा, लगभग 100 कृष्ण काव्यधारा, 50 से अधिक संतकाव्य धारा से सम्बन्धित हैं। शेष स्वतन्त्र अथवा लोकाश्रयी काव्यधारा के कवि हैं।

अवधी की साहित्यिक परम्परा के बीज तो 'प्राकृत–पैंगलम्' तथा 'संदेशरासक' जैसी प्राकृत और अपभ्रंश की रचनाओं से ही मिलने लगते हैं, किन्तु उसका वास्तविक भाव प्रभावमय एवं अबाध रूप भक्तिकाल के प्रेमाख्यानक काव्यों से ही दिखायी पड़ता है। पुष्ट पूर्व पीठिका के रूप में अमीर खुसरो ने अपनी शक्तिमती अभिव्यक्ति से अवधी भाषा में साहित्यिक प्राण प्रतिष्ठा कर दी थी। सूफी संतों के प्रेमाख्यानों ने उन प्राणों में राग की अजस्र धारा प्रस्रवित कर दी।

अभी तक प्राप्त अवधी प्रेमाख्यानों में सबसे पहला नाम 'चन्दायन' का है। इसके रचयिता सूफी कवि मुल्ला दाऊद हैं जो अवध क्षेत्र के रायबरेली ज़िलांतर्गत डलमऊ नामक स्थान के निवासी थे। अवधी का प्रथम प्रबन्ध काव्य होने के नाते 'चन्दायन' का ऐतिहासिक महत्त्व है।

अवधी प्रेमाख्यानों की दूसरी महत्त्वपूर्ण कड़ी 'मृगावती' है जो जौनपुर निवासी शेख कुतुबन की रचना है। 'प्रेम की पीर' की विशेषताओं के उल्लेख के लिए 'मृगावती' का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। अज्ञात जीवन वृत्त वाले सूफी कवि मंझन की 'मधुमालती' सुज्ञात काव्य–कृति है। 'पद्मावत' के पहले 'मधुमालती' की ही विशेष प्रसिद्धि थी।

अवधी प्रेमाख्यानों में सर्वाधिक ख्याति 'पद्मावत' को प्राप्त हुई। लोक हृदय का जैसा मार्मिक उद्घाटन इस काव्य में हुआ, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। ठेठ अवधी में इतने बड़े साहित्यिक अनुष्ठान की कोई दूसरी मिसाल आज तक नहीं है।

अवधी की प्रेमाख्यानक परम्परा काफी आगे तक चलती रही जिसमें उसमान कृत 'चित्रावली,' कासिमशाह–कृत 'हंस जवाहर' नूरमुहम्मद कृत 'इन्द्रावत', जानकवि कृत 'रतनावली' और 'रतनमंजरी' आदि विशेष उल्लेखनीय हैं।

इन प्रेमाख्यानों ने हिन्दू–मुसलमानों के बीच रचनात्मक आधार पर सांस्कृतिक एकता स्थापित करने का स्तुत्य प्रयास किया। उन्होंने पूरी आनुभूतिक भाव–सिद्धि के साथ बताया कि इस नश्वर संसार में प्रेम के अलावा कुछ भी महत्त्वपूर्ण नहीं है। प्रेम के अभाव में यह मानुष देह मिट्टी के मोल भी बिकने लायक नहीं– 'मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी। नाहिं त काह छार दुइ मूठी।'[2]

भाषा के अभिजात रूप के बरक्स लोकभाषा की क्रान्ति की दृष्टि से भी अवधी के इन रचनाओं का योगदान अविस्मरणीय है। इन साधक कवियों ने अवधी की आन्तरिक शक्ति और रचनात्मक संभावना को पहचाना और उसे अपनी रचनाओं के माध्यम से साकारित किया। यहीं से अवधी के साहित्यिक गौरव की पीठिका बननी शुरू हुई।

अवधी का रामकाव्य गुण और मात्रा, दोनों ही दृष्टियों से श्लाघंनीय है। विश्वसाहित्य में अवधी को आलोक प्रतिष्ठा दिलाने का श्रेय गोस्वामी तुलसीदास को है। 'मानस' जैसी लोकप्रियता हिन्दी के किसी भी दूसरे ग्रंथ को आज तक नहीं मिली। गोस्वामी जी साहित्यिक अवधी के अप्रतिम निर्माता हैं। उन्होंने इस उपभाषा पर ऐसी अनोखी छाप छोड़ी है कि तुलसी, अवधी और 'मानस' एक दूसरे के पर्याय बन गये हैं। उनके हाथों में पड़कर अवधी ऐसे रुचिर विभास्वर रूप में ढली कि उसमें किसी बोली–विभाषा की अल्पप्राणता से सर्वथा परे किसी बड़े युग की गंभीर एवं प्राणवंत भाषा का गौरव– गरिम आभिजात्य भर उठा। आश्चर्य तो यह है कि इससे उसकी लोकचेतना तनिक भी क्षतिग्रस्त नहीं हुई। गोस्वामी जी ने अपनी सारस्वत साधना का परम प्रतीक जो 'रामचरितमानस' हमें प्रदान किया, वह भारतीय संस्कृति, धर्म, आचरण और नीति की उजास फैलाने वाला अनूठा महाकाव्य है।

जीवन के नाना उतार–चढ़ाव से गुज़रने वाले, गोस्वामी जी के समकालीन, कविवर रहीम के रसपेशल 'बरवै' और नीति– उज्ज्वल दोहे अवधी की श्री शोभा का अपूर्व मण्डन करते हैं। गोस्वामी जी के बाद भक्ति की वह मर्यादावादी परम्परा तो नहीं चली, किन्तु अवधी में रामकाव्य के सृजन की धारा अबाध गति से चलती रही। रामभक्त कवियों का झुकाव धीरे धीरे मधुरोपासना की ओर हो गया। रसिक सम्प्रदाय के प्रमुख स्तंभ कृपानिवास, जिन्हें आचार्य शुक्ल ने एक कल्पित व्यक्तित्व माना है, 13 ग्रंथों के रचयिता कहे जाते हैं। उनका कवित्व अत्यंत समर्थ है। रसिक परम्परा की अवधी रचनाओं की संख्या हज़ार से भी अधिक होगी। रसिक साहित्य में लोकराग की प्रधानता वाला सहज अवधी रूप भी है और तत्सम शब्दावली प्रधान अभिजात रूप भी।

अवधी में प्रारम्भ से ही कुछ छिटपुट कृष्ण–कथाश्रित रचनाएँ भी मिलती हैं, किन्तु काव्य की दृष्टि से उनका विशेष महत्त्व नहीं है। अवधी का निर्गुण काव्य मुक्तक–शैली के विकास और सजीवता तथा लोकानुभूति के संस्पर्श की दृष्टि से उल्लेखनीय है। निर्गुण काव्यधारा में मतों और पंथो के प्रवर्तन की धूम रही। अवध क्षेत्र में जन्मे और विकसित हुए सतनामी और साईंदाता सम्प्रदाय के प्रवर्तक संत मोहनशाह का साधनाधाम फैज़ाबाद रहा है। लोक संवेदना से जुड़े इन प्रवर्तकों–सहित इनके अनुयायी सन्तों की वाणियों में अनुभूति की मार्मिकता और अभिव्यक्ति की सप्राणता के सहज दर्शन होते हैं।

अब, अवधी के आधुनिक साहित्य पर भी किंचिद् दृष्टिपात कर लें। अवधी के आधुनिक प्रबन्ध–काव्यों में सर्वाधिक उल्लेखनीय ग्रंथ है 'कृष्णायन', जिसके प्रणेता प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रख्यात राजनेता स्व० पं० द्वारिकाप्रसाद मिश्र हैं। ब्रजी में शब्दित कृष्ण–काव्यधारा मुक्तक– प्रधान रही है। इसे सुधर प्रबन्धात्मक स्वरूप सर्वप्रथम अवधी के 'कृष्णायन' में मिला।

आधुनिक काल के अन्य शक्तिमंत अवधी कवियों में विशेष प्रसिद्धि मुक्तककारों, गीतकारों और कतिपय लघु प्रबन्धकारों को प्राप्त हुई। ये कवि लोकचेतना और राष्ट्रप्रेम से ओतप्रोत रहे हैं। इनमें से अनेक कवियों ने स्वाधीनता संग्राम में अप्रतिहत योगदान किया है। इनमें पढ़ीस, वंशीधर शुक्ल, मृगेश, रमई काका और दिवाकर

पुरानी पीढ़ी के ज्योतिष्क हस्ताक्षर थे।

सीतापुर निवासी पं0 बलभद्र प्रसाद दीक्षित 'पढ़ीस' जी सच्चे अर्थों में प्रगतिशील कवि थे। वे अवधी की आधुनिक काल की गीतकार पीढ़ी के दिशानायकों में रहे हैं। मार्मिक व्यंग्य शैली के लिए उन्हें सदा याद किया जायेगा। उनकी अवधी कविताओं में छायावादी सौन्दर्यानुभूति से ऋद्ध मनोज्ञ रूपच्छवियों के दर्शन किये जा सकते हैं। 'चकल्लस' उनकी मुख्य रचनाओं का संकलन है। इसमें 37 अवधी–रचनाएँ संकलित है। इसकी भूमिका निराला द्वारा लिखी गयी थी। सन् 1933 में प्रकाशित प्रकाशित आधुनिक अवधी की अनूठी कृति है। 'चकल्लस' की 'द्वासरि दुनिया' 'सूखि डार' 'डोंगिया' 'महतारी' 'स्वनहुली स्याया' 'बरउनी' तथा 'परछाहीं' रचनाओं में छायावाद युग की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है।'[3] यदि उनका असमय दारुण निधन न हो गया होता तो आधुनिक अवधी कविता ने और अधिक ऊँचे और अधिक उजले शिखरों पर अधिरोहण कर लिया होता।

वंशीधर शुक्ल में क्रान्ति का स्वर अग्निज्वाल है। स्वाधीनता आन्दोलन के ज़माने में उनकी 'प्रभात फेरी' गाँव–गाँव, नगर–नगर जागरण गीत बनी हुई थी। परतंत्र समाज का हृदयद्रावक चित्र प्रस्तुत करने वाली उनकी 'म्यूजिक कान्फ्रेन्स' नामक कविता बहुचर्चित है। 'किसान की दुनिया' और 'राजा की कोठी' जैसी उनकी कविताएँ गुलाम भारत के किसानों की व्यथा–कथा और ज़ालिम ज़मींदारों के अमानुषिक जुल्म की दारुण गाथा प्रस्तुत करने में बेजोड़ हैं। उनके प्रकृति–चित्रों की बहुवर्णता और बहु आयामता देखते ही बनती है। निराला के समान अपने किसान, मजदूर भाइयों को यों दुखी देखकर शुक्ल जी भी विरोध, व्यंग्य और विद्रोह पर उतर आते हैं। 'होइगा स्वतन्त्र भारत हमार' शीर्षक उनकी कविता इस दृष्टि से बड़ी ज़ोरदार है। स्वतंत्रता–प्राप्ति के पश्चात उनके द्वारा सृजित प्रमुख काव्य कृतियाँ है– 'पंत पुराण' 'नेहरू सावधान' 'कांग्रेस सरकार स्वाहा' 'राममड़ैया' आदि। 'वंशीधर शुक्ल को 'अवधी–समाट् और 'राष्ट्रकवि' जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया, किन्तु वास्तव में वे कोटि–कोटि किसानो–मजदूरों की त्रासद स्थिति को बदल डालने के लिए प्रतिबद्ध सच्चे 'जनकवि' थे। आधुनिक अवधी साहित्य की श्रीवृद्धि में शुक्ल जी का अपूर्व योगदान है।'[4]

चन्द्रभूषण त्रिवेदी 'रमई काका' जीवन–रस के सिद्ध कवि हैं। उनके काव्य में हास्य की मनोमोहिनी धारा प्रवाहित होती है। उनका हास्य शिष्ट, मधुर, गंभीर और स्थायी है। उनके काव्य में लोक चेतना, ग्राम–गंध, समाजसुधार और राष्ट्रीय जागरण का सन्देश अनुस्यूत है। 'बौछार' और 'भिनुसार' नामक उनके काव्य संग्रह बहुत लोकप्रिय हुए हैं। ग्राम परिवेश और गँवई प्रकृति का उन्होंने बड़ा मनोज्ञ अंकन किया है। 'आधुनिक अवधी की कविता–खेती के अनूठे किसान 'रमई काका' की अन्य महत्वपूर्ण कृतियाँ है– 'नेताजी', 'फुहार' 'गुलछर्रा', 'हर पाती तरवारि' हास्य के छींटे और 'माटी के बोल' इसी परम्परा में गुरूप्रसाद सिंह 'मृगेश' जी ने अवधी के आध ुनिक स्वरूप को यथेष्ट निखारा–सँवारा और उसके सामर्थ्य में प्रभूत संवर्द्धना की है। 'अवधी के भाल' 'मृगेश' की कृति 'बरवै व्यंजना' में 101 बरवै छन्द हैं। उन्होनें अवधी के दो प्रबन्ध–काव्यों का भी सृजन किया है। जिनके नाम है– 'चलहारी नरेश' और 'पारिजात'।[5]

गाँव को कविता के निकट न लाकर कविता को गाँव के निकट लाने वाले अवधी के ये कवि सच्चे अर्थों में जन–कवि थे। इसी अनुक्रम में कविवर 'दिवाकर' का नाम स्मरणीय है। उनकी कृति 'हम तिनुका हन' बहुत प्रशंसित रही है। प्रगति और उजास के वे तेजस्वी कवि थे। कोटि–कोटि दलित–शोषित जनों की पीड़ा के प्रति उनकी करुणा दिखावटी नहीं, सहभोक्ता की थी। इसीलिए अपने को सदा अन्याय के प्रतिपक्ष में खड़ा रख सके।

अवधी साहित्य सदा मानवोन्मुख रहा है। अवधी के कवि अपनी संस्कृति और धरती से कभी विमुख नहीं रहे। अवध की माटी उन्हें चन्दन के समान शीतल और पावन लगती है। साधक कवि 'विन्दु' जी ने बड़ी भावभरता के साथ गाया था – 'अवध की माटी मा मिलि जाब'। ग्रामीण जीवन और ग्रामीण प्रकृति अवधी के कवियों के उर अन्तर में अनोखी संवेदना जगाती है। अवधी कवि प्रकृत्या लोक–प्राण और प्रवृत्या प्रगतिवादी, मनसा जनपक्षधर और आत्मना सत्त्वोज्ज्वल है। 2700 बरवों वाले 'अमोला' के रचयिता 'त्रिलोचन शास्त्री' का नाम इस दृष्टि से अग्र–पांक्तेय है। वे सच्चे अर्थो में अवध–अवधी के अलंकार है।

दिव्य, स्व० उमादत्त सारस्वत, चतुर्भुज शर्मा, किसान, मृगेश, श्रीश, 'राजेश', 'निशंक' जुमई खाँ', 'आजाद', 'विकल गोण्डवी' आदि अनेक ज्येष्ठ वयोवृद्ध कवि अपनी वाणी से लोक का रंजन ही नहीं, उसका मार्जन भी करते रहे हैं।

इनके अतिरिक्त, अनेक प्रौढ़ एवं युवा गीतकार तथा प्रबन्ध प्रणेता कवि अपनी मौलिकता, भाव–प्रवणता और माटी की गंध से अवधी कविता में नव चेतना का संचार कर रहे हैं। विश्वनाथ पाठक, पारस भ्रमर, सरल, पँवार, बेकल उत्साही, विकल साकेती, उन्मत्त, आदित्य वर्मा, काका बैसवाड़ी, लवकुश दीक्षित, राजेन्द्र मिश्र, 'अनजान', मधुर, रफीक सादानी, शैलेश, सतीश आर्य, नवीन हस्ताक्षर अवधी कविता के महार्घ कोश को समृद्ध बना रहे हैं।

अवधी के विशाल भण्डार का एक बड़ा भाग इसका लोक–साहित्य है। आल्हा, फाग, बिरहा, बारहमासा, निर्गुण, सोहर, मंगलगारी, बधाई, परिछन, बन्ना, नकटा, झूमर, कजरी, चैता, कटनी आदि नाना गीत–गान अवधवासियों की सप्राण जीवनधारा से आप्लुत दिखायी देते हैं। घाघ और भड्डरी की सूक्तियाँ ग्राम–जीवन एवं कृषि–संस्कृति के सूक्ष्म पर्यवेक्षण और प्रकृति–परिज्ञान से परिपूर्ण हैं। अवध क्षेत्र के लोकनाट्य एवं लोकनृत्य सांस्कृतिक विरासत हैं।

अवधी की सामर्थ्य एवं क्षमता बेजोड़ है। यदि कहा जाय कि अवधी साहित्य एवं उसकी संस्कृति भारतीय साहित्य एवं संस्कृति के प्राणाधार हैं तो अतिरंजना न होगी।

वास्तव में अवधी–साहित्य में भारतीय संस्कृति के बीज छिपे हुए हैं, उसमें अवध क्षेत्र की मिठास, भावना एवं संवेदना का समावेश है। अवध की माटी की सुगन्ध एवं संस्कार व्याप्त हैं। और सच तो यह है अवधी एक ऐसी व्यापक फलकवाली सप्राण भाषा है, जो क्षेत्रीयता की सीमा को अतिक्रमित करती हुई सम्पूर्ण भारतवर्ष की सभ्यता–संस्कृति को अपने में समेटे है। अवधी कविता सदा लोक–प्राण रही है। वह लोक से उद्भूत होती है लोक को ही रूपान्वित करती है और लोक के लिए ही आत्माप्रित है।

सन्दर्भ ग्रन्थ :–

1. डॉ0 रामविलास शर्मा, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिन्दी पृष्ठ 65
2. पद्मावत, मंडप–गमन–खंड–चौ0 (2) की द्वितीय पंक्ति।
3. आधुनिक अवधी–कविता के हीरक हस्ताक्षर (सं0 डॉ रामशंकर त्रिपाठी) पृष्ठ 47।
4. वही पृष्ठ–58
5. अवध–अवधी : विविध आयाम् पृष्ठ 374

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
September 2021 Page No. : 160-163

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

पर्यावरण समस्या एवं समाधान के प्रति जागरूकता

–डॉ. अमिता जैन

सहायक आचार्य, शिक्षा विभाग, जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं।

सारांश :–

मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो इस प्राकृतिक व्यवस्था को लांघकर अपने असंयम से कुछ ऐसा प्रयत्न कर रहा है, जिससे इस सहज संतुलन के बिगड़ने का खतरा पैदा हो रहा है। क्या मनुष्य ने कभी ध्यान दिया कि आवश्यकता से ज्यादा वनस्पति को नहीं काटना चाहिए? आवश्यक काम करने के लिए कुछ नीम पत्तियां तोड़नी हैं तो पूरी शाखा क्यों तोड़ें? स्नान करने में एक बाल्टी पानी पर्याप्त है फिर भी नल को खोलकर घंटों तक अनावश्यक पानी क्यों बहा देते हैं? क्या यह अतिक्रमण नहीं है? यदि ये प्रश्न मनुष्य के मस्तिष्क में उभरने लगें तो क्या पर्यावरण की समस्या के समाधान की दिशा में प्रस्थान न हो जाए?

मुख्य शब्द : मिथ्या दृष्टिकोण, स्वतंत्र सत्ता, ज्वलंत प्रश्न, अहिंसा का प्रदूषण।

प्रस्तावना :–

मनुष्य आज अनेक दिशाओं में प्रगति कर रहा है, पर पर्यावरण संकट के रूप में वह ऐसे खतरनाक बिन्दु पर भी पहुंच रहा है जहां विकास की सारी यात्रा पर प्रश्नचिह्न खड़ा हो गया है। दुनिया में अपना एक निश्चित सन्तुलन है। सारी प्रकृति तालबद्ध तरीके से चल रही है। इस गतिमयता के पीछे ईश्वर का हाथ है। वही सृष्टि की सर्जना करता है, वही इसका पोषण करता है और वही इसका विनाश करता है, पर 'जैन दर्शन' ऐसी किसी ईश्वर–शक्ति में विश्वास नहीं करता। उसके अनुसार तो सब कुछ अपने प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही हो रहा है। फिर भी मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो इस प्राकृतिक व्यवस्था को लांघकर अपने असंयम से कुछ ऐसा प्रयत्न कर रहा है, जिससे इस सहज संतुलन के बिगड़ने का खतरा पैदा हो रहा है।

मिथ्या दृष्टिकोण :–

मिथ्या दृष्टिकोण से पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है। वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्त्ता, राजनेता बार–बार इस बात को दोहराते हैं– पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है और यही क्रम चलता रहा तो एक दिन पृथ्वी हमारे लिए उपयोगी नहीं रहेगी, प्राणी मात्र के लिए रहने लायक नहीं रहेगी, भयंकर बन जायेगी। इसलिए पर्यावरण के ज्ञान की आवश्यकता है। दुनिया के हर कोने में पर्यावरण के लिए आंदोलन चल रहा है। क्या केवल आंदोलन से पर्यावरण के प्रदूषण को मिटाया जा सकता है? ऐसा संभव नहीं है। प्रदूषण का जो मूल कारण है, वह है मिथ्या दृष्टिकोण। जब तक दृष्टिकोण सम्यक् नहीं बनता, प्रदूषण को मिटाने की बात कोरी कल्पना रह जायेगी।

स्वतंत्र है सत्ता :–

नये मुनि को सबसे पहले दशवैकालिक सूत्र सिखाया जाता है। उसका एक सूक्त है– 'पुढो सत्ता' प्रत्येक प्राणी की स्वतंत्र सत्ता है। चाहे वह छोटा पौधा हो, चाहे वह कोपल हो, चाहे वह छोटा पत्ता हो और चाहे वह एक छोटा सा अग्नि का कण हो। सबकी स्वतंत्र सत्ता है। एक मिथ्या धारणा बन गई और यह मान लिया गया कि सब पदार्थ मनुष्य के लिए बनाये गये हैं। विश्व का एक बड़ा वर्ग मांसाहारी लोगों का है। जब–जब मांसाहारी लोगों से पूछा जाता है– मांस क्यों खाते हो? उत्तर मिलता है– अगर मांस न खाएं तो भगवान ने पशु बनाएं ही क्यों? ये पशु–पक्षी मनुष्य के लिए ही तो हैं। जब उन्हें कहा जाता है कि शेर आने पर तुम भागते क्यों हो? तुमको खाने के लिए ही तो शेर को बनाया गया है। वे इस प्रश्न को सुनकर मौन हो जाते हैं।

ज्वलंत प्रश्न :–

पर्यावरण के संदर्भ में आज यही ज्वलंत प्रश्न है, यदि मनुष्य इसी प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता चला जाएगा तो क्या बचेगा? पृथ्वी है, पानी है, अग्नि है, वायु है और सबसे बड़ी बात वनस्पति का जगत् है तो आदमी है। आदमी अकेला जी नहीं सकता। भगवान महावीर ने सत्य का साक्षात्कार किया था और उस सत्य के साक्षात्कार के बाद उन्होंने कहा था– पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति इन सबकी स्वतंत्र सत्ता है। ''सबकी स्वतंत्र सत्ता है' यह सच्चाई समझ में आ जाए तो इन सबके प्रति इतना अतिक्रमण और अत्याचार नहीं हो सकता। आज बहुत अतिक्रमण होता है। मनुष्य चाहे जैसे उनके साथ व्यवहार करता है। क्या मनुष्य ने कभी ध्यान दिया कि आवश्यकता से ज्यादा वनस्पति को नहीं काटना चाहिए? आवश्यक काम करने के लिए कुछ नीम पत्तियां तोड़नी हैं तो पूरी शाखा क्यों तोड़ें ? क्या यह इन जीवों के प्रति अतिक्रमण नहीं है, अन्याय नहीं है? क्या मनुष्य ने यह सोचा– पानी से हाथ धोना है, एक गिलास पानी से काम चल सकता है, पर वहां कई लोटे पानी क्यों गंवा देते हैं? स्नान करने में एक बाल्टी पानी पर्याप्त है फिर भी नल को खोलकर घंटों तक अनावश्यक पानी क्यों बहा देते हैं? क्या यह अतिक्रमण नहीं है? यदि ये प्रश्न मनुष्य के मस्तिष्क में उभरने लगें तो क्या पर्यावरण की समस्या के समाधान की दिशा में प्रस्थान न हो जाए?

पृथ्वीकाय की अहिंसा का प्रदूषण :–

महावीर ने पृथ्वीकाय की हिंसा का निषेध किया है। आज अनेक प्रकार के खनिज पदार्थों के लिए खासकर पत्थर के कोयले के लिए पृथ्वी का जबरदस्त दोहन किया जा रहा है। भूवैज्ञानिकों ने आशंका प्रकट की है कि यदि खनिज पदार्थों का उपयोग किया गया तो कुछ ही वर्षों में उसके भण्डार निःशेष हो जायेंगे। दुनिया में जब से औद्योगीकरण की लहर आयी है तब से ही पत्थर के कोयले के जलने से उसकी धूल, कार्बन डाई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड तथा कुछ ऑर्गनिक गैसों के रूप में प्रदूषणकारी पदार्थों की भरमार हो गयी है। इस पृथ्वीकाय की हिंसा केवल पृथ्वीकाय की हिंसा ही नहीं है, अपितु उसके साथ वातावरण का संतुलन भी गहरे अर्थ में प्रभावित होगा।

ईंधन तथा वायु का प्रदूषण :–

वायु प्रदूषण आज के युग की एक ज्वलन्त समस्या है। वातावरण हमारे परिसर का एक प्रमुख अंग है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन का स्रोत ओजोन ही है। साथ ही पृथ्वी पर सूर्य को प्रकाश से पराबैंगनी विकिरणों को रोकने का अथवा सोखने का काम भी यह परत करती है। यदि ये विकिरण पृथ्वी पर सीधे पहुंच जाएं तो त्वचा का

कैंसर, आंखों के रोग आदि हो सकते हैं। वातावरण की शुद्ध हवा ने यहां प्राणियों को जीवन का आधार प्रदान कर रखा है। पर मनुष्य ने अपनी सुख–सुविधाओं के लिए तीव्रता से उसे दूषित करना शुरू कर दिया है। सर्वेक्षण द्वारा ज्ञात हुआ है कि पिछले सौ वर्षों में वायुमण्डल में कार्बनडाईऑक्साइड की मात्रा में 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो चुकी है, जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर कार्बनडाईऑक्साइड की मात्रा हमारे वातावरण में निरन्तर बढ़ती रही तो मनुष्य एवं जानवरों के शरीर हेतु आवश्यक प्राणवायु का अनुपात घट जायेगा।

धूम्रपान : आत्महत्या या परहत्या :-

वैज्ञानिक विश्लेषण से पता चलता है कि तम्बाकू में चार पदार्थ मानव के लिए विष का काम करते हैं– 1. निकोटीन, 2. कोल्टा, 3. आर्सेनिक, 4. कार्बन–मोनो–ऑक्साइड। इनसे मानव शरीर पर धीमी मृत्यु की सी प्रतिक्रिया होती है। अमेरिका के एक डॉक्टर ने बताया– कैंसर के मरने वालों में सिगरेट पीने वालों की संख्या सिगरेट न पीने वालों की संख्या से 27 गुना अधिक थी। एक नेत्र चिकित्सक डॉ. एच.एस. के अनुसार धूम्रपान से आंखें कमजोर हो जाती हैं। तम्बाकू से होने वाली हानि को दृष्टिगत करते हुए प्रत्येक चिकित्सा पद्धति इसका निषेध करती है। डॉ. फोवर्स विंसला पागलपन सम्बन्धी रोगों के विशेषज्ञ माने गए हैं। उन्होंने हजारों पागलों के निरीक्षण और उपचार के उपरांत अपने निष्कर्ष में बताया है– ''यदि मुझसे पूछा जाय तो मैं पागलपन के कारणों को इस क्रम में रखूंगा– ''पहला मद्य, दूसरा तम्बाकू और तीसरा आनुवंशिकता।'' अतएव धूम्रपान केवल आत्म–हत्या ही नहीं है वरन् धूएं एवं रासायनिक पदार्थों के पड़ने वाले दुष्प्रभावों से पर्यावरण भी प्रदूषित होता है तथा यह दूसरों के स्वास्थ्य के लिए जिम्मेवार है।

ध्वनि प्रदूषण और वायुकायिक हिंसा :-

भगवान् महावीर ने कहा– 'जं सम्मंति पासह तं मोणंति पासह'। जो सत्य को जानता है वही मौन को जानता है और जो मौन को जानता है वही सत्य को जानता है। सचमुच इस उक्ति में गहरा अर्थ भरा हुआ है। अधिकांश लोग शब्द शक्ति को ही पहचानते हैं पर आज यह स्पष्ट हो गया है– शब्द या ध्वनि मनुष्य के लिए कितनी घातक हो सकती है। बोलने से मनुष्य की अपनी शक्ति तो क्षीण होती ही है पर ध्वनि का शस्त्र सरीखा प्रभाव होता है। इस स्फोटक ध्वनि से बड़े–बड़े पत्थरों को तोड़ा जा सकता है, तब बेचारे कान के कोमल पर्दों की तो बात ही क्या है? असह्य ध्वनि का प्रभाव केवल कानों पर ही नहीं होता अपितु सारे शरीर पर पड़ता है। श्वसन प्रणाली, पाचन–प्रणाली तथा जनन–क्षमता पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। ध्वनि का सबसे घनिष्ठ प्रभाव तो कदाचित मज्जा संस्थान पर होता है। इससे निद्रानाश, चिड़चिड़ापन, नैराश्य आदि के रूप में मानसिक स्वास्थ्य चौपट हो जाता है जिसका अन्तिम परिणाम आत्महत्या तक हो सकता है। गर्भस्थ शिशुओं पर भी ध्वनि का तीव्र प्रभाव पड़ता है।

समाधान :-

वातावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। दूसरी ओर वृक्षों के अधिक कटाव पर भी रोक लगायी जानी चाहिए। कारखाने और मशीनें लगाने की अनुमति उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो औद्योगिक कचरे और मशीनों के धुएं को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था कर सकें। संयुक्त राष्ट्रसंघ को चाहिए कि वह परमाणु परीक्षणों को नियन्त्रित करने की दिशा में उचित कदम उठाए। तेज ध्वनि वाले वाहनों पर साइलेंसर आवश्यक रूप से लगाए जाने चाहिए तथा सार्वजनिक रूप से लाउडस्पीकरों आदि

के प्रयोग को नियन्त्रित किया जाना चाहिए।

उपसंहार :-

स्पष्टतः यह कहा जा सकता है कि आज विज्ञान भी पृथ्वी आदि भूतों के बारे में जिस दृष्टि से विचार करने लगा है उससे अहिंसा मान्यता को एक नया आयाम मिला है। धर्म जहां प्राण विनाश की दृष्टि से अहिंसा पर विचार करता है वहां विज्ञान उस पर प्रदूषण की दृष्टि से विचार कर रहा है। जैन धर्म जहां प्राणिमात्र की दृष्टि से अहिंसा पर विचार करता है वहां विज्ञान केवल मनुष्य की दृष्टि से विचार करता है। दुनिया के हर कोने में पर्यावरण के ज्ञान की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रन्थ-सूची :-

1. कुमारी प्रभा, जनसंख्या विस्फोट और पर्यावरण प्रदूषण, वाणी प्रकाशन, दिल्ली।
2. त्रिपाठी, दयाशंकर, पर्यावरण अध्ययन, भारतीय साहित्य संग्रह, दिल्ली।
3. जोशी, रतन, पर्यावरण अध्ययन, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा।
4. सक्सेना, एस.एम., पर्यावरण अध्ययन, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल।
5. महाप्रज्ञ, आचार्य, पर्यावरण : समस्या और समाधान, जैन विश्व भारती, लाडनूं।
6. आचार्य महाप्रज्ञ, पर्यावरण : समस्या और समाधान (पृ. 1)
7. पुढो सत्ता' (दशवैकालिक सूत्र)
8. आचार्य महाप्रज्ञ,, पर्यावरण : समस्या और समाधान (पृ. 11–12)
9. आचार्य महाप्रज्ञ,, पर्यावरण : समस्या और समाधान (पृ. 11–12)
10. 'जं सम्मंति पासह तं मोणंति पासह' (आचा. 4–51)

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
September 2021 Page No. : 164-169

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

PHILOSOPHY OF GURU TEG BAHADUR JI AND ITS RELEVANCE IN MODERN ERA

-HARPREET KAUR

RESEARCH SCHOLAR , DEPT OF RELIGIOUS STUDIES, PUNJABI UNIVERSITY, PATIALA.

INTRODUCTION :-

Ninth Guru; apostle of peace, tranquility and sacrifice led entire life for the upliftment of humanity. His esteemed love for the Creator and His creation is evident from Bani recited by Him. He worked tirelessly to bring about awareness and enlightenment among the people. He forcefully and boldly condemned the rituals, hypocrisies being propagated by the religious leaders and institutions. He worked for developing fearless, honest, morally and spiritually highly sound society. His teachings in the form of Gurbani can bring in drastic transformation in (the present day) modern era of exploitation, selfishness, falsehood, chaos and mis management in the system. In the following paper His life and contribution to society shall be discussed.

First of all we shall acquaint ourself of the Sikhism and its propagators i.e. Ten Gurus and Sri Guru Granth Sahib at present giving enlightenment to humanity in every field of life. If we have a bird eye-view of the period between fourteenth century to sixteenth century, it was the period when the ruling classes had exploited and humiliated the common man economically, socially, mentally and physically. Also human society was slave of lust, wrath and delusion, hankering after the material world like a dog knocking about from door to door. In this way people were wasting precious human life and were devoid of the Name of the Almighty God as according to one of the Shabads of Guru Teg Bahadur ji :

ਬਿਰਥਾ ਕਹਉ ਕਉਨ ਸਿਉ ਮਨ ਕੀ॥
ਲੋਭਿ ਗ੍ਰਸਿਉ ਦਸਹੂ ਦਿਸ ਧਾਵਤ ਆਸਾ ਲਾਗਿਓ ਧਨ ਕੀ॥੧॥

Also Guru Nanak Dev Ji unveiled and condemned the atrocities committed by the rulers :

ਕਲਿ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾਸਾਈ ਧਰਮੁ ਪੰਖ ਕਰਿ ਉਡਰਿਆ॥

ਕੂੜਿ ਅਮਾਵਸ ਸਚੁ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੀਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹ ਚੜਿਆ॥

ਹਉ ਭਾਲਿ ਵਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ॥ ਆਧਰੈ ਰਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ॥

ਵਿਚਿ ਹਉਮੈ ਕਰਿ ਦੁਖੁ ਰੋਈ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਗਤਿ ਹੋਈ॥੧॥

There are several more hymns in Sri Guru Granth Sahib illustrating the pathetic condition of society such as:

ਪਾਪ ਕਰਹਿ ਪੰਚਾ ਕੇ ਬਸਿ ਰੇ॥ ਤੀਰਥਿ ਨਾਇ ਕਰਹਿ ਸਭਿ ਉਤਰੇ॥

ਬਹੁਰਿ ਕਮਾਵਹਿ ਹੋਇ ਨਿਸੰਕੁ॥ ਜਮ ਪੁਰਿ ਬਾਂਧਿ ਖਰੇ ਕਾਲੰਕ॥

Which means that public commits sins under the influence of five demons/thieves and claim taking baths at holy pilgrimages can wash off their all sins and keep on committing more and more sins fearlessly. Deaths couriers bind them and make their lives miserable and disgraceful. Also in Asa ki Var of Guru Nanak Dev Ji holds the same message:

ਪਾਪ ਕਰਹਿ ਪੰਚਾ ਕੇ ਬਸਿ ਰੇ॥ ਤੀਰਥਿ ਨਾਇ ਕਰਹਿ ਸਭਿ ਉਤਰੇ॥

ਬਹੁਰਿ ਕਮਾਵਹਿ ਹੋਇ ਨਿਸੰਕੁ॥ ਜਮ ਪੁਰਿ ਬਾਂਧਿ ਖਰੇ ਕਾਲੰਕ॥

ਸਚੁ ਕਾਲੁ ਕੂੜੁ ਵਰਤਿਆ ਕਲਿ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ॥

ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤਿ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉ ਉਗਵੈ ਦਾਲ॥

ਲਬ ਪਾਪ ਦੁਇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜਿ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ॥

ਕਾਮੁ ਨੇਬੁ ਸਦਿ ਪੁਛੀਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰਹਿ ਬੀਚਾਰ॥

ਅੰਧੀ ਰਯਤੁ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਭਾਇ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰੁ॥

ਕੂੜ ਬੋਲਿ ਮੁਰਦਾਰੁ ਖਾਇ॥

ਅਵਰੀ ਨੋ ਸਮਝਾਵਣਿ ਜਾਇ॥

ਹਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਅਰ ਉਸ ਗਾਇ॥

ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾ ਭਰੇ ਜਾ ਮੁਰਦਾਰ ਨ ਖਾਇ॥

The reason behind all the above sinful and evil acts was lack of moral values and collapse of education system . Education was available to only upper and ruling classes of the time. Common man was leading the life of slaves and was not able to even fulfill his basic needs of bread, cloth and shelter. Same situation has been explained by Bhai Gurdas Ji in Var-1, Pauri 30 as:

ਕਲਿ ਆਈ ਕੁਤੇ ਮੁਹੀ ਖਾਜੁ ਹੋਇਆ ਮੁਰਦਾਰ ਗੁਸਾਈ॥

ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦੇ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕਉ ਖਾਈ॥

.....

ਵਰਤਿਆ ਪਾਪ ਸਭਸ ਜਗ ਮਾਂਹੀ॥੩੦॥

In such social and political conditions Guru Nanak Dev ji appeared as an apostle of God and started enlightening the people right from childhood so that society could get rid of such false religious rites and hypocrisies. At the time of 'Janeu Ceremony' (sacred thread) Guru ji said I have no objection in wearing Janeu (ਜੇਨਉ) but I want the following Janeu:

ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖੁ ਸੂਤ ਜਤਿ ਗੰਦੀ ਸਤੁ ਵਟੁ॥

ਇਹ ਜੇਨਉ ਜੀਅ ਕਾ ਹਈ ਤਾ ਪਾਂਡੇ ਘਤੁ॥

In this way Philosophy of Sikhism started by the Guru Nanak, adopted and promulgated by the successive Gurus up to Sri Guru Gobind Singh Ji Tenth Guru. Composition of Gurbani recited by all Gurus, Bhagats, Bhatts and Gursikhs was compiled by the Fifth Guru Arjan Dev Ji in the form of Sri Guru Granth Sahib Ji which is as earlier said is giving enlightenment to humanity. Its teachings are universal propagating universal brotherhood, love for nature and overall upliftment of whole creation.

Now we shall discuss the main topic i.e. Philosophy of Bani of Sri Guru Teg Bahadur and its significance in modern era. During the life time of Guru Teg Bahadur, the social and political conditions in the society were same as were at the time of Guru Nanak and the present conditions are much more alarming require the attention of right thinking scholars and leaders to wake up and aware the people to face the challenge boldly and work for the upliftment of society in all spheres. Guru Teg Bahaduar appeared in the world in 1621 at Amritsar (Guru Ke Mehl). His father was Guru Hargobind Ji, The Sixth Guru and His mother was Mata Nanaki Ji; He was married to Mata Gujri Ji in the year 1934. He lived with His wife and mother at Bakala (his maternal village) for approximately thirty years. and use to ponder upon Almighty God. The Eighth Guru Harkrishan Ji left this world serving the humanity in Delhi against the small pox and hinted the Sikhs about the next descendent of Guru Nanak's seat of spiritual authority -

"ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗਰਾਮ ਬਕਾਲੇ"

As the Ninth Guru, He left Amritsar and went to Makhowal where he purchased land from the king of Kahloor and laid down foundation of Anandpur Sahib in June 1665. Emperor of Hindustan was Aurangzeb. This mighty "Mughal emperor dreamed of establishing Daru-al-Islam (Islamic State) in the land of Dar-al-Harb (land of infidels). Aurangzeb thought that after he had executed the Sufi Saint Samad, literally Sufism was almost dead. And now if he executed Guru Teg Bahadur his dream of establishing Daru-al-Islam shall be fulfilled.

He was suppressing the rebellions Sikhs by killing their leaders, and he was further humiliating the Brahmins. But he was mistaken. Emerson had correctly said: "The martyr cannot be dishonored. Every lash inflicted is a tongue of flame; every prison a more illustrious abode; every burned book or house enlighten the word; every suppressed or expunged word reverberates through the earth from side to side. Hours of sanity and consideration are always arriving to communities as to individuals when the truth is seen and martyrs are justified'

During his lifetime Guru ji recited 57 sloks and 59 hymns which are recorded in Sri Guru Granth Sahib. Where 57 sloks are recorded in the last portion of Sri Guru Granth Sahib ji from Page 1426 to 1429 and hymns are as per different Ragas on different pages in Sri Guru Granth Sahib. Guru Teg Bahadur was the prophet of the age of crisis. His lifestyle and teachings have great relevance for our present age of intolerance, steep fall down in the standards of political ideologies and governance. Big powerful nations threaten the freedom of smaller nations; military dictators and totalitarian rulers ruthlessly crushing democratic freedom and suppressing the fundamental

rights of their own people; religious and altruistic faith which have sustained people for centuries were fanatically destroyed to impose crude hero-worship and soul-deadening ideologies. At such a time, the message of Guru Teg Bahadur to shed fear, to become conscious of human dignity, to muster unshakable faith and courage, to meet the challenge of the forces of terror and tyranny, comes to us as the message of hope and strength." In one of His sloks as:

ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹਿ ਬਖਾਨਿ॥੬੬॥

He also preached people through His Bani to be afraid of committing sins and refrain from committing atrocities on fellow beings and always remains in company of Almighty God which is always and every time present in our heart;

ਨਰ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰੁ ਰੇ

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਗਲ ਭੈ ਭੰਜਨ ਸਰਨਿ ਤਾਹਿ ਤੁਮ ਪਰੁ ਰੇ॥੧॥

ਰਹਾਉ॥

This unique Savior of the oppressed humanity laid down his life, not for His own faith and doctrines, but for the fundamental rights of Brahmins, the custodians of Hindu religion, to worship the Deity according to their own tradition, culture and formal rites.

ਦੋਹਰਾ

ਠੀਕਰਿ ਫੋਰਿ ਦਿਲੀਸ ਸਿਰਿ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰ ਕੀਯਾ ਪਯਾਨ॥

ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕ੍ਰਿਆ ਕਰੀ ਨ ਕਿਨਹੂੰ ਆਨ॥੧੨॥

Like his predecessors, he preached all his life against Brahmanical rites, wearing the sacred thread, worshipping idols, gods and goddesses, putting on frontal marks to pose as superior caste; yet, when Aurangzeb let loose the stormy oppression, ordering the destruction of Hindu temples, and forcible conversion of Brahmin into Islam, Guru ji not only raised his voice against it, and gave a call to the people to shed all fear, and not submit to tyranny, but he sacrificed his life for the just cause of the helpless Brahmins in particular and of the Hindus in general.

ਤਿਲਕ ਜੰਞੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ॥ ਕੀਨੇ ਬਡੋ ਕਲੂਅ ਮਹਿ ਸਾਕਾ॥

ਸਾਧਨਿ ਹੇਤਿ ਇਤਿ ਜਿਨਿ ਕਰੀ॥ ਸੀਸ ਦੀਆ ਪਰ ਸੀ ਨ ਉਚਰੀ॥੧੩॥

And also

ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ॥

ਸੀਸ ਦੀਆਂ ਪਰ ਸਿਰਰੁ ਨ ਦੀਆ॥੧੪॥

"Guru Teg Bahadur firmly believed that the foremost duty and true test of an apostle savior was to fight for

the human rights and freedoms of the oppressed people irrespective of their creed, their beliefs and ideology. No powerful people in the human world have the right to terrorize and enslave smaller nationalities or people having different ways of life. No ruling authority has the right to impose any particular creed and culture either by force or through tempting indoctrination on any religious or cultural minority. No mighty power or political authority has the right to annihilate or absorb the younger and virile cultures."

Guru Teg Bahadurs martyrdom worked as a miracle in Indian history. It was the beginning of the end of mighty Mughal Empire. It shattered to pieces Aurangzeb's dream of establishing Daru-al-Islam. The remorse of Aurangzeb a few months before his death shows that Guru Teg Bahadur's striving words and unique sacrifice at last moved his conscience when he wrote:

"My years have gone by profitless. God has been in my heart, yet my darkened eyes have not recognized His Light. Life is transient and the lost moment never comes back. There is no hope for me in future. I could not earn goodness but I carry away with me the burden of sins. I know not what punishment be in store for me to suffer. Every torment I have committed, every sin I have inflicted and every wrong I have done I carry the consequence with me".

Last but not the least Guru ji teaching in one of the shabads explains:

ਜੋ ਨਰੁ ਦੁਖ ਮੈ ਦੁਖੁ ਨਹੀ ਮਾਨੈ॥

ਸੁਖ ਸਨੇਹੁ ਅਰੁ ਭੈ ਨਹੀ ਜਾ ਕੈ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ॥!

ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੈ ਨਿਆਰਉ ਨਾਹਿ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ॥

ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਜਗ ਤੇ ਰਹੈ ਨਿਰਾਸਾ॥

.....

ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਸੰਗਿ ਪਾਨੀ॥

One who does not feel mentally upsets or restless in the situation of hardship in life, and considers pleasures, affection and fears shade of mammoth and Gold equivalent to dust, finds and realizes the Almighty God in his heart/ mind, and all around in every particle of universe.

CONCLUSION :-

If we introduce Guru ji martyrdom history and Gurbani compositions in the curriculum of schools, colleges and universities, we can hope to inculcate moral values in every walk of human life and bring in the positive transformation in the social setup and system of governance and make entire humanity, nature and universe as a blissful and prosperous entity in modern era.

Refrence :

1. SGGS, p-411.
2. SGGS, p-145.
3. SGGS, p-1348.
4. SGGS, p-468.
5. Ibid.

6. SGGS, p-139.
7. ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ/ਵਾਰ/ਪਉੜੀ/1/30
8. SGGS, p-471.
9. ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਬਿਾਨ (ਕਤਿਾਬਚਾ), ਸਖਿ ਮਸ਼ਿਨਰੀ ਕਾਲਜ, ਲੁਧਆਿਣਾ, ਫਰਵਰੀ 2017, ਪੰਨਾ-52.
10. Surinder Singh Kohli, The Sword And The Spirit, Ankur Publishing House, New Delhi, March 1997, p-18.
11. Trilochan Singh, Hymns of Guru Teg Bahadur, Delhi Sikh Gurdwara Management Committee, Delhi-6, p. 14- 15.
12. Ibid, p-11
13. SGGS, p-1426.
14. SGGS, p-220
15. Guru Gobind Singh ji, Dasam Granth Bani, Sri Dasam Granth Sahib, p-131.
16. Ibid,
17. Ibid ,
18. Trilochan Singh, Hymns of Guru Tegh Bahadur, p-12.
19. Ibid, p-15.
20. SGGS, p-633.

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
September 2021 Page No. : 170-175

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

वैदिक वाङ्मय में गुरू–शिष्य सम्बन्ध

–प्रतिभा

शोधछात्रा, संस्कृत विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़।

भारतीय समाज में वेदों के प्रति अगाध आस्था एवं श्रद्धा है। वेदों को ईश्वरीय वाणी के रूप में स्वीकार किया जाता है। वेदों को स्वतः प्रमाण स्वीकार करते हुए मनु महाराज करते हैं कि–

अर्थ कामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते।
धर्मजिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः।

अर्थात् जो अर्थ और काम में फंसे हुए नहीं हैं, उन लोगों को धर्म का ज्ञान होता है। जो धर्म के रहस्य को समझना चाहते हैं उन को श्रुति अर्थात् वेद ही सर्वोच्च प्रमाण है।

वैदिक संस्कृति संसार की न केवल प्राचीन संस्कृति है अपितु वह विश्ववरणीया संस्कृति भी है। वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? गुरु–शिष्य सम्बन्ध कैसा था? उसको समझने के लिए वेदों का अध्ययन अत्यावश्यक है। वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था ब्राह्मणों के अधीन थी। ब्राह्मण कर्मणा हुआ करते थे। कर्मच्युत होने पर ब्राह्मण भी शूद्र बन जाते थे। शिक्षा का स्थान गुरुगृह, आश्रम तथा गुरुकुल हुआ करते थे। शिक्षा देने वाले आचार्य अपने शिष्यों को ब्रह्मचर्य की दीक्षा देते थे।

गुरु–शिष्य के सम्बन्ध को समझने से पूर्व गुरु तथा शिष्य को भी समझना चाहिए कि वास्ताव में शास्त्रकार गुरु तथा शिष्य की परिभाषा किस प्रकार करते हैं।

गुरू :–

गुरू के विषय में यास्क ने निरुक्त में इस प्रकार वर्णन किया है– आचार्यः कस्मात्? आचार्य आचारं ग्राहयति। आचिनोत्यर्थान्। आचिनोति बुद्धिमिति वा।

आचार्य को आचार्य क्यों कहा जाये? तो निरुक्तकार यास्क ने कहा आचार्य आचार को ग्रहण कराता है। पदार्थों और शास्त्रों के अर्थों का संग्रह करता है। अथवा बुद्धि संग्रह करता है। आचार्य का लक्षण मनुस्मृति में मनुमहाराज ने इस प्रकार उद्धत किया है–

उपनीयः तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद् द्विजः।
सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्य प्रचक्षते।।

मनु महाराज ने गुरु उसे कहा है जो शिष्य का यज्ञोपवीत संस्कार कराके कल्पसूत्र अर्थात् आचार एवं कला ज्ञान सहित और रहस्य वेदों में निहित गम्भीर सत्यविद्याओं के उद्घाटन सहित अर्थात् निहित गूढ़ तत्वों की व्याख्या सहित वेदों को पढ़ावे उसको 'आचार्य' कहते हैं।

शिष्य :-

शिष्य के पर्यायवाची शब्द अनेको हैं। यथा छात्र, अन्तेवासी, विद्यार्थी ब्रहमचारी आदि। ब्रह्मचारी शब्द की व्युत्पत्ति है ब्रह्मणि वेदे चरिंतु शीलं यस्य सः ब्रह्मचारी जो ब्रह्म में विचरण करते हुए गुरुजनों के सान्निध्य में रहकर विद्याध्ययन करता है उसे ब्रह्मचारी कहा जाता है। उसी प्रकार छात्र कहते हैं 'छत्रं शील यस्य सः छात्रः। जिसका स्वभाव ही गुरूजनों की छत्र–छाया में रहना हो वही छात्र है। मनुस्मृति में वर्णन है कि योग्य शिष्य को ही विद्या देनी चाहिये।

आचार्यपुत्रः शुश्रूषुर्ज्ञानदो धार्मिकः शुचिः।
आप्तः शक्तोऽर्थदः साधुः स्वोऽध्याप्या दश धर्मतः।।

अपने आचार्य का पुत्र, सेवा करने वाला, किसी विषय के ज्ञान का देने वाला, धर्मनिष्ठ व्यक्ति, छल कपट रहित आचरण करने वाला, घनिष्ट मित्र आदि, विद्याग्रहण करने में समर्थ अर्थात् बुद्धिमान पात्र, धन देने वाला, हितैषी, अपना सगा सम्बन्धी ये दश धर्म से अवश्य पढ़ाने योग्य हैं।

गुरु–शिष्य सम्बन्ध अत्यन्त पवित्र सम्बन्ध है। वैदिक साहित्य में गुरु–शिष्य सम्बन्ध को अत्यन्त घनिष्ठ बताया गया। यह सम्बन्ध ब्रह्मचारी विद्यालय (गुरुकुल) में गमन पश्चात् प्रारम्भ होता है। जिसका वर्णन अथर्ववेद में है– आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भभन्तः।

वेद की यह उपमा गुरु और शिष्य के पारस्पारिक सम्बन्ध पर बड़ा प्रकाश डालती है। माँ के गर्भ में रह रहे बच्चे और माँ के सम्बन्ध के मध्य में तीन बाते देखते हैं–

1. जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब तक बाहर का कोई प्रभाव सीधा बच्चा पर नहीं पड़ सकता।
2. जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब माँ का और उसका जीवन एकरूप रहता है वे दो होते हुए भी वस्तुतः एक ही होते हैं।
3. जब तक माँ के गर्भ में बच्चा रहता है। तब तक माँ के अपने गर्भस्थ बच्चे की सर्वांगीण पुष्टि वृद्धि और उन्नति की ही चिन्ता रहती है। उस अवस्था में वह जो भी करती है गर्भस्य शिशु की भलाई को ध्यान में रखकर ही करती है। ऐसा ही सम्बन्ध गुरु और शिष्य का होना चाहिए। अपने शिक्षा काल में शिष्य गुरू के गर्भ रूप शिक्षणालयों में ही निवास करे बाहर नगरों में निवास न करे, उस पर बाहर के लोगों का अवांछनीय प्रभाव न पड़ने पाये, गुरु लोग उसे अपने साथ जहाँ ले जाना चाहे वही जाये। आचार्य जिन लोगों से मिलने की अनुमति दें बच्चे उन्हीं से मिलें। जो दृश्य खेल या तमाशे उन्हें दिखना चाहे उन्हीं को वह देख सकें अर्थात् कथनाभिप्राय है कि गुरुजन शिष्य की उन्नति को ध्यान रखते हुए कार्य करें शिष्य भी गुरुजनों के आदर्श का सम्मान करें। शिष्य और गुरु का इतना मधुर सम्बन्ध जिन संस्थानों आश्रमों में होगा वहाँ कभी अनुशासन भंग की समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती।

गुरु–शिष्य को एक साथ रहने का निर्देश वेद में बताया है–

अमां घृतं कृणुते केवलमाचार्यो
भूत्वा वरुणो, यद्यदैच्छत् प्रजापतौ।
तद् ब्रह्मचारी प्रायच्छत्
स्वान् मित्रो अध्यात्मनः।।

अभिप्राय इस प्रकार है कि आचार्य ब्रह्मचारी के साथ होकर एक घर गुरुकुल में ही, शुद्व (घृत) तेज प्रवाह को अर्थात् ज्ञान प्रवाह को करता है। वह वरूण (पापनिवारक) होकर प्रजापति के काम के लिए जो–जो इच्छा करता है उसे मित्र ब्रहमचारी अपनी आत्मा के अन्दर से अपनी आत्मशक्ति को बल से दे देता है। गुरू–शिष्य दोनों का सम्बन्ध दीर्घकालीन होता है यह केवल गुरुकुलीय जीवन तक ही नहीं अपितु जीवन भर रहता है जब तक कि उनका उद्देश्य पूर्ण नहीं हो जाता। शिक्षा के अन्तिम चरण तक पहुँचना ही दोनों का ध्येय (लक्ष्य) होता है। पर लक्ष्य एक साथ रहकर ही पूर्ण होता है, अन्यथा असम्भव है। गुरु–शिष्य का (अमा) इकठ्ठा एक साथ रहना (एक गुरुकुल में) इस शिक्ष पद्धति का उद्देश्य है। एक साथ रहकर एक ही गुरुकुल बनाकर रहना यही गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का रहस्य है।

गुरु–शिष्य सम्बन्ध के विषय में एक और मन्त्र प्राप्त होता है। जहां गुरु–शिष्य दोनों भिक्षा प्राप्त अन्न के माध्यम से अपना जीवन पूर्णरूपेण संयमी बनाते हुए अध्ययन अध्यापन में उद्यत रहते हैं। मन्त्र इस प्रकार है–

इमां भूमिं पृथिवीं ब्रह्मचारी भिक्षमा जभार प्रथमो दिवं च।
ते कृत्वा समिधावुपास्ते तयोरार्पिता भुवनाति विश्वा।।

अर्थात् प्रथम ब्रह्मचारी इस विस्तृत भूमि को द्यौ को भिक्षा में ले आया है। अब वह उन्हें (अर्थाग्नि में) समिधा बनाकर उपासना करता है। उन्हीं दो द्यौ पृथिवी में सब भुवन विश्व समाया हुआ है।

प्राचीन शिक्षा पद्धति में ब्रह्मचारी भिक्षा पर रहता है। आचार्य तो भिक्षावृत्ति पर ही होता है। श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने विशेषतः इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए सुन्दरतापूर्वक प्रतिपादन किया है कि आचार्य वेतन भोगी नहीं किन्तु भिक्षावृत्ति वाला होना चाहिए। भिक्षावृत्ति का अर्थ है केवल परमेश्वर पर भरोसा करके रहना परमेश्वर का दिया हुआ खाना और अपने लिए नहीं खाना है। उसके लिए यद्यपि ब्रह्मचारी भिक्षाटन का कार्य करता है। ब्रह्मचारी अपने आचार्य के लिए आहरण की हुई सम्पूर्ण भिक्षा को लोकर आचार्य के चरणों में रख देता है और फिर आचार्य द्वारा दी हुई यज्ञशिष्ट हुई प्रसाद रूप भिक्षांश से अपना शरीर पालन करता है।

द्युलोक और पृथिवी लोक को भी यदि भिक्षा में प्राप्त करता है तो भी वह सम्पूर्ण भिक्षा लाकर आचार्य के चरणों में समर्पित करता है। द्यावापृथिवी का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि सम्पूर्ण विश्व तीनों से अतः द्यौ और पृथिवी कहने से सब लोक सब भुवन सम्पूर्ण जगत् सब कुछ आ जाता है।

गुरु–शिष्य के इस घनिष्ठ सम्बन्ध को महर्षि दयानन्द सरस्वती ने संस्कार विधि में इस प्रकार वर्णित किया है– मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु।
मम वाचमेकमना जुषस्व बृहस्पतिष्ट्वा नियुनक्तु मह्यम्।।

अर्थात् 'हे शिष्य बालक! तेरे हृदय को मैं अपने अधीन करता हूँ। तेरा चित्त मेरे चित्त के अनुकूल रहे और तू मेरी वाणी को एकाग्र मन हो प्रीति से सुनकर उसके अर्थ का सेवन किया कर और आज से तेरी प्रतिज्ञा के अनुकूल बृहस्पति परमात्मा तुझको मुझसे युक्त करें। इस प्रतिज्ञा मन्त्र को आचार्य बोलता है।

इसी प्रकार शिष्य भी अपने आचार्य से प्रतिज्ञा करावे कि–'हे आचार्य! आपके हृदय को मैं अपनी उत्तम शिक्षा और विद्या की उन्नति में धारण करता हूँ मेरे चित्त के अनुकूल आपका चित्त सदा रहे। आप मेरी वाणी को एकाग्र होके सुनिए और परमात्मा मेरे लिए आपको सदा नियुक्त रखे।'

आचार्य बालक की रक्षा के लिए कहता है–इन्द्रस्य ब्रह्मचार्यस्यग्निराचार्यस्तवाहमाचार्यस्तव असौ।

अर्थात्–हे ब्रह्मचारी तू यहाँ अकेला नहीं है तेरे साथ तेरी रक्षार्थ आचार्य लोग हैं। तू इन्द्र का ब्रह्मचारी है, अग्नि तेरा आचार्य है। और मैं भी तेरा ही आचार्य हूँ। इस प्रकार ब्रह्मचारी को आत्मबल प्रदान कर आचार्य अपनी छत्र–छाया में उसका पालन–पोषण अध्ययन करता है। गुरु–शिष्य सम्बन्ध प्रगाढ़ता को तैत्तिरोयोपनिषद् इस प्रकार वर्णन करता है।

सह नावतु। सह नौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा. विद्विषावहै।
ओं शान्तिः, शान्तिः, शान्तिः।

अभिप्राय यह है कि हम दोंनों, अर्थात् गुरु तथा शिष्य की परमात्मा साथ–साथ रक्षा करे। हम दोनों साथ–साथ भोजन करें, हम दोनों का पढ़ा–पढ़ाया तेजस्वी हो, हम आपस में कभी द्वेष न करें। गुरु शिष्य दोनों का रहन–सहन एक जैसा ही होना चाहिए। गुरु–शिष्य दोनों संकल्प करके कहते हैं कि हमारा व्यवहार समान हो। इतना ही नहीं अपितु शिष्य तो यहाँ तक कहता है कि हे प्रभु आप मेरी रक्षा करना तथा मुझे उपदेश देने वाले मेरे गुरु की भी रक्षा करना।

मित्र वरुण अर्यमा हमारे लिए कल्याणकारी हो, इन्द्र, बृहस्पति, महापराक्रमी विष्णु हमारे लिए कल्याणकारी हों। ब्रह्म को नमस्कार हो, हे वायु तुझे नमस्कार हो, तू मानो प्रत्यक्ष साक्षात् ब्रह्म है। मैं तुझे ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। हे वायु–रूप प्रत्यक्ष ब्रह्म मेरी रक्षा करो, मुझे उपदेश देने वाले मेरे गुरु की रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ब्रह्म का निर्वचन करने वाले मेरे गुरु की रक्षा करो।

गुरु–शिष्य दोनों मिलकर एक साथ ब्रह्मवर्चस की प्राप्ति करें– सह नौ यशः। सह नौ ब्रह्मवर्चसम्। शब्द ज्ञान कराकर गुरु–शिष्य दोनों मिलकर कहते हैं–सह नौ यशः। सह नौ ब्रह्मवर्चसम्।

हम दोनों का यश एक साथ बढ़े, हम दोनों का ब्रह्मवर्चस् एक साथ बढ़े। गुरु–शिष्य का सम्बन्ध इतना घनिष्ठ कैसे बना है इसका प्रमाण इस प्रकार है–

अथाधिविद्यम्। आचार्यः पूर्वरूपम्। अन्तेवास्युत्तररूपम्।
विद्या सन्धिः। प्रवचनं संधानम्। इत्यधिविद्यम्।

गुरु–शिष्य दोनों के संयोग का माध्यम विद्या होती है–विद्या में महा–सन्धियां क्या है? उसको बताते हैं–विद्या का उद्गम–स्थान 'आचार्य' है, लक्ष्य है अन्तेवासी है, अतः आचार्य पूर्वरूप है अन्तेवासी अर्थात् शिष्य उत्तररूप है। गुरु शिष्य का मेल विद्या द्वारा होता है। अतः विद्या सन्धि विद्या की अभिव्यक्ति प्रवचन से ही है, अतः प्रवचन सन्धान है। वर्णों की संहिता की तरह यह विद्या की महा–संहिता है। विद्या के क्षेत्र आचार्य अन्तेवासी, विद्या तथा प्रवचन मानो एक–एक वर्ण है। जैसे भिन्न–भिन्न वर्णों की सन्धि से एक अभिन्न अक्षर उत्पन्न होता है, वैसे आचार्य, अन्तेवासी, विद्या तथा प्रवचन की महासंधि से महा–संहिता से ब्रह्मज्ञान उत्पन्न होता है। मनुस्मृति में गुरु–शिष्य के व्यवहार इस प्रकार स्पष्ट किया है–

अहिंसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोऽनुशासनम्।
वाक् चैव मधुरा श्लक्ष्णा प्रयोज्या धर्ममिच्छता।।

अर्थात्–धर्म की वृद्धि चाहने वाले मनुष्य को अहिंसा अर्थात् हिंसा हानि, ईर्ष्या–द्वेष, कष्ट प्रदान आदि भावों से रहित होकर विद्यार्थियों या मनुष्यों का अनुशासन प्रशंसनीय और कल्याणकारक होता है, और मधुर तथा

कोमलता वाणी अध्यापन और उपदेश में बोलनी चाहिये।

महर्षि दयान्द ने सत्यार्थ प्रकाश में इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार लिखा है– विद्वान् और विद्यार्थियों को योग्य है कि वैरबुद्धि छोड़के सब मनुष्यों के कल्याण के मार्ग का उपदेश करें और उपदेष्टा मधुर सुशीलता युक्त वाणी बोले। जो धर्म की उन्नति चाहे, वह सदा सत्य में चलें और सत्य का ही उपदेश करें।

गुरु–शिष्य का यह सम्बन्ध अध्ययन–अध्यापन तक ही नहीं सीमित रहता है अपितु अध्ययन की समाप्ति के पश्चात् भी जब विद्यार्थी अध्ययन पूर्ण करके घर जाना चाहता है वह गुरु जी की आज्ञा लेकर गुरुदक्षिणा देकर ही जाना चाहिये।

न पूर्वं गुरवे किंचिदुपकुर्वीत धर्मवित्।
स्नास्यंस्तु गुरुणाऽज्ञप्तः शक्त्या गुर्वर्थमाहरेत्।

शिक्षाधर्म–विधि का ज्ञाता शिष्य स्नातक बनने अर्थात् समावर्तन कराने की इच्छा होने पर गुरु से आज्ञा प्राप्त करके शक्ति के अनुसार गुरु के लिए दक्षिणा प्रदान करे। किन्तु समार्वतन से पहले गुरु को शुल्क दक्षिणा या भेंट रूप में कुछ नहीं देना चाहिये। वैदिक साहित्य के अध्ययन से विदित होता है कि वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था अत्युतम थी। चारित्रिक एवं व्यावहारिक शिक्षा पर बल दिया जाता था। सिद्धान्त की अपेक्षा प्रायोगिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षण कार्य में गुरु प्रमुख होते थे मौखिकी शिक्षा प्रदान करते थे। गुरु त्यागी तपस्वी शान्तचित्त होते थे। शिष्य गुरु के प्रति समर्पण भाव रखते थे। शिष्य को पूर्ण रूपेण गुरु के अनुशासन में रहना होता था। गुरु–शिष्य दोनों का सम्बन्ध अत्यन्त पवित्र एवं प्रगाढ हेाता था। आचार्य माता की भाँति अपने शिष्यों पर स्नेहवृष्टि करते थे वहीं अनुशासन भंग होने पर वरूण एवं यम का रूप भी धारण करते थे। शिष्यों के सर्वविध विकास करके पुष्ट करने के कारण पयः तथा समस्याओं का समाधान करके ओषधि रूप हुआ करते थे।

वर्तमान समय में गुरू शिष्य के समबन्ध में जो वैमनस्य देखने को मिलता है उस का मूलकारण है दोनों ही में तप, त्याग एवं समर्पण भाव का अभाव है। यदि हम वैदिक काल की भांति गुरु और शिष्य दोनों की परीक्षा सैद्धान्तिकी की अपेक्षा प्रायोगिक रखी जाए तथा विद्या व्यसनी, व्यवहार कुशल, बाल मनोविज्ञानविद् आचार्य के अधीन शिष्यों को सौंपा जाए तथा शिष्यों में अनुशासन एवं समर्पण भाव को जागृत किया जाए तथा वैदिक काल की शिक्षा व्यवसथा सभी के लिए शिक्षा निःशुल्क शिक्षा हो। सब का उठना बैठना खाना–पीना पठन–पाठन एक समान हो जाए तो समस्त समस्याएँ समाप्त हो जाएँ। गुरु और शिष्य दोनों का सम्बन्ध में पवित्रता एवं माधुर्य पुनः स्थापित हो सकता है। परस्पर एक दूसरे को बढ़ाते हुए विश्व गुरू के पदवी पर पुनः आरुढ हो सकते हैं तथा महर्षि मनु की घोषणा वर्तमान में भी सत्य सिद्ध हो सकती है।

एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः।
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः।।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1 अथर्ववेद संहिता, ऋषि अंगिरा, वैदिक पुस्तकालय, केशरगंज, अजमेर वि.सं. 2054

2 अष्टाऽध्यायी, महर्षि पाणिनि, हरयाणा साहित्य संस्थान गुरुकुल झज्जर हरयाण, पंचम संस्करण।

3 एकादशोपनिषद् डॉ. सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार, विजय कृष्ण लखनपाल W-77A ग्रेटर कैलाश–1, नई दिल्ली–48

4 निरूक्त भाष्य भाष्यकार–
श्री चन्द्रमणि विद्यालंकार पालीरत्न, हरयाणा साहित्य संस्थान गुरुकुल झज्जर (हरयाणा), वि. सं. 2063

5 पारस्कर गृह्य सूत्र, हरिहर गदाधर, जयराम, वि. सं. 1982, ई. 1925
6 ब्राह्मण की गौ आचार्य अभयदेव विद्यालंकार, विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, 4408, नई सड़क, दिल्ली–110006, प्रथम संस्करण–2010
7 यजुर्वेद संहिता, महर्षि वायु, आर्ष साहित्य संस्थान श्रीमद् दयानन्द वेदार्ष महाविद्यालय 119, गौतम नगर, नई दिल्ली–19, द्वितीय संस्करण।
8 यजुर्वेद याष्यम् (प्रथमो भाग), श्रीमद् दयानन्द सरस्वती, वैदिक पुस्तकालय दयानन्द आश्रम, के शरगंज, अजमेर 305001, वि.सं. 2063
9 वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार, डॉ. सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार, विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द 4408, नई सड़क, दिल्ली–110006, सन् 2011
10 वैदिक सम्पत्ति, पं. रघुनन्दन शर्मा, विजय कुमार गोविन्द राम हासानन्द 4408, नई सड़क, दिल्ली–110006, जुलाई 2003
11 विशुद्ध मनुस्मृति, डॉ. सुरेन्द्र कुमार, आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट 455, खारी बावली, दिल्ली–110006, सन् 1966
12 शिक्षा के दार्शनिक और सामाजिक आधार, डॉ. टी.एस. सोढ़ी, डॉ. हरिन्दर कौर सोढ़ी, बाबा पब्लिकेशनज़ 4141 अर्बन एस्टेट फेज़–2 पटियाला–147002, दूसरा संस्कार–2010
13 सत्यार्थ प्रकाश, महर्षि दयानन्द सरस्वती, श्रीमद् दयानन्द सत्यार्थ प्रकाश न्यास उदयपुर (राज.) 23, जुलाई 2010
14 संस्कार–विधि, महर्षि दयानन्द सरस्वती, वैदिक साहित्य प्रतिष्ठान 2704, गली पत्तेवाली, श्रद्धानन्द बाजार, नया बाजार, दिल्ली–110006, सन्–2012
15 संस्कार चन्द्रिका, डॉ. सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार, विजय कृष्ण लखनपाल W-77A ग्रेटर कैलाश–1, नई दिल्ली–110048, सन् 1999
16. मनुस्मृति 1.132
17. यास्ककृत निरुक्त–1,2, पृ. 15
18. वि. मनुस्मृति–2 115
19. वही, पृ. 131
20. अष्टा. 4/4/62
21. मनु, 2.84
22. अथर्व–11.5.3
23. अथर्व 11.5.15 वैदिक ब्रह्मचर्यगीत पृ. 8
24. अथर्ववेद 11.5.9
25. पारस्कर गृह्यसूत्र–2.2.16
26. संस्कार, वि. उपनयन संस्कार, पृ. 76
27. पार. गृह्य. 2.2.21
28. तैत्ति. ब्रह्मनन्दवल्ली प्रथम अनुवाक्
29. वही शिक्षावल्ली प्रथम अनुवाक्
30. वहीं, शिक्षावल्ली, तृतीय अनुवाक्,
31. मनुस्मृति 2, 134
32. सत्यार्थ प्रकाशः समु. 3
33. मनुस्मृति, 2.220
34. मनु. 1.139

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
September 2021 Page No. : 176-181

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

छायावादी काव्य और रवीन्द्रनाथ टैगोर काव्य में सामान्य जन सामान्य वस्तु के प्रति प्रेम

-Dr. Jhunubala khuntia

Leturer (HINDI), Udayanath (Auto.) College of Sc. & Tech. Adaspur, Cuttack , Odisha

काव्य में सामान्य जन या सामान्य वस्तु के प्रति प्रेम एक स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति है। इसमें कवि की महानता भी है और यथार्थ के प्रति सचेतनता भी होती है। यह रवीन्द्र तथा छायावादी काव्य दोनों में मिलती है। उसके प्रमुख कारण थे–पराधीन भारतवर्ष में साधारण जनता की बिगड़ती हुई आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक स्थिति। सामाजिक कुरीतिओं के कारण भारतीयों के जीवन और विदेशी शासकों के अत्याचार–अनीति के चलते सामान्य जन परेशान था। सामान्य जनता की उपेक्षा के कारण कवि–चिंतकों में हलचल थी। विश्व राजनीति में मार्क्स तथा अन्य समाजवादी चिंतकों के आविर्भाव, सामान्य व्यक्ति और वस्तु के प्रति कवि–चिंतकों की नजर बदली। सामान्य जन तथा वस्तु के प्रति आकर्षण तथा रूझान पश्चिमी स्वच्छंदतावाद का मुख्य कारण था। इस देश की साहित्यिक आबोहवा भी कुछ उसी की ओर दिशा–निर्देश कर रहा था। रवीन्द्र की पैनी नजर हर छोटी वस्तु के प्रति थी। प्रकृति के हर कण के प्रति, पशुपक्षियों के प्रति लगाव का अनुभव करते थे। तब सामान्य जन के प्रति भी उनकी दृष्टि गई। उनकी यह स्वच्छंदतावादी विचारधारा सबको पल्लवित किया। छायावादी कवियों ने भी उससे प्रेरणा ली और एक मानववादी चिंतन विकशित हुआ।

छायावादी काव्य में सामान्य जन सामान्य वस्तु के प्रति प्रेम :-

छायावादी कवियों की चिंतन समाज के निम्न स्तर के व्यक्ति विशेषों पर केन्द्रिभूत होने लगा। क्विधकतर निराला और पंत के काव्य में उसको प्रतिफलित होते हम लक्ष्य कर सकते हैं। उसी तरह प्रसाद और महादेवी ने भी समाज के शोषित वर्ग को तथा सामान्य मानवीय वेदना को अनुभव करते हुए सामान्य जन सामान्य वस्तु के प्रति अपने प्रेम–आकर्षण के भाव को अपने काव्य में अभिव्यक्त किया था। निराला काव्य में भी दीन–हीन गरीब जनता के प्रति समवेदना तथा प्रेम का परिप्रकाश उनके उदात्त–क्रांतिकारी काव्य रूप में होने लगा। मानवतावाद का एक यथार्थपरक दृष्टिकोण जो उनमें शुरू से था, बाद में बड़ा विस्तार प्राप्त किया। उन्होंने शोषक वर्ग की कटु समालोचना करते हुए व्यंग्यपूर्ण काव्य–रचना की। जिसका प्रमाण 'बेला', 'कुकुरमुत्ता', 'नयेपत्ते' में संकलित अनेक कविताओं में मिलता है। छायावादी कवियों में जो स्वातंर्त्य की भावना थी वह समाज की विषमताओं के विरुद्ध लोकमंगल और मानव करुणा के रूप में अभिव्यक्त होने लगी। यह सर्वाधिक निराला के काव्य में अभिव्यक्ति हुई थी। निराला की करुणामयी दृष्टि मात्र 'भिक्षुक' अथवा 'विधवा' पर ही नहीं गई बल्कि 'बादलराग' में सामान्य कृषक पर भी केन्द्रित हुई। निराला का कहना है कि व्यष्टि के विकास से ही समष्टि का विकास होता

है तथा व्यष्टि के पतन से ही समष्टि का पतन होता है। इस हेतु निराला ने व्यष्टि अर्थात साधारण जनता के विकास पर गुरुत्व प्रदान किया था। उन्होंने मानव विकास में अहंभाव को त्याग करने पर भी महत्व दिया था। मानव समाज में समता की स्थापना के लिए उन्होंने क्रांति तथा विरोध के माध्यम को सही माना था। सामान्य जन व्यवहार में जो बात–बात में धोखा, छल–कपट का विस्तार हो रहा था उसे देखकर निराला अत्यंत क्षुब्ध रहा करते थे। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भौतिकताग्रस्त मानव सांसारिक यश चाहे प्राप्त कर ले परंतु न तो उसका वास्तविक उत्थान हो पाता है और न ही ऐसा व्यक्ति समाज कल्याण ही कर पाता है। जन–जन के कवि निराला साधारण जनता को प्राथमिकता प्रदान करते थे और उसके प्रति उपेक्षा प्रदर्शन कर रहे व्यक्ति तथा वर्ग विशेष की घोर निंदा करते थे। सामान्य जनता को महत्व प्रदान करने वाले पाश्चात्य विचारों के साथ प्राचीन भारतीय संस्कृति के उद्धार करते हुए आधुनिक दृष्टि से तथा वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में 'नयेपत्ते' काव्यग्रंथ में संकलित 'चर्खाचला' काव्य में लिखते हैं–

'वर्जिन स्वैल", 'गुड़ अर्थ", अब के परिणाम है। कृष्ण ने भी जमीं पकड़ी, इंद्र की पूजा की जगह/गोबर्धन को पूजायायमानवों को, गायों और बैलों को मान दिया।/हल को बल देब ने हथियार बनाया, कन्धे पर डाले फिरे।/खेती हरी–भरी हुई। यहाँ तक पहुँचते अभी दुनियाँ को देर है।"[१]

इसमें कवि ने तत्कालीन समाज के उच्च वर्ग तथा पदाधिकारी, पूजिपति, जमींदारी समाज को साधारण जनता के महत्व की उपलब्धि कराना चाहा है।

कवि व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, नैतिक तथा चारित्रिक उन्नति के लिए चिंतित दिखाई देते हैं, इसी प्रकार दीनों की दीनता को देख उनका अत्यंत संवेदनशील हृदय मर्माहत होते हुए लिखता हैं–

'सह जाते हो उत्पीड़न की क्रीडा सदा निरंकुश नग्न,/हृदय तुम्हारा दुर्बल होता भग्न, अन्तिम आशा के कानों में/स्पंदित हम सबके प्राणों में अपने उर की तप्त व्यथाएँ,/क्षीण कण्ठ की करुण कथाएँ।"[२]

निराला काव्य में मात्र सामान्य जन ही नहीं परंतु सामान्य वस्तु के प्रति भी आकर्षण के भाव हमें देखने को मिलता है। अत्यंत साधारण वस्तु को महत्व प्रदान करते हुए निराला अपने काव्य में उसे कहीं वर्ण्य विषय के रूप में तो कहीं उसका प्रतीकात्मक रूप में व्यवहार किया है, जैसे कि पकौड़ी, नमक, मिर्ची, कचौड़ी, चूड़ा, पुए, लौकि, आम, लीची, कटहल, जामुन, अरहर, उड़द, कुकुरमुत्ता आदि खाद्य द्रव्यों एवं वस्त्रों में ओढ़नी, धोती, साड़ी, चादर, खेस, कौपीन, लंगोटा, चुनरी, दुकूल, कंचुकी आदि। 'कुकुरमुता', 'गर्म पकौडी' आदि व्यंग्य काव्य में उसी का प्रमाण मिलता है परंतु यहाँ यह प्रतीकात्मक वस्तु रूप में प्रयोग हुआ है।

इसी तरह छायावादी कवियों में पंत की दृष्टि 'युगवाणी' के रचना के दौरान प्रकृति–अध्यात्म–प्रेम–सौंदर्य के जगत से जन–जगत की ओर तथा समाज के निम्नवर्ग की ओर मूड़ा। उनके काव्य में पीड़ित मानव के प्रति सहानुभूति की भावना उनके मार्क्स प्रभावित कविताओं में, काव्य रूपकों में तथा महाकाव्य 'लोकायतन' में प्रकट होती है। पंत काव्य में सामान्य जनता के प्रति आकर्षण के भाव 'युगांत' में भी देखने को मिलता है। सन १९३६ में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के पश्चात भारत में लोकतंत्रीय प्रवृति का विकास होने लगा था। स्वतंत्रता आन्दोलन सर्वजनव्यापी संघर्ष का स्वरूप धारण करने लगा था। उस दौरान भारतीय समाज में लोकतंत्रवादी प्रवृत्तियों के सशक्त एवं विकास के साथ–साथ सामाजिक प्रगति–पथ में बाधक शक्तियों का भी उदय होने लगा था।

'संक्रान्ति' काव्यग्रंथ में संकलित 'गाँव के लड़के' काव्य के निम्न पंक्तियों में मिलेगा। इसमें साधारण जनता के प्रति कवि की समवेदना तथा प्रेम भावना प्रदर्शित हुई है–

'कर्दम में पोषित जन्मजात, जीवन ऐश्वर्य न इन्हें ज्ञात, /ये सुखी या दुखी? पशुओं से जो सोते जगते साँझ प्रात!/इन कीड़ों का भी मनुज बीज, यह सोच हृदय उठता पसीज, /मानव प्रति मानव की विरक्ति उपजाती मन में क्षोभ खीझ!"[३]

पंत के 'स्वर्णधूलि' में संकलित 'पतिता', 'परकीया' और 'श्रमजीवी' आदि काव्यों में सामान्य जन के प्रति समवेदना के भाव लक्ष्य किया जा सकता है। इसमें कवि रूढ़ियों को विरोध कर नवीन प्राण–प्रतिष्ठा करने की आह्वान करते हैं। 'परकीया' काव्य में कवि ने अत्यंत दीन–हीन पतिता नारी (वैश्याओं) के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हुए तथा उनके प्रति दया, संवेदनशीलता का प्रदर्शन करते हुए और समाज को सही दिगदर्शन देते हुए लिखते हैं–

'पंकिल जीवन में पंकज सी शोभित आप देह से ऊपर, /वही सत्य जो आप हृदय से शेष शून्य जग का आड़म्बर, /अतः स्वकीया या परकीया जन समाज की है परिभाषा, /काममुक्त ओ प्रीतियुक्त होगी मनुष्यता मुझको आशा।"[४]

इसी प्रकार महादेवी के रेखाचित्रों में जहाँ मानवता के उपेक्षित अंगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है वहाँ उनकी कविताओं में मानवतावाद का समर्थन भी किया गया है। प्रकृति के विभिन्न उपकरणों के माध्यम से उन्होंने समाज के दलित वगार् के प्रति संवेदना प्रकट की है। यद्यपि रहस्यपूर्ण ढंग से तथा प्रतीकात्मक शैली में कवयित्री ने सामान्य जन के प्रति समवेदना प्रकट किया है परंतु सामान्य जनता के गम्भीर ममत्व–करुणा बोध ही उनके काव्य में वेदनाबोध का मूल कारण रहा है, प्रमाण के लिए पंक्तियाँ प्रस्तुत किया जा रहा है–

'अलि में कण–कण को जान चली/ सबका क्रंदन पहचान चली! /जो आँसू से धुल–धुल उजला, /जो निष्ठुर चरणों का कुचला, /मैं मरू उर्वर में कसक भरे/अणु–अणु का कम्पन जान चली!/प्रति पग को कर लयवान चली!"[५]

प्रसाद काव्य में सामान्य जन, सामान्य वस्तु के प्रति प्रेम आकर्षण का व्यापक अभिव्यक्ति 'आँसू' खंडकाव्य में देखने को मिलता है। यहाँ वे जगती के कण–कण से व्यथा दूर करने का आग्रह करते हैं तो निम्न पंक्तियों में वंचितों की–दुरवस्था को समझने को प्रेरित करते हैं–

'फिर उन निराश नयनों की जिनके आँसू सुखे हैं/उस प्रलय दशा को देखा जो चिर वंचित भूखे हैं।"[६]

प्रसाद ने 'कामायनी' में वर्ग–संघर्ष का जो चित्र खींचा है, अहिंसा के प्रति जो ललक दिखाई है वह उनके सामान्य जन के प्रति प्रेम–आकर्षण के भाव को दर्शाता है।

रवीन्द्रनाथ टैगोर काव्य में सामान्य जन सामान्य वस्तु के प्रति प्रेम :-

रवीन्द्र काव्य में सामान्य जन सामान्य वस्तु के प्रति सदिच्छा, आंतरिक प्रेम, उनके सर्वविध विकास के भाव परिलक्षित होते हैं। विश्वमानवप्रेम का पाठ पढ़ाने वाले इस 'मानवप्रेमी–कवि ने देखा है कि साधारण व्यक्ति उसके असाधारण कर्मवृत्ति हेतु वन्दनीय होता है। कवि की इसी मानव कल्याणकारी चिंतनविधि आज साधारण बर्ग के लोगों के कल्याण के लिए दिगदर्शन का कार्य कर रहा है हम इस बात को नकार नहीं सकते।

मानवप्रेमी रवीन्द्र के मन में जमींदारी कार्य के देखरेख के दौरान साधारण जन के प्रति प्रेम तथा साधारण

कर्म वृत्ति के प्रति अत्यंत श्रद्धा भाव जाग्रत हुआ था। गरीव कृषक तथा साधारण ग्रामीण जनता के सरल, निष्कपट, प्रेम–भक्ति तथा अकृत्रिम भावों के संपर्श में आकर रवीन्द्र उनके प्रति अत्यधिक संवेदनशील वन गए थे।

रवीन्द्र आधुनिक युग के प्रतिनिधि कवि हैं वे इहलोक और मानव–जीवन का विशेष महत्व देकर अपने काव्य के केन्द्र में रखते हैं। साधारण जन–जीवन के कल्याण के लिए उन्होंने उस काल में श्री निकेतन, कलानिकेतन आदि की स्थापना तथा उसकी सुपरिचालना की व्यवस्था की थी जो एक दूर–द्रष्टा का कार्य है। वे अंतिम समय तक मानव सेवा में और मानव–कल्याण के लिए समर्पित रहे। काव्य रचना की दृष्टि से 'प्रभात संगीत', 'सोनारतरी', 'चित्रा', 'चौताली', 'गल्पगुच्छ', 'छवि ओ गान', 'कडि ओ कोमल', 'गीतांजलि', 'जन्मदिने', 'शेषलेखा', 'नवजातक' आदि काव्यग्रंथ में उनके अनन्य मानव–प्रेम तथा विश्वमानव–प्रेम का परिप्रकाश देखने को मिलता है। साधारण जन को ही महत्व दिया है। सर्वश्रेष्ठ कृति रूप में सुविख्यात गीतिकाव्य 'गीतांजलि' के 'धूलामंदिर' में रवीन्द्र के साधारण जन के प्रति प्रेम–आकर्षण का निदर्शन कुछ इस प्रकार है–

'भजन पूजन साधन आराधना समस्त थाक/पड़े रूद्धद्वार देबालयेर कोणे केन आछिल उरे।/अंधकार लूकिये आपन मने काहार तुइ पूजिस संगोपने/नयन मेले देखो देखि तुइ पेये–देबता नाइ धरे।/तिनि गेछेन जेथाय माटि भेंगे करछे चाषा चाष–/पाथर भेंगे काटछे जेथाय पथ, खाटछे बारो मास।/रौद्र जले आछेन सबार साथे, धूला ताहाँर लेगेछे दुइ हाते।"[७]

रवीन्द्र ने सामान्य जन तथा वस्तु के भीतर एक असामान्य गुण तथा प्रतिभा का दर्शन किया है। संसार के हर वस्तु को असाधारण सूक्ष्म दृष्टि में देखते हुए उसमें अन्तर्निहित तत्व तथा सत्ता को उन्होंने अपने 'कणिका' काव्य में पंक्तिबद्ध किया है। गभीर ज्ञान, अनन्य भाव तथा चिंतन का फलस्वरूप 'कणिका' क्षुद्र काव्य ग्रंथ है। 'लेखन' और 'स्फूलिंग' काव्यग्रंथ में भी हमें इसी तरह के काव्य चिंतन देखने को मिलती है। रवीन्द्र के 'कणिका' जैसे क्षुद्र काव्य को यूरोपीय साहित्य में एपिग्राम कहते हैं। इस प्रकार के कविता में अत्यंत साधारण विषय वस्तु को अत्यंत संक्षिप्त परंतु अर्थपूर्ण परिप्रकाश किया जाता है। प्रारंभ में इस प्रकार की कविता का प्रचलन प्राचीन ग्रीस और रोम में था जो वाद में यूरोपीय साहित्य में प्रचलित हुआ। भारतीय साहित्य में इस प्रकार की कविता रचना का प्रचलन हमें संस्कृत के 'उद्भट श्लोक' में और हिंदी के गिरिधर के 'कुड़लियों' में देखने को मिलती है। अत्यंत साधारण वस्तु और कार्यव्यापारों में कवि को गहरे तत्व और सत्य का दर्शन होता है। मनुष्यों में जो भेद–भाव की भावना होती है उस पर कटाक्ष करते हुए कवि ने 'कणिका' काव्यग्रंथ में संकलित 'गृहभेद' काव्य में अत्यंत मार्मिक वर्णन कुछ इस प्रकार किया है–

'आम्र कहे, एकदिन है माकाल भाई, /आछिनु बनेर मध्ये समान सबाई, /मानुष लइया एल आपनार रूचि, /मूल्यभेद शुरू हल साम्य गेल घूचि।"[८]

कवि ने 'उदारचरितानाम' काव्य में समाज में व्याप्त दीन–वंचितों की उपेक्षा जैसी नीच मानसिकता का धिक्कार करते हैं–

'प्राचीरेर छिद्र एक नामगोत्रहीन/फुटियाछे छोटो फूल अतिशय दीन/धिक–धिक करे तारे कानने सबाई, / सूर्ज उठि बले तारे, भालो आछ भाई?"[९]

कवि किसी भी वस्तु को तुच्छ नहीं मानते थे क्योंकि सामान्य वस्तु के भीतर असमान्य संभावना को वे

देख पा रहे थे, इसीलिए वे लिखते हैं –

'जार किछु हेरि चोखे किछु तुच्छ नय/सकलि दुर्लभ बले आजि मने हय।/दुर्लभ ए धरणीर शेशतम स्थान /दुर्लभ ए जगतेर व्यर्थतम प्राण।"[१०]

रवीन्द्र के 'चौताली' काव्यग्रंथ में सामान्य जन सामान्य व्यक्ति के प्रति आकर्षण के भाव परिलक्षित होते हैं। रोजमर्रा के जीवन में घटित घटनावली और सामान्य व्यक्तियों के संपर्क से कवि को जो जीवनाभूति प्राप्त होती रही, उसका वर्णन कवि ने 'चौताली' काव्य ग्रंथ में किया है। ''चौताली' कवि सामान्य जीवन से साक्षात्कार करता है। उसका प्रमाण हमें 'दिदि', 'सामान्य–जन', 'कर्म', 'परिचय', 'पुँट', 'दुइबंधु', 'संगी', 'स्नेहदृश्य', 'अनन्तपथे', 'क्षणमिलन' और 'सती' आदि कविताओं में देखने को मिलता है। 'दिदि' काव्य में कवि एक सामान्य लड़की के असामान्य ह्रदयवृत्ति तथा कर्तव्यपरायणता का दर्शन करते हुए लिखते हैं–

'भरा घट लये माथे, /बामकक्षे थालि, जाय बाला ड़ान हाते/धरि शिशु कर। जननीर प्रतिनिधि,/कर्मभाबे अबनत अति–छोटो दिदि।"[११]

उसी प्रकार साधारण कृषक के जीवन की सामान्यता को लक्ष्य कर कवि ने अत्यंत महनीय वर्णन 'चौताली' काव्यग्रंथ में संकलित 'सामान्य लोक' काव्य में कुछ इस प्रकार किया है–

'एइ लाठि काँखे लये, विस्मित नयान, /चारिदिके घिरि तारे असीम जनता /काड़ाकाड़ि करि लबे तार प्रति कथा।/तार सुख दुःख जत, तार प्रेम स्नेह, /तार पाड़ाप्रतिवेशी, तार निज गेह, /तार क्षेत, तार गोरू, तार चाष–बास,/ शुने शुने किछुतेइ मिटिबे ना आश।/आजि जार जीबनेर कथा तुच्छतम/सेदिन शुनाबे ताहा कबित्वेर सम। "[१२]

पृथ्वी के हर वस्तु के प्रति कवि के मन में आकर्षण का भाव 'पत्रपुट' काव्य में परिदृष्ट होता है। कवि ने साधारण वस्तु में असाधारण तत्व का दर्शन तथा उपलब्धि इस काव्य रचना काल में किया है। उन्होंने क्षुद्र वस्तु तथा उपादानों के बीच मात्र सौंदर्य–विस्मय का उपलब्धि नहीं किया है परंतु उसमें परम सौंदर्यमयी अदृश्य सत्ता को भी उपलब्धि किया है। क्षुद्र वस्तु के प्रति आकर्षण भाव के कारण कवि 'पत्रपुट' के (५) संख्यक काव्य में लिखते हैं–

'एकजोड़ा मोष उदास चोख मेले वये चलेछे बोझाइ गाड़ि/गलाय बाजछे घंटा, चकार पाके पाके टेने तुलछे कातर ध्वनि।/आकाशेर आलोय आज जेन मेठो बाँशिर सुर मेले देउया, /सब जड़िये मन भूलेछे। चेद मंत्रेर छंदे/आबार मन बलले मधुमय एइ पार्थिव धूलि।"[१३]

रवीन्द्र ने क्षुद्र वस्तु तथा दृश्यों में गभीर आत्मीयता का बोध अनुभव किया है। क्षुद्र में महानता का अनुभव कवि अपने काव्य में किया है।

परवर्ती समय में कवि के मनुष्यता के प्रति अपार श्रद्धा 'कथा' एवं 'कहानी' काव्यग्रंथ में पूर्ण रूप से प्रकाशित हुआ है। कवि ने जगत जीवन के प्रति एक सकरात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए इन काव्यों में मनुष्य जीवन को बृहत सार्थकमय तथा तात्पर्यपूर्ण किया है।

अतः छायावादी प्रमुख कवि निराला, पंत, महादेवी, प्रसाद और विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर के काव्य में सामान्य जन और सामान्य वस्तु के प्रति प्रेम का स्पष्ट निदर्शन और उसमें दिव्यता का दर्शन आज इस सामाजिक दूरता फैलाने वाली महामारी के काल में अन्ततरू लोगों की नजरिया को बदलने में सहायक सिद्ध होगी। इन

कालजयी कवियों के काव्य–पठन से लोगों में सहृदयता, संवेदनशीलता और प्रेम का भाव अवश्य जागृत करेगी तथा सृष्टि के हर कण में परमात्मा का दर्शन कर उसके प्रति भी प्रेम भाव भी पैदा करेगी।

संदर्भ सूची :-

१. नवल नंद किशोर, तृतीय संस्करण–१९९२, निराला रचनावली–२, राजकमल प्रकाशन प्रा.लि., नई दिल्ली, पृष्ठ–१८६

२. नवल नंद किशोर, तृतीय संस्करण–१९९२, निराला रचनावली–१, राजकमल प्रकाशन प्रा.लि., नई दिल्ली, पृष्ठ–१३६

३. विमल कुमार, प्रथम प्रकाशन–२००६, सुमित्रानंदन पंत रचना संचयन, साहित्य अकादेमी, पृष्ठ–३३७

४. क्षेम, नवम्बर १९५६, छायावाद के गौरव–चिन्ह, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वारणासी, पृष्ठ–५३

५. पाण्डेय रामजी, प्रथम संस्करण–१९८३, महादेवी प्रतिनिधि कविताएँ, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, पृष्ठ–१७७

६. प्रसाद रत्नशंकर, प्रथम प्रकाशन–वैकमाब्द २०४९, प्रसाद वाङ्मय (रचनावली) प्रथम खंड,प्रसाद प्रकाशन, वाराणसी, पृष्ठ–३८८

७. ठाकुर रवीन्द्रनाथ, षष्ठ संस्करण, १३५३ साल, जेष्ठ, संचयिता, विश्वभारती शान्तिनिकेतन, पृष्ठ–५१०

८. ठाकुर रवीन्द्रनाथ, षष्ठ संस्करण, १३५३ साल, जेष्ठ, संचयिता, विश्वभारती शान्तिनिकेतन, पृष्ठ–२८९

९. ठाकुर रवीन्द्रनाथ, षष्ठ संस्करण, १३५३ साल, जेष्ठ, संचयिता, विश्वभारती शान्तिनिकेतन, पृष्ठ–२९०

१०. सेन शचीन, द्वितीय संस्करण, अश्विन १३४६, रवीन्द्र साहित्येर परिचय, ए मूखार्जी एण्ड को.कलिकाता, पृष्ठ–१२३

११. ठाकुर रवीन्द्रनाथ, षष्ठ संस्करण, १३५३ साल, जेष्ठ, संचयिता, विश्वभारती शान्तिनिकेतन, पृष्ठ–२८१

१२. ठाकुर रवीन्द्रनाथ, अग्रहायण १३४७, रवीन्द्र रचनावली, पंचम खंड़, विश्वभारती, कलिकता, पृष्ठ–१३

१३. भट्टाचार्य उपेन्द्रनाथ, प्रामाणिक प्रहल्लाद कुमार, चतुर्थ संस्करण, श्रावण १३७२, रवीन्द्र काव्य परिक्रमा, श्यामाचरण दे स्ट्रीट, कलिकता, पृष्ठ–३७७

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
September 2021 Page No. : 182-185

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

समायोजन उदाहरण व उद्धरण

–प्रो. बी.एल.जैन

विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, जैन विश्व भारती संस्थान, लाडनूं, नागौर (राजस्थान)

शोध सारांश :–

जीवन में समायोजन अत्यंत आवश्यक है। प्राणी जन्म के बाद वातावरण के साथ समायोजित होने का प्रयास करता है। समायोजन के अभाव में प्राणी जीवित नहीं रह सकता। समायोजन अनुकल व प्रतिकूल के रूप में परिलक्षित होता है। समायोजन शब्द जीव विज्ञान के अनुकूलन का पर्याय है। समायोजन गतिशील प्रक्रिया, चुनौतियों का समाधान, दो अवस्थाओं का संतुलन, परिस्थितियों में संतुलन, आवश्यकताओं की पूर्ति, व्यक्ति का वातावरण के साथ सामंजस्य है। समायोजन के व्यावहारिक उदाहरण व उद्धरण से व्यक्ति इस सम्प्रत्यय को सरलता से आत्मसात कर सकता है। इसलिए इस शोधपत्र में समायोजन के अनुभवात्मक पक्षों को उदाहरण व उद्धरण से सटीक रूप में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है।

मूल शब्द :– तालमेल, वातावरण, संतुष्टि, मिठास, समंजन, आवश्यकता की पूर्ति, लक्ष्य की पूर्ति, परिस्थिति।

प्रस्तावना :–

जिस प्रकार किसी मशीन के कलपुर्जे आपस में मिलकर मशीन को संचालित करते हैं। एक छोटा सा पुर्जा भी मशीन को गड़बड़ कर सकता है। यथा कार में एक छोटी सी नलिका ट्यूब से हट जाती है तो पूरी कार को चलने से रोक सकती है। उसी प्रकार व्यक्ति के विभिन्न लोगों के साथ सामंजस्य ही उसके अस्तित्व को बनाए रखने में समर्थ होता है। मनुष्य का समंजन तो मशीन के समंजन से भी बढ़–चढ़कर होता है, क्योंकि व्यक्ति में संवेदनशीलता सूक्ष्मशीलता, सूक्ष्मग्रहीता एवं सृजनशीलता की क्षमताएं है। ये प्राणी से उत्तम कोटि की होती है। अतः मनुष्य को वातावरण के साथ समायोजन करना होता है।

तालमेल :–

घर में रहने वाले स्त्री–पुरुष हो, शिक्षक–छात्र हो, कार्यालयों तथा प्रतिष्ठानों में कार्यरत जूनियर –सीनियर हो, डॉक्टर हो या इंजीनियर सभी समंजन की प्रक्रिया से गुजरते हैं। कार्यक्षेत्र में कड़वाहट के बजाय मिठास, खटकाव एवं तनाव के बजाय तालमेल, मानसिक तोष तथा अपनी जिंदगी को बोझ बनाने की अपेक्षा उसे एक आकर्षक चुनौती के रूप में जीने की कला सीख लेते हैं। किसी डांस ग्रुप में किसी एक का तालमेल नहीं बैठता है तो हम उसे निकाल देते हैं क्योंकि उनके साथ उसका तालमेल नहीं बैठा था।

वातावरण :–

शहर की लड़की का गांव में नव वधु के रूप में रहना तथा गांव की लड़की का शहर में नव वधु के रूप में रहना समायोजन है। यहाँ अलग–अलग वातावरण में समायोजित होना है। गर्मी के वातावरण में पंखे, कूलर आदि से समायोजित होते हैं, सर्दी के वातावरण में पंखे कूलर को बंद रख के शरीर को समायोजित करते हैं। व्यक्ति का वातावरण के साथ अनुकूलन बैठाना समायोजन है।

संतुष्टि :–

किसी वधु को परिवार के अलग होने पर किसी सामान का हिस्सा नहीं मिलने पर कुंठाग्रस्त हो जाती है। वह अपनी सास को वैरायटी की गाली देकर बुराइयां करके यथा उसकी तो बहन भी ऐसी है, उसके तो घर वाले भी ऐसे हैं, ऐसा कहकर आंतरिक वातावरण से मन को समायोजित करती है।

मीरा को उसका देवर जहर देकर मारने से समायोजित हो रहा था और मीरा ने उसे अमृत मानकर पी लिया। एक बालक अर्द्ध वार्षिक परीक्षा में अपना लक्ष्य कक्षा में प्रथम स्थान का बनाता है लेकिन प्रथम स्थान में न आकर द्वितीय स्थान आता है। वह निराशा और असंतोष मानसिक तनाव और संवेगात्मक संघर्ष का अनुभव करता है, ऐसी स्थिति में वार्षिक परीक्षा में और कठिन मेहनत करता है और पुनः प्रथम स्थान पाना अपना लक्ष्य बनाता है। यदि वह लक्ष्य पा लेता है तो समंजन, नहीं पाता है तो कुसमंजन है।

मिठास :–

किसी दिन कॉलेज में छह बजे तक रुकना पड़ा तो हम घर पर फोन करके सूचना क्यों देते हैं? ताकि उनका आपके प्रति विश्वास व मिठास बना रहे तथा घरवाले लेट पहुंचने पर समंजन हो सके।

समंजन :–

"दुनिया से हीरे मांगे थे, लेकिन मिले कांच के टुकड़े।

फिर भी हमने उन्हें मिलाकर एक अच्छा आईना बना लिया।।"

"रात को दारू पिया तो रात कट गई, सुबह का हिसाब किया तो सांस रुक गई।"

"ऐसा शिला दिया तूने मेरे प्यार का।"

यह प्यार के असमयोजित होने के बारे में संकेत मिलते हैं। ससुराल जाने पर लड़की रोती क्यों है? समंजन होने के लिए।

शिक्षण कराने वाले शिक्षक से छात्र समायोजित है या असमायोजित यह छात्र के समंजन पर निर्भर करता है। पाठ्यक्रम बी.एड. में एम.एड का रख दिया जाए और आपकी फीस दोगुनी कर दी जाए तो क्या होगा? छात्र असमायोजित होंगे। एक मां अपने बालक को प्रथम बार विद्यालय भेजने पर उसके समायोजन हेतु चिंतित रहती है। सेवा मुक्त व्यक्ति अपने आगामी जीवन में समायोजन हेतु उपबोधन की आवश्यकता का अनुभव करता है।

आवश्यकता की पूर्ति :–

जीवन में हमारे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं यथा समाज में

प्रतिष्ठा, सम्मान, प्रशंसा यदि वे मिल जाती है तो समंजन और नहीं मिलती है तो कुसमायोजन। आवश्यकता दो प्रकार की होती है– कुछ जन्मजात होती है जैसे भूख, प्यास, नींद, काम, मल–मूत्र त्याग तथा कुछ अर्जित आवश्यकता होती है यथा उपलब्धि, अनुमोदन, आक्रामकशीलता, सत्ता व संबंधन आदि की आवश्यकता।

भूख की आवश्यकता अमाशय खाली होने पर पेट में दर्द, प्यास लगने पर मुंह में गीलापन की कमी होती है। इसकी पूर्ति होने पर हम समायोजित हो सकते हैं। जीवो में अपनी जातियों के साथ रहने की प्रवृत्ति होती है, इसी कारण प्रत्येक प्राणी अपने समुदाय में रहने का व्यवहार करता है, अतः संबंधन की आवश्यकता होती है। सास बहू पर अपनी सत्ता बनाने का प्रयास करती है, वह सत्ता जमा लेती है तो उसकी सत्ता की आवश्यकता पूर्ण हो जाती हैं। अधिक सामग्री एकत्र करना यह लोग दूसरों पर समायोजन का प्रयास करते हैं, ऐसा करके वे अपने आपको समायोजित करते हैं। बच्चे तथा किशोरों में अनुमोदन की आवश्यकता अधिक होती है वे उसे पाकर समायोजित हो जाते हैं।

लक्ष्य की पूर्ति :–

एक बालक किसी संस्थान में मेडिकल कोर्स में प्रवेश पाने के लिए अथक परिश्रम करता है, उसे सफलता मिल जाती है तो समायोजन अन्यथा वह लक्ष्य में परिवर्तन करके किसी दूसरे संस्थान में प्रवेश लेता है। बी.एड. में स्वयं के चयन के हिसाब से कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलता है, तो हम क्या करते हैं या तो अन्य कॉलेज में प्रवेश लेते हैं या बी.एड. नहीं करके समायोजित होते हैं। सभी व्यवहार प्रेरकों पर आधारित होते हैं। प्रेरक के मूल में आवश्यकताएं होती है। हम प्रतिदिन सोना, जागना, चिंतन करना, चलना, बैठना आदि विभिन्न क्रियाएं क्यों करते हैं? इन्हें आवश्यकताओं से प्रेरित होकर मनुष्य लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। लक्ष्य प्राप्ति हो जाती है तो समायोजन, लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती है तो तनाव रहता है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिसकी प्राप्ति में बाधाएं आती है। जो बाधा अप्रिय अनुभूति की होती है वह कुंठा है।

पाठ्यक्रम के किसी विषय के कठिन लगने पर, विद्यालय में पढने में मन नहीं लगने पर विद्यार्थी असमायोजित रहते है। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन कर अपने वातावरण में सामंजस्य स्थापित करता है।

परिस्थिति :–

परिस्थिति के अनुसार स्वयं में ढालने या विपरीत परिस्थिति में स्वयं को ढालना समायोजन है। प्रत्यक्ष समायोजन के तीन विकल्प है– उस परिस्थिति को परिवर्तित कर देना एवं स्वयं परिस्थिति में ढलना या परिस्थिति से स्वयं को दूर कर लेना।

निष्कर्ष :–

समायोजन में प्राणी को विभिन्न वातावरण, विविध कार्य क्षेत्र, विभिन्न लोगों के साथ तालमेल बैठाना, लोगों के साथ मधुर, स्नेह एवं मिठास पूर्ण तरीके से बातचीत करना, परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालना, मूलभूत आवश्यकताओं व लक्ष्य की पूर्ति समय पर करना, समस्याओं के समय धैर्य से समाधान ढूढना, समायोजन हेतु

विविध युक्तियों जैसे दृबाधा उन्मूलन, संयुक्तिकरण, आवश्यकताओं की प्राथमिकताएँ में परिवर्तन, लक्ष्य परिवर्तन, मार्गान्तीकरण, शोधन, औचित्य स्थापन, प्रक्षेपण विनिवर्तन, प्रतिगमन, आत्मीकरण, आक्रमकता, दमन, दिवास्वप्न, क्षतिपूर्ति, निर्भरता, आदि युक्तियों को अपनाकर प्राणी समायोजित हो सकता है। असमायोजित व्यक्ति अनेक बीमारी का शिकार हो जाता है, समायोजित व्यक्ति सदैव प्रसन्न, खुश और स्वस्थ रहता है। व्यक्ति वातावरण के साथ अंतक्रिया करता है। जीवन सुख–दुःख का मिश्रण है। वातावरण के साथ अनुकूलन होने पर समायोजित हो जाता है और अपने आप को सुखी महसूस करता है। वातावरण के साथ प्रतिकूल होने पर असमायोजित हो जाता है और अपने आप को दुखी महसूस करता है। व्यक्ति को वातावरण के साथ अंतक्रिया करनी होती है, अंतक्रिया में समायोजित होना समायोजन है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. श्रीवास्तव, डी.एन. व वर्मा, प्रीती संशोधित संस्करण (2014). बाल मनोविज्ञान रू बाल विकास, श्री विनोद पुस्तक मंदिर आगरा।
2. वर्मा, एल.एन. (2014). प्रयोगात्मक शिक्षा मनोविज्ञान, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर।
3. अस्थाना, मधु एवं वर्षा, किरण बाला (2012). व्यक्तित्व मनोविज्ञान, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, 221009
4. समणी, ऋजु प्रज्ञा, नवीन संस्करण (2011). व्यक्तित्व विकास और योग, जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय, लाडनूं–341306 (राजस्थान)
5. पाल, हंसराज (2006) प्रगत शिक्षा–मनोविज्ञान, हिन्दी माध्यम कार्यन्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
September 2021 Page No. : 186-189

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોની શૈક્ષણિક સમસ્યાઓનો અભ્યાસ

ડૉ.વિષ્ણુકુમાર એન. પ્રજાપત

આસિ.પ્રોફેસર બી.એડ.કોલેજ અંદ્રોખા

૧.સાર સંક્ષેપ :

પ્રસ્તુત સંશોધનમાં પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોની શૈક્ષણિક સમસ્યાઓનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો જેમાં પ્રાથમિક શાળા માં સેવારત શિક્ષક ની શૈક્ષણિક સમસ્યાઓ જાણવા માટેનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો .જેમાં સંશોધક ધ્વારા સ્વરચિત પ્રશ્નાવલીની રચના કરવામાં આવી અને રૂબરૂ જઈને માહિતી એકત્રીત કરવામાં આવી મેળવેલ માહિતી ને ટકાવારી માં સારણીાં રજૂ કરવામાં આવી અને તેના ઉપરથી શૈક્ષણિક સમસ્યાઓના તારણો કાઢવામાં આવ્યા હતા કે કેટલાક શિક્ષકોને તેમની આવડતના કારણે , કેટલાક શિક્ષકોને માર્ગદર્શનના અભાવના કારણે , કેટલાક શિક્ષકોને વિદ્યાર્થીઓના સહકારના અભાવના કારણેશૈક્ષણિક સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડતો હતો .

૨.ચાવીરૂપ શબ્દો :

પ્રાથમિક શાળા :–

મુબઈ પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિનિયમ –૧૯૪૭ અનુસાર પ્રાથમિકશાળા એટલે ધોરણ ૧ થી ૭ નું શિક્ષણ આપતી શાળા. પ્રસ્તુત સંશોધનમાં પ્રાથમિક શાળા એટલે ધોરણ ૧ થી ૮ સુધીનું શિક્ષણ આપતી સંસ્થા. (**RTE – 2009** અંતર્ગત)

૩. પ્રસ્તાવનાઃ

પ્રાચીન સમયમાં શિક્ષણની એક મુખ્ય વિશેષતા – ગુરૂકુલ પ્રણાલી હતી.ગુરૂકુલમાં ગુરૂ દ્વારા ધર્મ અને વેદોનુ શિક્ષણ આપવામાં આવતું હતું.વિદ્યાર્થીએ ગુરૂકુલમાં રહીને વિદ્યાભ્યાસ કરવાનો રહેતો હતો. પ્રાચીન સમયમાં ગુરુ એ જ્ઞાનપ્રાપ્તિ માટેનું એક માત્ર સ્ત્રોત હતા.તેમને વિદ્યા કંઠસ્થ હતી.મુદ્રિત પુસ્તકો નહોતા. આથી કંઠોપકંઠ વિદ્યાર્થી જ્ઞાન મેળવતો તેથી ગુરુ પર જ અધ્યયન માટે આધાર રાખવો પડતો તેથી શિક્ષણ પરંપરામાં ગુરુનું સ્થાન વિશિષ્ટ હતું .ગુરુ દ્વારા વિદ્યાર્થીના ચારિત્રનું ઘડતર,વ્યકિતત્વનો વિકાસ,સામાજિક કુશળતા,રાષ્ટ્રીય સંસ્કૃતિનુ જતન અને સામાજિક ફરજોનું પાલન કરવું વગેરે બાબતો શીખવવામાં આવતી.સામાજિકરણની પ્રક્રિયા અને માનવીય મૂલ્યોના હસ્તાતરણ માટે શિક્ષણ એ ખૂબજ અગત્યની બાબત છે. શિક્ષણ વ્યકિતને વાસ્તવિક શકિતઓથી સંપૂર્ણ બનાવે છે. શિક્ષણ ધ્વારા માનવીના વ્યકિતત્વના વિકાસને યોગ્ય દિશાસુચન મળી રહે છે.

૪. સમસ્યા વિધાનઃ

"પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોની શૈક્ષણિક સમસ્યાઓનો અભ્યાસ"

૫. સંશોધનના હેતુઓઃ

પ્રસ્તુત સંશોધનના મુખ્ય હેતુઓ આ પ્રમાણે રહેશે.

૧. પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોની શૈક્ષણિક સમસ્યાઓનો અભ્યાસ કરવો.

૨. પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોની શૈક્ષણિક સમસ્યાઓ જાણવા માટે પ્રશ્નાવલીની રચના કરવી.

૬. સંશોધન પ્રશ્ન :

પ્રસ્તુત સંશોધનમાં સંશોધનના હેતુઓને અનુરૂપ નીચે પ્રમાણે શોધ પ્રશ્નની રચનાં કરવામાં આવી.

૧. પ્રાથમિકશાળાના શિક્ષકો કઈ કઈ શૈક્ષણિક સમસ્યાઓ અનુભવે છે.?

૭. સંશોધન ક્ષેત્રઃ

પ્રસ્તુત સંશોધનમાં સંશોધક ધ્વારા પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોની શૈક્ષણિક સમસ્યાઓનો અભ્યાસ કરવામાં આવેલ છે તેથી આ સંશોધનના ક્ષેત્ર તરીકે શૈક્ષણિક વ્યવસ્થાપન અને સંચાલન રહેશે.

૮. સંશોધન પ્રકારઃ

પ્રસ્તુત સંશોધન વ્યાવહારિક પ્રકારનું અને સંખ્યાત્મક અને ગુણાત્ક પ્રકારનું છે.

૯. સંશોધનની મર્યાદાઃ

૧. પ્રસ્તુત સંશોધનમાં સાબરકાંઠા જિલ્લાની જ ગુજરાત રાજય દ્વારા સંચાલિત ગુજરાતી માધ્યમની પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોનો જ વ્યાપવિશ્વમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે.

૨. પ્રસ્તુત સંશોધનમાં માહિતી એકત્રીકરણ ઉપકરણ અભિપ્રાયવલિ સંશોધક દ્વારા જ તૈયાર કરવામાં આવી તેથી તેમાં પણ કચાસ રહી શકે છે.

૧૦. સંશોધનનું મહત્ત્વઃ

પ્રસ્તુત સંશોધનમાં પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોની શૈક્ષણિક સમસ્યાઓને જાણવામાં આવશે.જેને ટકાવારીમાં રજૂ કરવામાં આવેલ જેના આધારે પ્રસ્તુત સંશોધનનું મહત્ત્વ આ મુજબનું રહેશે.

પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોની શૈક્ષણિક સમસ્યાઓ જાણવા અભિપ્રાયવલિ પર મળેલા પ્રાપ્તાંકો પરથી ટકાવરીના આધારે શિક્ષકો કઈકઈ શૈક્ષણિક સમસ્યાઓ અનુભવે છે તે જાણવા મળશે તે બાબત આ સંશોધન દ્વારા જાણવામાં મદદ મળી રહેશે.

૧૧.સંશોધન કાર્ય પદ્ધતિ :

૧. વ્યાપવિશ્વઃ

પ્રસ્તુત સંશોધનમાં સાબરકાંઠા જિલ્લાની ગુજરાત સરકાર દ્વારા સંચાલિત સરકારી પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકો પ્રસ્તુત અભ્યાસનું વ્યાપવિશ્વ છે .

૨. નમૂના પસંદગીઃ

પ્રસ્તુત સંશોધનમાં સ્તરીકૃત યાદચ્છિક નમૂના પસંદગીની રીતથી નમૂનો પસંદ કરવામાં આવ્યો.તેમાં ઈડર તાલુકાની પસંદગી પામેલ શાળાઓના ૧૦૦ શિક્ષકોને પ્રસ્તુત સંશોધનના નમૂનાના પાત્રો બનાવવામાં આવ્યા હતા.

૩. ઉપકરણઃ પ્રસ્તુત સંશોધનનો હેતુ પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોની શૈક્ષણિક સમસ્યાઓ જાણવા અભિપ્રાયવલિની રચના કરવામાં આવી .

૪. સંશોધન પદ્ધતિઃ

પ્રસ્તુત સંશોધનમાં સર્વેક્ષણ હાથ ધરવામાં આવેલ તેથી પ્રસ્તુત સંશોધન પધ્ધતિ સર્વેક્ષણ પધ્ધતિ હતી.

૫. માહિતી એકત્રીકરણઃ

માહિતી એકત્રીકરણ માટે નમૂનામાં પસંદ થયેલી પ્રાથમિક શાળાઓના શિક્ષકો પાસે રૂબરૂ જઈ માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવી.મળેલમાહીતી ને ટકાવરી માં રજૂ કરવામાં આવી.

૧૨. માહિતીનું પૃથક્કરણઃ

માહિતીનું એકત્રીકરણ કર્યા બાદ તેનું વિશ્લેષણ કરવું પણ ઘણું જ અગત્યનું છે. ઈડર તાલુકાની પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકો પાસેથી એકત્ર કરેલી માહિતીનો વિસ્તૃત રીતે અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો અને સ્પષ્ટ ચિત્ર પ્રાપ્ત થયા બાદ તે માહિતીનું વિશ્લેષણ ટકાવારી વડે કરવામાં આવ્યું.

પ્રાથમિકશાળાના શિક્ષકો કઈ કઈ શૈક્ષણિક સમસ્યાઓ અનુભવે છે.?

ક્રમ	પ્રશ્નો	શિક્ષકોની સંખ્યા		કુલ	શિક્ષકોની ટકાવારી	
		હા	ના		હા	ના
૧	તમને આધુનિક શૈક્ષણિક સામગ્રીનો ઉપયોગ કરતાં આવડે છે? (કોમ્પ્યુટર...વગેરે)	૫૦	૫૦	૧૦૦	૫૦	૫૦
૨	તમારી શાળામાં પૂરતા પ્રમાણમાં આધુનિક શૈક્ષણિક સામગ્રી છે?	૮૦	૨૦	૧૦૦	૮૦	૨૦
૩	તમે શિક્ષણકાર્યમાં આધુનિક શિક્ષણ સામગ્રીનો વિનિયોગ કરો છો ?	૬૦	૪૦	૧૦૦	૬૦	૪૦
૪	આચાર્ય ધ્વારા તમને શૈક્ષણિક પધ્ધતિમાં સુધાર અંગે માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે ?	૪૦	૬૦	૧૦૦	૪૦	૬૦
૫	આચાર્ય ધ્વારા તમને સહઅભ્યાસ પ્રવૃતિનું માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે ?	૫૦	૫૦	૧૦૦	૫૦	૫૦
૬	તમને પુસ્તકાલયનો ઉપયોગ કરવા દેવામાં આવે છે ?	૧૦૦	૦૦	૧૦૦	૧૦૦	૦૦
૭	તમને કોમ્પ્યુટર લેબનો ઉપયોગ કરવાની સમાન તક મળે છે ?	૫૬	૪૪	૧૦૦	૫૬	૪૪
૮	વિદ્યાર્થીઓ તમને શિક્ષણકાર્યમાં નવિન પ્રયોગ કરવામાં મદદરૂપ થાય છે ?	૫૫	૪૫	૧૦૦	૫૫	૪૫
૯	વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણકાર્યમાં નવિન પ્રયોગ કરવાથી રસ જાગ્રત થાય છે ?	૭૫	૨૫	૧૦૦	૭૫	૨૫
૧૦	આચાર્ય અને અન્ય શિક્ષકમિત્રો તમને શિક્ષણકાર્યમાં નવિન પ્રયોગ કરવામાં મદદરૂપ થાય છે ?	૬૭	૩૩	૧૦૦	૬૭	૩૩

૧૩. તારણો :

ઉપયુકત સારણી પરથી નીચે મુજબના તારણો કરી શકાય છે.

૧. ૫૦ % શિક્ષકોને આધુનિક શૈક્ષણિક સામગ્રીનો ઉપયોગ કરતાં આવડતો નથી. (કોમ્પ્યુટર...વગેરે)

૨. ૨૦ % શાળામાં પૂરતા પ્રમાણમાં આધુનિક શૈક્ષણિક સામગ્રી નથી.

૩. ૪૦ % શિક્ષકો શિક્ષણકાર્યમાં આધુનિક શિક્ષણ સામગ્રીનો વિનિયોગ કરતા નથી.

૪. માત્ર ૪૦ % આચાર્ય ધ્વારા જ શૈક્ષણિક પધ્ધતિમાં સુધાર અંગે માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે.

૫. માત્ર ૫૦ % આચાર્ય ધ્વારા જ સહઅભ્યાસ પ્રવૃતિનું માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે .

૬. માત્ર ૫૬ % શિક્ષકોને કોમ્પ્યુટર લેબનો ઉપયોગ કરવાની સમાન તક મળે છે .

૭. માત્ર ૬૭ % શિક્ષકોને આચાર્ય અને અન્ય શિક્ષકમિત્રો તમને શિક્ષણકાર્યમાં નવિન પ્રયોગ કરવામાં મદદરૂપ થાય છે.

૧૪. ઉપસંહાર :

આમ પ્રસ્તુત સંશોધન ધ્વારા જાણવા મળ્યુ કે શિક્ષકોને કેટલેક અંશે શૈક્ષણિક સમસ્યાઓ છે જે કેટલીક પ્રસાસનના કારણે,વિદ્યાર્થીઓના કારણે , સાથી મિત્રોની મદદના અભાવે ,માર્ગદર્શનના અભાવે તથા આવડત ન હોવાથી તેઓ આ સમસ્યાઓનો અનુભવ કરી રહયા છે જેમાં શિક્ષણમાં આધુનિક સાધનોનો ઉપયોગ કરવાની સમસ્યા, આચાર્યશ્રીના માર્ગદર્શનની સમસ્યા, લેબના ઉપયોગની સમાન તકની સમસ્યા , નવતર પ્રયોગ કરવામાં વિદ્યાર્થીઓની ઉદાસીનતાની સમસ્યા વગેરે શૈક્ષણિક સમસ્યાઓ પ્રસ્તુત સંશોધન ધ્વારા સંશોધકને જાણવા મળી.

૧૫. સંદર્ભ :

1. **નટુભાઈ વી. રાવલ , 'અધ્યેતાનો વિકાસ અને અધ્યાપન અધ્યયન પ્રક્રિયા, અમદાવાદ, નીરવ પ્રકાશન, (૨૦૧૦), પૃ.૭૮**

2. **કે.જી. દેસાઈ અને આર.પી. શાહ , 'શૈક્ષણિક પરિભાષા અને વિભાવના', અમદાવાદ, દેસાઈ કેશુભાઈ , (૧૯૮૪) , પૃ.૧૩૦**

3. **ડૉ. સી.કે.પટેલ , ' પ્રાથમિક શિક્ષણ ની સમસ્યાઓ', અમદાવાદ , ગુર્જર પ્રકાશન, (૧૯૯૬),**

પૃ.૧ થી ૬૬

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
September 2021 Page No. : 190-193

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

ઋગ્વેદમાં આલેખિત મહિલાઓનું સામાજિક સ્થાન

પ્રો. પરેશ જાની

પ્રીન્સીપાલ એમ.એસ.ડબલ્યુ.કોલેજ – અંદ્રોખા

" જ્યા સ્ત્રીઓની પુજા થાય છે ત્યા દેવતાઓનો વાસ હોય છે."

ઉપરોક્ત શબ્દો સાંભળવા ખૂબ સુંદર લાગે છે. પરંતુ શું ? આજે સ્ત્રીઓને સન્માનીય દરજ્જો આપવામા આવે છે. ? શું તેમને સમાન ગણવામાં આવે છે.? મનમાં જાગેલા આ પ્રશ્નોના જવાબ આપવા ખુબજ મુશ્કેલ છે. સમાજમાં વ્યાપેલા કેટલાંય સામાજિક દુષણો નાબુદ કરવા અથાગ પ્રયત્નો થઇ રહ્યાં છે. પરંતુ જ્યા સુધી માણસની માનસિકતાના બદલાય ત્યાં સુધી સાચા અર્થમાં મહિલા સશક્તીકરણ કરવું મુશ્કેલ છે. આજના યુગમા મહિલાઓ પુરુષ સમોવડી અરે તેનાથી પણ વધારે આગળ નીકળી રહી છે, ત્યારે એક પ્રશ્ન થાય કે શું સ્ત્રીઓની પરીસ્થિતી પહેલેથી જ કરૂણ હતી ? સ્ત્રીઓ પહેલેથી જ બંધનમાં જીવન વ્યતિત કરતી હતી ? તેને કોઈ પણ જાતની સ્વતંત્રતા ન હતી ? મનમાં જાગેલા આ પ્રશ્નોના ઉતર શોધવા મે પ્રાચીન સમયમાં નજર દોડાવી અને આર્યોના સૌથી પ્રાચીન અને પવિત્ર ગ્રંથ ઋગ્વેદમાં સ્ત્રીઓની સામાજિક સ્થિતિ જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ઋગ્વેદ ભારતીય લોકો અને આર્ય જાતીનું સૌથી પ્રાચીન પુસ્તક નથી પરંતુ વિશ્વની બધીજ ભાષાઓમા સૌથી જુનું છે. અને તેમા સૌથી પ્રચીન સંસ્કૃતિનાં પ્રમાણ હોવાથી ઋગ્વેદ સૌથી મહાન ગ્રંથ છે.

ઋગ્વેદનાં અનેક ભષ્યો મળે છે, તેમાં વેકટ માધવ, ઉદગીથ, સ્કંદ સ્વામી, નારાયણ, આનંદતીર્થ, રાવણ, મુદગલ, દયાનંદ સરસ્વતી જેવાં અનેક વિદ્વાનોએ ઋગ્વેદ પર ભાષ્યો લખ્યા છે. પરંતુ કોઇપણનું પૂર્ણ ભાષ્ય પ્રાપ્ય નથી માત્ર સાયણ જ એક એવા વિદ્વાન છે કે જેમનું લખેલ ભાષ્ય પૂર્ણ છે અને પ્રાપ્ત છે. આ ભાષ્ય પરથી ડૉ. ગંગા સહાય શર્માએ કરેલ હિંદી અનુવાદ પરથી " ઋગ્વેદમાં આલેખિત મહેલાઓનું સામાજિક સ્થાન " જાણવા પ્રયત્ન કર્યો છે.

મહિલાઓનું સામાજિક સ્થાન

વૈદિક સમયમાં મહિલાઓની સામાજિક પરિસ્થિતિ સમજવા માટે ઋગ્વેદથી વધારે આધારભૂત ગ્રંથ બીજો કોઇ હોય જ ન શકે. ઋગ્વેદમા પુત્ર જન્મ અંગેના અનેક ઉલ્લેખો જોવા મળે છે પરંતુ પુત્રી જન્મ માટેના ઉલ્લેખો બહુ જોવા મળતા નથી. ડો. ભાગવત શરણ ઉપાધ્યાયે " વુમન ઇન ઋગ્વેદ" માં ટાકેલ શબ્દો પ્રમાણે ઋગ્વેદમા તો પુત્ર માટેની ઇચ્છા વારંવાર વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. કે. એસ. મેકડોનેલ અને કીથ પણ ડૉ. ઉપાધ્યાય સાથે સહમત છે. તેણે પોતાના ગ્રંથ " વૈદીક ઇન્ડેક્સ" માં લખ્યું છે કે " ઋગ્વેદમા પુત્રી ઝંખના નથી. પત્ની, પુત્ર, પૌત્ર અને પ્રપૌત્રની કામના માટેની પ્રાર્થના છે પણ પુત્રી માટેની એક પણ પ્રાર્થના નથી [૧] પરંતુ ઉપરોક્ત બાબત સંપૂર્ણ સત્ય નથી. ઋગ્વેદની ત્રણ ઋચાઓમાં સુલક્ષણી અને શ્રેષ્ઠ કન્યાઓ મેળવવા માટેની પ્રાર્થના છે.[૨]

આર્યો પુત્રીનું અત્યંત લાડકોડથી લાલન પાલન કરે છે. માતાની મમતા અને પિતાની છત્રછાયા હેઠળ તેનો ઉછેર થાય છે. પરંતુ આર્યો પુત્રને વધુ મહત્વ આપે છે એ પણ સત્ય છે. ઋગ્વેદના દસમાંથી છ મંડળોમાં સ્ત્રીઓનું ઋષિત્વ જોવા મળે છે. પ્રથમ મંડળમાં રોમશા અને લોપામુદ્રા, ચોથા અને દસમા મંડળમાં દેવમાતા અદિતી, પાચમાં મંડળમાં વિશ્વવારા આત્રેયી, આઠમાં મંડળમાં શશ્વતી અને અપાલા આત્રેયી તથા નવમા મંડળમાં શિખંડિનીનું ઋષિત્વ જ્યારે દસમાં મંડળમાં ઇંદ્રસ્નુંષા, વસુકપત્નિ, સુર્યાસાવિત્રી, ઇંદ્રાણી, ઉર્વશી, દક્ષિણા પ્રાજાપત્યા, સચી પૌલમી, સાર્પરાજ્ઞી, યમી વૈવસ્તી, ઘોષા અને શ્રધ્ધા કામાયની જેવી ૨૧ ઋષિકાઓના નામનો

ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. કેટલીક ઋચાઓ તો માત્ર ઋષિકાઓએ જ રચી છે, તો કેટલાકમાં સહિયારા પ્રદાનનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.[૩] તેથી કહી શકાય કે સ્ત્રીઓ પણ શિક્ષણ મેળવતી હશે.

વૈદિક યુગની સ્ત્રીઓ સંપૂર્ણ રીતે સ્વતંત્રતા ભોગવતી હશે, એક ઋચામા ઇંદ્રના શબ્દોમાં કહેવામાં આવ્યુ છે કે સ્ત્રીઓના મન પર શાસન સંભવ નથી.[૪] પતિની પસંદગીની બાબતમાં પણ સ્ત્રીઓ સ્વતંત્રતા ધરાવતી હતી. ઋચામાં જણાવ્યા પ્રમાણે ઘણી સ્ત્રીઓ પુરુષોના ધન અને પ્રશંસાથી ભોળવાય જતી હોય છે, પરંતુ યોગ્ય ગુણવાન સ્ત્રીઓ હજારો પુરુષોમાથી પણ પોતાના મનને અનુકૂળ પતિ પસંદ કરી લે છે.[૫] સ્ત્રીના લગ્ન પુખ્તવયે જ થતા હતા બાળ લગ્નોનો કોઇ ઉલ્લેખ જોવા મળતો નથી. પિતાના ઘરમાં વૃધ્ધ થતી ઘોષા જેવી ઋષિકા માટે યોગ્ય વર શોધવામા આવે છે તેથી કદાચ કેટલીક સ્ત્રીઓના લગ્ન ઉમરે થતા હશે.[૬]

આ યુગમાં સ્ત્રીઓને દાનમાં પણ આપવામાં આવતી હતી. રાજા ચાયમાનના પુત્ર અભ્યવર્તીએ ભારદ્વાજ કુળના ઋષીઓને સ્ત્રીઓ અને ગાય દાનમા આપી હતી.[૭] જ્યારે સ્ત્રીનુ દાન આપવામાં આવતું ત્યારે તેને ઘરેણાથી સજ્જ કરવામાં આવતી હતી.[૮] ગુણવાન અને સુંદર કન્યાના લગ્નમાં બહુ મુશ્કેલી થતી ન હતી પરંતુ ગુણહીન કન્યાના લગ્નમાટે તેના પિતા અથવા ભાઇ દ્વારા પુષ્કળ ધનનો ખર્ચ થતો હતો.[૯] જે હાલની દહેજ પ્રથા સાથે સરખાવી શકાય.

પિતા પોતાની પુત્રીના લગ્ન કરાવી તેમને પતિના ઘરે જઇને પતિની પ્યારી બની રહેવાનુ કહેતો હતો, પિતા પોતાનાં કુળથી કન્યાને મુક્ત કરી પતિના કુળ સાથે બાંધતો હતો અને તેને સારા પુત્રોની પ્રાપ્તિના આશીર્વાદ આપતો હતો.[૧૦] કન્યાની વિદાય વખતે તેમને સ્વર્ણરૂપી સંપતિ આપવામા આવતી હતી.[૧૧] પોતાના પતિને આધીન રહીને સમગ્ર ઘરનો વ્યવહાર સંભાળવાની જવાબદારી સોપવામાં આવી છે. વધુને સાસુ, સસરા, નણંદ અને દિયરની સામ્રાજ્ઞી ગણવામા આવી છે.[૧૨] ક્રોધ વગરની આંખોવાળી અને માનવ અને પશુઓ પ્રત્યે દયાભાવ રાખવાવાળી કન્યાને ઉત્તમ માનવામાં આવતી હતી.[૧૩]

વૈદિક સમાજમાં બહુપત્નીત્વનો રિવાજ પણ જોવા મળે છે. પરંતુ પુરુષ પોતાની બધી પત્નીઓને સમાન અધિકાર આપતો હતો.[૧૪] સ્ત્રીઓ પણ પોતાનો પતિ અન્ય સ્ત્રીઓ તરફ ન આકર્ષાય તે માટે જુદાજુદા પ્રયત્નો કરતી પણ જોવા મળે છે. પત્નીઓને પોતાના પતિની અન્ય પત્નીઓ પ્રત્યે દ્વેષની ભાવના જોવા મળે છે. દરેક પત્ની પોતાના પતિની મુખ્ય પત્ની બનવા માંગે છે. અને સૌતનને પોતાના પતિથી દુર રાખવા માટે માટે વિવિધ પ્રકારની ઔષધીઓનો પ્રયોગ પણ કરતી હતી. પતિ દ્વારા પોતાના કાર્યની પ્રશંસા થાય તેમ ઇચ્છતી હતી.[૧૫] પોતાના પતિનો વંશ આગળ વધારવા માટે તેમના સંતાનોને જન્મ આપવો એ એમની મુખ્ય ફરજ છે તેમ માનતી હતી.

ઋગ્વેદમાં પતિ સાથે દ્વેષ રાખનાર સ્ત્રીને સમાજમાં દુરાચારી ગણવામાં આવતી હતી.[૧૬] પરંતુ પત્ની પોતાના પતિ પાસે પોતાની લાગણીઓ અને ભાવનાઓને વ્યક્ત કરવામાં સંપૂર્ણ સ્વતંત્ર હતી, ઘણી બધી ઋચાઓમાં સ્ત્રીઓ પોતાના મનની તમામ ઇચ્છઓ પોતાના પતિ પાસે મુક્ત રીતે વ્યક્ત કરે છે.[૧૭] સમાજમાં કામી અને વ્યભિચારિણી સ્ત્રીઓનું પણ અસ્તિત્વ જોવા મળે છે. વ્યભિચારી સ્ત્રી પોતાના ગુપ્ત રીતે જન્મેલા બાળકને ત્યજે છે.[૧૮] અને તેવી જ રીતે ગુણવાન સ્ત્રીઓ પોતાના જુગારી પતિનો ત્યાગ કરે છે.[૧૯] આમ બન્ને પ્રકારની સ્ત્રીઓનુ આ સમાજ વ્યવસ્થામાં અસ્તિત્વ જોવા મળે છે. સમાજમાં જુગાર અને વ્યભિચારને ત્યજ્ય ગણવામાં આવતો હતો. વ્યભિચારી પુરષોને તો આકરી સજા કરવામાં આવતી હતી.

સ્ત્રીની સંપૂર્ણ અભિલાષા પૂર્ણ કરવાની ફરજ પતિની માનવામાં આવતી હતી.[૨૦] સમાજ વ્યવસ્થામાં પુરૂષને સ્ત્રીના રક્ષક તરીકેનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. પુરુષપ્રધાન સમાજ વ્યવસ્થામાં પણ પત્નીનાં ત્યાગને પાપ સમાન ગણવામાં આવે છે.[૨૧] પત્નીને કુટુંબ વ્યવસ્થાનું મુખ્ય અંગ સમાન ગણવામાં આવી છે. એક ઋચામાં કહેવામાં આવ્યુ છે કે જે લોકો પત્નીના વિયોગમાં રોવે છે, પત્નિઓને યજ્ઞમાં સાથે રાખે છે, પોતાની વિશાળ બાહોમાં સમાવી લે છે, પત્નીને સંતાન પ્રાપ્તિ માટે પ્રેરીત કરે છે, તેમની સ્ત્રીઓ પણ સુખ સાથે તમને ભેટી પડે છે.[૨૨]

ઋગ્વેદમાં સ્ત્રીને દરેક ક્ષેત્રમાં પુરૂષની સહધર્મચારિણી તરીકે ઓળખવામાં આવતી હતી.પુરૂષનાં દરેક કાર્યમાં તેમનો સહકાર હતો. આર્યોના મુખ્ય વ્યવસાય ખેતીમાં પણ સ્ત્રીઓ મદદરૂપ થતી હતી. એક ઋચામાં જણાવ્યા અનુસાર એક ભિલડી ઉડતા પંખીનો શિકાર કરતી હતી[૨૩] એ ઉપરાંત સ્ત્રીઓ કપડા સિવવાનું કાર્ય પણ કરતી હતી.[૨૪] એક પિતા કહે છે કે મારો પુત્ર વૈદ છે, મારી પુત્રી જઉં ભુંજવાનુ કાર્ય કરે છે. અમે બધા ધનોપાર્જન માટે જુદાજુદા કાર્યો કરીએ છીએ.[૨૫] સ્ત્રી પોતાની પાસે પિતા તરફથી મળેલ ધનને પોતાની પાસે રાખી શકતી હતી અને પતિના ઘરમાં તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરી ધન સાચવવાની જવાબદારી નિભાવતી હતી. [૨૬] પતિના ઘરમાં ઘડાથી પાણી ભરી લાવવાનું કામ પણ કરતી હતી.[૨૭] મોટા ભાગની સ્ત્રીઓ આભુષણોથી સજ્જ રહેતી હતી.[૨૮] જો કોઇ સ્ત્રી પોતાના મૃત્યુ સુધી માતા પિતા સાથે રહેવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરે તો તે સ્ત્રી પોતાના પિતાની સંપતિમાં ભાગ મેળવે છે.[૨૯] આમ પિતાની સંપતિમાં સ્ત્રીઓ પણ સમાન ભાગ મેળવતી હતી. સ્ત્રીઓ કેળવણી આપવાનું કામ પણ કરતી હતી.

સ્ત્રીઓ માત્ર ઘરગથ્થુ વ્યવસાયોમાં જ નહી પરંતુ તે સૈનિક જેવા શુરવીરતાના કાર્યમા પણ જોડાતી હતી. નમુચિ નામના એક દાસે સ્ત્રીઓને પોતાના યુધ્ધનું સાધન બનાવીને ઇંદ્રની સામે લડવા મોકલી હતી.[૩૦] ત્યારે સ્ત્રી સન્માનની ભાવના એટલી પ્રબળ હતી કે પુરૂષો સ્ત્રીઓ સામે લડતા ન હતા એક ઋચામાં જણાવ્યા પ્રમાણે જો પુરૂષો સ્ત્રીઓ સામે લડે તો ઇંદ્ર તેમની સંપતી હણી લે છે અને પોતાના ભક્તોને વહેચી દે છે.[૩૧] સ્ત્રીઓ અર્થવ્યવસ્થાના મહત્વના એકમ તરીકે કામ કરતી હતી

વૈદિક સમાજ વ્યવસ્થા યજ્ઞપ્રધાન છે. યજ્ઞ વગર કોઇ પણ શુભ કાર્ય પુર્ણ થતુ નથી. યજ્ઞ માટે પણ સ્ત્રીની અનિવાર્યતા પર ભાર મુકવામાં આવે છે. એક ઋચાનાં ઉલ્લેખ પ્રમાણે પાપી યજમાન પોતાની સ્ત્રીને સાથે રાખી યજ્ઞ કરે છે અને આ યજ્ઞથી પોતાને સ્વર્ગમાં જવા માટેની અને ગાય (ધન) મેળવવાની કામના કરે છે.[૩૨] સ્ત્રીઓ પતિની સાથે મળી યજ્ઞની વિધિ કરી સાથે વૃધ્ધ થવાની પ્રાર્થના કરે છે. એટલે કે લાંબુ દાંપત્ય જીવન જીવવાની કામના કરે છે. વૃધ્ધ દંપતિ પોતાનાં યજ્ઞમાં વધુ અન્ન અગ્નિમાં પધરાવે છે.[૩૩] સ્ત્રીઓને આ સમયમાં દાનમાં પણ આપવામાં આવતી હતી. પૃથૃશ્રવા નામના રાજાએ ઋષિઓને અલંકારથી સજ્જ સ્ત્રીઓ દાનમાં આપવામાં આવી હતી.[૩૪] સ્ત્રીઓમાં સત્ય અને નિતિમતા જોવા મળે છે. પોતાના તપ દ્વારા પોતાના ચારિત્રને ઉતમ બનાવતી હતી. ઘણી સ્ત્રીઓ બ્રહ્મચાર્યનું પાલન પણ કરતી હતી.

ઋગ્વેદમાં આલેખિત સમાજમાં સતિપ્રથા જેવી અમાનવીય પ્રથા જોવા મળતી નથી. એક સ્ત્રી જ્યારે પોતાના મૃતક પતિના શબની પાસે બેઠી છે, ત્યારે તેમના સમાજના શ્રેષ્ઠીઓ દ્વારા તેને પોતાના બાળકો અને ઘરનું ધ્યાન રાખવાનું સુચન કરવામાં આવે છે.[૩૫] સમાજનાં શ્રેષ્ઠીઓ દ્વારા તેમની અંતિમક્રિયાની જવાબદારી નિભાવવામાં આવે છે. પતિ વગરની સ્ત્રી પોતાની જાતને અસુરક્ષિત ગણતી હતી. એક ઋચામાં જણાવ્યા પ્રમાણે પતિ વગરની વિધવા સ્ત્રી રાજાઓ કે અન્ય વ્યક્તિના ઉપદ્રવને જોઇને કાંપે છે.[૩૬]

ઉપરોક્ત ઋગ્વેદની ઋચાઓના ઉલ્લેખો પરથી ખ્યાલ આવે છે કે વૈદિક સમાજમાં સ્ત્રીઓની સામાજિક સ્થિતિ પુજ્ય અને સન્માનીય ગણાતી હતી. દરેક કાર્યમાં સ્ત્રીઓની સહભાગીતા હતી. સ્ત્રીઓ કોઇ પણ પ્રકારનાં ભય વગર પોતાના વિચારોને રજુ કરી શકતી હતી. સમાજ કુટુંબ કે અન્ય કોઇ પણ બંધન વગર સ્ત્રીઓ સ્વતંત્ર જીવન જીવતી હતી. અત્યારની સમાજ વ્યવસ્થામાં વ્યાપેલા સામાજિક દુષણોનો ઉલ્લેખ ઋગ્વેદમાં આલેખિત સમાજમાં જોવા મળતા નથી. આ યુગમાં બહુપત્નીત્વ, સ્ત્રીઓનું દાન, લગ્ન સમયે સ્ત્રીઓને આપવામાં આવતી સંપતિ જેવી બાબતોએ સમય જતા વિકૃત સ્વરૂપ ધારણ કરી સામાજિક કુરિવાજો બની ગયા હતા. તત્કાલીન સમાજ વ્યવસ્થામાં આની કોઇ વિપરીત આસરો જોવા મળતી નથી. સમાજ વ્યવસ્થા પિતૃપ્રધાન હોવા છતા સ્ત્રીનુ સ્થાન કોઇપણ રીતે નિમ્ન ન હતુ.

संदर्भ सूचि

૧. દોશી ટીના, પ્રાચીન કાળમાં સ્ત્રી, યુનિવર્સિટી ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ, ગુજરાત રાજ્ય, પ્રથમ આવૃત્તિ ૨૦૦૨, પૂ. ૪૨.

૨. ડૉ. શર્મા ગંગા સહાય, ઋગ્વેદ, સંસ્કૃત સાહિત્ય પ્રકાશન, નવી દિલ્હી, સાતમી આવૃતી ૨૦૦૬, મંડળ - ૩,સુક્ત - ૩૧, ઋચા - ૨ પૃ. ૨૧૫, મંડળ – ૯ ,સુક્ત - ૬૭, ઋચા - ૧૦ પૃ. ૫૧૫. મંડળ - ૯,સુક્ત - ૬૭, ઋચા – ૧૧, પૃ. ૫૧૫.

૩. એજન, પૂ. ૮૨.

૪. એજન, મંડળ - ૮,સુક્ત - ૩૩, ઋચા - ૧૭, પૃ. ૫૦૮.

૫. એજન, મંડળ - ૧૦,સુક્ત - ૨૭, ઋચા - ૧૨, પૃ. ૬૫૬.

૬. એજન, મંડળ - ૧૦,સુક્ત - ૩૯, ઋચા - ૧૩, પૃ. ૬૬૮.

૭. એજન, મંડળ - ૬,સુક્ત - ૨૭, ઋચા - ૮, પૃ. ૩૬૭.

૮. એજન,, મંડળ - ૮,સુક્ત - ૪૬, ઋચા - ૩૩, પૃ. ૫૨૩.

૯. એજન, મંડળ - ૧,સુક્ત - ૧૦૯, ઋચા - ૨, પૃ. ૮૬.

૧૦. એજન, મંડળ - ૧૦,સુક્ત - ૮૫, ઋચા - ૨૫, પૃ. ૭૦૬.

૧૧. એજન, મંડળ - ૧૦,સુક્ત - ૮૫, ઋચા - ૩૧, પૃ. ૭૦૭.

૧૨. એજન, મંડળ - ૧૦,સુક્ત - ૮૫, ઋચા - ૪૬, પૃ. ૭૦૮.

૧૩. એજન, મંડળ - ૧૦,સુક્ત - ૮૫, ઋચા - ૪૪, પૃ. ૭૦૭.

૧૪. એજન, મંડળ - ૧૦,સુક્ત - ૧૦૧, ઋચા - ૧૧, પૃ. ૭૨૭.

૧૫. એજન, મંડળ - ૧૦,સુક્ત - ૧૫૯, ઋચા – ૧ થી ૬, પૃ. ૭૫૯.

૧૬. એજન, મંડળ - ૪,સુક્ત - ૫, ઋચા - ૫, પૃ. ૨૫૯.

૧૭. એજન, મંડળ - ૪,સુક્ત - ૫૮, ઋચા - ૮, પૃ. ૨૮૮.

૧૮. એજન, મંડળ - ૨,સુક્ત - ૧૧, ઋચા - ૨૧, પૃ. ૧૮૨.

૧૯. એજન, મંડળ - ૧૦,સુક્ત - ૩૪, ઋચા - ૩, પૃ. ૬૬૩.

૨૦. એજન, મંડળ - ૧૦,સુક્ત - ૨૯, ઋચા - ૫, પૃ. ૬૫૯.

૨૧. એજન, મંડળ - ૧૦,સુક્ત - ૧૦૯, ઋચા - ૧, પૃ. ૭૩૩.

૨૨. એજન, મંડળ - ૧૦,સુક્ત - ૪૪, ઋચા - ૧૦, પૃ. ૬૬૯.

૨૩. એજન, મંડળ - ૧,સુક્ત - ૯૨, ઋચા - ૧૦, પૃ. ૭૩.

૨૪. એજન, મંડળ - ૨,સુક્ત - ૩૮, ઋચા - ૪, પૃ. ૧૯૦.

૨૫. એજન, મંડળ - ૯,સુક્ત - ૧૧૨, ઋચા - ૩, પૃ. ૬૩૩-૬૩૪.

૨૬. એજન, મંડળ - ૧૦,સુક્ત - ૪૧, ઋચા - ૧૩, પૃ. ૬૭૦.

૨૭. એજન, મંડળ - ૧,સુક્ત - ૧૯૧, ઋચા - ૧૪, પૃ. ૧૫૯.

૨૮. એજન, મંડળ - ૮,સુક્ત - ૪૬, ઋચા - ૩૩, પૃ. ૫૨૩.

૨૯. એજન, મંડળ - ૨,સુક્ત - ૧૭, ઋચા - ૭, પૃ. ૧૭૩.

૩૦. એજન, મંડળ - ૫,સુક્ત - ૩૦, ઋચા - ૯, પૃ. ૩૦૬.

૩૧. એજન, મંડળ - ૧૦,સુક્ત - ૨૭, ઋચા - ૧૦, પૃ. ૬૫૬.

૩૨. એજન, મંડળ - ૧,સુક્ત - ૧૩૧, ઋચા - ૩, પૃ. ૧૧૧.

૩૩. એજન, મંડળ - ૫,સુક્ત - ૪૩, ઋચા - ૧૫, પૃ. ૩૧૬.

૩૪. એજન, મંડળ - ૮,સુક્ત - ૪૬, ઋચા - ૩૩, પૃ. ૫૨૩.

૩૫. એજન, મંડળ - ૧૦,સુક્ત - ૧૮, ઋચા - ૮, પૃ. ૬૫૬.

૩૬. એજન, મંડળ - ૧,સુક્ત - ૮૭, ઋચા - ૩, પૃ. ૮૬.

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
September 2021 Page No. : 194-199

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

આદિવાસીઓમાં આરોગ્યની સમસ્યા

ડો. જીતેન્દ્રકુમાર પી. ડામોર

પ્રીન્સીપાલ સમાજકાર્ય મહાવિદ્યાલય સમોડા- ગણવાડા

પ્રસ્તાવના

ભારત દેશ અને તેના રાજ્યોમાં લોકોના સ્વાસ્થ્ય અને આરોગ્ય માટે દિનપ્રતિદિન વધુ ધ્યાન અપાતું જાય છે. આ માટેની સગવડ અને સુવિદા જિલ્લા, તાલુકા અને ગ્રામીણ સ્તરે વધુ પ્રમાણમાં કેન્દ્રિત થતી જાય છે. સ્વાસ્થ્ય અને આરોગ્યની જાળવણી અર્થે ઘણી રકમ ખર્ચવામાં આવે છે. પરંતુ ગામડાંના લોકો કે વિકસતા સમૂદાયો સુધી કોઈને કોઇ કારણોસર આ યોજનાનો લાભ કે આરોગ્યની સેવા જરૂરી પ્રમાણમાં પહોંચતી નથી. તેવું સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. આથી ગામડા અને દુર્ગમ જંગલો, પહાડો અને ઉબડ-ખબડ જમીન પર વસવાટ કરનારા આદિવાસી લોકોમાં દિનપ્રતિદિન રોગોનું પ્રમાણ વધતું જાય છે.

આદિવાસી વિસ્તારોમાં આરોગ્યના પ્રશ્નો જટિલ છે. ઉનાળા અને ચોમાસામાં રોગોનું પ્રમાણ વધુ જોવા મળે છે. આદિવાસી વિસ્તારમાં મોટાભાગના રોગો પીવાના પાણી, અપૌષ્ટિક ખોરાક, શરીર, કપડાંની અસ્વચ્છતા, અજ્ઞાન, વહેમો, અંધશ્રદ્ધા વગેરે ઉપર આધારિત છે. આદિવાસીઓ આર્થિક રીતે ગરીબ છે કે ગરીબીની રેખા નીચે જીવે છે. આદિવાસીઓ પોતાના રોગો પ્રત્યે બેદરકાર રહે છે, બેદરકારી પાછળ તેમનામાં રહેલ નિરક્ષરતા જવાબદાર છે. તેઓ રૂઢિ અને પરંપરા, તેમના દેવી-દેવતાઓમાં વધારે શ્રદ્ધા, ભગત-ભૂવાઓમાં વધારે પડતો વિશ્વાસ ધરાવે છે. આના પરિણામે આધુનિક એલોપેથીમાં તેમને હજુ સંપુર્ણ વિશ્વાસ નથી.

આદિવાસીઓમાં આરોગ્યઃ

આરોગ્ય એટલે શારીરિક, માનસિક અને સામાજિક એ ત્રણે પ્રકારની સ્વસ્થાતાની સ્થિતિ, ફક્ત રોગ, માંદગી કે અશક્તિનો અભાવ નહી. આરોગ્યની આ કલ્પના ઘણી વિશાળ છે. એ મનુષ્યની આંતરિક પરિસ્થિતિનો તેની ભૌતિક, રાસાયણિક અને જૈવિક એ ત્રણે પ્રકારની બાહ્ય પરિસ્થિતિ સામે સંપુર્ણ સુમેળ માગે છે. કહેવાયું છે કે જેનું તન-મન નિરોગી તે સમાજ નિરોગી. સ્વસ્થ શરીર, સ્વસ્થ સમાજ, સ્વસ્થ રાષ્ટ્રનું નિર્માણ કરી શકે છે. એટલે WHO 'હું' વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થાના મત મુજબ સ્વાસ્થ્ય એટલે શરીરમાં કોઈ રોગ ન હોવો તે નથી, પરંતુ વ્યક્તિનું શારીરિક, માનસિક અને સામાજિક રીતે સેવસ્થ હોવું. આ સૂત્ર સ્ત્રી-પુરૂષ કે બાળક બધા માટે લાગુ પડે.

સ્વાસ્થ્ય પાપ્ત કરવું એ દરેક માનવીનો અધિકાર છે. તે તેને મળવો જ જોઈએ. તદઉપરાંત રાષ્ટ્રના નિર્માણ માટે તદ્દરસ્ત માનવી બને અને તદ્દરસ્ત જીવન જીવે તે આવશ્યક છે. માનવી તેની રહેણીકરણીમાં, આહાર વિહારમાં સ્વતંત્ર છે અને તેનું જીવન પ્રકૃતિના નિયમોની સાથે બંધાયેલું છે. આ નિયમોનું પાલન જેટલું થાય તેટલું નિરોગી જીવન મનુષ્ય જીવી શકે છે. જો તેમાં ચૂક થાય તો રોગો-મહારોગોને તે શિકાર બને છે.

સામાન્ય જનમાનસમાં એવી છાપ છે કે આદિવાસી ખડતલ, મહેનતું, કસાયેલા શરીરવાળા હોઈ તેને રોગ સ્પર્શી શકે નહી. આ એક માન્યતા છે, વાસ્તવિકતા આ છે કે ગરીબી તેમને મજૂરી કરવા કે કુદરત સાથે સંઘર્ષમાં ઉતરવા મજબૂર કરી ફરજ પાડે છે. સ્વચ્છતાનો તેમનામાં અભાવ હોય છે, પરિણામે અસ્વચ્છતાને લગતા રોગો તેમનામાં વધી જાય છે.

આદિવાસીઓના આરોગ્ય માટે સરકાર લોકસેવી સંસ્થાઓ કામ કરે છે. તેમાં આદિવાસી વિસ્તારનું પર્યાવરણ, રહેણી-કરણી, રીતરીવાજો, વારસાગત તત્વો, આર્થિક પરિબળો, આરોગ્ય સંભાળ સેવાઓ, સાંસ્કૃતિક પરિબળો,

જીવનશૈલી, તેમને મળતા લાભોનો મહત્તમ ઉપયોગનો સમાવેશ કરી શકાય. છતાં 21 મી સદીમાં પણ તેમના આરોગ્યના અનેકવિધિ પ્રશ્નો માનવીય સ્વરૂપના જોવા મળે છે.

આદિવાસીઓમાં આરોગ્યની સમસ્યા

આદિવાસી વિસ્તારમાં આરોગ્ય અને તબીબી સેવાઓ અસતુલિત છે. આદિવાસી વિસ્તારમાં આરોગ્ય અંગે સૌ બેદરકાર છે. આદિવાસી વિસ્તારના આરોગ્ય અંગેના પ્રશ્નો કે સમસ્યા આ મુજબ છે.

1. આદિવાસીઓમાં શિક્ષણનો અભાવ કે ઓછું શિક્ષણ હોઈ જાગૃતિનો અભાવ છે. શિક્ષણ અને વિકાસ એકબીજાના પર્યાય છે. સર્વાંગીણ વિકાસમાં અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. શિક્ષણથી જ્ઞાનની ક્ષિતિજો વિસ્તરે છે અને વિકાસનું એક પગલું આગળ માંડી શકાય છે.
2. સ્વચ્છ ન રહેવાથી અસ્વચ્છતા બિમારીને આમંત્રણ આપે છે. તેઓ સવારે બ્રશ, દાતણનો ઉપયોગ કરતા નથી, દરરોજ સ્નાન કરતા નથી, કપડાની કાળજી લેતા નથી કે કપડાં ગંદા થઈ જાય ત્યાં સુધી શરીરમાં પહેરી રાખે છે, જમતી વખતે હાથ ધોઈને જમતા નથી કે કુદરતી હાજતે જતી વખતે પાણીનો ઉપયોગ કરતા નથી. જેથી તેમનામાં દાંત, મોઢા ચામડીનો રોગો વધુ જોવા મળે છે.
3. ડાંગ જિલ્લાની લગભગ 37% વસ્તી 7-8 મહિના સુધી સ્થળાંતર કરી દક્ષિણ ગુજરાતના જુદા જુદા વિસ્તારોમાં શેરડી કાપવા જાય છે. શેરડી કાપતી વખતે શેરડીના પાંદડા તેમના શરીરે સ્પર્શતા હોવાથી ખંજવાડ ઉપડે છે જેથી તેઓ સ્નાન કરતા નથી. સ્નાન કરવાથી બળતરા થાય છે તેવું તેઓ જણાવે છે. આના લીધે ચામડીના રોગો તેમનામાં વધારે જોવા મળે છે. વતન પાછા ફરતી વખતે તેમની સાથે રોગોને લઈને આવે છે અને ફેલાવો કરે છે.
4. શિક્ષણ અને અજ્ઞાનતાના અભાવે તેઓ લાયકાત વગરના હાટ-બજારમાં દુકાન માંડી બેસેલા ડૉક્ટરોનો શિકાર બનતા હોય છે. તેઓ તેમના દેવી-દેવતાઓમાં શ્રાદ્ધા રાખી અંધશ્રાદ્ધાળું બની જીવલેણ રોગો માટે પણ માનતા અને બાધા રાખે છે. આવી રીતે તેઓ રોગનો ભોગ બની જાય છે.
5. નશીલો દ્રવ્યો જેવાકે દારૂ, બીડી, સિગારેટ, તમાકુ, ગુટખા વગેરેનો તેઓ વધારે ઉપયોગ કરે છે. જે તેમના તન અને મન ઉપર દુરો ગામી અસરો ઉપજાવે છે. આંખ, હૃદય, શ્વશનતંત્ર, રૂધિરાભિસરણ, હાડકા, ચામડી, કીડની, પેટ, આંતરડા એમ શરીરના બધાં અવયવોને નૂકશાન પહોંચાડતી બિમારીના તેઓ શિકાર બને છે. નશીલા દ્રવ્યો તેમની વિચાર શક્તિને નષ્ટ કરી બેચેની, અસ્વસ્થ બનાવી દે છે અને તેમના આરોગ્યને પારાવાર નૂકાશન પહોંચાડે છે.
6. વહેમ અને અંધશ્રદ્ધા પૂરેપૂરા હજી આદિવાસીઓના મનમાંથી દુર થયા નથી. પ્રસુતિ માટે ગામની અનુભવી દાયણ જ આવતી હોય છે. પ્રસુતિ વખતે ચોક્કસાઈની જરૂરીયાતનો ખ્યાલ હજી ઓછો છે. પ્રસુતાને પોષણક્ષમ આહાર, ધનુરની રસી કે નિયમિત દવા મળતી નથી, જેથી માતાને ધનુર, એનેમિયા, હિમાગ્લોબિનની ખામી કે ફિવર થઈ જાય છે. આવનાર બાળકને ઝાડા, ઉલટી, કરમિયા, શ્વાસ કે છાતીને લગતા રોગો, મરડો, ઓરી-અછબડા, ચામડીના રોગો-ગુમંડા, ખાસી, શરદી, પેટ ફુલવું, જીર્ણ મલેરીયા, ન્યુમોનિયા જેવા રોગો થાય છે.
7. રોગ જન્ય પાણીનો ઉપયોગ ડાંગ જિલ્લામાં મોટાભાગના આદિવાસીઓ નદીના મેરે રેતી-પથ્થરમાં ખાડો કરી ઝરો બનાવી તે પાણીનો ઉપયોગ કરે છે. કુવાઓમાં જંતુનાશક દવાઓનો ઉપયોગ થતો નથી અથવા થાય છે તે કુવાનું પાણી પીવામાં આવતું નથી, પાણાને ગાળીને વાપરવામાં આવતું નથી, ચોમાસામાં નદી-કોતરનું ડહોળા પાણીનું ઉપયોગ કરે છે. ડાંગ જિલ્લાના ચોમાસાનો સરેરાશ વરસાદ 125-175 ઇંચ જેટલો થતો હોવા

છતા આદિવાસીઓને પીવાનું પૂરતું શુદ્ધ પાણી મળતું નથી. જેના કારણે પાણીજન્ય રોગો જેવાકે સિકલસેલ એનિમિયા, પથરી, ઝાડા, ઉલટી વગેરે રોગોનું પ્રમાણ વધારે છે.

8. ચોમાસાની શરૂઆત થતાં જ જંગલમાં જુદા જુદા પ્રકારની જંગલી ભાજી, કંદ-મૂળ વગેરે ઊગી નીકળે છે. જેનો આદિવાસીઓ આહાર તરીકે ઉપયોગ કરતા હોય છે. જેનું પ્રમાણ ખાવામાં ઓછું-વત્તું થતા ઝાડા, ઉલટી કે પેટમાં દુખાવા જેવી બિમારી ફાટી નીકળે છે.
9. આદિવાસી વિસ્તારોમાં તબીબી અધિકારીઓ ગેરહાજર રહે છે અથવા તો અનિયમિત હોય છે કે પછી તેઓ પૂરો સમય નોકરીની જગ્યા પર રહેતા નથી.
10. ઘણા ગાંમડા મુખ્ય માર્ગથી દુર છે અને ચોમાસામાં સંપર્ક વિહોણા થઈ જાય છે. બિમારીના સમયે તેમની હાલત દયનીય બની જાય છે. ડાંગ જિલ્લાના એક જવાબદાર વ્યક્તિએ જણાવ્યું કે ભૂતકાળમાં ચોમાસા દરમ્યાન 'આમસરવળન' ગામે ઝાડા-ઉલટી ફેલાઈ હતી ત્યારે નદીમાં પૂર હતું. જેથી તેમને લાવવા મુશ્કેલ હોઈ વાંસનો માંચડો બનાવી ગામના આગેવાનો ડૉક્ટરને તેના ઉપર બેસાડી નદી પાર કરી લઈ ગયા અને લોકોની જાન બચાવી. આવા સંજોગોમાં જાનને જોખમ સંભવ છે. ઉપરાંત ઝાડીવાળો, ડુંગરાળ પ્રદેશ કે ઉબડ-ખાબડ વિસ્તારને લીધે પણ સમયસર દર્દીને સારવાર ન આપતા મૃત્યુના કિસ્સાઓ બનવા જોગ છે.
11. હેલ્થ સેન્ટરોની કામગીરી સારી ન હોવાથી વહેમી અને અંધશ્રદ્ધાવાળી આદિવાસી પ્રજા ભગત-ભૂવાનો આશરો લે છે. જેનું નિદાન ચોક્કસ હોતું નથી. અહીની જડીબુટ્ટી સારા પરિણામો આપે છે એ જગપ્રસિદ્ધ છે પણ ભગત-ભૂવા રોગને જાણે તો જ તેના પરિણામો લાવી શકે માટે તેમના ઉપર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ મૂકવો ભૂલભરેલ ગણાશે.

આરોગ્યની સમસ્યાના ઉપાયોઃ

1. વસ્તી વધારે દરેક સમસ્યાનું મૂળ છે, પરંતુ એ સમસ્યાને રોકવા શિક્ષણ જરૂરી છે. શિક્ષણ તંદુરસ્ત, ઉચ્ચ અને કેળવણીસભર હોવું જોઈએ. જો આવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય તો આરોગ્ય જ નહી પણ આદિવાસીઓની ઘણી સમસ્યાનું સમાધાન થઈ જશે.
2. હેલ્થ સેન્ટરોની કામગીરી જોઈએ એટલી સારી ન હોવાથી ભગત-ભૂવાઓ પાસે રહેલ જડીબુટ્ટીની જાણકારીનો ઉપયોગ કરી ઔષધિય આધુનિક દવા બનાવવાનું જ્ઞાન આપવું જોઈએ, એ માટે તેમને તાલીમ અને પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ.
3. આદિવાસીઓએ પોતાની જાગૃતતા બતાવવી. હાટ-બજારમાં ફરનાર લાયકાત વગરના ડૉક્ટરો પાસે સારવાર કરવી જોઈએ નહી. બાળરોગ, મહિલાઓના ગાયનેક રોગ, પ્રસુતિ વખતે રાખવાની કાળજી, કયા રોગ માટે કેવા ડૉક્ટરની સારવાર ઉપયોગી બનશે વગેરે સંબંધી તેમનામાં જાગૃતતા આવે તે માટેના કેમ્પો કરવા જોઈએ.
4. નશીલા દ્રવ્યો જેવા કે દારૂ, બીડી, સિગારેટ, તમાકુ, ગુટખા વગેરે શરીર માટે કેટલા નુકશાનકારક છે તે માટે ઠેર ઠેર વ્યસનમુક્તિના કાર્યક્રમો યોજવા. અવાર-નવાર આવા કાર્યક્રમો યોજાય તો તેના સારા પરિણામો આવશે. આદિવાસીઓની ગરીબીના મૂળમાં વ્યસનો છે, ખાસ કરીને 'દારૂ'. સરકારે આ માટે ગંભીર પગલા લેવા જોઈએ.
5. તેમના રહેલ વહેમ અને અંધશ્રદ્ધા દૂર કરી યોગ્ય ડૉક્ટક પાસે જ પોતાની સારવાર કરાવે, પ્રસુતિ વખતે ફરજિયાત પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, સિવિલ હોસ્પિટલનો કે પ્રસુતિ ક્લીનિકનો જ ઉપયોગ થાય, ખોટા અને ઠગ ભગત-ભૂવાથી બચે, પીવાનું પાણી ગાળીને વાપરે અને તેમાં ક્લોરીનનો ઉપયોગ કરે. પોતાની, પોતાના ઘરની, આજુબાજુની તથા ગામની સ્વચ્છતા જાળવે તે માટે તેમનામાં જાગૃતિ લાવવાની જરૂર છે.

6. આદિવાસી વિસ્તારોમાં એઈડ્સ, સ્વાઈન ફ્લુ જેવી બિમારીઓ જોવા મળે છે તે ક્યાંથી અન કઈ રીતે તેમનામાં આવે છે તેની તપાસ કરી આવા રોગોને અટકાવવા જરૂરી પગલાં લેવા જોઈએ. સ્થાળાંતર કરનાર આદિવાસીઓ વતન પાછા ફરતા હોય ત્યારે તેમની મેડિકલ તપાસ થવી જરૂરી છે.
7. આર્થિક પ્રવૃત્તિ દ્વારા ઘર આંગળે રોજી મળે, પીવા માટે સ્વચ્છ પૂરતાં પાણી મળે, રોગપ્રતિકાર રસી, ચેપી રોગો સામે રક્ષણ, કુરૂઢિઓનો ત્યાગ અને સ્વાસ્થ્યની સમજ જાગે તો જ સર્વે માટે આરોગ્યનું ધ્યેય સિદ્ધ કરી શકાય.
8. નાની ઉંમરે થતા લગ્ન, બે બાળકો વચ્ચે ઓછું અંતર, અંધશ્રદ્ધાને કારણે ભગત-ભૂવાની તેમના પર અસર, યોગ્ય ઈન્જેક્શનો કે રસીનો અભાવ, પોષણક્ષમ આહારનો અભાવ વગેરે બાબતોને ધ્યાને લઈ તેનું ચોક્કસ નિવારણ કરી સમજદારી ઉભી કરવી.

આદિવાસીઓની આરોગ્યની સમસ્યા આવા અનેક સમાધાનકારી પગલાંઓ છે, જેનાથી તેમનું સ્વાસ્થ્ય સુધારી શકાય છે. જરૂર છે કેળવણીનો અર્થ એવો થાય છે કે માણસે સ્વચ્છ અને સ્વપ્રયત્નોથી પોતે જ આરોગ્ય પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. આરોગ્ય સંબંધી જ્ઞાન માણસને પોતાની અમૂક ટેવો અને રીતરસમો સુધારી અજ્ઞાન, પૂર્વગ્રહ તથા ખોટા ખ્યાલો ફગાવી દેવાની શક્તિ આપે છે અને આરોગ્યપૂર્ણ જીવન જીવવાનું બળ આની સાથે જગતમાં તંદુરસ્ત બાળક જન્માવવા માટે માતાએ તંદુરસ્તી જાળવવી તે વધુ અગત્યની છે. હજી આજે પણ ફરિયાદોનો ઈજારો ધરાવે છે અને દીર્ઘકાલીન માંદગીઓથી પીડાય છે. પણ ગર્ભવસ્થામાં વધુ કાળજી રાખવાનો મુખ્ય હેતુ તો ગર્ભાવસ્થાના જોખમો એકદમ ઘટાડી નાખવાનો છે. માતાની તબિયત પર તો ભાવિ પેઢીની તબિયતનો આધાર છે એ હકીકતે માતાનું સ્વાસ્થ્ય એ રાષ્ટ્રના સ્વાસ્થ્યનું મોટામાં મોટું એકાંકી ઘટક છે.

સદર્ભ સૂચિ:

- ડૉ. ઠાકર મીનાક્ષી : 2004 : આદિવાસી વિકાસ અને વન, યુનિવર્સિટી ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ, ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ.
- ડૉ. વ્યાસ દક્ષા : 2001 : આદિવાસી સમાજ, આદર્શ પ્રકાશન
  ડૉ. મોદી નવીન કા. ગાંધી માર્ગ, બાલાહનુમાન સામે, અમદાવાદ.
- ડૉ. ભાવે, વિ.એન. : 1978 : તમે અને તમારું આરોગ્ય, નેશનલ
  ડૉ. દેવધર એન.એસ. બુક ટ્રસ્ટ, ઈન્ડિયા.

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
September 2021 Page No. : 198-199

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

सिक्किम की जनजाति का जीवन और उनके त्यौहार

–डॉ. रूपा भावसार

असिसटेंट प्रोफेसर, गैस्ट फैकल्टी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

हिमालय की गोद में बसे सिक्किम राज्य को प्रकृति के रहस्यमय सौंदर्य की भूमि या फूलों का प्रदेश कहना गलत नहीं होगा। वास्तव में यहां के नैसर्गिक सौंदर्य में जो आकर्षण है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। नदियां झीलें, बौद्ध मठ और स्तूप तथा हिमालय के बेहद लुभावने दृश्यों को देखने के अनेक स्थान, ये सभी हर प्रकृति प्रेमी को बाहें फैलाए आमंत्रित करते है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वतचोटी कंचनजंगा (28156 फुट) यहां की सुन्दरता में चार चांद लगाती है। सूर्य की सुनहरी किरणों की आभा में नई–नवेली दुल्हन की तरह दिखने वाली इस चोटी के हर क्षण बदलते मोहक दृश्य सुन्दरता की नई–नई परिभाषाएं गढ़ते हुए से लगते है। मनुष्य की कल्पनाओं का सागर यहां हिलौरे मारने लगता है।

भारत के उत्तर–पूर्व और पूर्व में फैले इस राज्य का क्षेत्रफल 7096 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या लगभग 7 लाख। चीन के अधीनस्थ तिब्बत से व्यापारिक संबंधों के समय व्यावसायिक महत्व का स्थान गंगटोक आज के सिक्किल की राजधानी है। इस शहर की स्थापना 19 वीं शताब्दी के मध्य में हुई थी। हर साल जनवरी के आसपास यहां छाम नृत्य का उत्सव आयोजित किया जाता है। यह उत्सव दो दिन तक धूमधाम से मनाया जाता है। व्हाइट हॉल के पास पूरे वर्ष फूलों की प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। फूलां वाली विभिन्न जड़ी–बूटियों की एक प्रदर्शनी यहां बसन्त ऋतु में भी आयोजित की जाती है, जो बेहद लोकप्रिय हो चुकी है।

प्राकृतिक सुन्दरता के अतिरिक्त सिक्किम की कई बातें मनमोहक है। पूरे राज्य में पॉलिथिन और गुटखे पर प्रतिबंध है। स्वच्छता सर्वत्र दिखाई पड़ती है। हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा सिक्किम राज्य को सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। सर्वत्र हरियाली और प्राकृतिक सुन्दरता को समेटे सिक्किम राज्य के लोग बहुत ही भोले और बेफिक्र है। उनके चेहरे पर ना कल की चिन्ता है न ही आज का तनाव। ठंडा प्रदेश होने की वजह से आवास, ऊष्मा संरक्षक बनाए जाते है, जो कि बांस के ढांचे पर बांस का ही आवरण डालकर बनाए जाते है। पर्यटन स्थलों पर तो हमारे यहां की तरह ही ईंट–सीमेंट की बनी इमारतें होती है, परन्तु वे भी एक या दो मंजिला ही है।

मुख्यतः वहां तीन प्रकार की जनजातियाँ है– बुटिया, राय और लेप्चा इन्ही में जातियों में कई उपजातियां है। भाषा नेपाली ही बोली जाती है जो कि हिन्दी के बहुत ही करीब है। अलग–अलग रूपों में बोली जाती है। सिक्किम राज्य में अन्य भारतीय त्यौहारों के समान ही दीपावली, दशहरा, भाईदूज, रक्षाबंधन आदि त्यौहार मनाए जाते है, परन्तु विभिन्नता यह है कि वहां के त्यौहारों में संगीत होता है। अधिकांशतः बौद्ध धर्म मानते है। अतः

दो त्यौहार और भी मनाएं जाते है जिन्हे नामजुर्ग और नामबुन कहा जाता है। यह लेप्चाओं और बुटियों के त्यौहार है। इन त्यौहारों में बुद्ध और कुलदेवता की पूजा की जाती है। बुंगचिंग (पुजारी) को बुलाकर धर्म ग्रंथ का पाठ किया जाता है। पारम्परिक रूप से मंदिरा बनाई जाती है जो कि कोटु (एक प्रकार का फल) और बुरांश (फूल) के द्वारा घरों में ही निर्मित कही जाती है और पूजा के उपरान्त सभी लोगों में वितरित की जाती है।

सितम्बर माह में विश्वकर्मा जयंति मनाई जाती है जो कि बहुत बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। घर–घर विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। एक दिन के लिये विश्वकर्मा की मूर्ति की स्थापना की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म–स्थल की पूजा करता है और प्रत्येक व्यक्ति चावल का टीका लगाए हुए ही दिखाई देता है। दशहरे को वे दसई कहते है, इस दिन चावल का टीका लगाया जाता है। और बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है। वहां चावल का टीका विशेष महत्व रखता है, चावल का भीगो कर हल्का सा दरदरा पीसा जाता है। और उसमें कुमकुम मिलाकर (जो कि गुलाबी रंगत लिये होता है) तिलक लगाने में प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से दीपावली मनाते है जिसमें गोबर से लीपकर लक्ष्मीपूजा की जाती है। लड़कियां गीत गाती है। गीत के समय गिटार और मादल की संगत से मनमोहक वातावरण हो जाता है। घर में बड़े–बुजुर्गों के पैर छुकर आशीर्वाद लिया जाता है। लक्ष्मी पूजा वाले दिन लड़कियों के द्वारा गाये जाने वाले गीतों को बाहिलोनी कहा जाता है। बाद में दो दिन गायों की पूजा कील जाती है, उन्हे सजाया जाता है, और लड़को के द्वारा गीत गाये जाते है जिन्हे देवसुरे कहते है। गिटार और मादल के संगत से गीत और भी मधुर हो जाते है, साथ में उनके मोहक नृत्य का तो कहना ही क्या? वे मन हर लेते है।

प्रत्येक त्यौहार को गायन, वादन और नृत्य के उल्लास के साथ मनाया जाता है जिसे वहां का प्राकृतिक वातावरण और अधिक उल्लास से भर देता है और त्यौहारों की खुशी की ओर कई गुना बढ़ा देता है। इस प्रकार और भी कई छोटे–छोटे त्यौहार मनाएं जाते है जो वहां के लोगो के जीवन की जीवंत बनाए रखते है। सच है पहाड़ों का जीवन चाहे कठिन हो परन्तु वहां के लोगों में जीवन के प्रति, त्यौहारों के प्रति सजीवता है, उत्साह है वे त्यौहारों की विशेष बनाते है और उसमें संगीतमयी जीवन धारा का प्रवाह देते है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :–

1. http//www.jagranyatra.com/2010/03/sikkim-nature of eco.buddha.sites
2. सिक्किम (पेलीगं) निवासी श्री उमेश राय, शेरोन लेप्चा, अरपन बुटिया, बैंजामिन, बीबीका आदि से बातचीत कर जानकारी ली गई।

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
September 2021 Page No. : 200-203

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

મહિલા સશક્તિકરણ એક અભ્યાસ

ડો. જીતેન્દ્રકુમાર પી. ડામોર

પ્રીન્સીપાલ સમાજકાર્ય મહાવિદ્યાલય સમોડા- ગણવાડા

સારસંક્ષેપ

મહિલા એ એક શક્તિ સ્વરૂપ છે, જરૂરિયાત છે માત્ર તેને જાગૃત કરવાની, આજે દેશ, સમાજ, કુટુંબ, દરેક જગ્યાએ મહિલાની સશક્તિકરણની આવશ્યકતા છે. દરેક વ્યક્તિ એ મહિલાના સન્માનની કાળજી કરવાની છે મહિલાઓ આજે હાંસિયામાં ધકેલાય ગઈ છે, તેને જરૂરિયાત છે માત્ર એક અવસરની, કંઇક કરી બતાવવાની તાકાત, ઝનુન તેનામાં સર્જક દ્વારા જ આપવામાં આવેલ છે. દેશને ચલાવવાની તાકાત ધરાવતા સંસદમાં પણ મહિલાઓનું યોગદાન વધારવાની જરૂર છે. છોકરી પગભર થાય, પોતે શિક્ષણ મેળવે અને પાછળની પેઢીને પણ શિક્ષિત કરે તેવા પ્રયત્નો સમાજમાં કરવામાં આવે તો મહિલા સશક્તિકરણ સાર્થક ગણાય. પીતૃસત્તાક સમાજવ્યવસ્થા, મહિલા ભેદભાવ, અસમાનતા વગેરે નાબુદ થવા જોઈએ. ઘરમાં મહિલાઓને આર્થિક નિર્ણયોમાં ભાગીદાર બનાવી તેનો આત્મવિશ્વાસ વધે તેવા કુટુંબનું નિર્માણ કરવું જોઈએ. મહિલાઓના સશક્તિકરણની પ્રક્રિયા સતત અને ઉત્સાહથી આગળ ચાલવી જોઈએ. દેશમાં આદર્શ લોકશાહી પ્રસ્થાપિત કરવામાં દરેક સભ્યે, દરેક વ્યક્તિએ પોતાનું યોગદાન આપવું જોઈએ.

કી વર્ડ : મહિલા શિક્ષણ, આરોગ્ય, મહિલા સશક્તિકરણ, આર્થિક સમાનતા,

મહિલા સશક્તિકરણ

- **પ્રસ્તાવના:**

આજના સમયગાળામાં આજે દરેક મનુષ્યો, દરેક દેશ, એકજ વાત સાથે સહમત થાય છે કે કુટુંબ, સમાજ તેમજ દેશના વિકાસ અને દેશના કલ્યાણ માટે જાતીય સમાનતા અને મહિલાઓના ક્ષેત્રમા જાગૃતિ આવે તેમજ મહિલા સશક્તિકરણ થવું જોઈએ. કુટુંબમાં, સમાજમાં અને દેશમાં મહિલાઓનું માન સન્માન જાળવવું જોઈએ, જો આ વાતનો અભાવ હશે તો કોઈપણ કુટુંબ, સમાજ કે દેશ પોતાની સાચી પ્રગતિ કરી શકશે નહિ, આજના સમાજમાં, કુટુંબમાં કે દેશમાં નજર કરીયે ત્યારે ખબર પડે છે કે મહિલાઓને હાંસિયામાં ધકેલી દેવામાં છે. કુટુંબમાં પણ નાના મોટા નિર્ણયો પુરુષો લેતા હોય છે. દેશના રાજકારણ ક્ષેત્રમા પણ મહિલાઓ માર્યાદિત જોવા મળે છે. મહિલાઓને પ્રાધાન્ય માત્ર કહેવા પુરતું જ આપવામાં આવે છે. રાજકારણ અને સામાજિક નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં મહિલાઓની ભાગીદારી દેખીતી રીતે ઓછી છે. સંસદમાં પણ મહિલાઓની ભાગીદારીની ટકાવારી ઘણી ઓછી માલુમ પડે છે. તેમને કાયદો ઘડનાર સત્તામંડળથી દુર રાખવામાં આવે છે. આ એટલા માટે થાય છે કે સમાજમાં પીતૃસત્તા અમલમાં છે. આ એવી સામાજિક પ્રગતિ છે જેમાં પુરુષને મહિલા કરતા વધુ સક્ષમ, શક્તિશાળી, તાકાતવર તેમજ વધારે હોશિયાર અને બુધ્ધીશાળી માનવામાં આવે છે, આથી પુરુષોનું આધિપત્ય વધારે હોય છે. તેમજ મોટાભાગની મહિલાઓ પુરુષપ્રધાન માળખું અને વિચારધારાથી પીડિત છે. સામાજિક અને માનવ વિકાસના દિશાસુચાકોમાં મહિલાઓને પુરુષોની

પાછળ દર્શાવવામાં આવ્યા છે. સમગ્ર વિશ્વમાં ભારતમાં પણ મહિલાઓ માટે વિપરિત સેક્સ રેસીયો જોવા મળે છે. મહિલાઓનું આરોગ્ય, પોષણ અને શિક્ષણનુ સ્તર નોંધપાત્ર રીતે ઓછું જોવા મળે છે, વેતનમાં પણ મહિલાઓને ઓછું વેતન ચુકવવામાં આવતું હોય તેવું જાણવા મળે છે.

વિકાસ માટે મહિલાઓના સશક્તિકરણ કરતા વધુ સારો વિચાર બીજો કોઈ હોઈજ નાં શકે, પરંપરાગત અથવા વધુ આધુનિક ભૂમિકામાં મહિલાઓએ હાંસલ ના કર્યું હોય તેવું કશું નથી. માતા તરીકે મહિલા પોતાના બાળકની કાળજી રાખવાની જવાબદારી નિભાવે છે અને મહિલા પોતાના બાળકને ભારતના શ્રેષ્ઠ નાગરિક બનાવવાના પ્રયત્નો કરે છે. વિશ્વના માનવી જીવનમાં આશરે ૫૦% વ્યક્તિ મહિલા છે આ માટે તેમના જીવનના દરેક સ્તરે પુરુષ સભ્ય સાથેની સમાન તક, સમાન દરજ્જો મેળવવાનો અધિકાર છે. સ્વામી વિવેકાનંદ પણ કહે છે કે "મહિલાઓની સ્થિતિ સુધારે નહિ ત્યાં સુધી વિશ્વ કલ્યાણની કોઈ તક નથી." જેમ કોઈ બળદગાડું માત્ર એક પૈડા પર ચાલી ન શકે તેવી જ રીતે જીવનનું ગાડું માત્ર પુરુષો પર આધારિત ન રહેતા સમાન અધિકાર, હક્કો, ફરજોથી મહિલાને વિકાસની તક મળવી જોઈએ.

- **શિક્ષણ ક્ષેત્રે મહિલા સશક્તિકરણ:**

૨૧ મી સદીએ જ્ઞાનની સદી માનવામાં આવે છે. આજના સમયમાં શિક્ષણ એ એક દરજ્જો માપવાનો અગત્યનો માપદંડ છે. શિક્ષણને હંમેશા અગત્યતા આપવામાં આવી છે. પરંતુ ભારતમાં ખાસ કરીને મહિલાઓ માટેના શિક્ષણમા થોડીઘણી ઉદાસીનતા જોવા મળે છે. કુટુંબમાં ભાઈ બહેનમાંથી શિક્ષણ આપવાની વાત આવે ત્યારે ભાઈ નાં શિક્ષણને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે અને બહેન નહી ભણે તો ચાલશે તેમ માનીને મહિલાઓના વિકાસમાં અવરોધ ઉભો કરવામાં આવે છે.

મહિલાઓને ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ પૂરું પાડવા માટે અને મહિલાઓમાં યોગ્ય કૌશલ્યનો વિકાસ થાય તેમજ તેમની પ્રતિભામાં વધારો થાય તે માટે સરકારે પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણના સ્તરે ઘણા કાર્યક્રમો અમલમાં મુક્યા છે. દરેક બાળક કન્યા કે કુમારનાં અભ્યાસક્રમને માટે ફરજીયાત પ્રાથમિક શિક્ષણ આપવામાં આવ્યું છે. કુટુંબની આર્થિક પરિસ્થિતિ નબળી હોય તેવા સમયે કન્યાના વિકાસમાં આર્થિક પરિબળ બાધારૂપ ન થાય તે હેતુથી "રાઈટ ટુ એજ્યુકેશન એક્ટ" નામનો કાયદો અસ્તિત્વમાં આવ્યો. પ્રાથમિક અને ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષણના સ્તરે વ્યાપક શિક્ષણ સુવિધા ઉપલબ્ધ બને તે હેતુથી સર્વ શિક્ષા અભિયાન સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. સર્વ શિક્ષા અભિયાનથી ગામડાની અને શહેરી વિસ્તારમાં આવેલી શાળાઓમાં બાળકોના પ્રવેશનું પ્રમાણ વધ્યું છે. આ ઉપરાંત સર્વ શિક્ષા અભિયાન હેઠળ સી.બી.એસ.ઈ. અભ્યાસ કરવા માંગતી કન્યાઓ માટે ઉડાન નામની એક યોજના આવી. કન્યાઓના શિક્ષણ માટે વિવિધ શિષ્યવૃત્તિ યોજનાનો અમલ કરવામાં આવ્યો છે. ઉચ્ચ શિક્ષણના સમગ્રલક્ષી વિકાસ માટે રાષ્ટ્રીય ઉચ્ચસ્તર અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું. સરકારે પ્રધાનામંત્રી વિદ્યાલક્ષ્મી કાર્યક્રમ હેઠળ વિધ્યાલક્ષી નામના એક વેબસાઈટ નામની શરૂઆત કરી છે. જેની હેઠળ ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવા માંગતા વિદ્યાર્થીઓને ધિરાણ આપવામાં આવે છે.

શિક્ષણે મહિલાઓને વધુ સક્ષામ બનાવી છે. જે સ્થળે કે વિસ્તારમાં શિક્ષિત મહિલાઓ છે તે સ્થળે સશક્તિકરણની પ્રકિયા વધુ ઝડપી થઇ રહી હોય છે. શિક્ષણ થકી મહિલા પોતાના નિર્ણય પોતાની રીતે પોતાની બુદ્ધિક્ષમતાના ઉપયોગથી લઇ રહી છે, પછી તે નિર્ણય પોતાના લગ્ન અંગેનો હોય કે માતૃત્વ અંગેનો

હોય કે પોતાના શિક્ષણ અંગેનો હોય. શિક્ષણ થકી મહિલાઓ પોતાના આર્થિક નિર્ણયો પુરુષ પર આધારિત ન રાખતા સ્વતંત્રતાથી લઇ રહી છે. ભારતની મહિલાઓ વિવિધ ક્ષેત્રમા વગદાર સ્થાનો ધરાવીને ઉચ્ચશિક્ષણમા નવી ઊંચાઈઓ સર કરી રહી હોવા છતાં હજુ પણ સમાજમાં જાતીય ભેદભાવ જોવા મળે છે. યુવાન છોકરા છોકરીઓને જાતીયતા અંગે સંવેદનશીલ બનાવવા માટે હકારાત્મક સામાજિક ધોરણો પ્રસ્થાપિત કરવાની જરૂર છે.

- **આરોગ્ય ક્ષેત્રે મહિલા સશક્તિકરણ:**

ભારતમાં ગરીબ અને વંચિતોને ગુણવાત્તાયુક્ત અને પોષાય તેવી આરોગ્ય અંગેની સગવડો પૂરી પાડવામાં સરકાર દ્વારા ખાસ પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા છે તેમાં મહિલાઓના આરોગ્ય અંગેના પણ પ્રયત્નો થયા છે. જીવન ટકાવવા માટે જે જરૂરી છે તેમાં આરોગ્ય એ એક ખુબજ જરૂરી બાબત ગણવામાં આવે છે. ભારતમાં એક તૃતીયાંશ કરતા વધુ વર્ગને બોડી માસ ઇન્ડેક્ષ ની સ્થિતિ સાથે સગર્ભાવસ્થાના પોષણનાં અભાવની બાબતમાં મોટો પડકાર છે. ભારતની મોટાભાગની મહીલાઓને કુપોષણની સ્થિતિ વિપરિત અસર કરી રહી હોવાના કારણે મહિલાને પુરતું પોષણ મળતું નથી. ઘણી મહિલાઓ એનિમિયાનો ભોગ બને છે. પ્રસુતિ દરમિયાન માતા અને બાળકને યોગ્ય પોષણક્ષમ આહાર મળે તે માટે સરકાર દ્વારા ધનિષ્ઠ બાળવિકાસ સેવાઓ (આઈ.સી.ડી.એસ.) ને અમલમાં લાવવામાં આવી છે. તેમજ તેની દરેક મહિલા સુધી પહોચાડવા ધનિષ્ઠ પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે.

માતાઓનાં મૃત્યુનો ગુણોત્તર ઘટાડવા માટે પણ પ્રયત્નો થતા રહ્યા છે. એમાં જનની સુરક્ષા યોજના હેઠળ મહત્વના પગલા લેવામાં આવ્યા છે. જેમ કે મહિલાઓને તદન વિનામૂલ્યે પ્રસુતિની સગવડ આ ઉપરાંત સગર્ભા માતા અને બાળકોને આરોગ્યલક્ષી સુવિધા પૂરી પાડવા માટે માતા અને બાળ સુરક્ષા કાર્ડ આપવામાં આવે છે. રસીકરણ સેવા માટે માતા ઉપરાંત બાળકનું ધ્યાન રાખવા માટે ટ્રેકિંગ સીસ્ટમ વિકસાવવામાં આવી છે. એન.એફ.એચ.એસ.-૪ નાં આકડા અનુસાર ૧૩ રાજ્યોમાં એવું જાણવા મળ્યું છે કે ત્યાં સગર્ભા અવસ્થા અને બાળકના જન્મ સમયે સારી સંભાળ અને સગવડનાં કારણે ભારતમાં બાળકો જીવતા રહેવાના દરમાં સુધારો થયો છે. નેશનલ હેલ્થ પોલિસી ૨૦૧૫ માં પણ મહિલાઓની પ્રજનનલક્ષી, આરોગ્યલક્ષી અને તેમના બાળકોની તબિયતને લગતી તેમજ આરોગ્યને લગતી ચોક્કસ જરૂરિયાતને પહોંચી વળવાની બાબતને જરૂરી ગણી છે. તેમાં ખાસ કરીને ગર્ભનિરોધક જેમ કે નિરોધ, કોપરટી, આંકડી, વગેરેનો ઉપયોગ વધારવો તેમજ પુરુષોની નસબંધી કરાવવી આવશ્યક ગણવામાં આવી છે.

- **આર્થિક ક્ષેત્રે મહિલા સશક્તિકરણ:**

અંતરિયાળ ક્ષેત્રમા વસવાટ કરતા સમાજને ઉભો કરવા માટે મહિલાઓને ઉત્થાન અનિવાર્ય બને છે. કારણ કે પરિવર્તનની પ્રણેતા તરીકે એક સ્ત્રી અદભુત ભૂમિકા અદા કરી શકે છે. મહિલાની પ્રગતિ માટે કાર્યક્રમ કે નીતિ ઘડાતા નિષ્ણાંત ઘણીવાર એવું માનતા હોય છે કે પછાત વર્ગની સ્ત્રી બહારની દુનિયા સાથે કામ કરી શકતી નથી અને પુરુષનું છત્ર સ્વીકાર્યા વગર તેનો છૂટકો નથી પરંતુ સૌથી ગરીબ વર્ગમાં મહિલાઓ વધુ સક્રિય હોય છે તેમજ તે મહિલામાં પુરુષનું નેતૃત્વ કરવાની ક્ષમતા વધુ હોય છે. પરિવારનું પાલન પોષણ કરનાર મહિલાની પ્રવૃત્તિ કડી આર્થિક મુલવણી પામતી નથી એટલે તેની મહેનતની કદર કરવામાં આવતી

નથી. ગામડાની એક મહિલાને ઘર માટે પાણી ભરવું, છાણા લાકડા લાવવા, કપડા ધોવા, ઘરકામ કરવું અને ખેતી કામમાં મદદ કરવા જેવા કામ સહેજે કરે છે. આ બધી સેવા જો પગારથી લેવાની હોય તેમ માનીને સરવાળો માંડો તો ખબર પડશે કે મહિલાનાં આ કામની કિંમત કેટલી ગણાય. નોબલ પારિતોષિક વિજેતા ડો. અમર્ત્ય સેન પણ મહિલાઓનાં યોગદાનને ગરીબી નિવારણના દૃષ્ટિકોણથી મૂલવતા લખે છે કે માનવ જાતની વર્તમાન દશા બદલવાની સમર્થતા ધરાવતા લોકો કોણ તે શોધવા નજર દોડાવવી હોય તો મહિલાનું યોગદાન તમારે માપવું જ પડશે. મહિલાઓનું સ્થાન ઉન્નત બનાવવા માટે ઘડાતી નીતિનું કેન્દ્રબિંદુ હવે સમયાંતરે બદલાવ્યા વગર ભારત અને વિશ્વનો છુટકો જ નથી.

ઘણાબધા પડકારો ઉપરાંત ભારતની લાખો મહિલાઓ પરંપરાગત અવરોધો પાર કરીને પોતાના ભવિષ્યનો માર્ગ કંડારી રહી છે. આ માટેના ફ્લેગશીપ કાર્યક્રમોમાં મહાત્મા ગાંધી નેશનલ રૂરલ એમ્પ્લોયમેન્ટ ગેરંટી સ્કીમ અને નેશનલ રૂરલ લાઇવલીહુડ મિશનનો સમાવેશ થાય છે. મહિલાઓને અર્થતંત્રનાં મુખ્ય પ્રવાહમાં લાવવા માટેની યોજના રાષ્ટ્રીય મહિલા કોષ છે. જે માત્ર ગરીબ મહિલાઓ માટે કામ કરે છે. અને તેમને નિયમિત ભંડોળ અને બજાર સાથેની કડી જોડી આપીને સહાયરૂપ થવામાં આવે છે. આ પ્રકારના મહિલા ઉદ્યોગ સાહસિકોને તથા સ્વસહાયજૂથ ને સહાય માટે સ્ટાર્ટઅપ નાં પ્રયાસ તરીકે રાષ્ટ્રીય મહિલા કોષ દ્વારા ઈ-હાટ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. જેથી મહિલાઓની મહેચ્છાઓ અને મહિલા ઉદ્યોગ સાહસિકોની જરૂરિયાત પૂર્ણ કરી શકાય. આર્થિક ક્ષેત્રે મહિલાની વાત આવે ત્યારે એક કહેવત ચોક્કસ યાદ આવે "જે કર ઝુલાવે પારણું તે જગ પર રાજ કરે"

- **ઉપસંહાર:**

મહિલાઓ દ્વારા ચળવળ અને સરકારો દ્વારા લેવાતા પગલા તેમજ બિનસરકારી સંસ્થાઓથી આવેલી જાગૃતિ વગેરેને લીધે સમાજમાં મહિલાઓ પ્રત્યેના અભિગમોમાં ચોક્કસપણે બદલાવ આવેલ જોવા મળે છે. મહિલાઓનું સશક્તિકરણનો હેતુ માત્ર લિંગભેદ સબંધોમાં પરિવર્તન પુરતો ન રહેતા સમાજના તમામ સબંધો જેમ કે ધર્મ, જ્ઞાતિ, વર્ગ, ભાષા વગેરે ક્ષેત્રમા પરિવર્તનથી છે. મહિલાઓ પ્રત્યેના દ્રષ્ટિકોણ કે પરીપ્રેક્ષ્યને શક્તિશાળી બનાવવાની જરૂર છે. તમામ બાબતોમાં મહિલાઓની ચિંતા થવી જોઈએ. તેમના પ્રત્યેના દ્રષ્ટિકોણમાં અને તેમની બાબતોમાં મહિલાઓને યાદ કરવા જોઈએ. પછી તે શિક્ષણ હોય, આરોગ્ય હોય કે આર્થિક કોઈપણ બાબત હોય. એ બાબતમાં કોઈ શંકા નથી કે આટલી મોટી વિવિધતા ધરાવતી લોકશાહીમાં મહિલાઓ માટે નોંધપાત્ર પગલા લેવાવા જોઈએ. તેમજ પુરુષપ્રધાન માનસિકતાને સમાજમાંથી જાકારો મળવો જોઈએ અને મહિલાઓને પોષણ, શિક્ષણ અને રોજગારીમાં સમાનતાની તકો ઉપલબ્ધ થવી જોઈએ.

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
September 2021 Page No. : 204-207

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

'हुल पहाड़िया' उपन्यास में चित्रित आदिवासी जीवन संघर्ष

–छत्रसिंग काल्या तडवी

शोधार्थी, हिंदी विभाग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद, (महाराष्ट्र) 431004

आदिवासी हमारे देश के मूलनिवासी है। यह सदियों से वनों में या पहाडों पर, निर्जन स्थानों पर अथवा कुछ ऐसी जगहों पर निवास करते आये है जहाँ पर अन्य वर्गों के लोगों की पहुँच नहीं थी। यही कारण है कि इनके उपर प्रारंभिक अवस्था में किसी सभ्यता या विकसित साधनों का प्रभाव नहीं था। परंतु इसके उपरांत आदिवासी समाज जीवन में बाहरी शक्तियों द्वारा हस्तक्षेप किए गए और आदिवासी समाज पर अत्याचार का सिलसिला शुरू हुआ। जिनके परिणाम स्वरूप उन्हें कुछ ऐसे कदम उठाने पड़े जो उनकी स्वतंत्रता एवं बचाव के लिए महत्वपूर्ण थे।

आदिवासी समाज कि कई जनजातियों ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए समय–समय पर भारत में विद्रोह किए उसमें पहाड़िया आदिवासियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा हैं। प्राचीन काल से आदिवासियों का शोषण शुरू हुआ था। स्वतंत्रता के पूर्व मुगल, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण अंग्रेजी शासन द्वारा किए गए अत्याचार एवं देसी सरकारों की कूटनितियों की वजह से आदिवासियों के अधिकारों का छिन जाने की घटनाओं से कई क्षेत्रों में आदिवासी लोगों को विद्रोह जैसे खतरनाक कदम उठाने पड़े और अपना बलिदान देना पड़ा। इनका विद्रोह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक स्तर पर होते हुए अन्याय के खिलाफ था। राकेश कुमार सिंह ने अपने उपन्यास 'हुल पहाड़िया' में इसी पहाड़िया आदिवासियों के विद्रोह का चित्रण किया है।

अंग्रेजों तथा जमींदारों के भोशण के प्रति व्रिदोह :–

अंग्रेजों तथा जमींदारों के शोषण के प्रति आदिवासियों ने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी और आदि विद्रोही तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़िया में व्रिदोह हुआ था। भारत के आदिवासियों की एक प्रमुख जनजाति है पहाड़िया। इस लड़ाई में हजारों आदिवासियों को मारा गया था, फिर भी उसका नाम इतिहास में दर्ज नहीं किया गया है। अंग्रेजों ने जबरा पहाड़िया को खूंखार डाकू और गुस्सैल तिलका मांझी कहा है। संतालों में भी मांझी होते है और बड़ी आबादी 1855 के हुल के कारण उनकी पहचान बनी। इसलिए तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़िया के संताल आदिवासी होने का भ्रम फैला हुआ था। तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया के रूप में इस उपन्यास में चित्रित किया गया है। जब कंपनी सरकार की कर वसूली के विरूध्द लड मरा था, मनसा पहाड़िया तब राकेश कुमार सिंह कहते हैं, ''अपने उन पुरखो के समक्ष मानो प्रतिबध्द हो रहा था जबरा पहाड़िया'' ओ जीवन के पार गए पूर्वज! आसमान में सिताने बने बैठे ओ

मेरे पुरखो, तुम्हारे जीवट और जुझारूपन की परंपरा को जीवित रखने के प्रतिबध्द है तुम्हारा यह वंशज जबरा पहाड़िया! तुम्हारा यह अंश तिलका।''[1]

आदिवासी समाज कंपनी सरकार से अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी मुंडा, संताल तथा पहाड़िया समाज का नाश करना चाहती थी। लेकिन पहाड़िया भी हार मानने को तैयार नहीं थे। वह पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार है। रामगढ़ और ओरमांझी के जमींदार चुटुपालू की घाटियों में सक्रिय थे। ये देसी जमींदार घाटी में बसे मुंडा और संताल आदिवासियों को कंपनी के विरूध्द भड़का कर उपद्रव करवा रहे थे। चुटुपालू की दुर्गम घाटियों से और मांझी के बिहड़ वन तक सरकारी खजाने लूटे जा रहे थे। कंपनी की डाक पर डाका पड रहा था, ''जाग तिलका, जाग! तू यहा चैन से सोया है और उधर राज लूट गया रे। फागुन की अवाज में घायल हिरण की पीड़ा थी। फागुन के निकट ही बैठा था। चांदो और तिभुवन भी। फागुन कह रहा था, मुझे इधर भेजकर चिलमिली साहेब आयो रानी के किले पर चढ बैठा रे। आयो रानी का राज–पाट कंपनी ने लूट लिया रे तिलका।''[2]

यह संघर्ष उस जीवन के लिए था– जिसकी नियती मरण है। एक ओर थे शोषित, वंचित, काले, अनपढ़, भूखे, पहाडों के चिर निवासी पहाड़िया समाज। दूसरी और थी, हडपनीति की आराधक विश्व की सर्वाधिक सभ्य सुशिक्षित होने का दावा करनेवाली अंग्रेज जाति है। जो पृथ्वी के जंगलतराई जैसे भू–क्षेत्रों को सभ्य और सुशिक्षित बनाने के पवित्र उद्देश्यों का नकाब धारे अविकसित क्षेत्र में सेंध लगाती थी। अपने साम्राज्यवादी पंजे गाड़कर उन क्षेत्रों पर सदियों की ढ़ास लाद कर वहाँ के आदिवासियों का खून चुसती रही थी। इस तरह राकेश कुमार सिंह ने अंग्रेजों तथा जमींदारों के शोषण के प्रति विद्रोह को इस उपन्यास के माध्यम से समाज के सामने रखने का प्रयास किया है।

पूंजीवादी व्यवस्था से प्रताड़ित आदिवासी समाज :–

मूलनिवासी ही भारत के मूल है। बाद में अन्य लोग यहा आकर बसे और उन्हें जंगलों में खदेड़ा गया। दुर्गम इलाकों, पहाड़ों पर बसे इन लोगों को भारतीय संविधान अनुसूचित जनजाति के नाम से संबोधित करता है। घुमक्कड़ जीवन इनके नसीब में है। यह समाज अज्ञान, अंधश्रद्धा, गरीबी, कुपोषण आदि का शिकार बना हुआ है। भारत में करीब सात करोड़ इनकी आबादी और एक सौ आठ इनके जनजातियों की संख्या है। भारत में गोंड, भील, संथाल, धारू, पहाड़िया जैसी अनेक आदिवासी जनजातियाँ है। भारत में मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एवं झारखंड राज्य में आदिवासी समाज बसा हुआ है। भारत के अन्य प्रदेशों में भी कम अधिक मात्रा में इनका दर्शन होता है। राकेश कुमार सिंह के इस उपन्यास में संथाल तथा पहाड़िया आदिवासी जनजातियों का वर्णन आया है। जो पूंजीपति, ठेकेदार, अफसर आदि का शिकार बने हैं।

जब भारत में आर्यों का प्रवेश हुआ उसके भी पहले से आजाद रहे थे पहाड़िया। भविष्य पुराण में वर्णित इस क्षेत्र 'नारी खंड' की अरण्यभूमि की आदि निवासी थी पहाड़िया, भुईया और खेतौरी जातिया। राजमहल, पाकुड, दुमका, गोड्डा आदि भू–क्षेत्र पहाड़िया राज्य के अंतर्गत ही आते थे। पहाड़िया लोगों को अपने पुरखो द्वारा स्थापित राज्य पर दीकुओं का वर्चस्व कभी स्वीकार नहीं था। तब पहाड़िया कहते हैं, ''अब कहा रे? मोगल आए, पैठान आए, मरहट्टे आए, दीकू लोगों ने पहाड़िया लोगों का सारा राज–पाट छीन लिया। तेलियागढ़ी, लकडागढ, समरूगढ़ सब। अब नए भुरंगी दीकू हम से जंगल भी छीन लेंगे हम पहाड़ पर चैन से नहीं रहेंगे।''[3]

पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा प्रताड़ित पहाड़िया आदिवासियों के शोषण एवं उत्पीड़न को दर्शाया गया है। पहाड़िया आदिवासी अपने पुरखों से पत्थर हटा–हटाकर पहाड़ खोदकर जमीन निकाल रहे हैं। पर आज इन्हीं मूल निवासियों को पूंजीवादी व्यवस्था विस्थापित कर रही हैं। शोषकों को सांपो के रूप में आंका गया है जो आदिवासियों के दयनीय जीवन के लिए जिम्मेदार है। शोषक सांपो के रूप में तो पहाड़िया मछली और मेंढक बनकर उनका चारा बने हैं, ''सोचता हूँ आयो कि राजा–जमींदार पहले भी थे लेकिन हम पहाड़िया कभी इतनी सांसत में नहीं थे। दिक्कत तब शुरू हुई जब से यह भुरंगी कंपनी आई है। हम जान गए है, हमारे दुःखों का कारण कंपनी ही है।''[4] राकेश कुमार सिंह ने 'हुल पहाड़िया' उपन्यास में पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा आदिवासी समाज के शोषण को उजागर किया है और सदियों से लेकर आज तक आदिवासी समाज का शोषण पूंजीवादी व्यवस्था करती रही है।

भ्रष्ट नौकरपेशा द्वारा आदिवासी समाज का शोषण :–

आदिवासियों का शोषण मुख्यतः भ्रष्ट नौकरपेशा द्वारा हो रहा है। ये आदिवासियों को अक्सर शोषित करते है। आदिवासी अनपढ़ गंवार होने के कारण इन्हें कानून–कायदों का ज्ञान नहीं होता। परिणाम स्वरूप उन्हें भ्रष्ट नौकरपेशा प्रताड़ित करते हैं। उनको अधिक से अधिक काम के बदले कम–से–कम मेहनताना दिया जाता हैं। इनका हर तरह से शोषण किया जा रहा है। आधुनिक सभ्य समाज में यह निरीह जीव अभिशप्त जिंदगी जी रहे है। जंगल में पदस्थापित 'ईस्ट इंडिया कंपनी' के कर्मचारी, उच्चाधिकारी वर्ग तक चावल की खरीद में खूब रूची ले रहे थे। चार आने में एक मन चालव खरीद रहे थे। बैलगाड़िया गांव–गांव घूमकर चावल की लादी लाद रही थी, पर हाट का पेट नहीं भर पा रहा था। पहाड़िया सरदार और मांझी गांव–गांव फिरते लोगों को समझा रहे थे। इस तरह अंधाधुंध चावल मत बेचो। सारे कोठिले भंडार खाली कर दोगे तो बूरे दिनों में क्या खाओंगे। लेकिन कोई भी इस बात को सुनने को तैयार नहीं था। सुगना मांझी भी अपने हित–परिचितों को सावधान करता फिरा था। रूपये के पीछे पागल मत बनो रूपया चबाने से पेट नहीं भरता है। अनाज सहेजकर रखो, थोड़ा सुरक्षित भंडार बचाकर रखो। पर सरदारों–मांझियों की बात सुनने को कोई तैयार नहीं था। तब पहाड़िया कहते हैं, ''हमारे पास जंगल है। कंद–मूल है खाने को। पशु–पक्षी का मांस है खाने को। चावल न भी रखे तो क्या? पानी बरसे, महुए के पेड़ तो कुछ न कुछ देंगे ही। चावल के बदले इतना रूपया नकद मिला है कभी? क्यों न बेचे चावल?''[5] कंपनी के अधिकारी–कर्मचारी संपूर्ण जंगलतराई का अनाज दूह कर अपने गोदामों में भर रहे थे। युध्दस्तर पर चावल की खरीद हुई थी। कंपनी चार आने में छहः मन तक चावल खरीदती थी। अकाल के समय वहीं चावल चार आने में मात्र एक सेर की दर पर बेचा जा रहा था। आदिवासियों का पूरा चावल रूपये का लालच दिखाकर लूट लिया था। अब आदिवासियों को याद आने लगी थी सरदारों की चेतावनियां। पहाड़िया लोगों के सामाने सुगना मांझी की सीख की सच्चाई थी, ''मत बेचो अंधाधुंध चावल। कंपनी सरकार सारे आदिवासियों को एक दिन भूखा मार देगी।''[6]

भूख संपूर्ण जंगलतराई में तांडव नर्तन कर रही थी। अकाल की काली छाया अरण्य के थलचर–भमचर को निगलती जा रही थी। घास–पात के बिना शाकाहारी मर रहे थे। मांस के बिना मांसाहारियों के प्राण संकट में थे। निरभ्र नीले चमकते आकाश में तैर रहे थे। गिद्धों के झुंड उनके भी उपर टंगे सूरज की प्राणों का रस सोख लेने वाली धूप माथे पर नाचती थी। संपूर्ण जंगलतराई भूख से हाहाकार हो रही थी। घर के गहने–बर्तन

बेचकर भी पेट की दाह शांत होती नहीं दिख रही थी। चावल ढूंढने घाट गए लोग क्लांत चेहरे खाली बहंगिया झुलाते गांव, घर लौटते थे तो सिर पर नाचती टिटहरी की चीख भी खिल्ली उड़ाती–सी लगती थी।

राकेश कुमार सिंह कहते है कि जिन आदिवासियों ने कभी सोचा तक न था की चावल भी हाट से खरीदकर खाना होगा। वे लोग जब खरीदने गए तो वहीं गोलदार जो कभी रूपये में छह मन चावल खरीदता था। अब चार रूपये में मात्र एक सेर चावल तौल रहा था। आदिवासी ठगे गए थे पहाड़िया सरदारों मांझियों की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। आदिवासियों के भूखे मरने का समय आ धमका था। पहाड़िया सरदार कहते हैं, ''होगा फागुन। अपना गोंद, कत्था, शहद, अनाज.... कुछ भी दलाल को मत दो। बिचौलिया बनिया से दूर रहो। सीधा हाट में बेचो। पैसा होगा तो सुख होगा। सुख होगा तो पर्व होगा, त्यौहार होगा।''[7] इस तरह से आदिवासी समाज का शोषण सदियों से लेकर आज तक भ्रष्ट नौकरपेशा द्वारा हो रहा है।

अरण्यमुखी संस्कृति से प्रताड़ित आदिवासी समाज :–

आदिवासी, गैर आदिवासियों के साथ–साथ अपनी आदिम जीवन पध्दति के कारण अधिक प्रताड़ित है। अरण्यमुखी संस्कृति इनके दुख–दर्द के लिए जिम्मेदार है। वे इसी संस्कृति से चिपके रहना चाहते है। परिणाम स्वरूप आज भी वे अविकसित और बर्बर जीवन जी रहे हैं। आदिवासियों के दुःख और उनकी समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं देता है। आदिवासी समाज जो है, वह मिल–जुलकर रहते है। कई आफत–विपत्ति आने पर लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। अरण्यवासियों की परंपराएँ अलिखित है, कही पर भी उनका नामों निशान नहीं दिखाई देता है। तो उसके बारे में राकेश कुमार सिंह कहते हैं, ''वनवासियों के दुःख साझा! अरण्यपुत्रो की समस्याएं सांझी! वन्य आपदाएं भी सबकी! मिल–जुलकर हर आफत–विपत्ती से जुझते है जंगल के लोग। अरण्य की परंपराएं अलिखित है। अलिखित है संविधान।''[8]

पहाड़िया आदिवासी समाज के लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आदिवासियों को गैर आदिवासियों ने अपनी संस्कृति से बहिष्कृत कर डाला है। अरण्यवासियों को पर्व–त्यौहार, पूजा–चढ़ावे से वंचित कर दिया है। इसलिए आदिवासी समाज का जीवन रस ही सूख गया है। क्योंकि सदियों से चली आ रही उनकी संस्कृति, रहन–सहन, खान–पान, सभी से वंचित रखा गया है। राकेश कुमार सिंह कहते हैं, ''सरल पहाड़िया लोगों को अपने घर–गांव की व्यथा सालने लगी थी। अपना अखरा अपने पर्व–त्योहार गीत, मांदल, उत्सव.... जैसे जीवन–रस ही सूख गया था। पूजा–चढ़ावे से वंचित..... बलि भोग से बहिष्कृत, अतृप्त आत्माओं की भांति भटक रहे थे पहाड़िया हुलमाहे।''[9] इस तरह से आदिवासी समाज को अरण्यमुखी संस्कृति से बेदखल किया जा रहा है।

इस प्रकार आदिवासी समाज अपना जीवन यापन करने के लिए संघर्ष करते रहें हैं। आदिवासी समाज अंग्रेजों तथा जमींदारों के शोषण के प्रति वह जुझते रहें हैं। उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आधुनिक दौर में उनके जीवन में आये परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उनका धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन प्रभावित हुआ है। इस उपन्यास में उनकी संस्कृति का लोप होते हुए दिखाई देता है।

संदर्भ सूची :–

1. हुल पहाड़िया, राकेश कुमार सिंह, 2012, पृ. 12
2. वही, पृ. 227
3. वही, पृ. 23
4. वही, पृ. 116
5. वही, पृ. 43
6. वही, पृ. 46
7. वही, पृ. 191
8. वही, पृ. 120
9. वही, पृ. 308

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
September 2021 Page No. : 208-210

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

रूढ़ियों परंपराओं के भंवरजाल में फंसी दलित नारी

-Dr. SAJITHA. J
Assistant Professor, Sri Ramakrishna College of Arts and Science, Coimbatore. Tamilnadu

भारतीय समाज में अनेक रूढ़ियाँ एवं परंपराएँ आज भी अस्तित्व में हैं, जो महिलाओं के सम्मान के विपरीत है। सभी प्रयत्नों और कानूनी प्रावधानों के बावजूद बाल–विवाह, देवदासी एवं जोगिनी प्रथा जैसी कुव्यवस्थाएँ लड़कियों को पराया धन मानकर उन्हें अधिक न पढ़ाने जैसे धारणाएँ, महिलाओं का कार्यक्षेत्र घर तक सीमित रखने जैसी मानसिकता आज भी विद्यमान है। आज के परिवेश में दहेज के कारण विवाहिताओं को जिंदा जलाया जाना सती–प्रथा का ही रूपांतरित चेहरा है। जाति या धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के शोषण होते हैं। जाति या धर्म के बाहर विवाह करने वाली युवतियों को इज्जत के नाम पर दी जाने वाली सजाओं में उन्हें सरेआम, अपमानित करने, निर्वस्त्र कर घुमाने, यौन–उत्पीडन और पेशाब पिलाने से लेकर उनकी हत्याएँ तक शामिल है। जाति, धर्म, समुदाय के नाम पर इसका उल्लंघन करने वालों के साथ हिंसा लगातार बढ़ रही है। ओमप्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया 'यह अंत नही' कहानी में बिरमा के साथ सचींन्दर बुरा व्यवहार करने की कोशिश करता है, जब यह बात पंचायत तक पहुंचती है तो भी इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि सचिंदर ऊँचे जाति का लड़का है। इसलिए उसे कोई सजा नहीं मिलती। इस तरह शारीरिक रूप से दलित लड़कियां के साथ शोषण हो रहा है।

स्त्री को दोयम दर्जे का माना गया है लेकिन दलित नारी की स्थिति अधिक शोचनीय है जैसे भूख के नाम पर फूसला लिया जाता है और उसके साथ शोषण किया जाता है। यह एक मार्मिक पहलू है। यही एक दलित स्त्री की वेदना है।

जिसे आए दिन हम समाचार पत्रों टी.वी. में देखते हैं। मीडिया को भी ऐसे दृश्य देखने में कोई आपत्ति नहीं है वह तो ऐसे दृश्य दिखाकर अपना व चैनल उद्धार करना चाहती है। इसमें कोई नहीं है। पुरुषों की समाज व्यवस्था जिसमें निर्णय लेने के सारे अधिकार पुरुषों के ही पास होते हैं। नारी मात्र की स्थिति कोई बेहतर नहीं है। फिर दलित नारी का तो कहना ही क्या?

रन्तकुमार संभरिया द्वारा लिखित 'फुलवा' कहानी में फुलवा दलित जाति का होने के कारण रामेश्वर उसके घर में पानी तक पीना चाहता।

रामेश्वर ने सूखा थूक निगला, ''दादी फुलवा चाहे सोने की हो जाए, रहेगी उसी जात की। मैंने तो उसके घर का पानी तक नहीं पिया। धर्म–भ्रष्ट होने से मर जाना अच्छा समझता है रामेश्वर।''

भारतीय समाज के इतिहास में नारी पूजनीय रही है और पांडित्यपूर्ण व्यक्तित्व के धनी है तो दूसरी ओर कन्या भ्रूण हत्या तेजी से हो रही है। इस तरह के अंतर्विरोधी के बावजूद पुरुष की ही जाती दिखाई देती है।

अशिक्षित व मजदूर वर्ग शिक्षित नारी के मन के किसी न किसी कोने में पुत्री की अपेक्षा पुत्र मोह की प्राथमिकता दिखाई देती है।

दलित स्त्री के साथ सदियों से शोषण एकसा रहा है और इनकी स्थिति प्रायः गौशाले के खूंटे में बंधे पशुओं की रही है। वे यह भी स्वीकार करते हैं कि समाज में पुरुषों का वर्चस्व धनिक जैसा था। संपूर्ण भारत में दलित महिला को निर्वस्त्र गाँव में घुमाने, बलात्कार करने या अंग–भंग करने की घटनाएँ छपती रहती है दलित महिला घर बाहर दोनों जगह शोषण का शिकार होती है तो समाज के अन्य जाति के पुरुष उसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहते हैं। स्वर्ण ब्राह्मणी संस्कृति–संस्कारों से दलित पुरुष भी दहेज उत्पीड़न का शिकार हो रहा है।

शराबी पति की मार पिटाई तो आम बात होती है। दलित महिलाओं का अपमान आए दिन होता रहता है। हाल ही में एक जाने–माने राजनेता के पैर धुलवाने की घटना घटी, जो अखबार व टी.वी. में छाई रही। इससे यह प्रतिबिंबित करती है कि हमारे राजनीतिक नेता की जो सोच किस तरह की होती है और किसी तरह परंपरा के नाम पर कुरीतियों को बढ़ावा दे रहे है। हद तो तब हो गई जब उनके निकट बैठे सज्जन बैठकर ताली बजाकर उत्साह वर्धन करते हैं। मंत्री महोदय मुग्ध होकर पाँव धुलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। दलित महिलाओं का इस तरह अपमान किया जाता है।

प्रेम कापाड़िया द्वारा लिखित 'जीवन साथी' कहानी में प्रेम की पत्नी रेखा का कुछ लोग बलात्कार करते हैं कारण वह एक दलित की बीवी है। बिना कुछ गलती की सजा दलित नारी को भुगतनी पड़ती है और कभी तो दलित नारी इसी हादसे में गुज़र करती है।

प्रेम, 'खबरदार! हाथ छोड़ दो....।' मैं कडककर सामने आ गया ''चल वे चमार! दलितों की बीवी हमारी बीवी होती है।'' कहने के साथ ही उसने रेखा को एक ओर खींचा। इस तरह दलित नारी के साथ शारीरिक शोषण किया जाता है।

समाज में महिलाओं के विरुद्ध फैली सामाजिक कुरीतियों, रीति–रिवाजों, प्रथाओं और कन्या शिशु भ्रूण हत्या की प्रवृत्तियों को स्पष्ट करती हुई अनिता पटेल ने एक जगह लिखा है कि, ''कुछ आदर्शवादी उदाहरणों के अलावा भारत में प्रचलित, संकुचित, सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्यों एवं मान्यताओं जैसी लड़की कोई अमानत मानना, अंतिम संस्कार से लेकर श्रद्धा या पिंड दान से संबंध में लड़कों को प्राप्ति की तीव्र लालसा, अन्य अनेक पूर्वग्रहों एवं भेदभाव के कारण न केवल नारी वजूद अपेक्षाकृत कमजोर हुआ है अपितु कन्या–भ्रूण को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि प्रचलित सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्य एवं मान्यताएँ किसी भी देश के सामाजिक परिवेश और जनसंख्या वृद्धि के व्यवहार संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।''

यह आधुनिक समाज की त्रासदी है कि हम बेटी के प्रति अपनी मानसिकता को बदलने के कामयाब नहीं हो सके। बेटी अगस्त ससुराल में खुश नहीं है तो उसकी करुण–गाथा को सुनकर भी हृदय में पत्थर रखकर यह स्वीकार कर लेते हैं कि अत्याचारी ससुराल वालों की घटनाओं को सहना ही बेटी की नियति है। यह बातें सभी और दिखाई देती है। चाहे वह सवर्ण या दलित नारी।

मध्यम वर्गीय परिवारों में जहाँ दहेज न जुटा पाने के कारण बेटी की शादी नहीं हो जाती है, वहाँ माता–पिता बेटी को स्वावलंबी न बनाकर उसे उलटे उलाहना देते है – तेरी वजह से हमारी यह दशा है, दर–दर

की ठोकरें खाकर भी तेरे हाथ पीले करने के लिए पैसा जुटा पा रहे हैं। जैसे इसमें अपराध बेटी का ही है। बेटी की सुंदरता उसकी शिक्षा तथा गुणों की राशि पूरी नहीं कर देते। अगर माँ–बाप का सहारा मिले तो लड़कियाँ अपने पैरों पर खुद खड़ी हो तो हो सकती है। कई बार दिन–प्रतिदिन तानों–उलाहनों से तंग आकर लड़कियाँ आत्महत्या कर लेती है। ऐसी नौबत न आए अतएव ज़रूरी है कि लड़कियों को स्वावलंबी बनाने वाला वातावरण अपने परिवार से मिले।

अंधविश्वास से विश्वास :-

दलित अशिक्षित होने के साथ अंधविश्वास भी होते हैं। वे हर किसी की बातों को सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान को दारु चढ़ाना, भूत–प्रेत इन बातों पर विश्वास करना इन सभी बातों का फायदा ऊँची जाति वाले उठाते हैं। इसकी वजह से बहुत सारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। अज्ञानता के कारण इन सभी समस्याओं को उन्हें झेलना पड़ता है।

संदर्भ :-

1. डॉ. कुसुम वियोगी–समकालीन दलित कहानियाँ–पृ.सं. 51
2. वही, पृ. 83
3. डॉ. मोहम्मद जीमल अहमद–अंतिम दशक के हिंदी उपन्यासों की ग्रामीण पृष्ठभूमि, पृ.सं. 21
4. विजयकुमार 'संदेश' नामदेव–दलित चेतना और स्त्री विमर्श, पृ.सं. 205
5. अलका श्रीवास्तव–अंधेरों के बीच–पृ.सं. 81

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
September 2021 Page No. : 211-214

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

A Review On Achievement And Motivation of Students Enrolled In Teacher Training Course

-Dr. Shakila Azim

Associate Professor, Deptt. of Psychology, M.D.D.M. college Muzaffarpur

-Manoj Kumar

Research Scholar, Dept. of Education, B. R. A. Bihar University, Muzaffarpur

Introduction :-

The past decade has witnessed an increase in research on teacher motivation which has been proved a crucial factor closely related to a number of variables in education such as student motivation, educational reform, teaching practice and teachers' psychological fulfillment and well-being. To address the constant calls for teacher motivation research, this paper attempts to pose a comprehensive review of teacher motivation studies conducted from diversified theoretical perspectives. Five research areas related to teacher motivation research have been identified: influencing factors of teacher motivation; teacher motivation and teaching effectiveness; teacher motivation and student motivation; teacher motivation research across different disciplines; and the instruments for assessing teacher motivation. Based on a critique of existing literature in terms of theoretical perspectives, research methodology, research content and concerns about contextual issues, potential directions for future research are finally proposed. Research on teacher motivation has developed and expanded since the late 1990s, and the past decade has witnessed a marked increase in literature in the area of teacher motivation research across various social cultural contexts. A significant step forward was the release of the special issue on motivation for teaching by Learning and Learning in 2008 with the focus on relating the current motivational theories to the domain of teaching which has been called a "Zeitgeist of interest" by Watt and Richardson (2008a). As a big contribution to the application of motivational theories in the new research domain of teachers in their career choice, education studies and professional commitment, the special issue was an important impetus to setting the agenda for future teacher motivation research.

We study the effects of various types of education and training on the ability of teachers to promote student achievement. Previous studies on the subject have been hampered by inadequate measures of teacher training and difficulties addressing the non-random selection of teachers to students and of teachers to training. We address these issues by estimating models that include detailed measures of pre-service and in-service training, a rich set of time-varying covariates, and student, teacher, and school fixed effects. Our results suggest that only two of the forms of teacher training we study influence productivity. First, content-focused teacher professional development is positively associated with productivity in middle and high school math. Second, more experienced teachers appear more effective in teaching elementary math and reading and middle school math. There is no evidence that

either pre-service (undergraduate) training or the scholastic Learning of teachers influences their ability to increase student achievement. In fact teaching is a highly skilled job and cannot be done satisfactorily without sound preparation for it. Today those who take to teaching profession seems to take it up just because they cannot find another occupation and they are ready to leave it for other lucrative professions. That is why every education commission pointed out the need for improving teacher's status, salaries and service conditions. Education commissions also recommended the need for providing adequate facilities to teachers for pursuit of knowledge and professional growth. These plans and programmes are ultimately intended to bring about an effectiveness in teachers which will reflect in their teaching performance. There are several factors that contribute to Achievement Motivation of teacher trainees in colleges of Education. The most important factor which contributes to the achievement motivation of Teacher training programme in B.Ed. are adequacy of talents, teaching skills, all kinds of knowledge, service mindedness, facilities, availability of necessary equipment, appropriateness of the content, materials instructional approaches and methodology of training and competency of Teacher educators and the Principals.

Keywords :- Achievement, Teacher, Motivation, Teacher, Learning, Learning, Pre-service.

Achievement Motivation :-

Achievement motivation is relatively a new concept in the world of motivation. It is essentially a type of motivation that is personal in nature. Those who engage themselves in a task on account of an achievement motivation are said to work under the spirit of achievement motivation. The need for achievement is bound to develop in early childhood within the dynamics of mother-child interactions. The home of the child tends to insists that he develops on his own rather than becoming a subordinate part of the family unit to which he must sacrifice his individual interest. Achievement motivation may be associated with a variety of goals, but in general the behaviour adopted will involve activity, which is directed towards the attainment of some standard of performance of level of aspirations and to reach this through his own efforts, overcoming any obstacles to his success. Certain persons have a strong persistent desire to be active especially long term goals in a variety of situations. The present belief towards teaching profession is that, "teachers are made not born". Teaching is a highly skilled job and cannot be done satisfactorily without sound preparation. Most of the Teacher Trainees' perform well. Teacher trainees should be highly Motivated towards teaching profession.

Motivation In Teacher Training Course :-

Motivation is usually understood to reflect an internal condition. It may develop from physiological needs and drives or from complex desires, such as the desire to help others, to obtain approval, or to earn a high income. Motivation is an inferred concept that links a person's internal conditions to external behaviour; it cannot be observed directly, but we can infer its presence based on its behavioural effects. Motivation initiates, activates, or maintains behaviour for example because Jim Abbott is motivated to become a good ball player, he initiated a regimen of practice, which he may maintain throughout the respective next season. Over the long run, the best way to strengthen teacher ability and motivation may be to attract capable, intrinsically motivated people into the profession. In many countries and economies, the youth who plan to go into teaching are not among the highest academic performers (figure 6.2). In Finland, teaching is a coveted profession, largely because teachers receive great respect, are well trained, are reasonably paid, and have autonomy to implement teaching standards.

Recent Status Of Achievement And Motivation In Teacher Training Course :-

In recent years, school innovations have become increasingly important for worldwide reforms in an attempt

to improve education and to switch from traditional teaching practices (teachercentered) to more creative student-centered approaches (e.g., cooperative, project-based learning). A notable example is Greece where many top-down reform efforts have been made in the last ten years in an attempt by the Ministry of Education to improve education and to align national curricula with international trends (e.g., Cross Thematic Curriculum, 2003; New books, 2006; New School-Priority the student, 2011). In the most recent educational change, an innovative new course namely Research Project, was introduced to Greek high schools.

Teacher Motivation And Teaching Essential :-

Teacher motivation is an essential component to enhance classroom effectiveness (Carson & Chase, 2009). As students' learning outcomes are highly dependent on the quality of instruction, teaching effectiveness has been explored in terms of teaching styles, teacher approaches to teaching, teaching practice and instruction behaviours in relation to teacher motivation factors (e.g. Butler & Shibaz, 2014; Han, Yin, & Wang, 2015; Kunter et al., 2008; Retelsdorf, Butler, Streblow, & Schiefele, 2010; Retelsdorf & Günther, 2011; Thoonen, Sleegers, Oort, Peetsma, & Geijsel, 2011).

Inspired by research into students' goal orientations for learning, for which the relationship between different personal goals for learning and strategies students used when learning has been established (Nolen, 1988), the relationships between different goals for teaching and the teaching behaviours have been explored on the basis of achievement goal theory. Retelsdorf and his colleagues (2010) proposed that teachers' goal orientations for teaching predicted the goals for learning that they emphasized in the classroom, which in turn influenced students' goals. However, the links between teachers' goal orientations for teaching and their teaching practice were inconsistent among Germany and Israel teachers. Therefore, Retelsdorf and Günther (2011) opined that 'the degree to which teachers promote students' comprehensive learning rather than surface learning might be taken as an indicator for instructional quality (p. 1112)', and proposed a model indicating the sequential relations between teacher goal orientations for teaching, reference norms and instructional practice. The reference norms were distinguished between individual reference norms and social reference norm, and the distinction of instructional practices was made between teachers' promotion of deep learning and surface learning in the classroom. Results of the study supported the indirect effects of mastery goals through the individual reference norm on comprehensive learning and negative effects through the social reference norm on surface learning, and the positive indirect effects of ability-approach and ability-avoidance goals on surface learning through the social reference norms.

In addition, Hein et al. (2012)'s study with physical education teachers from five countries examined the relationship between teacher motivation and teaching styles. The study confirmed the hypothesis that teachers' autonomous motivation was related to productive (student-centred) teaching styles while non-autonomously motivated teacher adopted reproductive (teacher-centred) teaching styles. Based on Leithwood, Jantzi and Mascall's (2002) framework of educator performance, Thoonen et al. (2011) developed a model of relations among teacher motivational factors, school organizational conditions, leadership practices, professional learning activities and teaching practices. The model assumes that teacher motivation indirectly influences the quality of teaching practice through their engagement in professional learning activities. To test this hypothesis, they conducted a study with a large-scale sample of elementary school teachers in the Netherlands to examine the impact of teacher motivation on teaching practice improvement. The three motivational factors (expectancy, value and affective) were found to have different effect on teacher engagement in professional learning activities. Specifically, of all the motivational

components, teacher self-efficacy explains most of the variance in teacher learning and teaching practices; value component indirectly influences teachers' sense of self-efficacy and engagement in teacher learning to a great extent; and the affective component in terms of teacher well-being and job satisfaction inhibit teachers' motivation to engage in learning and improve teaching practice.

Motivation involves being moved to do something. A person who feels no driving force to act is thus characterisized as unmotivated, whereas someone who is activated toward a goal is considered motivated (Ryan & Deci, 2000). Motivation is generally defined as a "force, stimulus, or influence" that moves a person or organism to act or respond. According to Webster's Dictionary, motivation is "the psychological feature that arouses an organism to action;" and "the reason for the action." Thus, motivation relates to the internal processes that "move, impel, induce, or incite," people to do the things they do. It is "the call to action" that stimulates us to initiate behaviors in the world around us. "Needs, drives, and desires" are typically cited as internal motives of our behaviors. "Incentives, rewards and reinforcement" are considered motivations derived from external sources (Dilts, 1998)

References :-

1. Abrol, D.N., (1977). 'A Study of Achievement Motivation in Relation to Intelligence, Vocational Interests, Achievement, Sex and Socio Economics Status in M.B. Buch (Ed.), Third Survey of Research in Education, New Delhi, NCERT.
2. Agarwal, P.C., (1974). 'A Study of the Correlates of Achievement Motivation' in M.B. Buch (Ed.), Second Survey of Research in Education, Baroda, SERD.
3. Ahluwalia, I., (1985). 'A Study of Factors Affecting Achievement Motivation' in M.B. Buch (Ed.), Fourth Survey of Research in Education, New Delhi, NCERT.
4. Best, J.W., (1977). 'Research in Education', Third Edition, New Delhi, Prentice Hall of India Ltd.
5. Campbell and Barnes (1969). 'Psychology of Learning and Teaching', New York, Mc Graw Hill Book Company.
6. Gupta, J.P., (1978). 'A Study of Anxiety and Achievement Motivation in Relation to Academic Achievement, Sex and Economic Status' in M.B. Buch, Third Survey of Research in Education, New Delhi, NCERT.

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
September 2021 Page No. : 215-218

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

साहित्य और समाज का सम्बन्ध

–डॉ. सुनीता राठौर

सहायक प्राध्यापक (हिन्दी), शासकीय एम.एम.आर. स्नातकोत्तर महाविद्यालय चाम्पा (छ.ग.)

साहित्य समाज का दर्पण है, समाज का प्रतिबिम्ब है, समाज का मार्गदर्शक है तथा समाज का लेखा–जोखा है। किसी भी राष्ट्र या सभ्यता की जानकारी उसके साहित्य से प्राप्त होती है। साहित्य लोक जीवन का अभिन्न अंग है। किसी भी काल के साहित्य से उस समय की परिस्थितियों, जनमानस के रहन–सहन, खान–पान व अन्य गतिविधियों का पता चलता है, समाज साहित्य को प्रभावित करता है और साहित्य समाज पर प्रभाव डालती है। दोनो एक सिक्के के दो पहलू है। साहित्य का समाज से वहीं संबंध है, जो संबध आत्मा का शरीर से होता है। साहित्य समाज रूपी शरीर की आत्मा है। साहित्य अजर–अमर है। महान् विद्वान योन नागोची के अनुसार समाज नष्ट हो सकता है, राष्ट्र भी नष्ट हो सकता है किन्तु साहित्य का नाश कभी नहीं हो सकता।

साहित्य का उद्देश्य मनोरंजन करना मात्र नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य समाज का मार्गदर्शन करना भी है। राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्ता के शब्दो में :–

''केवल मनोरंजन न कवि, का कर्म होना चाहिए
उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए।''

प्रमुख साहित्यकार आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का सचित प्रतिबिंब माना है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ''ज्ञानराशि का संचित कोश'' कहा है। भारतीय संस्कृत साहित्य ऋग्वेद से प्रारंभ होता है। व्यास, वाल्मीकि जैसे पौराणिक ऋषियों ने महाभारत एवं रामायण जैसे महाकाव्यों की रचना की। भास, कालिदास एवं अन्य कवियों ने संस्कृत में नाटक लिखे। भक्त साहित्य में अवधी में गोस्वामी तुलसीदास, ब्रजभाषा में सूरदास, मारवाडी में मीराबाई, खड़ी बोली में कबीर, रसखान मैथिली में विद्यापति आदि प्रमुख है। जिस राष्ट्र और समाज का साहित्य जितना अच्छा होगा, उसका राष्ट्र और समाज उतना ही अच्छा होगा।

समाज और साहित्य का सम्बन्ध :–

साहित्य और समाज का घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। साहित्यकार समाज में रहते हुए ही अपने साहित्य का सृजन करता है। व्यक्ति कितना भी आगे बढ़ जाये, पर समाज के अन्तर्गत ही रहता है, समाज को रयूटर ने परिभाषित किया है –''समाज एक अमूर्त धारणा है, जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधो की जटिलता का बोध कराती है।''[1]

साहित्यकार का कार्य समाज की बुराईयॉ ही दिखाना नहीं होता, बल्कि जो समाज में चल रहा है उसको नये रूप में पेश करना होता है। समाज की बुराईयों को हटाकर भलाई हो सके ऐसे करते है। प्राचीन काल से ही भारत के साहित्य में हमेशा बुराई पर अच्छाई की विजय दिखाई जाती रही है। कवि तुलसीदास, कबीरदास समाज में होने वाले सामाजिक बुराईयों को दूर करके अच्छाई की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। मैथिलीशरण गुप्त अपने गर्भशाली अतीत और युग–पुरूषों का स्मरण करके यह कहने को विवश हो जाते है कि–

''हम कथन थे, क्या हो गए है और क्या होगें अभी
आओ विचार करें, आज मिलकर यह समस्याएं सभी।''[2]

इस प्रकार कहा जा सकता है कि साहित्य में समाज को प्रेरित करने एवं उसे सही दिशा प्रदान करने की अनन्त शक्ति होती है।

साहित्य समाज से पलायन है :-

साहित्य समाज से पलायन नहीं है, जबकि उसे कलावादियो ने पलायन बताया है। साहित्य एक प्रभावी माध्यम है, जो बदलाव में काम आता है किन्तु पलायन पर लगाम लगाना ही साहित्य का धर्म है। साहित्य जीन योग्य मार्ग दिखाता है। वह चिर नूतन काम कर आपत्ति से बचता है लेकिन कुछ ऐसा भी साहित्य होता है जिसे पढ़कर मनुष्य भला करने की सोचता है। जीने का साहस छूट जाता है पर हरिवंशराय बच्चन ने साहस बनाए रखने के लिए कहा है – ''माँझी, कविता में वे कहते है –

''धूलिमय नभ क्याइसी से
बाँध दूँ मैं नॉव तट पर।''[3]

साहित्य समाज का दर्पण है –

लेखन ऐसा चाहिए, जिसमें हो ईमान।
सद्कर्म और मर्म ही, हो जिसमें भगवान।।

जिस प्रकार आत्मा और परमात्मा का बिम्ब एक दूसरे को प्रतिबिम्बित करता है उसी प्रकार साहित्य और समाज भी एक दूसरे को प्रतिबिम्बित करते है। लेखक एवं साहित्यकार सदा से ही अपनी लेखनी के माध्यम से समाज की प्रतिष्ठा को निखारते है। साहित्यकार समाज और राष्ट्रनिर्माण में अपना बहुमूल्य योदान देते हुए नवाचार के द्वारा विकास में एक नयापन भी लाते है किन्तु आज भी इनकी प्रासंगिकता बनी हुई है। वर्तमान में अनेक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक–सांस्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक और सामरिक समस्याएं वैश्विक समुदाय के सामने उपस्थित है, जैसे आतंकवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, अवैध व्यापार इत्यादि। इस प्रकार की अनेक समस्याओं को लेखक अपनी सशक्त लेखनी के माध्यम से निर्भीक और स्वतंत्र होकर समाज के सामने उपस्थित करता है ताकि देश के जिम्मेदार नागरिकों में जब जागरूकता और सतर्कता का प्रसार हो और वे अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से निभा सकें।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है – ''जब प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिम्ब होता है तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ–साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है।'' इस कथन में समाज की सारी भावनाएं, महत्वकांक्षाएं प्रेरणाएं स्पष्ट रूप से झलकती है।''[4]

माखनलाल चतुर्वेदी ने 'उलाहना' कविता के माध्यम से समाज में होने वाले पूंजीपतियों और मजदूर वर्गो के बीच वर्गहीनता को दूर करने क प्रयास किया देखिए इस कविता के माध्यम से –

''तुम्ही जब याद की टीसें भुलाते हो।
भला फिर प्यार का अभिमान क्यों जीये?
तुम्ही बलिदान के मंदिर गिराते हो, भला मधुदान का मेहमान क्यो जीये?
भुला दी सूलियाँ? जैसे सभी कुछ जमाने से तालियो से
पा लिया तुमने
न तुम बदले, न युग बदला, भले साथी
बताओ तो किसे बदला लिया तुमने?''[5]

इसमें कवि ने पूंजीपतियों पर व्यंग्य किया है। चतुर्वेदी जी कहते है कि हे देश के पूंजीपतियों तुम्ही जब देश कि निचले तबके (मजदूर वर्ग) को याद नहीं रखते तो वह तुमसे प्यार के संबंध, क्यो बनाए? उसे तुम्हारे साथ संबंध होने का घमंड क्यों हो? क्योंकि उसने तुम्हे पूंजीपति बनाने में जो बलिदान दिया है, तुम उसे याद नहीं रखते। वह तुम्हारे लिए सूलियों पर चढ़ गया, तुम तो जहां की प्रशंसा में खो गए। तुम्हे गरीब वर्गो को लेकर चलना चाहिए, ताकि दोनो के बीच जो फासले है वे मिट सके और समाज में होने वाले वर्गहीनता दूर हो सके, इस प्रकार चुर्वेदी जी ने समाज के प्रति लोगों को जागरूक किया है।

सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्रीय काव्य धारा से संबंधित प्रमुख रचनाएँ है – जालियॉवाला, बाग में बसंत, विजयादशमी, लक्ष्मी बाई की समाधी। ''झॉसी की रानी'' नामक कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने जनसामान्य में राष्ट्रीय चेतना को उजागर किया है। तत्कालीन समाज में स्वतंत्रता का अमर मंत्र फूंकने के कारण उनकी यह रचना ऐतिहासिक महत्व रखती है। सुभ्रदा जी की निम्न पंक्तियों में देश प्रेम की भावना को देखिए –

''सिहांसन हिल उठे राजवंशो ने भृकुटि तानी थी
.....
.....
दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी।''[6]

नारी और समाज :–

नारी का समाज में विशेष स्थान है। सारा का सारा भारतीय साहित्य नारी के विविध चित्रो से ओतप्रोत है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज की सारी मान्यताएं मर्यादाएं उसके युग के साहित्य में स्वतः ऊमर उठती है। यहीं कारण है कि आदिकाल से लेकर आज तक साहित्य में चित्रित नारी के विविध रूप अपने युग की नारी विषयक मान्यताओं के ही प्रतिरूप में है। नारी के बिना तो समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती। कहा भी गया है कि – ''यत्र नर्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।''[7]

वर्तमान में कुरूप सामाजिक समस्याओं जैसे दहेज, शारीरिक व मानसिक हिंसा की शिकार स्त्री के अत्यंत सजग होने की आवश्यकता है। उसे भरपूर आत्मविश्वास व योग्यता अर्जित करनी होगी तभी वह सशक्त व समर्थ व्यक्तित्व की स्वामिनी हो सकेगी। अन्यथा उसका प्राकृतिक कोमल स्वरूप संरचना तथा अज्ञानता उसे समाज के शोषण का शिकार बनने पर विवश कर देगा। नारी के इसी कल्याणमयी रूप को लक्ष्य कर हिन्दी के छायावाद

के सशक्त हस्ताक्षर जयशंकर प्रसाद ने कहा है –

''नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नभ पग तल में,
पीयूष स्त्रोत सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में।''[8]

इस प्रकार साहित्य के माध्यम से नारी को ऊँचा स्थान मिलता है।

''बूढ़ी काकी'' प्रेमचंद जी की एक सामाजिक कहानी है। ''बूढ़ी काकी'' मानवीय भावना से ओत–प्रोत की कहानी है। इसमें उस समस्या को उठाया गया है जिसमें परिवार के बाकी लोग घर के बुजुर्गों से धन–दौलत लेने के लिए उनकी उपेक्षा करने लगते है। इतना ही नहीं उनका तिरस्कार किया जाता है उनका अपमान किया जाता है, और उन्हे खाना भी दिया जाता है। इसमें भारतीय मध्यमवर्गीय परिवारों मे होने वाली इस व्यवहार का वीभत्स चित्र उकेरा गया है। ''बूढ़ी काकी'' के कोई पुत्र–पुत्रिया न रहने के कारण वह अपनी सारी सम्पत्ति अपने भतीजे बुधराम के नाम पर कर देती है बहु रूपा उसको बहुत तकलीफ देती है। बुढ़ी काकी के भतीजे के पुत्र की सगाई के समय घर में तरह–तरह के पकवान बने होते है, सारे मेहमानों को दी जाती है परन्तु बूढ़ी काकी को एक कमरे से निकलने के लिए मना किये जाते है। बूढ़ी काकी को जब भूख लगती है। तो वह बाहर निकलकर जिस पत्तल को कुत्ता चाट रहे थे, उसे वह खा रही थी। मेहमान सभी लोग खा लिये परन्तु बुढ़ी काकी को भोजन के लिए किसी ने नहीं पूछा इसी बात को प्रेमचंद जी ने इस प्रकार व्यक्त किया है। ''मेहमानो ने खाना खाया। घरवालो ने खाया, बाजे वाले, धोबी, चमार भी खा चुके लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा।''[9] इस प्रकार बाद में उसके भतीजे और बहु को आत्मग्लानि होती है, और दोनो उनसे क्षमा याचना मांगते हे। इस प्रकार प्रेमचंद जी साहित्य के माध्यम से समाज के लोगों को जागरूक करते है कि हमें हमारे घर में समाज में बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करना चाहिए।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है, कि साहित्य और समाज का अटूट सम्बन्ध है। अच्छा साहित्य व्यक्ति और उसके चरित्र निर्माण में भी सहायक होता है। यहीं कारण है कि समाज के नव निर्माण में साहित्य की केन्द्रिय भूमिका होती है। उदाहरण स्वरूप साहित्य अतीत से प्रेरणा लेता है, वर्तमान को चित्रित करने का कार्य करता है और भविष्य का मार्गदर्शन करता है। साहित्य को समाज का दर्पण भी माना जाता है।

सन्दर्भ–ग्रंथ :–

1. विश्वेश्वरैया (अनु.) समाज पृ. 25
2. मैथिलीशरण गुप्त, भारत–भारती, पृ. 10
3. संचेतना–61, सं. महीपसिंह, पृ. 30
4. सुगम हिन्दी व्याकरण और रचना, प्रो. मनोहर व्यास, पृ. 345, प्र.सं.194
5. नवबोध परीक्षा सार, हिन्दी साहित्य बी.ए. द्वितीय वर्ष, प्रथम प्रश्न पत्र, पृ.सं. 50, नवबोध, प्रकाशन, 7 समता कॉलोनी रायपुर छत्तीसगढ।
6. नवबोध परीक्षा सार हिन्दी साहित्य, बी.ए. द्वितीय वर्ष, प्रथम प्रश्न पत्र पृ. सं. 116 नवबोध प्रकाशन 7, समता कालोनी, रायपुर (छ.ग.)
7. आधुनिक कालीन हिन्दी साहित्य में नारी अस्मिता का धरातलीय सच संपादक – डॉ. रमेश टण्डन, पृ.सं. 191
8. आधुनिक कालीन हिन्दी साहित्य में नारी अस्मिता का धरातलीय सच संपादक – डॉ. रमेश टण्डन, पृ.सं. 61
9. ''बूढ़ी–काकी'' प्रेमचंद

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
September 2021 Page No. : 219-221

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

'सेवासदन' उपन्यास में वर्णित सामाजिक समस्या

–डॉ. कंचन पुरी, एसोसिएट प्रोफेसर,
–ग्रीशा, शोध छात्रा
हिन्दी विभाग, रघुनाथ गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, मेरठ।

हिन्दी साहित्य ही नहीं वरन् अन्य किसी भाषा का भारतीय पाठक जब उपन्यास विधा पर कोई चर्चा करता है, तो निःसन्देह प्रेमचन्द व उनका उपन्यास सृजन विशेष महत्व रखते हैं। हिन्दी साहित्य में प्रेमचन्द के उपन्यास, उपन्यास विधा रूपी वृक्ष के सुदृढ़ तने की भाँति प्रतीत होते हैं। जो परवर्ती उपन्यासकारों को फूलने फलने के लिए सशक्त व सार्थक आधार, तैयार करते हैं। डॉ0 नगेन्द्र के अनुसार–''हिन्दी उपन्यास साहित्य के सन्दर्भ में आलोच्य युग को 'प्रेमचन्द्र–युग' की संज्ञा लगभग निर्विवाद रूप में मिल चुकी है, क्योंकि 'सेवासदन' (1918) का प्रकाशन न केवल प्रेमचन्द (1880–1936) के साहित्यिक जीवन की, वरन् हिन्दी उपन्यास की भी एक महत्वपूर्ण घटना थी।''

प्रेमचन्द पहले उर्दू में लिखते थे फिर हिन्दी, रूपान्तर करते थे, इसी क्रम में 'सेवासदन' को पहले उर्दू में 'बाजारे हुस्न' शीर्षक से लिखा गया परन्तु हिन्दी में ही पहले प्रकाशित हुआ। प्रेमचन्द ने हिन्दी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया।

'सेवासदन' को पढ़ते हुऐ पाठक के मन मस्तिष्क में स्वतः ही समाज का सजीव चित्र अंकित होता जाता है, कथ का पहला वाक्य ही मानव जीवन का यथार्थ कहता है–''पश्चाताप के कड़वे फल कभी न कभी सभी को चखने पड़ते हैं, लेकिन और लोग बुराइयों पर पछताते हैं, दारोगा कृष्णचंद्र अपनी भलाइयों पर पछता रहे थे।'' जो पाठक को सार्थक भी प्रतीत होता है और मन में कथा के प्रति जिज्ञासा भी, इसी के साथ 'समस्या' का भी उद्घाटन हो जाता है।

कथानुसार दारोगा कृष्णचंद्र उदार और सज्जन मनुष्य थे, वह भाई–चारे का सा व्यवहार करते थे किन्तु उनके मातहतों (अधीनस्थ या कनिष्ठ कर्मचारी) की दृष्टि में दारोगा कृष्णचंद्र की भलमनसी में उनका पेट नहीं भरता था। जिसके कारण समस्याओं का जन्म होता है, सबसे पहले तो कृष्णचंद्र को अच्छाई कैसे और क्यों एक समस्या बन जाती है पहले तो उनके मातहतों के लिए वाद में इसी भलाई से समस्याएँ ही नहीं बल्कि परिवार की दुर्दशा होती है।

दारोगा कृष्णचंद्र की कन्या सुमन व शांता लाड़ प्यार से पलीं। सुमन का सोलहवां वर्ष लग गया, विवाह की चिन्ता हुई। वर खोजने निकले कि वरों का मोल किया जाता, कोई पाँच हजार तो कोई आगें। कृष्णचंद्र निराश हो कर कह सकते हैं–''धर्म का मजा चख लिया, सुनीति का हाल देखा, अब लोगों को खूब दबाऊँगा,

खूब रिश्वतें लूँगा।'' इस प्रकार समाज के एक सज्जन को समाज के कारण कुमार्ग पर चलना पड़ता है, कृष्णचंद्र अनुभव के अभाव में रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं, परिणाम स्वरूप पाँच वर्ष की कैद हुई। एक समस्या के कारण अन्य समस्याओं को जैसे न्यौता मिल गया। किशोरी 'सुमन' का विवाह सुमन के मामा उमानाथ ने बनारस में 'दुआह' पुरुष से करा दिया। गंगाजली दामाद को देखकर बहुत रोई। सुमन ससुराल आई, अभी तक सुमन का वास्तविकता से परिचय न था परन्तु अब वह एक गृहिणी थी जिसके कन्धे पर घर चलाने का दायित्व था। यह दायित्व कि प्रत्येक कन्या के लिए नया तथा थोड़ा कठिन तो होता है परन्तु वैवाहिक बन्धन से उत्पन्न परस्पर दाम्पत्य प्रेम से दायित्व का भार, भार नहीं प्रतीत होता। परन्तु सुमन के समक्ष यह प्रबल समस्या के रूप में उपस्थित हुई अथवा यह कहना अनुचित न होगा कि सुमन के जीवन की प्रथम समस्या उसके मन में अपने पति गजाधर के प्रति प्रेम का अभाव ही था। इसका मुख्य–कारण सुमन व गजाधर का बेमेल विवाह था। सुमन गृह प्रबन्ध में कुशल न थी,परन्तु वह अब गृहस्वामिनी थी। फलस्वरूप महीने भर का खर्चा दस दिन रहते ही खर्च कर चुकी, गजाधर स्वभाव से कृपण था झगड़े होने लगे, अब सुमन उसके सामने फूटे कर्म का रोना रो कर उसे और हताश कर देती थी, गजाधर को सुमन के हृदय की शिथिलता का परिचय होने लग–''अतएव वह अपने प्रेम और परिश्रम का फल न पा कर, उसे अपने शासनाधिकार से प्राप्त करने की चेष्टा करने लगा, इस प्रकार रस्सी में दोनों ओर से तनाव होने लगा।''

कथा के विकास के साथ–साथ 'सेवा सदन' में अब तक जो समस्याएं उत्पन्न हो चुकी थीं, अब वह भी तीव्र गति से विकास करने लगीं। अभी सुमन व गजाधर के दाम्पत्य जीवन की समस्या– बेमेल विवाह, प्रेम का अभाव, आर्थिक स्थिति का संघर्ष, परस्पर कलह तथा परस्पर एक दूसरे के प्रति उदासीनता विद्यमान थी। लेकिन सभी छोटी–छोटी समस्याएँ समाधान न पाकर विकट समस्या के रूप में प्रकट होने की तैयारी करने लगी।

''हमारा चरित्र कितना ही दृढ़ हो, पर उस पर संगति का असर अवश्य होता है, सुमन अपनी पड़ोसियों को जितनी शिक्षा देती थी उससे अधिक उनसे ग्रहण करती थी।'' इसी क्रम में सुमन के घर के सामने भोली नाम की वेश्या रहती थी उसके साज श्रृंगार, सुविधाओं तथा समाज में उसके मान–सम्मान से प्रभावित होती जाती थी। उस पर भ्रमवश एक दिन गजाधर ने सुमन को घर से निकल जाने का आदेश दे दिया, सुमन इस विकट समस्या का समाधान खोजने में असमर्थ भोली की शरण में आ गिरी, उस पर भोली ने ठाट–बाट के सपने दिखा सुमन को अपनी कलाओं में प्रवीण कर दिया। अब सुमन 'सुमनबाई' बन दालमंडी की शोभा हो चुकी थी।

'सेवा सदन' में प्रेमचन्द ने समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं समस्याओं को उठाया। इन्हीं कुरीतियों में सर्वाधिक निष्ठुर तथा हेय दृष्टि को प्राप्त है किसी स्त्री का 'वेश्या' बन जाना। सुमन अब एक वेश्या भी तथा उसका संघर्ष यहाँ समाप्त नहीं अपितु आरम्भ होता है। प्रस्तुत कथा एक बड़े से प्रश्न के साथ उपस्थित होती है तथा समाज के दोहरे मापदण्डों का एक ही साथ एक ही समाज में कैसे निर्वहन किया जाता है, यह स्पष्ट होता है। कैसे 'भोलीबाई' सुख व सम्मान प्राप्त कर जीवन का लाभ ले रही है जिससे सुमन लालायित होकर इस कुऐ में आ गिरती है। परन्तु सुमन को दालमंडी में लगभग छः माह व्यतीत करने के पश्चात ही सत्य से परिचित हो जाती है, अब वह इस जीवन को छोड़कर जाने के लिए विकल हो जाती है, कठोर जीवन व्रत का संकल्प ले विट्ठलदास की सहायता से विधवाश्रम में शरण मिल जाती है। उसे यहाँ विधवा बताया गया था। परन्तु समाज में अब सुमन का कोई स्थान नहीं रह गया था। वह अब कठोर तप अथवा अग्निपरीक्षा के बाद भी सती नहीं

मानी जा सकती थी, वह समाज की दृष्टि में पतिता थी अब यह दाग नहीं धुल सकता था।

समाज आज भी भोलीबाई का आदर करता था शहर के समस्त उच्चवर्ग के लोग उसके दरवाजे पर सिर झुकाने को तैयार थे परन्तु यदि सुमन समाज में आकर वापस दस्तक दे रही है तो सारे दरवाजे बन्द कर दिये गये। कभी सुमनबाई के प्रेमदृष्टि के लिए आतुर 'सदन' अब सुमन की बहन 'शांता' से भी भाग रहा था, क्योंकि वह पतिता सुमन की बहन थी।

सुमन अब अपने संकल्प पर दृढ़ व अडिग खड़ी रहती है, अपनी भूल का पश्चाताप करने के लिए सब संघर्षों का सामना करती है तथा बहन शांता को भी सहारा देकर उसकी सुखी गृहस्थी को आधार देती है। अपने जीवन को सेवा में रत करके अपने पति गजाधर के सहयोग से कन्याओं के लिए शिक्षा व कौशल प्रदान करने हेतू 'सेवासदन' आश्रम का निर्माण करते हैं तथा सार्थक रूप प्रदान करते हैं।

एक प्रकार से उपन्यास का सुखद अंत होता है। परन्तु समाज की कुरीतियां तथा समस्याएं जिस प्रकार हमारे समक्ष प्रकट होती हैं वह तत्कालीन समय का ही नहीं वरन् आधुनिक समाज का भी दृश्य प्रकट करती है।

निष्कर्ष रूप में 'सेवासदन' रिश्वत, भ्रष्टाचार, दहेज प्रथा, बेमेल विवाह, समाज के दोहरे मापदण्ड, पतिता स्त्री का पुनःउद्धार की समस्याओं को दर्शाता है तथा समाज का बनावटी स्वरूप दिखावे की परम्परा तथा वास्तविकता में पूर्णतः भिन्नता के दर्शन होते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. डॉ0 नगेन्द्र–हिन्दी साहित्य का इतिहास – मयूर बुक्स, 4226, दरियागंज, नई दिल्ली–110002
2. मुंशी प्रेमचन्द–सेवासदन–विश्वबुक्स, बी–1/ई–7, बदरपुर नई दिल्ली–110044

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
September 2021 Page No. : 222-227

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

बाढग्रस्त क्षेत्र के श्रमिकों के आर्थिक स्थिति का एक अध्ययन

(वाराणसी शहर के रमना ग्राम के संन्दर्भ में)

-Dr. Chandrashekhar Singh

Senior Assistant Professor, Department of Social Work

Mahatma Gandhi Kashi Vidhyapith University, Varanasi

प्रस्तावना :-

वाराणसी शहर गंगा किनारे स्थित है 75 प्रतिशत भू–भाग पर कृषि संबंधित कार्य के रूप में कृषि श्रमिक कार्य करते है जिससे बाढग्रस्त होने पर सीधे इनके आय पर प्रभाव पडता है और बाढ समाप्त होने की स्थिति पर तकरीबन 20–25 दिन तक कोई कार्य नहीं होता है। लगभग एक महीने तक इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ नही होती जिससे उनके ऊपर गंभीर दुष्प्रभाव पडता है। उक्त संन्दर्भ रमना ग्राम वाराणसी के उत्तर दिशा मे बी0एच0यू0 के पीछे स्थित हैं। उक्त ग्राम के ग्रामवासी अधिकाधिक व्यवसाय के लिये वाराणसी शहर मे आते हैं परन्तु जब बाढ के वजह से संकट उत्पन्न होता है तो इनके आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है इससे इनके जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है।

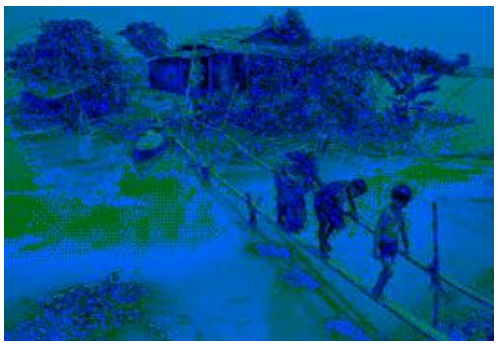

बाढ एक ऐसी संकटग्रस्त स्थिति हैं जिसमें कोई निश्चित क्षेत्र या भूखण्ड अस्थायी रूप से जलमग्न हो जाता है और उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के ऊपर बहुत ही गंभीर प्रभाव पडता है जिससे कि उनके दैनिक जीवन के कार्यों करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

भारत में घटित होने वाली सभी प्राकृतिक घटनाओं में सबसे अधिक घटनाऐं बाढ की है। यद्यपि इसका मुख्य कारण भारतीय मानसून की अनिश्चितता तथा वर्षा ऋतु के चार महीनों में भारी जल प्रवाह है। बाढ के कारण समाज का लगभग सभी वर्ग चाहें वह अमीर हो या गरीब सभी प्रभावित होते है।

बाढ़ से तात्पर्य :-

नदी का जल उफान के समय जल वाहिकाओं को तोड़ता हुआ मानव बस्तियों और आस–पास के जमीन पर पहुंच जाता है और बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है। बाढ़ आमतौर पर अचानक नहीं आती है यह कुछ विशेष क्षेत्रों मे वर्षा ऋतु में ही आती है। बाढ़ तब आती है जब नदी जल वहिकाओं में इनकी क्षमता से अधिक जल बहाव होता है और जल बाढ के रूप मे मैदान के निचले हिस्सों में भर जाता है।

कई बार झीलें और आंतरिक जल क्षेत्रों मे भी क्षमता से अधिक जल भर जाता है। बाढ आने के और भी कई कारण हो सकते है जैसे तटीय क्षेत्रों मे आने वाला तूफान, लंबे समय तक होने वाली तेज बारिश, हिम

का पिंघलना, जमीन जल अवशोषण क्षमता में कमी आना और अधिक मृदा अपरदन के कारण नदी जल में जलोढ की मात्रा में वृद्धि होना। भारत के विभिन्न राज्यों में बार–बार आने वाली बाढ़ के कारण जान–माल का भारी नुकसान होता है। राष्ट्रीय बाढ आयोग नें देश में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। असम, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्यों में से एक है। इसके अतिरिक्त उत्तर भारत की अनेक नदियॉ विशेषकर उत्तर प्रदेश और पंजाब में बाढ लाती रही है।

बाढ के कुछ सामान्य कारण :–

मौसम संबंधी : सामान्यतः 3 से 4 माह की अवधि में ही देश मे भारी बारिश के परिणामस्वरूप नदियों मे जल का प्रवाह बढ़ जाता है जो विनाशकारी बाढ़ का कारण बनता है। एक दिन में लगभग 15 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है तो नदियों का जल स्तर खतरनाक ढंग से बढना शुरू हो जाता है।

बादल फटना : भारी वर्षा और पहाडियों या नदियों के आसपास बादलों के फटने से भी नदिया जल से भर जाती है।

मानव निर्मित अवरोध : तटबंधों, नहरों और रेलवे से संबंधित निर्माण के कारण नदियों के जल प्रवाह क्षमता में कमी आती है। फलस्वरूप बाढ की समस्या और भी गंभीर हो जाती है। वर्ष 2013 में उत्तराखंड में आई भयंकर बाढ़ को मानव निर्मित कारकों का परिणाम माना जाता हैं।

वनों की कटाई : पेड़–पहाड़ों पर मिट्टी के कटाव को रोकने और बारिश के पानी के लिये प्राकृतिक अवरोध पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

यद्यपि बाढ ग्रस्त क्षेत्रों मे कई तरह की बीमारियां जैसे– हैजा, आंत्रशोध, हेपेटाईटिस एवं अन्य दूषित जल जनित बीमारियां फैल जाती है। वर्तमान में पूरे देश में कोविड–19 महामारी का प्रसार है, बाढ की स्थिति इसे और अधिक हानिकारक बना सकती है। लोगों को बाढ़ की समस्या से मुक्त कराने एवं उनसे होने वाले दूष्प्रभाव से निजात दिलाने के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकारें संयुक्त रूप से विगत कई वर्षो से प्रयासरत है जैसे :–

राष्ट्रीय जल नीति, 2012 :–

लोगों को बाढ़ की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिये राष्ट्रीय जल नीति 2012 में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये गये है जो इस प्रकार है –

– जहां संरचनात्मक एवं गैर संरचनात्मक उपायों के माध्यम से बाढ़ एवं सूखे जैसी जल संबंधी आपदाओं को रोकने के लिये हर संभव प्रयास किया जाना चाहियें। साथ ही प्राकृतिक जल निकास प्रणाली के पुर्नस्थापन पर भी अत्यधिक जोर दिये जाने की आवश्यकता है।

– नदी द्वारा किये गये भूमि कटाव जैसे स्थायी नुकसान को रोकने के लिये तटबंधों इत्यादि के निर्माण हेतु आयोजन, निष्पादन, निगरानी भू–आकृति विज्ञानीय अध्ययनों के आधार पर किया जाना चाहिये। चूंकि जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक तीव्र वर्षा होने तथा मृदा कटाव की संभावना बढ़ने से यह और भी अत्यन्त महत्वपूर्ण होता जा रहा है।

– बाढ का सामना करने के लिये तैयार रहने हेतु बाढ पूर्वानुमान अति महत्वपूर्ण है तथा इसका देश भर में विस्तार किया जाना चाहिये और "वास्तविक समय ऑकडा संग्रहण प्रणाली" का उपयोग करते हुये आधुनिकीकरण किया जाना चाहिये।

– जलाशयों के संचालन की प्रक्रिया को विकसित करने तथा इसका कार्यान्वयन इस प्रकार किया जाना चाहिये ताकि बारिश के मौसम के दौरान बाढ़ को सहन करने संबंधी क्षमता प्राप्त हो सके और अवसादन के असर को कम किया जा सकें। यें प्रक्रियाएं ठोस निर्णय प्रणाली पर आधारित होनी चाहिये।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 :–

दिसंबर 2005 में भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया गया जिसके तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन किया गया।

अध्ययन की समस्या :–

वर्तमान समय में बाढ एक ऐसी संकटग्रस्त परिस्थिति है जिसका सामना यदा कदा हर वर्ग के लोगों को करना पड़ता है चूंकि बाढ के कारण लोगों की सामान्य दिनचर्या प्रभावित होती है। ऐसे में वे लोग जो गरीब है या श्रमिक वर्ग से जुड़े हुये है जो दैनिक मजदूरी पर अपना जीवनयापन करते है उनको बाढ़ के कारण गंभीर आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। बाढ के कारण तो इन श्रमिकों को कई–कई दिनों तक तो कोई कार्य ही नहीं मिलता है जिससे उनके समक्ष खाने–पीने, रहने कहीं आने–जाने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

अध्ययन का उद्देश्य :–

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ता का प्रमुख उद्देश्य बाढग्रस्त प्रभावित क्षेत्रों में श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना है और यह पता लगाना की उन श्रमिकों को बाढ़ के दौरान किस प्रकार की आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा।

शोध प्रारूप :–

शोधकर्ता द्वारा अपने शोध अध्ययन में वर्णनात्मक शोध प्रारूप का चयन किया गया है जिसके माध्यम से बाढग्रस्त क्षेत्र के श्रमिकों की आर्थिक समस्याओं के संबंध मे वास्तविक तथ्यों को एकत्रित करके उनके आधार पर विवरण प्रस्तुत करना है।

शोध अध्ययन का क्षेत्र :–

शोधकर्ता द्वारा समस्या से संबंधित आंकडों कों एकत्र करने के लिये वाराणसी जिले के रमना ग्राम के बाढग्रस्त क्षेत्र के कुल 50 श्रमिकों से संपर्क स्थापित कर उनसे सूचनाओं को एकत्र किया गया है।

शोध अध्ययन हेतु उपकरण :–

शोधकर्ता द्वारा समस्या से संबंधित सूचनाओं को एकत्र करने के लिये बाढग्रस्त क्षेत्र का अवलोकन किया गया तथा उस क्षेत्र से संबंधित श्रमिकों से साक्षात्कार कर प्रश्नावल के माध्यम से सूचनाओं को एक सुव्यवस्थित क्रम में एकत्रित करने का प्रयास किया गया है जिसमें की तथ्यों के विश्लेषण मे सहजता प्राप्त हो सकें।

समस्या से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण :–

बाढ़ एक ऐसी विभीषिका है जो बाढ प्रभावित क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचातें है जिससे इस

क्षेत्र से जुड़े लोगों को भारी आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। मकान, पुल, सडक, बिजली के खंभे और वाहन इत्यादि निजी एवं सार्वजनिक दोनों को भारी नुकसान पहुंचातें है। कृषि क्षेत्रों, उद्योगों आदि पर बाढ के प्रभाव के कारण बहुत से लोग अपनी आजीविका को नुकसान पहुंचाते है। संचार लाईनों में नुकसान के कारण बुनियादी ढांचों और परिवहन नेटवर्क का व्यवसाय न केवल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बल्कि आसपास के इलाकों मे भी प्रभावित होता है। लंबे समय के बाद के प्रभाव को स्वच्छ पेयजल की कमी, बिजली की आपूर्ति में व्यवधान, आय की हानि के कारण लोगों की क्रय शक्ति में कमी, बुनियादी वस्तुओं की कीमतों मे वृद्धि आदि के आधार पर महसूस किया जाता है। लोगों को एवं आर्थिक गतिविधियों को सामान्य स्थिति में लाने में बहुत अधिक समय लगता है जिससे गंभीर आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है।

उक्त समस्याओं को देखते हुये शोधकर्ता द्वारा कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याओं को चिन्हित कर उसे सारणी के माध्यम से विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है। जिसमें कुछ निम्नलिखित आर्थिक मुद्दे से जुडी समस्यायें शामिल है।

1. **आय में कमी :-** बाढ जैसी विभीषिका से तमाम श्रमिक जो दैनिक आय पर अपनी आजीविका चलाते है उन्हें बाढ के कारण काम नहीं मिल पाता था जिससे उनकी आय में कमी आना स्वाभाविक था। आय में कमी के संबंध में लोगों से प्राप्त जानकारी को निम्न तालिका के द्वारा स्पष्ट किया गया है।

क्र0सं0	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हॉ	42	84
2	नही	03	06
3	आंशिक रूप से	05	10
	कुल योग	50	100

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 84 प्रतिशत श्रमिक ऐसे हैं जिनकी बाढ़ की वजह से आय में कमी का सामना करना पड़ा जबकि 10 प्रतिशत श्रमिक ऐसे है जिन्हें बाढ के कारण आंशिक रूप से आय में कमी का सामना करना पड़ा और 6 प्रतिशत श्रमिक ऐसे थे जिन्हें आय में किसी प्रकार की कमी को कोई सामना नहीं करना पड़ा क्योकि ये ऐसे श्रमिक थे जिनकी कार्य क्षेत्र बाढ क्षेत्र से कहीं अन्यत्र स्थानों पर था इस वजह से इनकी आय मे कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा।

2. **घरों/मकानों का क्षति :-** बाढग्रस्त क्षेत्रों में अधिकांश घर/मकान ऐसे थें जो गंभीर रूप से बाढ से प्रभावित थे। बाढ की स्थिति मे कई लोग अपने घरों से अन्य जगह पर पलायन कर चुके थें जिसकी वजह से उन्हें रहने की समस्या उत्पन्न हो रही थी उनकों अन्य जगह पर जाकर किरायें पर शरण लेने की जरूरत पड़ी तो कोई खुले आसमान के नीचे सडकों पर रहने को मजबूर है। बाढ से हुये घर/मकान की क्षति को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है।

क्र0सं0	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हॉ	35	70
2	नही	07	14
3	आंशिक रूप से	08	16
	कुल योग	50	100

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि बाढ के कारण 70 प्रतिशत श्रमिक ऐसे थे जिनके घरों एवं मकानों की क्षति हुयी तथा 16 प्रतिशत ऐसे थे जिनके घरों मे बाढ के कारण आंशिक क्षति देखने को मिली।

3. खाने पीने की समस्या :–

बाढ प्रभावित क्षेत्रों मे रहने वाले लोगों मे आय की कमी घरों/मकानों की क्षति के वजह से उनके समक्ष खाने पीने जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा था। उचित संसाधन व खाद्य पदार्थो के अभाव में उनके समक्ष खाने–पीने की समस्या आने लगी। बाढग्रस्त क्षेत्रों मे श्रमिकों की खाने पीने की समस्या को निम्न तालिका के माध्यम से स्पष्ट किया गया है।

क्र0सं0	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हॉ	42	84
2	नही	02	04
3	आंशिक रूप से	06	12
	कुल योग	50	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बाढ की समस्या के कारण 84 प्रतिशत लोगों में खाने–पीने की समस्या का सामना करना पड़ा तथा 12 प्रतिशत लोग ऐसे थें जिन्हें आंशिक रूप से खाने पीने की समस्या का सामना करना पडा।

4. कृषि श्रमिको एवं उनके फसलों पर प्रभाव :–

बाढग्रस्त क्षेत्रों में अक्सर यह देखा जाता है कि जब नदी का पानी बढता है या अत्यधिक बरसात होती है तो यह पानी कृषि भूमि पर फैल जाता है जिससे किसानों द्वारा लगाये गयें फसलों को भारी नुकसान पहुंचता है इससे एक ओर तो उनके सारी मेहनत फसलों के पानी में डूब जाने से नष्ट हो जाती है तो वहीं दूसरी ओर उन्हें आर्थिक नुकसान का भी सामना करना पड़ता है जिसे वह ऋणग्रस्तता के भी शिकार हो जाते है। कृषि श्रमिको एवं उनके फसलों पर हुये प्रभाव को निम्न तालिका के माध्यम से दर्शाया गया है–

क्र0सं0	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हॉ	35	70
2	नही	09	18
3	आंशिक रूप से	06	12
	कुल योग	50	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 70 प्रतिशत श्रमिक ऐसे थे जिनकी बाढ के कारण कृषि फसलें नष्ट हो गई और उन्हें आर्थिक क्षति का सामना करना पडा तथा 12 प्रतिशत श्रमिक ऐसे थे जिन्हें आंशिक रूप से कृषि फसलें नष्ट हुयी जिससे उन्हें कुछ आर्थिक नुकसान का सामना करना पडा तथा 18 प्रतिशत श्रमिक ऐसे थे जिन्हे किसी भी प्रकार को कोई नुकसान नही हुआ ये ऐसे श्रमिक थे जिनकी आजीविका कृषि पर निर्भर नहीं थी।

निष्कर्ष :-

1. तथ्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि बाढ़ जैसी संकटकालीन परिस्थिति में दैनिक मजदूरी पर कार्य करने वाले श्रमिकों की आय पर विपरीत प्रभाप पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों मे उन्हें कहीं काम नहीं मिल पाता है।
2. तालिका के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि बाढ के दौरान अधिकांश घर पानी में पूर्ण रूप से डूबे हुये थे तो कुछ क्षतिग्रस्त भी हो चुके थें।
3. बाढ की स्थिति में लोगों के समक्ष संसाधनों के अभाव मे खाने पीने की भी समस्याओं का सामना करना पड़ा।

सुझाव :-

1. राज्य स्तर पर बाढ नियंत्रण एवं शमन के लिये प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना तथा स्थानीय स्तर पर लोगों को बाढ के समय किये जाने वाले उपायों के बारे में प्रशिक्षित करना।
2. लोगों के बीच शीघ्र तथा आवश्यक सूचना जारी करना।
3. बाढ की प्रकृति के अनुसार आपदा मोचन बल को प्रशिक्षित करना तथा आवश्यकता पडने पर तुरंत तैनात करना।
4. बाढ के पूर्वानुमान तथा चेतावनी को रिमोट सेसिंग टेक्नोलॉजी तथा अन्य संस्थानों के सहयोग से मजबूत करना।
5. संरचनात्मक उपाय जैसे की तटबंध, कटाव रोकने के उपाय, जल निकास तंत्र का सुदृढीकरण।
6. गैर संरचनात्मक उपाय जैसे कि आश्रय गृहों का निर्माण, सार्वजनिक उपयोग की जगहों को बाढ सुरक्षित बनाना अंतर्राज्यीय नदी बेसिन का प्रबंधन, बाढ के मैदानों का क्षेत्रीकरण इत्यादि।
7. पुर्ननवीकरण, जल निकास तंत्र मे सुधार, वाटर शेड प्रबंधन, एवं मृदा संरक्षण जैसे उपाय को बढावा देना।
8. विनिर्माण मे संरचना के प्रारूप, स्थान, सामग्री के प्रकार एवं आकार के विषय में उचित निर्णय लेना महत्वपूर्ण है ताकि प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचे।

सन्दर्भ :-

1. विकिपीडिया
2. एनडीआरएफ की वेबसाइट
3. प्रतियोगिता दर्पण (दिसम्बर 2020)
4. कुरूक्षेत्र (मार्च 2021) संपादकीय, सूचना व प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।
5. दैनिक जागरण हिन्दी दैनिक 10/08/2021

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
September 2021 Page No. : 228-231

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

जमदग्नि ऋषि के वाद्य एवम् ताल

–डॉ० हरी सिंह ठाकुर

सहायक प्रवक्ता, गर्वनमैंट कॉलेज, कुल्लू।

सारांश :–

इस विषय में जमदग्नि ऋषि के कुछ ताल वाद्य यन्त्रों का वर्णन है और जनश्रुति के अनुसार जमदग्नि ऋषि के श्याह गाँव में आगमन के बारे में, उनके ताल वाद्य और उनमें बजने वाले ताल के बारे में, कुल्लू में जमदग्नि के मुख्य स्थान के बारे में और जमदग्नि की वंश परम्परा के बारे में बताया गया है। मेरे शोध प्रपत्र के माध्यम से लोगों का ध्यान जो प्रभु भक्ति से विमुख हो रहा है उसके प्रति ध्यान और दिन प्रतिदिन देवताओं के जो वादक होते है उनमें रूचि उत्पन्न करेगी और नव–पीढ़ी के ज्ञान वर्धन में सहायक होगा।

परिचय :–

तारामण्डल में सप्त ऋषियों का समूह होता है लेकिन यह सप्त ऋषि कौन है? भारतीय सनातन पद्धति में 88 हजार प्रमुख ऋषियों का वर्णन आता है मगर जो सात ऋषि है उनका स्थान प्रमुख रूप से वैदिक कर्म काण्ड के द्वारा ज्ञात होता है। इन सप्त ऋषियों में विश्वामित्र, महर्षि जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, कश्यप और विशिष्ठ का नाम उद्धृत है। उन्हीं में से जमदग्नि ऋषि पर मैं अपने विचार विभिन्न–विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ।

शोध तकनीक :–

प्रस्तुत प्रपत्र में, मैं विवरणात्मक और वर्णनात्मक पद्धति का प्रयोग कर रहा हूँ। इस प्रपत्र को तैयार करने के लिए मैंने यथा सम्भव धार्मिक ग्रन्थों तथा कुछ मूल पुस्तकों का उल्लेख किया है।

उद्देश्य :–

इस प्रपत्र के माध्यम से भारतीय संस्कृति तथा सनातन पद्धति का अवलोकन होगा तथा नव पीढ़ी का यथा सम्भव ज्ञान वर्धन होगा। प्रस्तुत विषय में जमदग्नि के बारे में तथा उनके वाद्य एवम् तालों के बारे में चर्चा की जाएगी, जिसका विवरण निम्न प्रस्तुत है।

''जमदग्नि ऋषि'' के वाद्य एवं ताल :–

''जमदग्नि ऋषि'' के वाद्य एवं ताल तारा मण्डल में सप्त ऋषियों का समूह होता है। लेकिन यह सप्त ऋषि है कौन? भारतीय सनातन पद्धति में 88 हज़ार प्रमुख ऋषियों का वर्णन आता है। मगर जो सात ऋषि है उनका स्थान प्रमुख रूप से वैदिक कर्मकाण्ड के द्वारा ज्ञात होता है। इन सप्त ऋषियों में विश्वामित्र महर्षि जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, कश्यप और विशिष्ठ का नाम उद्धृत है। अग्नि पुराण 38वां अध्याय पृष्ठ 215

में यह उल्लेख प्राप्त हुआ है। यथा :–

विश्वामित्रो जमदग्निर्भरद्वाजोऽथ गौतमः

ऋर्षिअत्रिविशिष्टस्य कश्यपस्य यथाक्रमम्।[1]

संध्या प्राणायाम सर्व कर्म आरम्भ प्राणायाम मन्त्र से सिद्ध होता है कि सप्त ऋषियों का स्थान महत्त्वपूर्ण है यथा नित्य कर्म पद्धति पृ०नं० 58 में यह उल्लेख मिलता है। इन्हीं सप्त ऋषियों में महर्षि जमदग्नि बड़े तपस्वी और तेजस्वी ऋषि हुए। वे महर्षि भृगु के पौत्र और महामुनि ऋचिक के पुत्र हुए। महषि भृगु की दो पत्नी हुई एक का नाम दिव्या और दूसरी का नाम पौल्मी हुआ। दिव्या से शुक्राचार्य और त्वष्टा नाम के दो पुत्र हुए और पौल्मी के साथ महर्षि ऋचक और महर्षि च्यवन दो पुत्र विख्यात हुए। ऋचक ऋषि ने कुशिक वंश के राजा गाधी की पुत्री सत्यवती से विवाह किया।[2] उनसे महर्षि जमदग्नि की उत्पत्ति हुई। इन्हीं का ही पुत्र भगवान परशुराम विख्यात हुआ।

जमदग्नि ऋषि शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण थे। जमदग्नि ऋषि के पास एक सुशीला (सुरभि) नाम की गौ ऐसी थी कि जिसने सहस्त्रबाहु और उसकी पूरी सेना को 56 प्रकार के भोजन करवाए थे। सहस्रबाहु जो कि जमदग्नि ऋषि की पत्नी मां रेणुका की बहन मनोरमा का पति था। कार्तवीर्य हैह्या वंश का राजा था और बहुत ही बलशाली था जिसे सहस्रबाहु के नाम से भी जाना जाता था। जब वह शिकार खेलते हुए सेना सहित जमदग्नि के आश्रम में पहुंचे तो 56 प्रकार के भोजन से तृप्त होकर और कपिला को और उसकी चमत्कारी शक्तियों को जानकर बहुत हैरान था। इसलिए उसने जमदग्नि से कपिला को मांगने की इच्छा जाहिर की लेकिन जमदग्नि ऋषि ने बात हंसी में टाल देने की कोशिश की। लेकिन कार्तवीर्य किसी भी प्रकार से सुशीला (सुरभि) नाम की कामधेनु को किसी भी तरीके से हासिल करना चाहता था। इसलिए उसने कपिला का हरण करने की इच्छा प्रकट की।[3]

जमदग्नि ऋषि ने इसका विरोध किया तो सहस्रबाहु ने दूत भेजा और यह कहा कि फिर शुद्ध करना होगा या कपिला को देना होगा तब जमदग्नि ने कपिला से अशान्त होकर यह कहा कि मेरे पास तो सेना भी नहीं है। मैं युद्ध कैसे करूंगा। कपिला ने कहा कि जब तक आमोघ दिव्य अस्त्र का प्रयोग नहीं होगा तब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी। जब सहस्रबाहु ने जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर आक्रमण किया तो सुरभि की सेना ने ही सहस्रबाहु की सेना को मार भगाया और उसका सब कुछ नष्ट कर दिया और रथ भी चूर–चूर कर दिया।[4]

जमदग्नि ऋषि के पांच पुत्र हुए। उनका नाम रूकमवान, सुखेन, वसु, विश्व मानस और सबसे छोटे पुत्र परशुराम जो कि विष्णु भगवान के अवतार हुए। परशुराम ने ही सहस्रा अर्जुन का भी वध कर दिया था और 21 बार क्षत्रिय राजाओं का वध कर दिया था।[5] परशुराम ने जमदग्नि की आज्ञा पर माता रेणुका का सिर काट दिया था और जमदग्नि से वर मांगने पर माता रेणुका को फिर से जीवित करने को कहा था क्योंकि वे जानते थे कि जमदग्नि ऋषि के पास ऐसी विद्या है और फिर जमदग्नि ऋषि जी ने माता रेणुका को फिर से जीवित कर दिया था। भगवान शिव की तरह महर्षि जमदग्नि भी एक ऐसे सर्जन हुए जो कटे सिर और धड़ को जोड़ने की कला जानते थे। जमदग्नि को जिला, कुल्लू में देव के रूप में मानते हैं। जिला, कुल्लू में इनके सभी देवताओं से ज्यादा स्थान (देऊथडे) है। मुख्य स्थान मलाणा है इनको 18 करडु के बजीर की उपाधि भी मिली है। इनके कुल्लू आने के बारे जनश्रुति है और कुल्लू में हवाई–श्याह, सीस, उड्सू, पीज, कलवारी आदि 12 देऊथडे हैं। गांव हवाई

श्याह आने के बारे में जनश्रुति यह है किसी समय मलाणा का जमदग्नि ऋषि जिसे कुल्लू में जमलू के नाम से पुकारते है, साधु के भेष में हवाई–श्याह आया।

श्याह गांव में जमलू का शास्त्रार्थ साधु भेष में रावल (याज्ञवतक्य) से हुआ। उसके उपरान्त साधु हवाई में एकान्त स्थान मौढा वाड़ी के पास तपस्या करने लगा। साधु चमत्कारी था और लोग बहुत खुश थे। लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो रही थी। एक दिन साधु अन्तरध्यान हो गए और इस बात से वहां के लोग चिंतित हो गए तब वहां के किसी व्यक्ति के अन्दर प्रकट होकर जमलू ने अपने लिए मन्दिर बनाने के लिए कहा लोगों ने मन्दिर बनाया और जमदग्नि ऋषि का आंगू की लकड़ी की पालकी और उसमें अधिकतर अष्टधातु के आठ मोहरे बनाए और रथ रूप में जमलू को पूजने लगे। इस तरह कभी देवता श्याह और कभी देवता हवाई आता जाता रहा।[6]

1962 के लगभग गांव वालों का आपस में मनमुटाव होने पर इन्होंने रथ को गांव श्याह और मोहरे हवाई गांव में अधिकतर रखे और बाकी समान बराबर बांट दिए और श्याह वालों ने अपना अलग मन्दिर बनाया और देवते के भण्डार के लिए जगह दुमच खानदान के द्वारा दी गई थी। अभी भी भण्डार उसी में रखा जाता है। देवते के भिन्न–भिन्न प्रकार के वाद्य हैं। जिनका प्रयोग अक्सर देवता के साथ किया जाता है। यदि उन वाद्यों को अगर कोई कुत्ता आदि छू ले तो तुरन्त छलीद दी जाती है। छलीद उसे कहा जाता है जब किसी बकरे और भेड़ की बलि दी जाती है। ये नियम शायद इसलिए भी रखा होगा ताकि लोग वाद्य को ठीक ढंग से संभाल कर रख सके। यदि कोई भी वाद्य गिर जाता है, तो भी छलीद दी जाती है।

जमदग्नि ऋषि के बारे में चर्चा करने के पश्चात् मैं आपका ध्यान उनके ताल वाद्य के प्रति केन्द्रित करने का प्रयास कर रहा हूँ। देवता के वाद्यों में रणसिंगा, करनाल, ढोल, ढौउंस, नगाडा, कांसी और बाम आदि वाद्य प्रमुख हैं।

बाम :–

बाम एक अबनद्ध वाद्य है इसका खोल पीतल या तांबे का होता है। इसमें भैंसे के चमड़े का पूड़ा लगाया जाता है और इसको उस वक्त बजाया जाता है जब देवता ने चारों दिशा में जो देवी–देवता है। उनको संकेत देने के लिए बजाया जाता है। जब पहले मीटिंग आदि होती है तो उस समय मीटिंग के लिए मन्दिर के आंगन में जोर–जोर से लकड़ी के दो मोटे–मोटे डण्डों द्वारा बजाया जाता है। इसकी आवाज दूर–दूर तक जाती है और लोग समझते है कि देव मन्दिर में किसी जरूरी कार्य के लिए बुलाया जा रहा है। यह आमतौर पर नहीं निकला जाता। इसके खुले बोल कुछ इस तरह होते है।

डम डम डम डम। डम डम डम डम। डम डम डम डम डम डम डम।
डम डम डम डम डम डम आदि।

ढौऊंस :–

ढौऊंस देवता का मुख्य वाद्य है। कहा जाता है कि इसमें देवते की आदि शक्ति विद्यमान होती है और देव कार्य के दौरान जब वाद्य बजते है तो यह सब वाद्यों का नेतृत्व करता है। इसके बजाने वाले को ढौऊंसी कहा जाता है। इसके बगैर देवता कहीं भी नहीं जाता। इसको बजाने के लिए भी एक खानदान विशेषतौर में होता है। इसके बोल कुछ इस तरह के होते है।

डप डप डप डप डप पिंयू पिंयू पिंयू
डप डप डप डप डप पिंयू पिंयू पिंयू।

ढोल और नगाड़ा :–

ढोल, नगाड़े का आपस में बहुत अधिक तालमेल है। ढोल और नगाड़ा दोनों ताल देने के लिए होता है। ढोल तांबे या पीतल का बना होता है। दोनों साईड बकरे की खाल का पूड़ा लगा होता है। ढोल नगाड़े का नेतृत्व करता है। जैसे गुर खेल के दौरान जो ताल ढोल नगाड़े के बजता है वह कुछ इस प्रकार है। जैसे :

घणगे, डंगड़े, घणगे डंगड़े। घणगे डंगड़े घणगे डंगडे।
डम डम डम डम। डम डम डम डम डम
डमडम डमडम डमडम डमडम
डमडम डमडम डमडम डमडम
1 2 3 4 5 6 7 8
घिण घिण घिण घिण। घिण घिण घिण ताता।
9 10 11 12
घिणताता। घिणताता घिणतक धिणतक।
13 14 15 16
धिनाऽग धिणताता धिणतक धिणऽग।

निष्कर्ष रूप यही कहा जा सकता है कि जगदग्नि शंकर भगवान् के पश्चात् दूसरे ऐसे ऋषि हुए जो कटे हुए सिर को दोबारा जोड़ने की क्षमता रखते थे। प्रपत्र में मैंने उनके कुछ वाद्यों एवं तालों का जिक्र किया है। उनकी महानता और वाद्यों में बजने वाले तालों से जनसमूह परिचित होगें। उम्मीद है मेरे इस प्रपत्र के माध्यम से उन लोगों को भी जानकारी मिलेगी जो उनकी महानता से अभी तक अवगत नहीं थे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. पं० श्रीराम भवनजी मिश्र, श्री लाल बिहारी जी मिश्र, नित्यकर्म पद्धति, गीता प्रैस गोरखपुर, पृ० 58
2. हनुमान प्रसाद पोद्दार, श्री मद्भागवद पुराण, गीता प्रैस, गोरखपुर, अध्याय 15, पृ० 68
3. गणपति खण्ड, ब्रह्मवैर्वत पुराण, गीता प्रैस, गोरखपुर, पृ० 341
4. वही, पृ० 345
5. हर्ष कुमार हर्ष, हरिवंश पुराण, महामाया प्रकाशक, जालंधर शहर, पृ० 386
6. श्री मोहर सिंह, कुल्लु देव परंपरा, हिमाचल संस्कृति भाषा अकादमी, शिमला, पृ० 95–96

www.bohalsm.blogspot.com
Impact Factor : 3.811

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
September 2021 Page No. : 232-236

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

फिलोस्फर : एक समीक्षा

–शर्मिला देवी

शोधार्थी, हिन्दी विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़।

कहा जाता है कि इंसानी सभ्यता नदियों के किनारे पनपती है, और सन्यासी पर्वतों के ऊपर कन्दराओं में रहते हैं.... ऐसा क्यूँ? सन्यासी नदियों के किनारे, और सभ्यताएं कन्दराओं में क्यूँ नहीं पनपती? कभी सोचा है? मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन समर की कहानी पढ़ने के बाद मुझे कुछ –कुछ समझ में आया कि ऐसा क्यूँ है? मालती, माँ बाबूजी, भैया– भाभी, आरती शर्मा, धीरा, लक्ष्मी, शमा, शंकर, जेनी, सायरा आदि.....ये सब वो पड़ाव थे ,जहां पर जब चाहे समर रुक कर अपनी बस्ती बना सकता था.. पर सन्यासी तो सन्यासी ठहरे। उन्हे इंसानी बस्तियों से क्या? वो तो अंजान की खोज में बस्ती–दर–बस्ती को ठोकर मारते और खुद ठोकरें खाते हुये नदी के उस स्त्रोत की तरफ बढ़ते चले जाते हैं–––––एक अनंत की चाह में.....एक अंजान मंज़िल की तलाश में।

मंटो की जिंदगी की दर्दनाक दास्तान, उनका विद्रोही नज़रिया, सरकारों से लड़ने की ज़िद या फिर "Rockstar" के जे०जे० की बेचैन और बेपरवाह कहानी (हालांकि इस फिल्मी पात्र जे.जे० की खुद की कहानी किसी हद्द तक पार्श्व गायक मोहित चौहान से प्रेरित थी),या ओशो का धर्म व राजनीति के विषय में अलहदा नज़रिया, उनका धर्म को ठुकरा कर प्रेम और इंसानियत को तरजीह देने का विचार, ओशो की रहस्यमय मृत्यु। इन सबका मिश्रण, यही इस उपन्यास "फिलोस्फर" का मर्म है।

नायक का जीवन बिलकुल एक "रोलर कोस्टर राइड" जैसा प्रतीत होता है। जहां ज़रा–सा समान्य दिखना शुरू हुआ नहीं, कि वहीं पर एक नया मोड नज़र आ जाता है। इन सबके लिए नायक की पलायनवादी विचारधारा भी जिम्मेदार है। नायक हर जगह बस अपना बैग लिए, पुस्तकें उठाए ही दिखता है। ऐसा लगता है कि नायक, अपने शरणदाताओं द्वारा बस कुछ कहने भर के इंतज़ार में हो, जैसे ही किसी ने कुछ कहा नहीं और नायक वहाँ से अपना बोरिया–बिस्तर ले कर निकल जाता है। शायद नायक को अपनी ज़िंदगी में खुद ही स्थायित्व पसंद नहीं। वरना ज़िंदगी कहाँ किसी आम इंसान को इतने मौके देती है? जितने कि नायक को एक के बाद एक मौके मिलते जाते हैं। जैसे जंगल में मोगली एक लता से लहराता हुआ जाए, उस लता को छोड़ दे और अगली लता उसके इंतज़ार में झूलती मिले। ऐसा होना सामान्य जीवन में संभव नहीं।

उपन्यास में समर के चरित्र में काफी हद्द तक नकारात्मकता स्पष्ट दिखाई देती है। वही दूसरी ओर उसकी स्पष्टवादिता भी नज़र आती है। जिसके कारण समर को भारत से अमेरिका, अमेरिका से पाकिस्तान और पाकिस्तान से रशिया धक्के खाने पड़ते है। वह कहीं भी अपने विचारों के साथ समझौता नहीं करता। समर को न तो कोई धर्म आकर्षित कर पाता है और न ही कोई राजनैतिक विचारधारा। विश्व में मुख्यतः लोकतान्त्रिक और

साम्यवादी, दो ही राजनैतिक विचारधाराएँ हैं। इसके अलावा तानाशाही या फौजी शासन को भी आप इसमे जोड़ सकते हैं। समर ना तो भारत और अमेरिका के लोकतन्त्र का समर्थन करता है और ना ही चाइना और रूस के साम्यवाद का और ना ही पाकिस्तान के परोक्ष रूप से राज कर रहे फौजी शासन प्रणाली का। आलोचना करना ठीक है, यह लेखक का काम भी है, परंतु ष्सिर्फ आलोचनाष् करना मेरे विचार में नकारात्मकता भी है, क्यूंकी अगर आप किसी विचारधारा की खिलाफत करते हैं तो कम से कम उसके विकल्प के रूप में आप के पास कोई समाधान तो होना ही चाहिए।

ऐसा ही कुछ समर के धार्मिक विचारों के विषय में भी कहा जा सकता है। हालांकि यह सही है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में धार्मिक सहिष्णुता कम हुई है, फिर चाहे वह धर्म के नाम पर हो या गाय ह्त्या के नाम पर, भारत में भीड़ द्वारा की जाने वाली हत्याएं हों, या फिर अमेरिका में रंगभेद के नाम पर होने वाली जॉर्ज फ्लोएड की हत्या। समर के माध्यम से लेखक ने धार्मिक कट्टरता का विरोध किया है। लेकिन इसके लिए, समर को हर एक धर्म की खिलाफत करते दिखाया गया है। अर्थात सबकी आलोचना, लेकिन विकल्प? कुछ भी नहीं। अब दुनिया में लोगों को कोई न कोई राजनैतिक या धार्मिक व्यवस्था तो अपनानी ही पड़ेगी न? ऐसे में लेखक का पाठकों को यूं बिना किसी स्पष्ट राजनैतिक या धार्मिक विचारधारा के, छोड़ देना, कुछ अखरता है। हो सकता है कि समर की इस नकारात्मक सोच का कारण, उसकी ज़िंदगी का लगातार संघर्षमय होना हो, लेकिन समर की इस नकारात्मकता और बेचौन तबीयत का खामियाजा उसके नजदीकी और प्रिय लोगों को भुगतना पड़ा। फिर चाहे समर के माँ–बाबूजी हो, उसका दोस्त नौशाद और शंकर हो, शमा, जेनी, सायरा और उसका खानदान, या फिर अलिना और उसका खानदान, और अंत में खुद समर।

लेखक के इस उपन्यास में चित्रात्मकता बहुतायत है और विस्तार आवश्यकता से अधिक। हालांकि उपन्यास में ऐसे अलंकरण और भाव आवश्यक भी हैं, पर कहीं न कहीं इनकी अतिशयोक्ति खलने लगती है, खासकर उपन्यास के पूर्वार्ध में। जो कहीं–कहीं उबाऊ और नीरस बन जाता हैं। किसी दृश्य को पाठक के सामने यथावत उकेरने के लिए हर बार बहुत अधिक उपमाओं की प्रस्तुति कभी–कभी पाठक की खुद की कल्पनाओं का दमन कर देती है। लेखक को कुछ न कुछ पाठक की कल्पना के हवाले भी करना चाहिए।

उपन्यास के ज्यादातर पात्र एक जैसी मानसिक स्थिति में ही दिखाई दे रहे हैं। उससे यही लगता है कि सबकी लगभग एक जैसी प्रतिक्रियाएँ और एक ही जैसा व्यवहार है। आप समान्य जीवन में कैसे विश्वास कर सकते हैं कि एक रिक्शा खींचने वाला या एक ढाबे में काम करने वाला लड़का या एक समान्य ग्राहिणी, गूढ और दर्शन की बातें करे? जैसा कि इस उपन्यास में दर्शाया गया है। अगर सामान्य जीवन में सब इतने ही स्पष्ट और उत्तम विचार रखते तो फिर एक लेखक या एक दार्शनिक तथा समान्य–जन, जिन्हें कि हम "आम आदमी" कहते हैं, उनमें फर्क ही क्या रह जाता? जबकि होना यह चाहिए था, कि समाज के अलग–अलग वर्ग से आने वाले पात्र, जो अपने जीवन में अलग–अलग परिस्थितियों से गुजरे हैं, जिनका व्यवहार, भाषा, विचार और समस्याएँ एक दूसरे से कोसों दूर हैं, उन सब के व्यवहार, भाषा शैली और विचारों को उसी प्रकार से दर्शाया जाता, ताकि उन पात्रों की अपनी एक पहचान होती। अगर उपन्यास में हर वर्ग का पात्र एक ही तरह की सोच रखेगा, तो उपन्यास में अलग–अलग पात्रों का काम ही क्या है? क्योकि एक पढे–लिखे व्यक्ति की सोच और एक अनपढ़ व्यक्ति की सोच में जमीन–आसमान का फर्क होता हैं। लेखक को ढाबे वाले, रिक्शे वाले और मजदूर

की भाषा और शब्दावली पर भी ध्यान देना चाहिए था। जब धीरा समर को अपने घर लेकर आता है तब धीरा अपनी पत्नी से कहता है कि 'हर आदमी इतना गंदा नहीं होता, जितना हम समझ लेते हैं..... बेचारा पता नहीं किस घर का उजड़ा चिराग है जो आज सड़कों कि धूल फांक रहा है।'[1] वही दूसरी और एक मजदूर की पत्नी लक्ष्मी बड़े ही गूढ शब्दों का प्रयोग करती नजर आती है। जब वह समर से कहती है किष्ये निशान देखे नहीं. ... प्रतीकार का ही फल है.....शख्सियत बनाने में लाखों करोड़ों लम्हे कुर्बान होते हैं समर बाबू। तब कहीं जा कर इंसान का रूप आकार ले पता है....ये बातें तो आप अपने दिमाग से खुरच कर फेंक ही दो कि आप किसी कि अंतरात्मा को अपनी अच्छाई से सुला या जागा सकते हो।'[2] उपन्यास में लक्ष्मी समर से यह भी कहती हैं कि "'आप तो कहीं भी जा सकते हैं मगर हम कहाँ जाएँ? घर से बाहर कदम रखा नहीं कि पतिता और कलंकिनी का ठप्पा हमारे नाम पर लगा नहीं। दुनिया को हमारी आज़ादी तो अखरेगी मगर घर के अंदर हमारी गुलामी पर एक शब्द नहीं बोलेगी। धन्य है ये समाज।'[3] एक मजदूर और उसकी पत्नी द्वारा ऐसी भाषा और गूढ विचार अखरते हैं।

जहां तक समर के प्रति उपन्यास के ज्यादातर पात्रो के व्यवहार की बात हैं। सभी पुरुष पात्र या तो नायक की स्पष्ट रूप से सहायता करते दिखाई देते हैं और बाद में दुतकारते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि महिला पात्र नायक के प्रेम में पड़ कर उससे शारीरिक संबंध बनाने को ही आतुर दिख रही है। जिससे उपन्यास के पात्रों की उपयोगिता ही शंका के घेरे में आ रही हैं।

उपन्यास में एक तरफ लेखक ने नायक के माध्यम से लोकप्रिय लेखकों और लोकप्रिय साहित्य की यह कहकर आलोचना की है कि वो फूहड़ और सद–चरित्र से कोसों दूर हैं। जबकि उपन्यास के कुछ हिस्सों में लेखक ने स्वयं उसी तरह की लेखन शैली का प्रयोग करने की कोशिश की है। साहित्य के विषय में उपन्यास में लेखक समर के माध्यम से कहता है कि साहित्य की समाज को कोई जरूरत नही। लेखक ने लिखा हैं "यह तो सदियों से उस जैसे बहके, आवारा और नाकारा लोगों की मेहनत से बचने की ज़िरह मात्र है कि हम भी काम कर रहे हैं। समाज को कुछ दे रहे हैं, जबकि समाज को इसकी रत्तीमात्र भी ज़रूरत नहीं।"[4] परंतु यह वर्तमान समय का कटु सत्य हैं कि लोग साहित्य को महत्व नही देते। इस उपन्यास में लेखक की छवि एक आवारा, शराबी, और औरतखोर के रूप में दर्शाई गई हैं। उपन्यास में समर एक लेखक है। समर, छाया से कहता है। 'मैं झूठ नहीं बोलता'।

छाया : 'सब सच ही बोलते हैं, पर होता झूठ ही। सब वक्त और नशे का कमाल है, जैसे ही दोनों उतरे, आदमी की शराफत ओर अक्लमंदी लौट आती है'।

समर : 'मैं बहोत बड़ा लेखक हूँ, पता है तुम्हें?

छाया ' 'लेखक बहुत बड़े शराबी भी तो होते हैं, ओर साथ ही औरतखोर भी.... क्या तुम हो?'[5] वही दूसरी ओर उपन्यास में शमा कहती हैं। "शराब में जो ना डूब मरे, वह क्या खाक लेखक हुआ? अपना मंटो तो अफसानानिगार बना ही शराब में डूब कर। शराब ने मंटो को अमर बना दिया और बेचारी खुद बदनाम हो गई। नारी कि कटेगरी में आती है न, बचती केसे....?'[6]

एक तरफ नायक कहता है कि 'लेखक समाज का मार्गदर्शक है, उसका अच्छा चरित्र होना आवश्यक है, उसका उसूलों पर चलना ज़रूरी है, क्योंकी लेखक ही समाज की दिशा तय करते हैं, जबकि दूसरी तरफ

नायक अपने जीवन में आने वाली हर दूसरी स्त्री से शारीरिक संबंध बना रहा है। फिर चाहे प्यार के नाम पर मालती हो, तरस खाने और मदद करने वाली लक्ष्मी हो या शराब के नशे में प्यार मांगने वाली शमा ज़ेदी, जेनी, सायरा और ना जाने कौन कौन...। अगर नायक अपनी कला से समाज को चरित्र और मर्यादा का पाठ पढ़ना चाहता है, तो स्वयं वो कैसे नाज़ुक पलों में कमजोर हो कर वो ही सब कर रहा है जिससे वह समाज को रोकना चाहता है? एक तरफ पर–स्त्री गमन के लिए वो धीरा को गलत मान रहा है, दूसरी तरफ खुद नायक धीरा की पत्नी लक्ष्मी के साथ संबंध बना रहा है, और इतना ही नहीं नायक खुद को इन सबके लिए न्यायोचित भी ठहरा रहा है, फिए चाहे उसके जीवन ने आने वाली जेनी हो या सायरा... बहाने वो ही पुराने... समान्य लोगों वाले... प्यार... इज्ज़त... मदद देना... मदद लेने का एहसान उतारना, शराब का नशा... और किसी के प्रणय निवेदन को न ठुकरा पाना, आदि आदि...। तो यही सब बहाने तो समान्य इंसान भी बनाते हैं, कोई गलती करने के बाद, खुद को सही साबित करने लिए। तो फिर नायक अपने किन क्रांतिकारी विचारों की दुहाई दे कर अपनी कलम के दम पर दुनिया बदलने का दावा करता है? हालांकि अंत में अलीना से मिलने के वक्त नायक अपने इन सब पुराने संबंधो का सही विश्लेषण कर के अलीना के साथ अपने संबंध को सही में मोहब्बत का नाम देकर न्यायोचित ठहरता है। लेकिन फिर भी विचारों का परस्पर विरोधाभास साफ–साफ परिलक्षित होता है।

इसके अलावा उपन्यास में कहीं न कहीं समर के माध्यम से समकालीन लेखकों की विडम्बना को भी दर्शाया गया है। समकालीन लेखक यह नहीं समझ पाता कि वो अपने खुद के विचारों का सम्मान करते हुये लिखे या फिर पाठकों की रुचि के अनुसार लिखे, प्रकाशन की पसंद का ध्यान रखे या फिर सत्ताधीशों का कोपभाजन होने से बचने के लिए लिखे? क्योकि कहा जाता है कि एक लेखक समाज में जो कुछ होता है उसका चित्रण अपने साहित्य में करता हैं। एक लेखक समाज को बदलने कि ताकत रखता है। क्योकि लेखक का सीधा संबंध पाठक से होता हैं। वह जो भी लिखता है उसे पाठक, प्रकाशक और सत्ताधीशों को ध्यान में रखकर लिखना पड़ता है। अगर लेखक खुद की भावनाओं को अपने साहित्य में उकेरे, तो कभी–कभी प्रकाशक और पाठक संतुष्ट नहीं हो पाते। अगर देश और राष्ट्र नेताओं के बारे में लिखे तो फिर हो सकता है कि आज के असंवेदनशील राजनैतिक वातावरण के कारण उसको देश–द्रोह जैसे आरोपों का सामना करना पड़े। एक तो आज पाठक सीमित हैं, दूसरी तरफ लेखक पर ये तरह–तरह के दबाव और बेड़ियाँ, अर्थात आज के समय में लेखक होना भी अपने आप में एक साहस का काम है।

हालांकि लेखक, उपन्यास के एक हिस्से में नायक के माध्यम से आज के लोकप्रिय लेखकों की लेखन शैली की आलोचना करता है लेकिन उपन्यास के उत्तरार्ध में वो खुद भी उसी शैली का अनुसरण करता नज़र आता है। 'थ्री मिस्टेक ऑफ माइ लाइफ' में जिस शैली का प्रयोग चेतन भगत ने किया है, इस उपन्यास के अंतिम हिस्से में उसकी गहरी छाप दिखाई देती है। समसामयिक घटनाओं का दिलचस्प वर्णन करके इस उपन्यास को रोचक बना दिया गया है। चाहे फिर भारत में कुछ वर्ष पहले हुयी 'मोब लिंचिंग' की घटनाएँ हो, या प्रतीकात्मक रूप से सलमान रुशदी और तसलीमा नसरीन जैसे लेखक/लेखिकाओं की कट्टरपंथियों द्वारा की गई प्रताड़ना हो, या फिर 'शार्ली हेब्दों' के विरुद्ध होने वाले विश्वव्यापी विरोध प्रदर्शन हो। इन सब घटनाओं को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपन्यास में सम्माहित किया गया है।

अंत में यहीं कहा जा सकता है कि लेखक ने समर के माध्यम से "एक लेखक" के संघर्षमय जीवन का चित्रण किया है। "फिलोस्फर" उपन्यास में लेखक ने सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, साहित्यिक प्रत्येक पक्ष को दर्शाया है। खासकर उपन्यास के उत्तरार्ध में तो कड़ी दर कड़ी, कहानी और समसामयिक घटनाओं को ऐसे पिरोया गया है जैसे–कि कुशल जुलाहा ताने–बाने को पिरोकर शानदार कपड़ा बुनता है।

संदर्भ सूची :-

1. सौदाई विजय; फिलोस्फर; सृष्टि प्रकाशन, चंडीगढ़; 2020; प्रथम संस्कारण; पेज़ संख्या 132–133
2. सौदाई विजय; फिलोस्फर; सृष्टि प्रकाशन, चंडीगढ़; 2020; प्रथम संस्कारण; पेज़ संख्या 154
3. सौदाई विजय; फिलोस्फर; सृष्टि प्रकाशन, चंडीगढ़; 2020; प्रथम संस्कारण; पेज़ संख्या 169
4. सौदाई विजय; फिलोस्फर; सृष्टि प्रकाशन, चंडीगढ़; 2020; प्रथम संस्कारण; पेज़ संख्या 98
5. सौदाई विजय; फिलोस्फर; सृष्टि प्रकाशन, चंडीगढ़; 2020; प्रथम संस्कारण; पेज़ संख्या 268
6. सौदाई विजय; फिलोस्फर; सृष्टि प्रकाशन, चंडीगढ़; 2020; प्रथम संस्कारण; पेज़ संख्या 193

असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, एस०डी० कॉलेज, चंडीगढ़।
संपर्क 9068783201,

PRINTED MATTER/PRINTING BOOK CLAUSE 121 (A) P & T GUIDE

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक गुगनराम सोसायटी रजि. के लिए डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट ने मनभावन प्रिन्टर्ज, भिवानी से छपवाकर गीना प्रकाशन, 202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड भिवानी-127021 (हरि.) से वितरित की।

ISSN 2395:7115